खण्ड-420, अंक-7
मंगलवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1919
(12 अगस्त, 1997 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 420 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	x–xi
—समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	1—3
—प्रश्नोत्तर	3—112
—सदन में दिए गए आश्वासनों को शासन द्वारा पूर्ति न होने पर उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	112
—नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	112
—लखनऊ नगर की सीवेज एवं ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
—जनपद मथुरा में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
—जनपद लखनऊ के कुर्मांचल नगर में पार्क हेतु आरक्षित भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अनधिकृत कब्जा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113-114
—जनपद मथुरा के गोकुल विधान सभा क्षेत्र की जीर्ण विद्युत व्यवस्था के सुधार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
—लाल बाग आफिसर्स कालोनी, लखनऊ में नियमित सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
—जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में शिक्षा की उचित व्यवस्था किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
—जनपद कौशाम्बी (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में विद्युत पावर हाउस लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
—जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा में विद्युतीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
—जनपद महोबा चरखारी तहसील की ग्राम सभा गुड़ा की अवैध भूमि को कब्जेदारों से मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
—जनपद बहराइच के ग्राम नसरापुर मझवां में अर्धनिर्मित पाठशाला का निर्माण रोके जाने तथा व्यय धन की वसूली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
—जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश पर से गुण्डा ऐक्ट हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
—जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
—जनपद शाहजहांपुर के तहसील सदर के ग्राम सिकन्दरपुर में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
—उ० प्र० के सफाई कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करके अनशन समाप्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
—जनपद मेरठ के ग्राम बैराज से ग्राम जलालपुर जोरा के बीच बांध बनाए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
—जनपद महराज गंज तहसील नौतनवां ग्राम कुनसेरवा में ग्राम समाज की भूमि को भूमाफियाओं से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
—लोक सेवा आयोग द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सेवकों के विनियमितीकरण हेतु नियमावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
—जनपद वाराणसी के थाना शेहनियां के कतिपय ग्रामों में पड़ी डकैती में मारे गये लोगों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
—जनपद फैजाबाद शहर के बीचोबीच से सब्जी मण्डी को हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
—आगरा महानगर के नालों की समुचित सफाई कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
—जनपद देवरिया में नियमित विद्युत व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122
—प्रदेश में फर्जी वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
—जनपद एटा के परगनाधिकारी श्री सी० पी० सिंह के विरुद्ध शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
—महराज गंज सदर क्षेत्र में बाढ़ कटान रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123-124
—बांदा नगर के विद्युत अभियन्ता श्री प्रेम बहादुर सक्सेना के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
—प्रदेश के गरीब किसानों के दस हजार के कर्जे घोषणा के अनुसार माफ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
—जनपद मेरठ के छपरौली कस्बे में स्वीकृत डिग्री कालेज का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
—आजमगढ़ मण्डल के धोबी समाज की समस्याओं के निराकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
—जनपद देवरिया के भुजौली रोड आवासीय योजनान्तर्गत आवंटियों को पूर्ण स्वामित्व दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125-126

विषय	पृष्ठ-संख्या
—जनपद मिर्जापुर स्थित टाण्डा जलाशय की सफाई तथा जलधारण क्षमता बढ़ाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126
—श्री राम निवाज पुत्र श्री जाग्रश्वर भदसाना मोहन लाल गंज रायबरेली के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
—प्रदेश में एक्सरे टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एवं लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमा नामक अनेक संस्थाओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
—विश्व हिन्दू परिषद् के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं प्रमुख व्यवसायी श्री नन्द किशोर संगटा के अपहरण की खोज कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
—जनपद बाराबंकी में निर्बल आवास के बने इन्दिरा आवासों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
—जनपद बाराबंकी के नवाबगंज तहसील के ग्राम सालेहनगर में पट्टे पर दी गयी जमीन वन विभाग को न देकर किसानों को ही दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
—जनपद अल्मोड़ा के तहसील भिक्यासैंण अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्त स्थली को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128-129
—घाघरा नदी पर रुदौली (बाराबंकी) में बने बांध के कटाव पर नियंत्रण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129
—प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साधारण ग्रेड चिकित्सकों की प्रोन्नति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
—प्रदेश में आरक्षण अधिनियम का लाभ कई अन्य जातियों को न मिलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
—जनपद महराजगंज के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की पदोन्नति नियमावली के अनुसार न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
—जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा में महिला महाविद्यालय खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
—जनपद मथुरा स्थित गोबर्धन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य, जल तथा विद्युत व्यवस्था ठीक किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131-132
—प्रदेश की निकायों में जलकर वृद्धि स्थगित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132

विषय	पृष्ठ-संख्या
—जनपद लखनऊ के सरदारी खेड़ा में अवैध रूप से बिजली जलाने के विरुद्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
—जनपद वाराणसी के चुप्पेपुर में पत्रकारपुरम् कालोनी का निर्माण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	133
—जवाहर शीतगृह बिन्दकी फतेहपुर में आलू भण्डारण में बरती गयी अनियमितता पर कानूनी कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	133
—जनपद देवरिया के पास कुर्ना नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
—देहरादून नगर के बीचोबीच बहने वाले नाले की मरम्मत एवं सफाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134
—जनपद फिरोजाबाद के कतिपय विकास खण्डों का भूगर्भ जलस्रोत गिरने से सिंचन कार्य में हो रही बाधा दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134
—श्रीमती मीना अस्थाना एडवोकेट, लखनऊ के मकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गए कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	135
—जनपद हरदोई से मल्लावां जाने वाली रोड पर पुलों के निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	135-136
—जनपद गौतम बुद्धनगर के नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्ड योजना में आरक्षण दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	136
—जनपद फर्रुखाबाद के थाना कन्नौज में सियाराम गिरोह द्वारा किये गये आतंक के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	137
—जनपद आजमगढ़ में बाढ़ से हुई क्षति का मुआवजा एवं उसकी रोकथाम किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	137-138
—जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में मार्गों पर जल निकासी की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138
—श्री मुरली पासी निवासी भमई, फूलपुर, इलाहाबाद के विरुद्ध कथित फर्जी मुकदमे के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138-139
—जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस लाइन में म्यूजिक स्टोर लाइट का आयोजन एवं धन उगाही करके प्रोग्राम स्थगित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	139
—जनपद फैजाबाद के कुमारगंज में अर्द्धनिर्मित 132 के०वी० विद्युत सब स्टेशन को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	139
—जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैसड़ी के मजगवां बांध का फीटर चैनल ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	139–140

विषय	पृष्ठ-संख्या
—जनपद रायबरेली स्थित सलोन के शीतगृहों में आलू सड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	140
—जनपद कौशाम्बी के ग्राम-पहाड़पुर में फर्जी पट्टे के निरस्तीकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	140
—श्री के० डी० सिंह बाबू स्टेडियम में कनुप्रिया बाजपेयी की हुई मृत्यु पर आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	140-141
—जनपद सहारनपुर के रुड़की विधान सभा क्षेत्र में बरसाती नालों पर आवागमन ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	141
—जनपद सीतापुर के सिधौली में चल रहे शराब के अवैध ठेके को बन्द कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	141-142
—निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	142
—पांचवी गली निशातगंज, लखनऊ में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	142
—श्री ए० पी० ढिमरी चकबन्दी अधिकारी हसनपुर जनपद ज्योतिबाफुले नगर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	143
—जनपद बरेली के कुंवर कृपाशंकर इण्टर कालेज के अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	143
—श्री प्रेम बहादुर सक्सेना अवर अभियन्ता विद्युत बांदा के विरुद्ध शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	144
—जनपद टिहरी गढ़वाल में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति तथा रोक-थाम किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	144-145
—डा० आर० पी० सिंह, प्रबंध निदेशक, पोल्ट्री एण्ड लाईव स्टाक स्पेशलिस्ट लि० लखनऊ की अनियमितता के विरुद्ध जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	145
—जनपद भदोही के औराई विधान सभा क्षेत्र में खड़ंजा हेतु स्वीकृत धनराशि की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	145-146
—जनपद मुजफ्फर नगर में पात्र व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स देने में की गयी कोताही की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	146
—जनपद सहारनपुर में वुड कर्फिंग में लगे दस्तकारों को कच्चा माल (लकड़ी) उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	146-147

विषय	पृष्ठ-संख्या
—जनपद जौनपुर सिटी में पानी का अभाव दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	147
—जनपद सुल्तानपुर में बनी ड्रेनों के लिये अधिग्रहण की गयी भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	147
—जनपद देहरादून के राजस्व ग्राम बिन्हार को खण्डित करके छः राजस्व ग्रामों के निर्माण पर निर्णय लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	147-148
—वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	148-149
—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोहनहा, आजमगढ़ के भवन निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	149
—जनपद पौड़ी में पेयजल समस्या का निदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	149-150
—हरिद्वार से सहदेवपुर मार्ग पर परिवहन निगम की बसें चलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	150
—विधान सभा क्षेत्र बेहटा, सीतापुर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	150-151
—सरदार पटेल सेकेन्ड्री स्कूल सम्बोर, (सीतापुर) के शिक्षकों के अवशेष वेतन का भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	151
—जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड योजना सेक्टर-सी में रिक्त पड़े पार्क के निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	151-152
—लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में मंगलवार को लगने वाली बाजार का स्थान स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	152
—उ० प्र० के विभिन्न जिलों में रहने वाली कोल जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	152-153
—जनपद आजमगढ़ के ग्राम बेलभद्रपुर में अनुसूचित जाति के लोगों पर किये गये हमले के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	153
—स्व० सुमन तिवारी, किदवई नगर, कानपुर को आत्महत्या हेतु बाध्य मुकदमें पर उचित न्याय की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	153-154
—ए०डी०ओ० पंचायत करबई, महोबा के विरुद्ध शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	155
—नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं को पुनः सदन में उठाने का प्रयास	155-156

विषय	पृष्ठ-संख्या
—औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	157
—संविधान के प्राविधानों के अन्तर्गत विकलांगों को आरक्षण दिये जाने के संबंध में उठाया गया औचित्य का प्रश्न	158-160
—श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम के अन्तर्गत वर्षों बाद विधान मण्डल के समक्ष प्रशासनिक आख्या प्रस्तुत किये जाने पर उठाया गया औचित्य का प्रश्न	160-161
—भर जाति को अनुसूचित जाति न माने जाने के संबंध में उठाया गया औचित्य का प्रश्न	161-164
—उत्तराखण्ड के गठन के बारे में पारित प्रस्ताव के बावजूद अभी तक कार्यवाही न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	164-167
—विधान सभा सदस्यों के अधिकारों के हनन के संबंध में उठाया गया औचित्य का प्रश्न	167
—भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	167
—उ० प्र० ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	168
—कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	168-192
—वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनु० सं०-86 सूचना विभाग, अनु० सं०-26 गृह विभाग, अनु० सं०-27 गृह विभाग तथा अनु० सं०-84 सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	192-207
—वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर मतदान अनु० सं०-30 गोपन, अनु० सं०-38 नागरिक उड्डयन, अनुदान सं०-53 राष्ट्रीय एकीकरण, जाति अनुदान सं०-61, 62, 63, 64,65, 66 वित्त विभाग तथा अनुदान सं०-82 सतर्कता विभाग (जारी)	207-208
—उ० प्र० विनियोग विधेयक, 1997 को प्रस्तुत किये जाने हेतु समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	208
—वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर मतदान अनुदान सं० 30 गोपन, नागरिक उड्डयन, अनु० सं०-53 राष्ट्रीय एकीकरण, अनु० सं०-61, 62, 63, 64, 65, 66 वित्त विभाग तथा अनु० सं०-82 सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	209-212
—प्रश्नोत्तर काल में नकली नोटों के प्रकरण पर शासन द्वारा जांच की प्रगति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने संबंधी दिये गये आश्वासन की पूर्ति संबंधी सूचना	212-213

विषय	पृष्ठ-संख्या
—सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने के संबंध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	213-214
—उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 (पारित)	214-224
—दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा सदन को सूचना	224-226
—उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित)	226-228
—श्री अरिमर्दन सिंह, सदस्य विधान सभा के ऊपर हरिजन ऐक्ट लगाये जाने पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग	228-230
—प्रदेश के समस्त नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं के अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों के ग्रामों में सर्वांगीण विकास हेतु प्रभावी योजनाएं बनाते हुए एतदर्थ पृथक से धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	230-238
—जनपद गौतमबुद्ध नगर के कतिपय ग्रामों के कुछ भूमाफियाओं द्वारा किसानों की भूमि को बैनामे कराकर ऊंचे मूल्य पर बेचने के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	238-246
—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गए पर्सनल लेजर एकाउन्ट पर रोक लगाये जाने के संबंध में श्री रंगनाथ मिश्र का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (वापस लेने की स्वीकृति)	247-253
—बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 103 का प्रस्ताव (वापस लेने की स्वीकृति)	254-258
—नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	258-260
—जनपद आजमगढ़ के फूलपुर में अधूरे विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूरा कराने के संबंध में श्रीराम नरेश यादव की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन	261
—जनपद फिरोजाबाद के सदस्य श्री शिव सिंह चक के प्रकरण पर संसदीय कार्यमंत्री द्वारा सदन में दी गयी प्रगति रिपोर्ट	261
—प्रदेश में प्रचलित पान मशाला/गुटखों से उत्पन्न बीमारियों के संबंध में डा० राम बाबू हरित की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	261-263
—वाराणसी नगर निगम के कतिपय क्षेत्रों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरिश्चन्द्र ''हरीश जी'' की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	263-265

विषय	पृष्ठ-संख्या
—जनपद ज्योतिबा राव फुले नगर में स्थित आर्गेनिक फैक्ट्री से प्रदूषण युक्त पानी निकासी से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री अकबाल हुसैन की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	265-267
—प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	267-268
—जनपद आगरा की फतेहाबाद तहसील के ग्राम गढ़ी तुरसी निवासी श्री कपूर सिंह का आवास अधिकारियों द्वारा गिराये जाने के संबंध में श्री विजय पाल सिंह की सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य	268-269
—प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में श्री सीताराम निषाद की सूचना पर नियम 51 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	269-270
नत्थियां	271-276

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1— अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
2— अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
3— अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
4— अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
5— अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
6— अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
7— अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
8— अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
9— अशोक कुमार, श्री	जौनपुर
10— आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
11— आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
12— *आलमबदी, श्री	आजमगढ़
13— उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
14— उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
15— ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
16— ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
17— कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
18— कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
19— काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
20— के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर
21— कैलाश सिंह राजपूत, श्री	फर्रुखाबाद
22— चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
23— जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
24— जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया श्री	गोरखपुर
25— दयाशंकर, श्री	जालौन
26— दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
27— धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
28— नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
29— नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
30— परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
31— पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
32— बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
33— रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
34— राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
35— बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
36— बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
37— ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद

---

* मा०सदस्य ने अभी शपथ नहीं ग्रहण किया ।

38— मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
39— मानिक चन्द यादव, श्री — मैनपुरी
40— मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
41— रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
42— राधेश्याम, श्री — कानपुर देहात
43— राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
44— राधेश्याम सिंह, श्री — पडरौना
45— राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
46— राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
47— राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
48— राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
49— राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथुरा
50— रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री — गोण्डा
51— लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
52— *वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
53— विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
54— विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
55— शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
56— शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
57— शिवा कान्त, श्री — प्रतापगढ़
58— सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बरेली
59— सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
60— हरि प्रसाद उर्फ घमंडी, श्री — सोनभद्र

* मा०सदस्य ने अभी शपथ नहीं ग्रहण किया ।

विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 1997

(विधान सभा की बैठक विधान सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न संबंधी नियम 311 के अंतर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी है उस पर कृपा करके मुझको सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 311 की सूचनाओं को 56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है गोरखपुर और उन्नाव दोनों जगहों में समाजवादी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटकर जेल में ठूँसा गया और विभिन्न आपराधिक धाराओं में चालान किया गया।

श्री अध्यक्ष–

कल नियम 56 में यह सूचना आई थी जिसमें मैंने इस सूचना से संबंधित माननीय सदस्यों का नाम पुकारा था उस समय कोई भी माननीय सदस्य ने अपने विचार नहीं प्रकट किये।

श्री धनीराम वर्मा–

कल तो यह सूचना आ भी नहीं पाई थी, इसको सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सभी 311 की सूचनाओं को 56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जब कार्यकर्ता ही मारा जायेगा तो सारे कार्य का क्या औचित्य है?

(व्यवधान)

मान्यवर, इससे बढ़कर और कोई लोक महत्व का प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

पहले वह मद आने दीजिए। 311 की सभी सूचनाओं को मैंने नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री धनीराम वर्मा–

[× × ×] मान्यवर, मुझे सुन लीजिए।

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं नहीं क्या करते हैं? आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं। जब वह कार्यस्थगन वाली मद आयेगी तो देखेंगे, इसके लिए क्षमा करें। (अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूँगा, मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अगर वह शलाका में आई होगी तो सूनूँगा। नहीं आई होगी तो उस समय आपके निवेदन पर विचार कर लेंगे।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

जब मद संख्या 9 ली जायेगी तो उस समय आपकी बात पर विचार कर लिया जायेगा।

(व्यवधान)

इसका मतलब यह है कि आप लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें औचित्य की क्या बात है? मद संख्या 9 जब आयेगी तो उस समय शलाका में आई होगी तो सुनेंगे।

(व्यवधान)

मैं उसमें प्रथम 5 सूचनाओं को सुनूंगा और अगली 5 होगी तो उसमें ध्यानाकर्षण करूँगा। उसके बाद में आई है तो मैं आपके निवेदन पर विचार कर लूँगा।

श्री.धनीराम वर्मा–

मान्यवर, [× × ×]

(व्यवधान)

× × यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा० अशोक बाजपेयी–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष

कृपया सदन की कार्यवाही को चलने दें।

मुझे यह सूचित किया गया है कि शलाका में आपकी सूचना पांचवें नम्बर पर आ गयी है, ग्राह्यता पर मैं सुन लूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गन्ना किसानों की सप्लाई किये गये गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु ऐक्ट बनाने की मांग

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

* *1—क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों को उनके गन्ने को मिल में सप्लाई होने के सात दिन के अन्दर भुगतान दिलाने हेतु कोई ऐक्ट बनाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में लागू नियमों/अधिनियमों को दृष्टिगत रखते हुये किसी नये ऐक्ट को बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्नकर्ता श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने माननीय जगदम्बिका पाल जी को अधिकृत किया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वर्तमान समय में गन्ना किसानों के भुगतान के लिये कौन सा नियम, अधिनियम या ऐक्ट लागू है और क्या उनके अन्तर्गत भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है?

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, 1953 में आपूर्ति के 15 दिनों के अन्दर भुगतान की व्यवस्था है।

श्री जगदम्बिका पाल

मान्यवर, क्या उस ऐक्ट के तहत भुगतान सुनिश्चित हो रहा है और 15 दिनों के बाद ब्याज समेत भुगतान सुनिश्चित कराया जा रहा है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जहां तक भुगतान सुनिश्चित कराने की बात है, निरन्तर भुगतान हो रहा है, जब सदन शुरु हुआ उस समय 422.70 करोड़ रु० बकाया था, अब 331.40 करोड़ रु० बाकी है। मैंने पहले भी कहा था कि यथाशीघ्र पूरा भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है, पूरा दबाव बन रहा है जिसका परिणाम है कि निरन्तर भुगतान हो रहा है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कई स्थानों पर 2-2, 3-3 वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है। जहां आग लगने से या बाढ़ से पर्ची खो गयी है, उसमें क्या व्यवस्था है और जहां विलम्ब है वहां क्या ब्याज समेत भुगतान की व्यवस्था है? मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमारे जनपद में कैसरगंज चीनी मिल में कुछ किसानों को तो सहकारी बैंक से कुछ को पंजाब नेशनल बैंक से भुगतान कराया जा रहा है और कुछ को भुगतान किया जा रहा है साधन सहकारी समिति के माध्यम से, इसमें क्या व्यवस्था है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि हर चीनी मिल की भुगतान की व्यवस्था अपनी अलग-अलग होती है। कहीं पर गन्ना समितियों के माध्यम से होता है और कहीं पर चीनी मिल समितियों के माध्यम से होता है। जहां तक पर्ची के खो जाने व जल जाने की बात है, इस प्रकार की जो शिकायत आती है, उसकी हम जांच कराते हैं और जांचोपरान्त यथानुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि नियम बने हैं, दूसरे नियम बनाने की जरुरत नहीं है। उस नियम के अन्तर्गत 15 दिन के अन्दर भुगतान करने की व्यवस्था है और यदि 15 दिन के अन्दर भुगतान न हो पाये तो ब्याज सहित भुगतान करने की व्यवस्था है। परन्तु दूसरे भाग का माननीय मंत्री जी ने कोई सुनिश्चित व संगत उत्तर नहीं दिया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक जो भुगतान कराया गया है, उसमें कितनों को 15 दिन के अन्दर भुगतान कराया है और उसकी धनराशि कितनी है तथा जिन्हें 15 दिन के अन्दर भुगतान नहीं कराया गया है क्या उन्हें ब्याज सहित भुगतान कराया गया है?

श्री अध्यक्ष–

इसका मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मूल प्रश्न में तो यह पूछा गया है कि क्या कोई अधिनियम बनाने पर विचार सरकार कर रही है कि नहीं? यदि माननीय मंत्री जी के पास इसका जवाब है तो वह उत्तर दे दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, भुगतान निरन्तर करते रहते हैं। कुछ का 15 दिन के अन्दर भुगतान हो जाता है और कुछ का नहीं। जिस कारण यह बकाया है। 15 दिन की जो व्यवस्था है, उसे परिवर्तित करके 7 दिन करने की व्यवस्था सरकार कर रही है कि नहीं उसी के बारे में हमने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि 15 दिन के अन्दर भुगतान सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था ऐक्ट में है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 332 करोड़ रुपये किसानों का बकाया है और उसे भुगतान कराने में अपनी असमर्थता भी व्यक्त की है। तो क्या माननीय मंत्री जी [× × ×] देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। मैं इस प्रश्न की आपको अनुमति नहीं देता हूं।

(श्री शिव प्रताप शुक्ल व श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं। मैंने उन्हें इस प्रश्न की अनुमति ही नहीं दी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, हमारे ऊपर एक आरोप लगाया गया है इसलिए मुझे स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। मान्यवर, पूरा सदन यह जानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जी, चुनाव के दौरान यह घोषणा करते रहे कि किसानों का बकाया हम दे देंगे परन्तु एक भी पैसा केन्द्र ने दिया नहीं। वही 332 करोड़ रुपये बाकी है। 1980 से हम इस बात को कह रहे हैं। अगर कोई अच्छी परम्परा डाली गई होती तो हम उससे आगे बढ़कर काम करते। इस प्रकार के गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए ।.इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए जिसने किया नहीं उसके ऊपर आरोप नहीं लगने चाहिए। जिन्होंने गलत परम्पराएं डाली हैं, गद्दारी की है वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। सन् 80 से अगर अच्छी परम्पराएं डाली होती तो आज यह नौबत नहीं आती।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं। यह लिखा नहीं जायेगा। आप बैठ जायें।

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [× × ×] हम लोग इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(कांग्रेस दल के सदस्य सदन का बहिष्कार करके चले गये)

श्री अध्यक्ष–

यह जो अभी माननीय सदस्य ने कहा है यह काट दिया जाय और मैं प्रेस के लोगों को भी निदेश देता हूं कि यह बात प्रकाशित नहीं की जाय।

वर्ष 1997 में प्रदेश में बेसिक स्तर के पाठ्यक्रम परिवर्तन की जानकारी

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी) तथा श्री जगदम्बिका पाल–

**2—क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 में क्या सरकार प्रदेश में बेसिक स्तर के पाठ्यक्रम को बदलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो पाठ्य पुस्तकों की छपाई, कागज़ आदि पर कितना धन व्यय होगा और उसे किस प्रकार वहन किया जायेगा? क्या सरकार अगले वर्ष से पाठ्य पुस्तकें बदलने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस पर यथा समय विचार किया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बार पूरे प्रदेश में पुस्तकों का अभाव है और पिछले वर्ष जो पुस्तकों का मूल्य था उससे दो गुना मूल्य इस वर्ष की पुस्तकों का हो गया है और माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि कोई पाठ्य क्रम में परिवर्तन नहीं हुआ जिससे कोई नया व्यय भार नहीं पड़ रहा है, तो इसका क्या कारण है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पुस्तकों का भाव दो गुना हो गया है। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी पिछले वर्ष की दर पर ज्ञान भारती से लेकर बेसिक शिक्षा की पुस्तकें उपलब्ध करा देंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है आपने कहा था बेसिक स्तर के पाठ्यक्रम को बदलने पर सरकार विचार कर रही है तो उसका उत्तर आया जी नहीं। तो यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि क्या कारण है जब कोई नया पाठ्यक्रम नहीं लिया जा रहा है तो इन पुस्तकों की कीमतें बढ़ रही हैं? आज कीमतें दो गुनी हो गयी हैं।

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, जो पाठ्य पुस्तकों का मूल्य बढ़ा है वह 25 प्रतिशत बढ़ा है दो गुना नहीं। सन् 1992 में पाठ्य पुस्तकों का मूल्य निर्धारित हुआ था तब से लेकर आज तक सरकारी प्रेस का मूल्य 40 प्रतिशत बढ़ा है, महंगाई 70 प्रतिशत बढ़ी है जबकि पाठ्य पुस्तकों का मूल्य 25 प्रतिशत बढ़ा है। यह कहना गलत है कि दो गुना बढ़ा है। दूसरी बात यह है बेसिक शिक्षा की जो प्रमुख 57 पुस्तकें हैं वह हम रिलीज कर चुके हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। क्योंकि कागज की खरीद मुद्रक और प्रकाशक करते हैं सरकार नहीं करती है इसलिए कोई खर्च नहीं हैं जहाँ तक पाठ्य क्रम बदलने का सवाल है, यह 1957 में पहले ही बदला जा चुका है और इस वर्ष बदलने नहीं जा रहा है। एन०सी०आर०टी० के निर्देशन में लेखक काम करते हैं। ज्ञान भारती 1,2,3 और बाल अंकगणित नयी आयी है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी अभी बताया और स्वीकार भी किया है कि ज्ञान भारती 1,2,3 को बदला गया है और अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जी नहीं। तो माननीय मंत्री जी के अपने ही बयान में विरोधाभास है। मैं बताना चाहता हूं कि बनारस जैसे शहर में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, तो देहातों की क्या दशा होगी? प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसको मौलिक अधिकार मिले, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पूर्ववत् ही पाठ्य पुस्तको का मूल्य रखा जायेगा?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

अब जो मानक निर्धारित किया गया है, वह 60 जी०एस०एम० का हैं, पहले इतना नहीं था, 54 जी०एस०एम० का था। 40 प्रतिशत सरकारी प्रेस का दाम बढ़ गया और 70 प्रतिशत महंगाई बढ़ गयी है और मान्यवर, इसी प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका विचाराधीन है, निर्णय सुरक्षित है और शीघ्र ही निर्णय आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही

श्री सूर्य प्रताप शाही एवं श्री राजधारी–

*क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों के बीस हजार से अधिक पद रिक्त हैं जिससे पठन-पाठन का कार्य गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहा है? यदि हां, तो क्या रिक्त स्थानों को भरने के लिये सरकार ने कोई नीति तैयार की है? यदि हां, तो वह नीति क्या है और रिक्तियां कब तक भर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डाक्टर नैपाल सिंह)–

प्राप्त सूचनानुसार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों में लगभग 7000 पद रिक्त हैं। राजकीय विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों की रिक्तियों की संख्या लगभग 2748 है।

जी हाँ। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 की धारा–18 के अधीन तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है और यथाशीघ्र रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता के पदों पर चयन की कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है स्नातक वेतन क्रम के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही हेतु मण्डलीय उप निदेशकों को निर्देश दिए जा चुके हैं। पदोन्नति कोटे के पदों को भरने की कार्यवाही भी गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक अनुपूरक प्रश्न और पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 10 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं और इस कारण पठन पाठन के कार्य में कठिनाई हो रही है। यह अवश्य है कि ये पद आज नहीं रिक्त हुये हैं, पहले से रिक्त चले आ रहे हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा है कि इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा और इनके भरने की क्या कार्यवाही हो रही है। जो धारा 1 के अधीन कार्यवाही की जायेगी, तो उससे निचले स्तर पर पद खाली हो जायेंगे, तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए निचले स्तर पर पद खाली हो जायेंगे, तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए निचले स्तर पर भरती की क्या कार्यवाही की जा रही है और आयोग को चयन के लिये अधियाचन कब भेजा गया था और आयोग ने अब तक नियुक्तियां क्यों नहीं की है? आयोग द्वारा चयन में बिलम्ब को देखते हुए क्या मा० मंत्री जी उसको वापस लेकर अपने आप भरने की कार्यवाही करेंगे?

डा० नैपाल सिंह–

अधियाचन की तिथि पर्वतीय और मैदानी भाग में 1-3-1997 है और महिलाओं की 1-6-1997 है। मान्यवर, यह जो रिक्तियां हैं यह 30 जून 1997 तक की हैं। मान्यवर, पहले रिक्तियों पर रोक लगा दी गयी थी इसलिये नहीं भरा जा सका। मान्यवर 30 अगस्त, 1997 तक नियुक्तियां हो जायेंगी।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि कार्यवाही चल रही, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह किस स्टेज में है और कितने दिनों में सारी रिक्तियों को भर लिया जायेगा और जो रिक्तियां हैं वह चयन आयोग द्वारा भरी जायेंगी या किसी अन्य विधि से भरी जायेंगी। क्या जो सम्बन्धित विद्यालय हैं, क्या उनकी प्रबन्ध समितियों की भी नियुक्तियों में सहभागिता होगी?

डा० नैपाल सिंह–

उत्तर में ही दिया हुआ है। नियुक्तियां मंडलीय स्तर पर की जायेंगी। इण्डेक्स बनाया जायेगा। और उसी के अनुसार नियुक्तियां की जायेंगी।

श्री राजधारी–

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो विद्यालय की प्रबन्ध समितियां हैं, और जो पहले अध्यापकों की नियुक्तियां करती थीं, क्या उनकी नियुक्तियों में सहभागिता पर विचार करेंगे?

डा० नैपाल सिंह–

यह तो उत्तर में ही दिया है। धारा 18 के अनुसार मंडलीय आधार पर होती हैं और इन्डेक्स बनाया जाता है, मेरिट बेसिस पर।

श्री छोटे लाल गंगवार–

मान्यवर, बरेली मंडल में 6-6 महीने से और एक-एक साल से अध्यापक घूम रहे हैं, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं क़राया जा रहा है। आप इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाये?

डा० नैपाल सिंह–

चयन आयोग द्वारा जो नियुक्तियां हुई थी वह अधिक मात्रा में हो गयी थी, इसलिये कुछ ही नियुक्तियां नहीं हो पायी थी, उनको शीघ्र ही कर लिया जायेगा।

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

मान्यवर, महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापकों की रिक्तियां रिक्त हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा कि चयन आयोग से कार्यवाही हुई है उनको भरने की, तो उसकी लम्बी प्रक्रिया है, तो क्या जब तक चयन आयोग के तहत चुनाव नहीं होता है, तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अध्यापकों को रखने की व्यवस्था करेगें?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, 14-7-1997 को आदेश दिये गये थे। कुछ विधायकों ने ये सूचना दी थी कि वहां पर कुछ समस्यायें खड़ी हो गयी हैं नियुक्तियों को लेकर, तो इस पर विचार चल रहा है। मैं प्रयास करुंगा कि नियुक्तियां जल्दी ही हो जायें।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर बहुत से शिक्षक प्रबंधक समिति द्वारा पहले नियुक्त किये जाते हैं जो 8,10 साल तक काम करते हैं और जैसे ही विद्यालय को एड मिल जाती है उनको प्रबंध समिति निकाल देती है और फिर अपने चहेतों को रखवा लेती है। तो जिन्होंने 10, 12 साल तक सेवा की हो उन्हें पूर्ण रूप से चयनित करने की कृपा करेंगे?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह इस प्रश्न से बाहर है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वह निर्णय मैं करुंगा।

डा० नैपाल सिंह–

परन्तु मेरे संज्ञान में यह बात लाई गयी है और मैं परिचित हूं , इस पर मैं विचार करुंगा।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि हमारे पूरनपुर क्षेत्र में पब्लिक इंटर कालेज में करीब 15, 16 अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं कई बार अधियाचन भी भेजा जा चुका है, वहां छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, सत्र प्रारंभ हो चुका है। तो इसके लिये नियुक्ति प्रबंध समिति द्वारा कर दी जाय इसकी व्यवस्था करेंगे उसके बाद उन्हें नियमित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

उसका उत्तर आ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग अधिनियम, 1982 की धारा-18 के अधीन तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है और यथाशीघ्र रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, कब तक यह कार्यवाही कर दी जाएगी यह तो बता दें ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रार्थना पत्र देने की तिथि समाप्त हो चुकी है। इन्डेक्स बनाने का प्रोसेस प्रारम्भ हो चुका है, जैसे ही यह प्रोसेस समाप्त हो जायेगा, नियुक्ति पत्र भेज दिये जाएंगे। और जल्दी ही वह विद्यालयों में चले जाएंगे।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एल०टी० ग्रेड के पदों पर नियुक्ति मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा की जायेगी जिसके लिए आदेश दे दिये गये हैं। और उन्हीं के स्तर से यह नियुक्ति होनी है। जानना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में जहां पर शिक्षा विभाग में हिलकैडर की व्यवस्था लागू हो गय है वहाँ पर क्या मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक की नियुक्ति के निर्देश दिये गये हैं? यदि दिये गये हैं त क्या नियुक्ति में इस बात की व्यवस्था की गई है कि केवल उत्तराखण्ड के मूलनिवासी ही जिनके पास वहां का डोमेशाईल प्रमाण-पत्र है, केवल वही आवेदन-पत्र भर सकेंगे ? मान्यवर, वहां पर इसी नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उसका कारण यही है कि जो विज्ञप्ति मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा की गयी है उसमें स्थानीय होने की शर्त नहीं रखी गयी है।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यह नियुक्तियों के आदेश पूरे प्रदेश के लिए दिए जाते हैं और मुझे जहां तक जानकारी है उत्तराखण्ड अभी प्रदेश का ही भाग है। तो जो भी आदेश दिये जाते हैं वह पूरे प्रदेश के लिए दिये जाते हैं, उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान–

उत्तराखण्ड में हिलकैडर लागू है। एक ही आदेश से कैसे होगा? इसी लिए वहां पर विवाद खड़ा हो गया है। वहां पर बाहर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं इसकी जानकारी उन्हें होगी। उन्होंने कहा है कि एक ही आदेश से गवर्न होगा। मैं साफ-साफ जानना चाहता हूँ कि क्या मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि वहां के ही अभ्यर्थी इसके पात्र होंगे?

डा० नैपाल सिंह–

मैं इतना ही कहूँगा कि नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मंत्री जी को जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो उत्तर नहीं आया। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या मंत्री जी मण्डलीय उप निदेशक को निर्देश देगें कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में नियुक्तियों हेतु, जो उत्तराखण्ड के निवासी हैं, जिनके पास वहां का निवास प्रमाण-पत्र है, उन्हीं की नियुक्ति की जाय?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, जो एडवरटाइज्मेंट हुआ है वह पूरे प्रदेश के लिये निकला है और नियम के अन्तर्गत निकला है इसलिये सदन में दूसरी बात कहना मेरे लिये उचित नहीं है। मैं पुनः कहूँगा कि नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी को उत्तर के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ.....

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा। प्रश्न को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है।

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना भी चाहूँगा और उनसे पूछना भी चाहूँगा कि सहायता प्राप्त विद्यालयों में पूर्व में जब प्रबन्ध समितियों को यह अधिकार था कि वह अध्यापकों की नियुक्ति कर सकती थी तो उस समय प्रबन्ध समितियों ने अध्यापकों की नियुक्तियां की बाद में उनका अनुमोदन न मिलने पर माननीय उच्च न्यायालय से एक आदेश वेतन भुगतान के संबंध में करा लिया गया। पूरे प्रदेश में सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत लाखों रुपयों का भुगतान विभाग को प्रति महीने करना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध पैरवी करने के सम्बन्ध में विभाग ने कोई सक्रियता नहीं दिखायी और उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से भुगतान करते रहे हैं, इस तरह की धांधली पूरे प्रदेश में हो रही है और शिक्षा विभाग पर इसका भार पड़ रहा है। मैं स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सक्रिय पैरवी कराकर इस पूरे मामले की जांच कराकर गलत नियुक्तियों को समाप्त करने की कृपा करेंगे?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, वैसे तो माननीय सदस्य का यह प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है लेकिन जो भी उनकी भावना है उसका आदर करते हुये मैं इस पर जांच कराऊँगा।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो अध्यापकों के रिक्त पद हैं जिला विद्यालय निरीक्षक लाख रुपये और डेढ़ लाख रुपये में उनकी नीलामी कर रहे हैं और पैसे लेकर नियुक्ति कर रहे हैं। क्या इस तरह की नियुक्तियां जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग से प्रबन्ध समितियों ने की हैं उनको निरस्त करके नियमों के अन्तर्गत पुनः दूसरी नियुक्तियां करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। (हंसी)

श्री अमर मणि–

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी"–

मान्यवर, मंत्री जी का आशय शिक्षा विभाग की व्यवस्था से है।

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मंत्री जी विभाग की व्यवस्था के बारे में कहने जा रहे थे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय–

माननीय मंत्री जी ने विभागीय व्यवस्था की बात की है।

(व्यवधान)

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने विभागीय व्यवस्था के बारे में कहा था। इस प्रश्न में जो भी सवाल आते हैं उनका उत्तर मैं दूँगा लेकिन मान्यवर ऐसा लगा कि इस प्रश्न की सीमाओं से बाहर जाकर प्रश्न पूछा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी देखिये माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह मूल प्रश्न से संबंधित है। आप जरा मूल प्रश्न को देख लें। रिक्त स्थानों के भरने के बारे में बात कही गयी है। आपने अपने उत्तर में कहा कि आपने निर्देश दे दिया है कि इस पर कार्यवाही की जाय। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि अगर कहीं अनियमित नियुक्तियां हुई हैं तो उन अनियमितताओं को दूर कैसे करेंगे? मोटे तौर से माननीय सदस्य के प्रश्न का सारांश ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह मूल प्रश्न से ही संबंधित है। आपने और दूसरे प्रश्नों के भी उत्तर दिये इसलिये मैंने उत्तर देने की बात कही। जब इस पीठ से माननीय मंत्री जी को कहा जाता है तो वह अपनी बात कह सकते हैं। अगर सूचना है, उस विषय पर कह सकते हैं तो कह दें अन्यथा कह सकते हैं कि दिखवा लेंगे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आपने इशारा करके बता दिया।

श्री अध्यक्ष–

प्रक्रिया तो बतानी पड़ेगी। नये हैं इसलिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था दे दी।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये विस्तारपूर्वक स्पष्ट कर दिया।

डा० नैपाल सिंह–

माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें मैं उस पर कार्यवाही करा लूँगा।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैंने अपने जनपद की तमाम ऐसी नियुक्तियों के बारे में मंत्री जी को अवगत कराया। माननीय मंत्री जी को उस अधिकारी के बारे में इंगित किया उनका नाम लेकर बताया मान्यवर, उनका स्थानान्तरण जनपद बस्ती में हो गया है परन्तु वह दोनों जनपदों में दिन रात पैसा इकट्ठा करके नियुक्तियां करने का काम कर रहे हैं। दोनों जनपदों का चार्ज लेकर खुल्लम खुल्ला लूट रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि आप लिख कर दे दें। एक ही प्रश्न पर 15-20 मिनट हो गये हैं। अब किसी को नहीं। माननीय शाही जी अंतिम अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हाई स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है लेकिन विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं जिस कारण से विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हाई स्कूल में विज्ञान की अनिवार्यता को देखते हुए विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह कैसे अनुपूरक प्रश्न में आता है ?

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मंत्री जी ने जैसा कहा कि रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जहां पर नियम विरुद्ध काम हो रहा है मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मँगा कर देख लें। जहाँ पर अनियमितता हो रही है वहाँ पर आवश्यक संशोधन जारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप एक अलग से लिखकर मुझे दीजियेगा।

प्रदेश के पुनर्गठन एवं विभाजन की जानकारी

* 2—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या सरकार उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री–(श्री हरी किशन)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। कुमायूँ और गढ़वाल मण्डलों के आठ जनपदों को मिलाकर एक पृथक राज्य की स्थापना के अतिरिक्त शासन प्रदेश के और पुनर्गठन/ विभाजन के पक्ष में नहीं है।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके उपस्थित न होने पर)

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

यह प्रदेश से जुड़ा प्रश्न है इसमें रुचि है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों प्रशासनिक सुधार विधेयक व्यवस्था के नाते उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में विभाजन करके एक प्रश्न संदर्भित किया गया है जहाँ मिनी सचिवालय और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी होंगे क्या यह शासन के विचाराधीन है ?

श्री हरीकिशन–

प्रशासनिक सुगमता हेतु निर्णय लिये जाते हैं जिस प्रकार प्रशासन के अनेक खण्ड हैं अनेक कमिशनरियां हैं पुलिस के स्तर में जैसे आई० जी० जोन्स हैं इस तरह का एक प्रस्ताव प्रशासनिक सुगमता हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिया जिसका उद्देश्य यह था कि प्रशासन किस तरह से अच्छी तरह

चला सकता है। उसके लिए क्या विकेन्द्रीकरण हो सकता है उस प्रस्ताव पर एक समिति गठित हुई वह समिति यह विचार करेगी कि प्रशासनिक सुगमता हेतु किस तरह से प्रशासन को बांटा जा सकता है प्रदेश को चार भागों में बांटने के लिए कोई विचार नहीं हुआ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत जरूरी हो गया है प्रश्न पूछना। मान्यवर मैं कदाचित स्मरण दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी को भी और आपको भी, यह प्रश्न बहुत पहले आया था जब मैंने प्रश्न पूछा था उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने जबाव दिया था कि प्रशासनिक स्तर पर चार भागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित करने का कोई विचार नहीं है। उसके आधार पर विशेषाधिकार की सूचना और उसकी प्रति आपको भी दी है उस दिन जो कहा आज दे दिया गया है मंत्री जी ने कहा कि चार खण्ड में बांटने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है उसके लिए समिति बना दी गई है मैं जानना चाहता हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी का जबाव सही है या हरीकिशन जी का जबाव सही है, यह अवगत कराने की कृपा करें।

श्री हरी किशन–

मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने पर विचार कर रही है? इसका उत्तर स्पष्ट दे दिया "जी नहीं," ऐसा कोई विचार नहीं है। प्रदेश का विभाजन जब होता है तो भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक व्यवस्था व अन्य प्रकार की अनेकों बातें होती हैं तो ऐसा कोई मुद्दा अभी विचारणीय नहीं। यह प्रशासनिक निरन्तर प्रक्रिया है। जो सरकार होती है वह प्रशासनिक सुगमता हेतु निर्णय लेती रहती है उसके अनुरूप कार्य होता है। समितियां भी बनती हैं, आपका मूल प्रश्न था क्या प्रदेश को चार भागों में विभाजन के लिए सरकार के पास विचाराधीन प्रस्ताव है उसका स्पष्ट उत्तर आया है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो भी कहा था और जो मेरा कहना है दोनों का यही अर्थ है कि प्रदेश को बांटने का कोई विचार नहीं है। प्रशासन को चलाने के लिए जो प्रक्रिया चलती है वह चल रही है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

उस दिन सदन में जो प्रश्न आया था वह केवल इतना प्रश्न किया था कि प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव प्रदेश में विभाजन के लिए आया हुआ है जिसमें एक सुझाव है कि प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का विकेन्द्रीयकरण करने के लिए–

(व्यवधान)

मान्यवर, बड़ा प्रदेश होने की वजह से प्रशासनिक सुगमता नहीं हो पा रही है। इसलिए प्रशासन ने एक प्रस्ताव भेजा उस प्रस्ताव में था कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश को चार भागों में बांटा जाए। यह एक गम्भीर प्रश्न था इसका उत्तर संसदीय कार्यमंत्री जी ने दिया था आज जो मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं वह दूसरा उत्तर दे रहे हैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री और माननीय मंत्री जी के उत्तर में भिन्नता है। इस भिन्नता को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्पष्ट किया जाए कि कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री अध्यक्ष–

इसके बारे में आप एक लिखित सूचना दे दें।

प्रदेश में सहायता प्राप्त एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा चलायी जा रही कोचिंग पर नियंत्रण की मांग

* 3—श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है? क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं के शिक्षकगण द्वारा चलाये जा रहे कोचिंग संस्थानों में छात्रों को पढ़ाई के लिए बाध्य किया जाता है और उनसे मनमानी फीस वसूल की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ नगर में सर्वेक्षण कराकर कोचिंग पर प्रभावी नियंत्रण रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

इस प्रकार की कोई जानकारी शासन के परिज्ञान में नहीं है। इस संबंध में सुस्पष्ट जानकारी दिये जाने पर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है मंत्री जी ने कहा जी नहीं। कोचिंग संस्थानों में छात्रों को पढ़ाई के लिए बाध्य किया जा रहा है और उनसे मनमानी फीस वसूल की जा रही है। इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया कि इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। इस समय शिक्षा माफियाओं से पूरा प्रदेश ग्रस्त है। मनमानी फीस वसूल की जा रही है। क्रिश्चियन कालेज या तमाम इंग्लिश कालेज और प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। जिसमें छात्रों का पलायन हो रहा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितने छात्र हैं जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तथा क्या मानक के अनुकूल 40 छात्र पर एक अध्यापक की व्यवस्था सरकार ने की है। कोचिंग संस्थानों में फीस लेने की क्या व्यवस्था है इसकी कोई निश्चित व्यवस्था है तथा इसकी जानकारी सरकार को है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी दूसरे और चौथे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दें।

डा० नैपाल सिंह–

जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। किसी भी विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में माध्यमिक विद्यालय में या कोचिंग के लिए माध्यमिक शिक्षा में प्राविधान स्पष्ट है। जहां पर कोई शिकायत आएगी उसके लिए जांच के आदेश दिए जाएंगे अगर माननीय सदस्य को कोई व्यक्तिगत जानकारी हो तो उसकी जांच करवा ली जाएगी।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जब जानकारी होगी तो कार्यवाही की जाएगी। क्या माननीय मंत्री जी को अभी तक जानकारी नहीं है। जो विद्यालय हैं उनमें क्लासेज में शिक्षक कम पढ़ाते हैं और छात्रों को विवश कर देते हैं कि क्लास टीचर के पास कोचिंग में वे पढ़ें। क्या यह गम्भीर विषय माननीय मंत्री जी की जानकारी में अभी तक नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

माननीय मंत्री जी का संज्ञान इसके मतलब बहुत छोटा है। सारे प्रदेश में छात्रों को कोचिंग में पढ़ने के लिए विवश किया जा रहा है और मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप अगर उनको जानकारी देंगे तो कार्यवाही की जाएगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, लखनऊ में ऐसे अनेक कोचिंग संस्थान हैं जो साधारण रूप से विद्यालयों से अधिक फीस वसूल करते हैं। वह 10 से 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रों से वसूल करते हैं।

मान्यवर, यह भी तय है कि आज कोचिंग क्लासेज या ट्यूशन का माध्यम हो बच्चों को पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है और वह धन देकर ही पास हो सकते हैं, मैं केवल एक जानकारी चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात का सर्वेक्षण कराकर कम से कम इतना प्रबन्ध कर देंगे कि जो मनमानी फीस कोचिंग इन्स्टीट्यूट के लोग ले रहे हैं उनका विनियमन किसी नियमावली के अन्तर्गत होगा। जैसे हमने नर्सिंग होम के लिए नियम बनाया है वैसे कोचिंग के लिए नियम बनाकर इनको नियंत्रित करेंगे?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, अध्यापकों द्वारा जहां तक कोचिंग क्लासेज का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय–3 के विनियम 63 और 64 पर स्पष्ट प्राविधान है कि मान्यता प्राप्त संस्था का कोई प्रधानाचार्य, अध्यापक या सहायक अध्यापक ट्यूशन नहीं करेगा और इसका उल्लंघन किये जाने पर घोर कदाचार समझा जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं, अभी माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो अपनी भावना व्यक्त की है, उसका सर्वेक्षण कराकर कार्यवाही करा ली जायेगी।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य रंगनाथ मिश्र जी ने अपने मूल प्रश्न में यह पूछा था कि मानक क्या है, आपने भी मंत्री जी को निर्देश दिया कि मानक क्या है यह बता दें, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुछ बताया नहीं, दूसरी बात कोचिंग और प्राईवेट ट्यूशन के बारे में कहा कि अपने स्तर से परीक्षण करा लेंगे। माननीय डंग साहब ने भी इस संबंध में प्रश्न किया और सच्चाई यह है कि आज तमाम प्राईवेट ट्यूशन होते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी अपने स्तर से सी० आई० डी० या विजीलेंस के द्वारा जांच कराकर जो प्राईवेट ट्यूशन करते हैं उन शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, सर्वेक्षण कराकर कार्यवाही की जायेगी।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में एक इण्टरमीडिएट कालेज है उसमें एक कक्षा में 200 छात्रायें पढ़ती हैं कुछ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पढ़ती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह शिक्षा के मानक से संबंधित प्रश्न है। मानक के कई गुना छात्रायें दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पढ़ती हैं।

श्री अध्यक्ष–

मिश्र जी आपका प्रश्न किसी विशेष विद्यालय से सम्बन्धित है। इससे मूल प्रश्न कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के स्तर से संबंधित है, क्या शिक्षा के उन्नयन के लिये माननीय मंत्री जी चिन्ता करेंगे ताकि आवश्यकतानुसार ही छात्र/छात्रायें कक्षाओं में समायोजित रहें?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, स्तर के बारे में कहा है तो उसका मापदण्ड परीक्षा परिणामों से लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न मानक से संबंधित है, इसलिए आप यह बतायें कि छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्तियां होती हैं कि नहीं?

डा० नैपाल सिंह–

मैं स्वीकार करता हूँ कि छात्रों की संख्या शिक्षकों के अनुपात से बढ़ी है इसलिए भविष्य में प्रयास करेंगे कि शिक्षकों का अनुपात न गिरे और शिक्षकों की नियुक्तियां हों।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ इसलिए आप लोग बैठ जायं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद अलीगढ़ में सरकार द्वारा स्वीकृत पशुबधशालाओं की जानकारी

* 1––श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद में सरकार द्वारा स्वीकृत कितनी पशुबधशालायें हैं? क्या यह सही है कि वहां अवैध रूप से पशुबधशालायें चलायी जा रही हैं? यदि हां, तो क्या अवैध रूप से चलायी जाने वाली पशुबधशालाओं को बन्द कराने की कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डे)–

जनपद अलीगढ़ में 12 स्वीकृत पशुबधशालायें हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि जो उत्तर दिया गया है उसमें जनपद अलीगढ़ में 12 स्वीकृत पशु बधशालायें हैं किन्तु उनके नाम नहीं बताये गये हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उनके नाम क्या हैं और उनमें कितनी वैध और कितनी अवैध पशु बधशालायें हैं।

इसके अलावा मुझे जानकारी है कि सिकन्दराराऊ, पिल्लथमा शराय मियां, अलीगढ़, तुर्कमान गेट, खैर रोड, उसमान पाड़ा में अवैध रूप से पशुबध किये जा रहे हैं, क्या इन पशुबध-शालाओं को रोकने के संबंध में सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि हिन्द एग्रो-ढेरत क्षेत्र में प्रदेश सरकार के सहयोग से लगभग 2000 पशु बध प्रतिदिन किये जाते हैं जिससे वहां प्रदूषण फैल रहा है, यह कार्य एक माफिया व्यवसायी कर रहा है क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जनपद अलीगढ़ में कुल 12 स्वीकृत पशुबधशालायें हैं जिनका विवरण इस प्रकार है–

अलीगढ़ के नगरीय क्षेत्र में 5 पशु बधशालायें–मोहल्ला सरायं मियां, अलीगढ़–छोटा पशु बधशाला, मोहल्ला नगला आशिक अली, अलीगढ़, नगर पालिका परिषद्, अतरौली–एक पशुबधशाला, नगर पंचायत, जलाली, अलीगढ़, नगरपंचायत पिलखना, अलीगढ़ में एक–2

अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुबधशालायें हैं जिन्हें जिला पंचायत अलीगढ़ द्वारा लाइसेंस दिया गया है वे इस प्रकार हैं–

बरला, विकास खण्ड गंगीरी, 2–धनसारी, विकास खण्ड गंगीरी, 3–गंगीरी, 4–भमौरी कला, 5–दादों, विकास खण्ड बिजौली, 6–भीकमपुर, 7–भमौरी। यह सात पशुबधशालायें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

सिकन्दराराऊ में एक पशुबधशाला स्वीकृत है जो अब महामाया नगर जनपद अन्तर्गत है।

मान्यवर, अवैध पशुओं का वध घरों में होता है मोहल्ला सराय रहमान, सराय मियां, तुर्कमान गेट, देहली गेट एवं जीवनगढ़ आदि मोहल्ले वहां इस प्रथा को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मकानों जिनमें अवैध पशु वध हो रहे थे के लोगों को पकड़ा गया और उनके चालान किये गये। पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज की गयी। लगभग 20–20, 25–25 व्यक्ति जेल में बन्द किये गये जो बाद में जमानत पर छूटे गये। अवैध पशु वध का माल पुलिस कस्टडी में फिनायल डालकर अनुपयोगी करके नष्ट किया गया एवं लगभग 4–4, 5–5 कुन्तल माल जमीन के अन्दर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गड्ढों में दफना दिया गया तो इस तरह से उस पर सख्ती बरती जा रही है और मान्यवर, कोई 2–3 माप का ल्लेख आपने किया है उसको संज्ञान में लाये हैं तो उसको दिखवा लेंगे और वहां पर कड़ी कार्रवाई के लिए वहां के जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये जायेंगे।

(श्री दल वीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर श्री दल बहादुर कोरी द्वारा बोलना प्रारम्भ करने पर)

श्री दलवीर सिंह–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से न कहिये, यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री दल वीर सिंह–

मान्यवर, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रकरण है। मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है कि अलीगढ़ जनपद बहुत संवेदनशील है। माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मात्र सूचना 12 की है जबकि अलीगढ़ शहर में ही 500 अवैध कट्टी घर होंगे जिनसे समय-समय पर संवेदनशील स्थिति बनती रहती है। माननीय कल्याण सिंह जी ने और हमारे भाजपा के अन्य साथियों ने कई कट्टीघरों को बन्द कराने के लिए वहां के क्षेत्रीय जनता को आश्वासन दिया है। वहां हिन्द एग्रो नाम का कट्टीघर है जो अरब कंट्री की मदद से..

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, वह बहुत ही पैसे वाले धनपतियों के माध्यम से हमारी प्रदेश सरकार से सांठगांठ करके 10 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में अनुबंधित की गयी है जो हमारे पशुधन विकास के सचिव हैं उनसे सांठगांठ करके इसमें करोड़ों रुपये का लेन देन करके उन्होंने 10 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में अनुबंधित की है।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में नहीं है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, क्या इसमें जांच करायेंगे साथ ही जो 500 कट्टीघर अवैध रूप से चल रहे हैं आये दिन वहां पर हिन्दू मुस्लिम का झगड़ा होता है।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये भाषण न दीजिए।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि इन अवैध कट्टीघरों को रोकने के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है जिससे संवेदनशीलता खत्म हो।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जिन मोहल्लों की जानकारी थी सरकार ने उस पर कार्यवाही की बात कही है।

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसका संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करें।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जो भी अवैध कट्टीघर चल रहे बताए जायेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और कोई भी अवैध कट्टीघर अलीगढ़ में नहीं चलने दिया जायेगा और यही नहीं पूरे प्रदेश में अवैध कट्टीघरों की सूचना प्राप्त होने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाही करके उसे रोका जायेगा।

श्री दलबहादुर कोरी–

बधशालाओं में, क्या बध किये जाने वाले पशुओं का डाक्टरी प्रमाण-पत्र लिया जाता है और उनका रिकार्ड रखा जाता है?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से अलग है। सूचना हो तो बता दें।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, इसमें सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में विदेशी शस्त्रों की अवैधरूप से खरीद फरोख्त की सी० आई० डी० द्वारा जांच

* 2—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के कुछ जनपदों में 30 (थर्टी बोर) बोर के पिस्टल रिवाल्वर शस्त्रों की दुकानों तथा अन्य स्थानों पर बरामद हुए हैं? क्या 30 बोर के शस्त्र लाइसेंन्स विधिक रूप से जारी किये अथवा बेचे जा सकते हैं? यदि नहीं, तो इस षडयंत्र के पीछे कौन सी शक्ति है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

जी हाँ।

बरामद किये गये सभी शस्त्र विदेशी हैं जिनको विधिक रूप से खरीदा अथवा बेचा नहीं जा सकता।

इस संबंध में लिप्त पाये गये सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करके तथा उक्त शस्त्र जब्त करके पुलिस द्वारा न्यायालय भेजे गये हैं। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण मामले की प्रत्येक पहलू से गहनता पूर्वक जांच हेतु अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को निर्देशित किया जा चुका है। संबंधित सभी अभियोगों का पर्यवेक्षण केन्द्रीकृत रूप में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) द्वारा किया जा रहा है ताकि विदेशी शस्त्रों की आमद के संबंध में सभी तथ्यों का अनावरण हो सके।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, किन-किन जनपदों में कितनी मात्रा में और कहां-कहां 30 बोर के शस्त्र बरामद हुए हैं?

मान्यवर, जो मेरा प्रश्न था कि इस षडयन्त्र के पीछे कौन सी शक्ति है उसका जवाब नहीं आया है। मान्यवर, शान्ति-व्यवस्था को चोट पहुंचाने की दृष्टि से कोई न कोई शक्ति इसके पीछे है। भविष्य में यह विदेश से न आने पायें इसके लिए क्या ठोस कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो बरामद हुए हैं, लखनऊ में दो, मेरठ में 6, देहरादून में 6, बरेली में 8, फैजाबाद में 2, गाजियाबाद में 4, गोरखपुर में 2, मान्यवर, यह जो बरामदगी हुई है विदेशी शस्त्रों की तो इसमें सही जानकारी सही तथ्य सामने आ सके इसके लिए ए० डी० जी० क्राइम के सुपरवीजन में कार्यवाही हो रही है।

मान्यवर, इसकी सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराई जा रही है। अभी जांच रिपोर्ट नहीं आयी है। जांच रिपोर्ट से ही पता चल पायेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इलाहाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में 30 बोर के चाइनीज रिवाल्वर पिस्टल पकड़ी गयी, 3 शस्त्र विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करके दुकाने बन्द हो गयी हैं। इसमें इलाहाबाद की जानकारी न आ पाने का क्या कारण है, जब कि समाचार पत्रों से विवरण भरा पड़ा है। तो क्या सरकार इस तरह से अपनी अक्षमता को स्वीकार करती है, महीनों पहले प्रकरण प्रकट हुआ था। भविष्य में यह न होने पाये इसके लिए क्या प्रबन्ध कर रहे हैं? अब तो जी० 3, ए० के० 47 यहां आ रही है?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इलाहाबाद के बारे में माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसे हम दिखवा लेंगे। जहाँ तक इस सरकार की अक्षमता का सवाल है, जिस दिन से इस प्रकरण पर सी० बी० सी० आई० डी० से जांच करायी जा रही है, कहीं से भी इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। इसलिए यह कहना कि सरकार अक्षम है, गलत है।

[मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 1997 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बनायी गई सड़क नीति

*1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार ने कोई नई सड़क नीति बनाई है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और उसे कब से लागू किया जायेगा?

पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री कलराज मिश्र)—

विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, पहले कोई सड़क नीति नहीं थी परन्तु जब से नई सरकार बनी है, माननीय मंत्री जी ने नई सड़क नीति बनाये जाने की घोषणा की, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। मैंने अपने मूल प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा था कि कोई नई सड़क नीति बनाई है? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया—विचाराधीन है। दूसरे भाग में मैंने पूछा था कि उसका प्रारूप क्या है? इसका उत्तर दिया—उपरोक्तानुसार। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसका प्रारूप क्या है और किन-किन मुख्य बिन्दुओं पर वह सड़क नीति बनाने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

जब माननीय मंत्री जी ने उत्तर में ही कह दिया है कि विचाराधीन है तो फिर इस समय कैसे आपको बता सकते हैं?

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है प्रारूप के बारे में तो मान्यवर, उपरोक्तानुसार ही प्रारूप भी बनाया गया है लेकिन अभी वह विचाराधीन है और प्रक्रिया के अन्तर्गत है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रारूप तैयार हो गया है और वह विचाराधीन है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नई सड़क नीति की जो वह घोषणा करेंगे क्या उसमें, विगत दिनों राज्य स्तर पर जिन सड़कों की स्वीकृति हुई परन्तु धनाभाव के कारण वह पूरी नहीं हो पायी तथा राज्यपाल व पिछली सरकारों ने जो घोषणायें की हैं, चाहे वह पी०डब्ल्यू०डी० मंत्री ने की हों या फिर चीफ मिनिस्टर ने की हों, इन सबको समाहित करने की कृपा करेंगे?

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, जब इस सड़क नीति की घोषणा होगी तो यह स्वाभाविक है कि जितने भी उससे संबंधित प्रश्न हैं, वे समाहित होंगे।

*2—श्री श्याम देव राय चौधरी—

[7वें बुध में ता०प्र०सं० 9 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के 31 मार्च, 1995 तक गायब कोयले के वैगन्स एवं कोल इण्डिया लिमिटेड को भुगतान की गई धनराशि की जानकारी

*3—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के 31 मार्च, 1995 तक कुल कितने कोयले के वैगन गायब हुए तथा परिषद् ने कुल कितने रुपये का रेलवे दावा प्रस्तुत किया? इसके लिये परिषद् ने कुल कितना रुपया कोल डिपार्टमेन्ट को भुगतान किया ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)—

राज्य विद्युत परिषद् को रेलवे द्वारा आवंटित कोयले के वैगन्स में से अप्रैल 1990 से 31 मार्च, 1995 की अवधि में कुल 45931 कोयले के वैगन्स गायब हुए।

गायब हुए वैगनों के सम्बन्ध में रेलवे पर कुल 123.67 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया गया। इसके लिये विद्युत पारषद् द्वारा 123.67 करोड़ रुपये का भुगतान कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

मान्यवर, पिछली विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या-2 पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि दिसम्बर, 1993के अन्त तक कोयला खदानों से विद्युतगृहों को बुक किये गये वैगन्स में से 43943 वैगन्स कोयला जिनका भुगतान 62.40 करोड़ बनता है, अपने गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुँचे। कहने का मतलब यह है कि इतने वैगन्स कोयला खो गया।.....

तो इन डेढ़ साल की अवधि में भुगतान दो गुना कैसे हो गया? वैगन गायब होने के बावजूद भी भुगतान किया जा रहा है। यह भुगतान 62 करोड़ 40 लाख रुपये का है।.....

श्री अध्यक्ष—

यह कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न केवल सूचनात्मक था और सूचना दे दी गयी है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

जनपद इलाहाबाद में पडुवा-प्रतापपुर शंकरगढ़ में स्वीकृत तापीय परियोजना के निर्माण की मांग

*4—कुँ० रेवती रमण सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या नवीं पंचवर्षीय योजना में तापीय परियोजना प्रस्तावित है? क्या इलाहाबाद में पडुवा-प्रतापपुर शंकरगढ़ में दो हजार मेगावाट की परियोजना भी प्रस्तावित है। यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कराया जायेगा?

(सुश्री मायावती)—

जी हां।

जी हां।

निजी निवेशकर्ता के साथ ऊर्जा क्रय अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की स्थिति स्पष्ट होगी।

(माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ने के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ गया है। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा पी०सी०एस० की एक ही परीक्षा से चयनित विभिन्न विभागों को भेजे गए अधिकारियों को समान प्रारम्भिक वेतन दिये जाने की मांग

*5—श्री नारायण राम दास—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पी०सी०एस० परीक्षा से पी०सी०एस० अधिकारियों के चयन के बाद उसी परीक्षा से बनी चयन सूची द्वारा अन्य विभाग के अधिकारियों का चयन किया जाता है? यदि हां, तो क्या एक ही परीक्षा से चयनित विभिन्न विभागों को भेजे गये अधिकारियों को समान

नोट–नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न सं० 4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

वेतनमान नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस वेतन विसंगति को दूर कर एक ही परीक्षा से चयनित कर भेजे गये सभी अधिकारियों को एक समान प्रारम्भिक वेतनमान दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा "सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा" नामक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके आधार पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों का चयन किया जाता है।

जी हां।

जैसा कि परीक्षा के नाम से ही स्पष्ट है, कि उक्त परीक्षा में राज्य स्तरीय पदों के साथ-साथ अधीनस्थ राजपत्रित पदों का समावेश भी होता है। अतः विभागों में उक्त पदों को अनुमन्य वेतनमान ही दिया जाता है। उक्त का स्पष्ट उल्लेख विज्ञापन के समय ही कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपर्युक्तानुसार।

उ०प्र० आवास विकास परिषद्, लखनऊ के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी अवर अभियंताओं के साक्षात्कार परिणाम घोषित किये जाने की जानकारी

*6—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार को जानकारी है कि उ०प्र० आवास विभाग के अधीन लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु साक्षात्कार दिनांक 23-2-97 को हुआ था? यदि हां, तो क्या उनके परिणाम घोषित कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की नगर पालिका परिषदों में मानक के अनुसार सफाई कर्मियों की नियुक्ति की मांग

*7—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे नगर पालिका परिषदों में मानक के अनुसार 10,000 की आबादी पर कितने सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है? क्या शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् में इस मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी तैनात हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारी रखने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

पब्लिक हेल्थ मैनुअल 1935 के परिशिष्ट—V के अनुसार प्रत्येक 10,000 की आबादी पर कम से कम 62 एवं अधिक से अधिक 78 सफाई कर्मचारी रखने का प्राविधान है, जिसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

जी नहीं।

शासन द्वारा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिकोण से नये पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। सभी स्थानीय निकायों को निजी संसाधनों से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*8—श्री जगदम्बिका पाल—

[6वें मंगल के लिए स्थगित]

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति व अनु० जन जातियों को जारी जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु कमेटी के गठन की जानकारी

*9—श्री श्याम किशोर यादव—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी शासनादेश सं० 22/16/92-का–2/1996 टी०सी० III. दिनांक 5-1-1996 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों को जारी जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए कमेटी का गठन हो गया है? यदि नहीं, तो क्या इन वर्गों की बी०एड० की छात्राओं द्वारा जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित न करा पाने के कारण नवयुग कन्या विद्यालय, लखनऊ द्वारा 1997 की परीक्षा में सम्मिलित होने पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है? क्या इस संबंध में शासन कार्यवाही करके उन छात्राओं को परीक्षा में बैठने हेतु उक्त विद्यालय को निर्देशित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद के निर्वाचन क्षेत्र दादरी में एन०टी०पी०सी० के प्लान्ट से अलग फीडर बनाकर विद्युत सप्लाई की स्वीकृत न दिया जाना

*10—श्री नवाब सिंह नागर—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जिला गाजियाबाद के निर्वाचन क्षेत्र दादरी में एन०टी०पी०सी० का प्लान्ट लगा हुआ है? क्या उक्त क्षेत्र में प्लान्ट से अलग फीडर बनाकर विद्युत सप्लाई करने का प्रस्ताव विद्युत बोर्ड को प्रेषित किया गया था? यदि हां, तो कब और क्या उक्त प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हां।

जी हां।

स्वीकृति नहीं दी गयी है।

नगर फिरोजाबाद में पेयजल संकट को दूर करने विषयक कार्यवाही

*11—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर फिरोजाबाद में घोर पेयजल संकट को हल करने हेतु क्या वर्ष 1990-91 और 1991-92 में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा विस्तृत आंकलन फिरोजाबाद जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना हुडको (एच०यू०डी०को०) के निर्माण खण्ड के संयुक्त सर्वेक्षण में बनी थी, जिसमें दस गहरे छिद्रण के नलकूप बनाने और चार ओवरहेड टैंक के निर्माण एवं जल सम्पूर्ति पाइप लाइन के पुनरोद्धार की योजना दस करोड़ की लागत पर शुरू करने का आंकलन था? उस पर अब तक कार्यवाही न होने का क्या कारण है? क्या यह योजना सरकार लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन—

फिरोजाबाद नगर की जल सम्पूर्ति पुनर्गठन योजना, कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा (हुडको) उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा वर्ष 1990-91 में हुडको से वित्त पोषण हेतु विरचित की गयी थी।

उपरोक्त योजना के प्राक्कलन में 7 नये नलकूप, 3 ओवर हेड टैंक, 3 कि०मी० राइजिंग मेन, लगभग 50 कि०मी० पाइप लाइन, 150 नग हैण्डपम्प व तत्संबंधित कार्य प्रस्तावित थे, जिनकी अनुमानित लागत रु० 517.59 लाख थी।

स्थानीय निकाय की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण हुडको दारा अनुमानित लागत का 70 प्रतिशत ऋण अंशदान देने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण।

खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी

*12—श्री रूप चौधरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् द्वारा घोषित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 14 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में अधिक कटौती का क्या कारण है? सरकार कब तक इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सामान्य कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी नहीं। वर्तमान में, बुन्देलखंड व पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है।

जी नहीं।

खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन लगभग 9 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विद्युत उपलब्धता अनुसार व्यवस्था लागू है।

प्रदेश के निजी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना

*13—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी हाँ।

प्रदेश के निजी क्षेत्रों में डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार की जाती है। योजना का उल्लेख कार्यालय ज्ञाप संख्या 292/95-सोलह-1-281/94, दिनांक 04 मार्च, 1995 में किया गया है। उक्तानुसार प्रस्तावक संस्था को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अथवा समकक्ष अधिनियम में पंजीकृत होना, उसके पास न्यूनतम 7.5 हेक्टेयर भूमि तथा प्रस्ताव का 10 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख रु० की सावधि जमा होना आवश्यक है।

प्रदेश में अब तक निजी क्षेत्र में 17 डिग्री स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थानों को राज्य सरकार की अनापत्ति दी गई है। इसके साथ-साथ 5 विश्वविद्यालयों को फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी की स्थापना करने के लिये राज्य सरकार की सहमति प्रदान की गई है।

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान सत्र 1997-98 से कक्षा 3 से अंग्रेजी व संस्कृत भाषा की शिक्षण सुविधा

*14—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बेसिक शिक्षा में अंग्रेजी विषय पढ़ाये जाने के लिये सरकार कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बेसिक स्कूलों में छात्र संख्या घटने का कारण पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी विषय का पढ़ाया जाना है? क्या बेसिक शिक्षा में कभी अंग्रेजी विषय पढ़ायी जाती थी? यदि हां, तो क्या उसे बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्याालयों में कक्षा–3 से अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा की शिक्षण सुविधा वर्तमान सत्र 1997-98 से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निर्मित खड़ंजा सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक निर्मित कराने की मांग

*15—श्री सीताराम निषाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठवीं व सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को पक्के मार्गों से जोड़ने के लिए उ० प्र० में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत खड़ंजा स्तर तक सम्पर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना में निर्मित मार्गों को पक्का लेपन स्तर तक निर्माण कराने की कोई योजना व नीति बनायी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

जी नहीं।

सीमित संसाधनों के कारण।

राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ स्थित विभिन्न कालोनियों के अनाधिकृत आवासों को खाली कराने की कार्यवाही

*16—श्री रंगनाथ मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की लखनऊ स्थित विभिन्न कालोनियों में भूतपूर्व विधायक अभी रह रहे हैं? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या ऐसे आवासों को सरकार खाली करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

02 आवंटन के आधार पर, 07 अनाधिकृत रूप से इसके अतिरिक्त विधान परिषद् के भूतपूर्व 18 ऐसे सदस्य रह रहे हैं, जिनके स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है।

अनाधिकृत आवासों को खाली कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

*17—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[तीसरे शुक्र में ता०प्र०सं० 7 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर की सुन्दरीकरण योजना एवं व्यय धनराशि

*18—श्री राम नरेश रावत—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के सुन्दरीकरण हेतु शासन द्वारा कोई योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और उस पर अलग-अलग मदों में कितनी धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ।

लखनऊ नगर के समुचित विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु निम्नलिखित योजनायें तैयार की गई हैं :–

1—नगर के पुराने पार्कों का विकास, परिवर्धन/सौन्दर्यीकरण।

2—नगर में नये पार्कों का निर्माण।

3—नगर के ऐतिहासिक स्मारक एवं महत्वपूर्ण स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण।

4—नगर में समुचित यातायात व्यवस्था हेतु ट्रैफिक लाइट्स, फ्लाई ओवर पुल, रिंग रोड एवं सड़कों का विकास तथा बस/टैम्पो स्टैण्ड की व्यवस्था।

5—नगर के मुख्य चौराहों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण।

मद	अनुमानित व्यय
1—नगर के पुराने पार्कों का विकास, परिवर्धन/सौन्दर्यीकरण	रु० 677.19 लाख
2—नगर में नये पार्कों का निर्माण	रु० 1762.90 लाख
3—नगर के ऐतिहासिक स्मारक एवं महत्वपूर्ण स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण।	रु० 4088.56 लाख
4—नगर में समुचित यातायात व्यवस्था हेतु ट्रैफिक लाइट्स, फ्लाई ओवर पुल, रिंग रोड एवं सड़कों का विकास तथा बस/टैम्पो स्टैण्ड की व्यवस्था।	रु० 2670.00 लाख
5—नगर के मुख्य चौराहों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण।	रु० 30.00 लाख

*19—श्री दल बहादुर कोरी—

[पांचवें बुध में ता०प्र०सं० 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित।

*20—डाक्टर रमेश पोखरियाल ''निशंक''—

[एतद् विषयक विधेयक दि० 4-8-97 को पारित होने फलस्वरूप निरस्त।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई में विद्युत की अघोषित कटौती बन्द करने की मांग

1—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई में विद्युत की अघोषित कटौती बन्द किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या एम–3/शून्य/हरदोई/96 दिनांक 3-12-1996 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों।

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई जनपद के मल्लावां नगर पालिका में पार्कों के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण विषयक कार्यवाही

2—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां नगर पालिका परिषद (हरदोई) में सुभाष पार्क एवं अन्य पार्कों के जीर्णोद्धार तथा नव निर्माण हेतु शासन के पत्र संख्या एम–3/22-4/हरदोई/96 दिनांक 3-12-96 पर सचिव, नगर विकास ने क्या क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

नागर स्थानीय निकायों को पार्कों के जीर्णोद्धार तथा नव निर्माण हेतु आय-व्ययक में कोई बजट व्यवस्था नहीं है। प्रश्नगत कार्य सम्बन्धित स्थानीय निकाय के निजी श्रोत से कराया जाता है। जिलाधिकारी, हरदोई को आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

मल्लावां नगर पालिका परिषद् (हरदोई) में सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कार्यवाही

3—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां नगर पालिका परिषद् (हरदोई) में सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या एम-3/46-7/हरदोई/96 दिनांक 6-12-96 पर सचिव नगर विकास ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

राज्यपाल कार्यालय का पत्र संख्या–एम–3/46-7/हरदोई/96 दिनांक 18-12-96 प्राप्त हुआ है। नागर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व संबंधित निकाय का है। किन्तु शासन स्तर से शासनादेश संख्या—1556/9-1-97-47सा/96, दिनांक 29 मार्च, 1997 द्वारा नगर पालिका परिषद् मल्लावॉ (हरदोई) के सामान्य कर्मचारियों के बकाया वेतन की आंशिक धनराशि 1,31,400 रु० का तदर्थ विशेष अनुदान स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के कुरसठ, माधोगंज, मल्लावां व बिलग्राम में हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

4—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माधोगंज, कुरसठ, मल्लावां तथा बिलग्राम जनपद हरदोई में 10-10 हैण्ड पम्प लगाये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या एम–3/41-6/हरदोई/96 दिनांक 18-12-1996 पर सचिव, नगर विकास ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी।

विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ स्थित कोठी नं० 4 व 5 के मध्य बने सर्वेन्ट क्वार्टरों की संख्या एवं आवंटित व्यक्तियों से कम किराया लिए जाने का आरोप

5—श्री राम देव आचार्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ स्थिति कोठी नम्बर-4 और 5 के बीच राज्य सम्पत्ति विभाग के कितने सर्वेन्ट क्वार्टर हैं तथा किन-किन व्यक्तियों को आवंटित है? आवंटित व्यक्तियों से कितना किराया लिया जा रहा है? क्या सचिवालय कर्मियों की तुलना में आवंटित व्यक्तियों से कम किराया लिया जा रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

सुश्री मायावती–

विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ स्थित कोठी नम्बर-4 और 5 के बीच 20 सर्वेन्ट क्वार्टर हैं।

सूची संलग्न है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 316 पर)

मिर्जापुर स्थित विंध्याचल में मोतीझील के पास बने अधिष्ठापित ट्यूबवेल के खराब पानी की रासायनिक जांच की मांग

6—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर स्थित विंध्याचल में मोतीझील के पास बने ट्यूबवेल का पाइप कई बार बदला जा चुका है? यदि हां, तो इसका कारण क्या पानी की खराब गुणवत्ता है? यदि हां, तो सरकार क्या पानी की रासायनिक जांच कराने का कष्ट करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता। फिर भी नलकूप के पानी का नमूना जांच हेतु भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र के कतिपय मुहल्लों में दूषित पेयजल आपूर्ति का आरोप

7—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित मुहल्ले मुकेरी बाजार, तेलियरगंज, डंकीनगंज, गणेशगंज व स्टेशन रोड इत्यादि में माह जून, 1997 के द्वितीय सप्ताह से अन्तिम सप्ताह तक कीचड़ युक्त, दुर्गन्ध मय जलापूर्ति की गयी है? यदि हां, तो दूषित पेयजल की आपूर्ति हेतु कौन उत्तरदायी है? उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

8—श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है? क्या यह सही है कि जनपद देवरिया के भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की समुचित आपूर्ति नहीं हो रही है जिससे किसानों को असुविधा हो रही है? यदि हां, तो इसके निदान हेतु सरकार कौन-कौन से उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में (बुन्देलखण्ड एवं पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर) 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। जी नहीं। भाटपार रानी क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा जनपद में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों के नवीनीकरण की मांग

9—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के दर्जी कुआं–मनकापुर मार्ग और मनकापुर–मसकनवा मार्ग और मसकनवा–बभनान मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गये हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर नवीनीकरण करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में धन आवंटन करेंगे यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं। मार्ग सामान्य यातायात हेतु चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, गोण्डा में क्षतिग्रस्त लकड़ी के पुलों के निर्माण की मांग

10—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा में कितने ऐसे मार्ग हैं जिस पर लकड़ी के पुल जो कई वर्षों से बने हैं क्षतिग्रस्त हो गये हैं? क्या सरकार जनहित में इस वित्तीय वर्ष में धन का आवंटन कर पुलों का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

5 मार्गों पर पुराने लकड़ी के पुल हैं।

[illegible] की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रतापगढ़ जनपद की सदर तहसील के विभिन्न मार्गों की मरम्मत हेतु धन का आवंटन

11—श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के सदर तहसील के विभिन्न मार्ग कटरा मेंदनीगंज से मान्धाता मार्ग एवं मान्धाता से जेठवारा मार्ग तथा जेठवारा से कटरा गुलाब सिंह मार्ग एवं मान्धाता से विश्वनाथ गंज मार्ग पर मरम्मत हेतु वर्ष 1996-97 में धन आवंटित हुआ था? यदि हां, तो उससे क्या कार्य कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

विभाग में वार्षिक अुनरक्षण की राशि एक मुश्त आवंटित होती है तथा विभिन्न मार्गों के अनुरक्षण पर व्यय की जाती है। मार्गवार धनावंटन विशेष मरम्मत मद में होता है जिसके अन्तर्गत इनमें से मात्र कटरा मेंदनीगंज से मान्धाता मार्ग पर 1.50 रु० लाख धनावंटन वर्ष 1996-97 में किया गया था। विशेष मरम्मत के धनावंटन से उल्लिखित मार्ग के कि० मी० 2 से कि० मी० 10 तक में 25-50 एम० एम० साइज के शंकरगढ़ पत्थर की गिट्टी से दाबको के भरने का तथा लेपन का कार्य पूरा कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद फैजाबाद मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत हेतु धन का आवंटन

12—श्री चन्द्र नाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद फैजाबाद मुख्य मार्ग लगभग 30 कि० मी० विगत 5 वर्षों से उखड़ा एवं टूटा है? उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक होगी? क्या उक्त मार्ग पर वर्ष 1996-97 में कोई बजट मरम्मत हेतु स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो मरम्मत कार्य क्यों नहीं कराया गया? क्या शासन इस मामले में जांच एवं कार्यवाही करायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ। संसाधन की उपलब्धता के अनुसार मार्ग की मरम्मत की जायेगी। वर्ष 1996-97 में मरम्मत हेतु 49.02 लाख का आवंटन किया गया था एवं प्राप्त आवंटन के अनुसार आवश्यक कार्य कराया गया, अतः जाँच एवं कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उ० प्र० जल निगम की निर्माण एजेंसी सी० एण्ड डी० एस० के कतिपय परियोजना प्रबंधकों/सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की जानकारी

13—श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी० एण्ड डी० एस० में तैनात कुछ परियोजना प्रबन्धकों को दिनांक 2-6-97 को स्थान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरित किये गये परियोजना प्रबन्धकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

दिनांक 2-6-97 को कोई स्थान्तरण नहीं किये गये बल्कि दिनांक 31-5-97 को निम्न चार परियोजना प्रबन्धकों /सहायक अभिन्ताओं का स्थानान्तरण किया गया :–

(1) श्री एम० के० गुप्ता

(2) श्री राम मोहन कान्त

(3) श्री योगेन्द्र कुमार जैन एवं

(4) श्री एल० एन० सिंह।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर निगम तथा नगर परिषदों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने की दशा में जांच कराये जाने की जानकारी

14—श्री बाबू राम तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया वतायेंगे कि नगर निगम नगर परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि साईड पर किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता नियन्त्रण की दृष्टि से अचानक छापे डालने की कोई योजना है? क्या यह सत्य है लखनऊ नगर निगम द्वारा बनायी गयी सड़कें निर्माण के तत्काल बाद टूट रही है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच टेक्नीकल आडिट सेल से करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर निगम तथा नगर परिषदों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच सक्षम अधिकारी से कराकर जांच रिर्पोटों के परिप्रेक्ष्य में समुचित कार्यवाही स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय निदेशालय तथा शासन द्वारा की जाती है।

जी नहीं, लेकिन शिकायतें मिलने पर गुणवत्ता की जांच करायी जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

15—श्री तेजभान सिंह–

[दि० 5-8-97 को अ० ता० प्र० सं०–79 द्वारा उत्तररित।

एटा नगर परिषद् की विद्युत आपूर्ति एवं नगला बनवारी व समदपुरा को नगर लाइन से जोड़ने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16—श्री नेतराम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा नगर परिषद् की सम्बन्धित विद्युत लाइन से कितने और कौन-कौन गांव जुड़े हुये हैं? क्या यह सत्य है कि श्री महादीपक सिंह, सांसद द्वारा 16-7-97 तथा स्वामी प्रसाद मौर्या, मंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने 9-4-97 को अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड एटा को जनता की मांग के अनुसार नगला बनवारी व समदपुरा को नगर लाइन से जोड़ने

की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो अब तक लाइन न जोड़ने के क्या कारण हैं और कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

एटा नगर को विद्युत आपूर्ति निम्नलिखित 11 के० वी० फीडरों से होती है :–

1—11 के० वी० सिटी फीडर नं० -1

2—11 के० वी० सिटी फीडर नं० -2

3—11 के० वी० औद्योगिक फीडर।

4—11 के० वी० सिटी रूरल फीडर।

उपरोक्त 11 के० वी० फीडरों से सिटी फीडर नं० 1 सिटी फीडर नं० 2 एवं औद्योगिक फीडर से कोई गांव नहीं जुड़ा हुआ है।

सिटी रूरल फीडर से एक शहरी एवं ग्रामीण मिश्रित फीडर है इस फीडर पर सात गांव लगभग 20 वर्षों से जुड़े हुये हैं।

1–लालगढ़, 2–लहरा, 3–अम्बारी, 4–नगरला गोकुल, 5–ककैरा, 6–रूद्रपुर, 7–नगला केवल।

माननीय श्री महादीपक सिंह शाक्य, सांसद द्वारा नगला बनवारी को सिटी रूरल फीडर से जोड़ने के लिये जिलाधिकारी, एटा को संस्तुति की गयी थी। माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, मंत्री उ० प्र० शासन ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड एटा को गांव नगला बनवारी को सिटी लाईन से जोड़ने के लिये पत्र लिखा था। उपरोक्त गांव को सिटी लाइन से जोड़ना सम्भव नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र को केवल 10 घंटे ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में तैनात सुरक्षा अधिकारी (सेफ्टी आफिसरों) को देय वेतनमान भत्ता एवं अन्य लाभ की जानकारी की मांग

17—श्री दलवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (ब), उ० प्र० कारखाना (सुरक्षा अधिकारी) नियमावली 1984 एवं श्रम-विभाग (अनुभाग–3) उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या—3283/36-3-200/एफ०/84 /दि० 2-1-85 में दिये प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में सुरक्षा अधिकारी (सेफ्टी आफीसर) कार्यरत हैं ? यदि हां, तो वह कौन-कौन है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार श्रम विभाग द्वारा प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या—1357/36-3-2044/एफ/78/दि० 5-9-84 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत सुरक्षाधिकारी (सेफ्टी आफीसर) को समय से देय वेतनमान, भत्ता और अन्य लाभ एवं अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

18—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[कई विभागों से संबंधित होने का कारण निरस्त।

शाहजहांपुर में मानक के अनुसार जलापूर्ति की मांग

19—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में कितने लीटर पानी प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति मिल रहा है? यह मात्रा मानक से कितनी कम है? क्या मानक के अनुसार पानी शाजहांपुर के नागरिकों को मिले इसके लिये नये नलकूपों का निर्माण करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

शाहजहांपुर नगर में औसतन 32.50 लीटर पानी प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन उपलब्ध है।

यह मात्रा मानक से 117.50 लीटर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन कम है।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

शाहजहांपुर नगर को रेग्यूलर रोड ग्रान्ट की धनराशि को शीघ्र अवमुक्त कराने की मांग

20—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर का रेग्यूलर रोड ग्रान्ट का पैसा वर्तमान सत्र का रुपया 24 लाख अभी तक अवमुक्त नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या जनहित में इसको शीघ्र अवमुक्त करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

अन्य नगर पालिकाओं की भांति इस नगर पालिका परिषद् को भी अनुमन्य साधारण सड़क अनुदान 6.00 रु० लाख की धनराशि यथासमय स्वीकृत की जायेगी। गत वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरा नगर योजना के अंतर्गत सेक्टर–22 में अवैध निर्माण को हटाने की मांग

21—श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या-98 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद् की प्रश्नगत भूमि से अवैध निर्माण को अतिशीघ्र हटाकर कालोनी का निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत प्रकरण में अनाधिकृत निर्माण गिराने संबंधी धारा 83 की नोटिस जारी की जा चुकी है। नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है। अनाधिकृत निर्माण पाये जाने पर उसको गिराने के पश्चात् जो भूमि उपलब्ध होगी उसका उपयोग योजना में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुसार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के उतरौला-मनकापुर मार्ग पर स्थित पाइल सेतु की मरम्मत हेतु स्वीकृत एवं व्यय धनराशि का विवरण

22—श्री उवैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1995-96 में उतरौला मनकापुर मार्ग पर स्थित पाइल सेतु की मरम्मत का कार्य कराया गया है? यदि हां, तो उक्त सेतु हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है तथा कितनी धनराशि व्यय की गयी? क्या यह सही है कि पुल का निर्माण मानक के आधार पर नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

सेतु की मरम्मत हेतु 6.40 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा रु० 641338.10 की धनराशि व्यय की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग जनपद गोण्डा में वर्ष 1995-96 में मार्गों का निर्माण हेतु स्वीकृत धन के उपयोग में अनियमितता की शिकायत

23—श्री उवैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग जनपद गोण्डा में वर्ष 1995-96 में मार्गों के निर्माण हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ था? क्या धन का सही उपयोग हुआ है? क्या सरकार किये गये कार्यों का निरीक्षण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

वर्ष 1995-96 में मार्गों के निर्माण हेतु रु० 41.52 लाख के कार्य स्वीकृत हुये थे।

उपलब्ध धनराशि के उपयोग में प्रथम दृष्टया अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

बलरामपुर-गोण्डा मार्ग पर स्थित कुआंनो नदी पर बने सेतु की मरम्मत में कथित अनियमितता की जांच

24—श्री उवैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बलरामपुर-गोण्डा मार्ग पर स्थित कुआंनो नदी पर सेतु की मरम्मत वर्ष 1996-97 में कराई गई थी? क्या पुनः 1996-97 में ही सेतु निगम द्वारा उक्त पुल की मरम्मत कराई गई? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा दोषी पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ ।

जी हाँ ।

इसकी जांच कराई जा रही है । दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी ।

जनपद हरदोई में श्री राम कृष्ण मिश्र द्वारा नगर पालिका की भूमि अतिक्रमित किये जाने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

25—श्री राम सिंह सैनी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् हरदोई के अधिशासी अधिकारी द्वारा सरांय थोक (प०) में स्थित किंगसन वेल्फेयर इंग्लिश स्कूल (मालिक राम कृष्ण मिश्र) के नक्शे को शपथ-पत्र के आधार पर पास किया है? क्या पास किये गये नक्शे में श्री राम कृष्ण मिश्र द्वारा नगर पालिका की जमीन को अपनी दर्शाया गया है? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? क्या धोखाधड़ी करने के लिए श्री रामकृष्ण मिश्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्-हरदोई द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियत अधिकारी विनियमित क्षेत्र हरदोई द्वारा नक्शा पास किया गया है ।

जी हां, श्री राम कृष्ण मिश्र ने नगर पालिका की 18.85 वर्ग मीटर भूमि नक्शे में अपना दर्शाया है ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु गलत आख्या प्रस्तुत करने वाले सहायक को निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री राम कृष्ण मिश्र द्वारा नगर पालिका परिषद्–हरदोई की 18.85 वर्ग मीटर जमीन को अपना दर्शाकर मानचित्र स्वीकृत कराया गया है । अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने की कार्यवाही की गई लेकिन श्री मिश्र द्वारा प्रश्नगत भूमि खण्ड पर सिविल न्यायालय में वाद दायर कर दिनांक 31-5-97 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है ।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धन एवं निर्माण पूर्ण करने के लक्ष्य की जानकारी

26—डा० गंगा बख्श सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर के भवन निर्माण हेतु तिथिवार अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? उक्त निर्माण कार्य कितनी अवधि में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? निर्माण कार्य की गति धीमी होने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है? निर्माण कार्य किस तिथि तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री कलराज मिश्र—

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर के भवन निर्माण हेतु दिनांक 27-6-96 को रु० 200.00 लाख तथा दिनांक 31-3-97 को रु० 100.00 लाख (कुल रु० 300.00 लाख)

प्राप्त हुआ है । प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण धन, भूमि आदि उपलब्ध होने पर कुल अट्ठारह माह में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित था । भूमि का हस्तान्तरण दिनांक 20-9-96 को हुआ एवं नियोक्ता द्वारा भवन की प्राथमिकतायें दिनांक 17-12-96 को तय करने के कारण उक्त निर्माण कार्य धीमी गति से हुआ । अतः इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है । उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषदान्तर्गत मुख्य अभियंता (लेसू) के अधीन वर्ष 1988-89 में मस्टर रोल कर्मचारियों की बनायी गयी सूची गायब करने का आरोप

27—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू) के अधीन वर्ष 1988-89 में मेसर्स बी० आ० सी० कम्प्यूटर सेन्टर के माध्यम से मस्टर रोल की कोई सूची तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि इस सूची को परिषद् से गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या मंत्री जी चयन समिति द्वारा चयनित कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चयन समिति में कौन-कौन से अधिकारी थे ?

सुश्री मायावती—

यह सत्य है कि मुख्य अभियन्ता (लेसू) के अधीन वर्ष 1988-89 में कम्प्यूटर के माध्यम से मस्टर रोल कर्मचारियों की सूची तैयार की गई थी ।

उक्त सूची वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है ।

जी हाँ ।

चयन समिति से सम्बन्धित प्रपत्र तत्कालीन कार्मिक अधिकारी लेसू क्षेत्र श्री बी० एस० यादव के पास थी, जिनकी मृत्यु हो जाने पर उपलब्ध नहीं हो पायी है ।

जी हां । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चयन समिति में निम्न अधिकारी थे :—

1—जी० डी० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता,
2—मदन लाल, अधिशासी अभियन्ता,
3—शाह आलम, अधिशासी अभियन्ता,
4—टी० बी० राय, अधिशासी अभियन्ता,
5—एल० आर० जाटव, कार्मिक अधिकारी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उपभोक्ताओं को सर्विस कनेक्शन दिये जाने में विलम्ब होने की शिकायत

28—श्री जय प्रकाश निषाद —

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को सर्विस कनेक्शन रिलीज करने में कितना समय लगाया जाता है ? मुख्य

अभियन्ता (लेसू) लखनऊ के अधीन ऐसे कितने मामलों की शिकायतें माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल एवं वासुदेव सिंह विधायकों द्वारा फरवरी, 1995 से अगस्त, 1996 तक प्राप्त हुई तथा अधीक्षण अभियन्ता (तृतीय) लेसू लखनऊ द्वारा जांच में क्या पाया गया ? क्या यह सत्य है कि उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिये दिनांक 30-8-94 को फर्जी धारा–3 की नोटिस भी भेजी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

7.5 किलोवाट तक के घरेलू बत्ती पंखा एवं वाणिज्य बत्ती पंखा कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति तथा समस्त निर्धारित औपचारिकतायें पूरा करने की तिथि से लगभग एक माह में कनेक्शन दे दिया जाता है ।

उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार श्री डी०पी० यादव के प्रकरण में शिकयत प्राप्त हुई है । उक्त शिकायत मुख्यतः विलम्ब से कनेक्शन देने एवं फर्जी धारा–3 की नोटिस जारी करने से सम्बन्धित है ।

श्री डी० पी० यादव, लक्ष्मनगंज, तालकटोरा रोड, लखनऊ को एक किलोवाट वाणिज्यिक बत्ती-पंखे का कनेक्शन 22-12-1986 को दिया गया था ।

उक्त उपभोक्ता को धारा–3 की नोटिस दिनांक 30-8-1994 की त्रुटिवश श्री बी० पी० यादव के नाम से जारी हो गई थी, जिसको तत्पश्चात् सही नाम से जारी कर दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नरहेजी इण्टर कालेज, नरही रसड़ा, बलिया के अध्यापकों/कर्मचारियों को मानक के अनुसार वेतन भुगतान की जानकारी

29—श्री राजधारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मानक आधार जून, 1993 के वेतन भुगतान पंजिका को शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो नरहेजी इण्टर कालेज, नरही रसड़ा, बलिया के अध्यापकों/कर्मचारियों का वेतन बिल उपरोक्त मानक आधार जून 93 के वेतन पंजिका के आधार पर पारित किया गया है ? यदि नहीं, तो 35 कर्मचारियों जो उक्त विद्यालय से सम्बन्धित हैं, वेतन क्यों नहीं भुगतान किया जा रहा है ?

डाक्टर नैपाल सिंह—

जी हाँ ।

प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में स्वीकृत परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण लागत का पुनरीक्षण

30—श्री राजधारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में (95-96, 96-97) स्वीकृत प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल के भवन जो अवशेष रह गये हैं, उनका लागत मूल्य क्रमशः 90,000.00 एवं 1,85,000.00 से बढ़ाकर नये विद्यालयों के स्वीकृत लागत मूल्य क्रमशः 1,35,000.00 एवं 2,70,000.00 के बराबर करने की शासन की कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन इसे अपनाने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

विश्व बैंक सहायतित उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना से आच्छादित जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपदों में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में स्वीकृत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए पुनरीक्षित निर्माण लागत के आधार पर प्रति विद्यालय क्रमशः धनराशि रु० 1,35,000 (उत्तराखण्ड के जनपदों हेतु रुपया 1,60,000) तथा रुपये 2,70,000 (उत्तराखण्ड के जनपदों हेतु रुपया 2,95,000) अनुमन्य की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में अवैध शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जांच

31—श्री राजधारी—

क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि बलिया जनपद में अवैध शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जांच के लिए श्री बांके सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में जनवरी, 1992 में नियुक्त हुए थे ? यदि हां, तो उन्होंने जांचोपरान्त कितने अध्यापकों/कर्मचारियों का वेतन रोका था ? नरहेज इण्टर कालेज के कितने अध्यापकों/कर्मचारियों को उन्होंने वैध मानते हुए उनके वेतन का अनुदान आवंटित किया था ? क्या जांचोपरान्त वैध पाये गये कर्मचारियों/अध्यापकों को वेतन भुगतान हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नैपाल सिंह—

श्री बांके सिंह, फरवरी, 92 से 19-3-92 तक जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के पद पर नियुक्त रहे।

श्री बांके सिंह द्वारा जाँच कर वेतन रोकने की सूचना नहीं है। उनके कार्यकाल में 59 कर्मचारियों को वेतन दिया गया।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जाँच प्रचलित है।

आवास विकास परिषद्, इन्दिरानगर, लखनऊ में श्री गनेश राम चौरसिया द्वारा अनाधिकृत सीवर संयोजन को नियमित कराया जाना

32—श्री विश्वनाथ—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आवास विकास परिषद्, इन्दिरानगर, लखनऊ में वर्ष 1990 में आवंटित भवन संख्या–22/641 के अतिरिक्त भूमि में श्री गनेश राम चौरसिया द्वारा निजी स्तर से 9-6-93 को सीवर पाइप डाली थी ? यदि हां, तो क्या उसे हटाने हेतु निर्माण खण्ड-3 का पत्र संख्या–1696/अम 9/48, दिनांक 7-6-93, जल संस्थान जाने–5 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जल संस्थान ने परिषद् को क्या जबाब दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ।

जी हाँ।

अनाधिकृत सीवर संयोजन हेतु श्री गनेश राम चौरसिया को नोटिस दी गयी थी जिसके पश्चात् उनके द्वारा नियमानुसार सीवर संयोजन नियमित करा लिया गया था । इस कारण परिषद् को कोई जबाब नहीं दिया गया ।

आवास विकास परिषद् की इन्दिरा नगर, लखनऊ योजना के अन्तर्गत सेक्टर-22 में अवैध निर्माण को हटाने की मांग

33—श्री विश्वनाथ—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल सदस्य द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या–98 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद् की प्रश्नगत भूमि से अवैध निर्माण को अतिशीघ्र हटाकर कालोनी का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

प्रश्नगत प्रकरण में अनाधिकृत निर्माण गिराने संबंधी धारा–83 की नोटिस जारी की जा चुकी है । नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है । अनधिकृत निर्माण पाये जाने पर उसको गिराने के पश्चात् जो भूमि उपलब्ध होगी उसका उपयोग योजना में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुसार किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा तथा निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान के पदों पर तैनाती की जानकारी

34—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा तथा निदेशक, शोध विकास संस्थान के पद कब से रिक्त पड़े हैं ? क्या यह सही है कि प्राविधिक शिक्षा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां नहीं की गयीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश तथा निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश के पद रिक्त नहीं हैं, वरन् इन पदों पर कार्यवाहक रूप में अधिकारी तैनात हैं ।

जी हाँ ।

इन पदों पर चयन हेतु औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं ।

जी हाँ ।

औपचारिकताएँ पूरी हो जाने पर नियुक्तियाँ की जा सकेंगी।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 33 के० वी० सब-स्टेशनों के निर्माण पर होने वाले व्यय की जानकारी

35—श्री बाबू राम तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न 33 के०वी० सब-स्टेशनों के निर्माण पर कितना धन व्यय करने का प्राविधान रहता है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1994-1997 के मध्य निर्माण कराये गये 33 के०वी० उपकेन्द्रों पर वास्तविक प्राविधानों के अनुरूप कुल कितना धन व्यय हुआ? उससे विद्युत परिषद् को कुल कितना लाभ हुआ ? क्या इस प्रकार की बचत अन्य क्षेत्रों में भी हुई है ? यदि हां, तो बचत कराने वाले अभियन्ताओं को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में एअर कंडिशनर्स की सुविधा प्रदान करने की नीति की जानकारी

36—श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में एयरकंडिशनर्स का प्रयोग करनेकी सुविधा प्रदान की गयी है? यदि हां, तो किस स्तर तक के अधिकारियों उक्त सुविधा दी जाती है? क्या इस बारे में कोई मानक निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कोई नीति निर्धारित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ इस संबंध में कोई मानक निर्धारित होने की सूचना नहीं है। नीति निर्धारित करने पर शीघ्र ही विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

गोरखपुर मण्डल में समस्त अभियन्ताओं में कार्य करने व नीति के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जानकारी

37—श्री अमर मणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक निर्माण विभाग गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत कितने मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता कार्यरत हैं? इनमें से कितने अभियन्ताओं ने अपनी निर्धारित नानवर्किंग डिवीजन में कार्य अवधि पूरी की है? क्या सरकार गोरखपुर मण्डल में ऐसे अभियन्ताओं को जो दो या दो से अधिक बार वर्किंग डिवीजन के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं उनका स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत गोरखपुर क्षेत्र में कार्यरत अभियन्ताओं की संख्या निम्नवत हैं :–

1—मुख्य अभियन्ता	01
2—अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	03
3—अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	10
4—अधिशासी अभियन्ता (वि०/या०)	01
5—सहायक अभियन्ता (सिविल, वि०/या०)	75
6—अवर अभियन्ता (सिविल, वि०/या०, प्राविधिक)	311

समस्त अधिशासी अभियन्ताओं ने नानवर्किंग डिवीजन में कार्य किया है। 57 सहायक अभियन्ताओं एवं 125 अवर अभियन्ताओं ने नानवर्किंग डिवीजन में कार्य किया है।

प्रतिवर्ष स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

प्रशासनिक सुविधा हेतु पर्वतीय संवर्ग में तैनाती हेतु भरे गये विकल्प के तहत बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग की मुख्य सेविकाओं की तैनाती का मामला

38—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रशाननिक सुविधा हेतु पर्वतीय सम्वर्ग में तैनाती हेतु अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भरे गये विकल्प पत्र देने की कार्ययोजना बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग में पूर्णतया लागू हो गयी है? यदि हां तो कतिपय मुख्य सेविकाओं द्वारा पर्वतीय सम्वर्ग का विकल्प पत्र भरे जाने के बावजूद मैदानी सम्वर्ग में तैनाती एवं तबादलों का क्या कारण है?

श्री हरी किशन–

जी हाँ।

जिन मुख्य सेविकाओं का पर्वतीय उपसंवर्ग का विकल्प निदेशालय में प्राप्त नहीं था उन्हें ही मैदानी सम्वर्ग में तैनात किया गया है।

शाहजहाँपुर शहर को विद्युत कटौती से मुक्त कराने की माँग

39—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहर शाहजहांपुर में 10-12 घण्टे विद्युत रोस्टिंग होने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी शाहजहांपुर को विद्युत कटौती से मुक्त करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक हो जाने के फलस्वरूप प्रणाली की सुरक्षा हेतु आवश्यकता पड़ने पर लगभग 4-5 घंटे विद्युत रोस्टिंग करायी जाती है।

जी नहीं।

शाहजहांपुर शहर को स्थायी रूप से विद्युत की आपात कटौती से मुक्त करना प्रणाली के हित में नहीं होगा क्योंकि बढ़ी विद्युत मांग की पूर्ति हेतु अन्य जनपदों के साथ भी विषमतायें उत्पन्न हो जायेंगी ?

जनपद उन्नाव में ऊर्जा विभाग के स्थानान्तरित अवर अभियन्ताओं को कार्यमुक्त किये जाने की जानकारी

40—डा० गंगा बक्श सिंह–

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के ऊर्जा विभाग में ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं, जो लगभग 12 वर्ष से अधिक समय से वहीं कार्यरत हैं? क्या यह सही है ऐसे अवर अभियन्ताओं को अन्यत्र स्थानान्तरित भी कर दिया गया, किन्तु इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है? यदि हां तो क्या सरकार स्थानान्तरित उक्त अवर अभियन्ताओं को तत्काल कार्य मुक्त किये जाने हेतु आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ऐसे अवर अभियन्ताओं की संख्या दो है।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में पतरासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में अनियमितता का आरोप

41—श्री शिवशंकर सिंह –

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी में पतरासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी०एण्ड डी० एस० यूनिट-22 जनपद सीतापुर द्वारा कराया जा रहा है। यदि हां, तो क्या यह सही है कि निर्माणाधीन भवन में बिना डी०पी०सी० डलवाये ही डी०पी०सी० का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां,. तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डी०पी०सी० की नाप असिस्टेन्ट रेजिडेन्ट इंजीनियर के स्तर से दिनांक 15-4-96 को की गयी। परियोजना प्रबन्धक द्वारा इसका सत्यापन किया गया एवं वरिष्ठ प्रबन्धक (निर्माण–1) सी० एण्ड० डी० एस० उ० प्र० जल निगम द्वारा जांच में पाया गया कि निर्धारित मानक के अनुसार डी०पी०सी० तथा स्थान 25-26 मिमी० डाली गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की मनकापुर नगर पंचायत की वर्ष 1996-97 में विभिन्न मदों से हुई आय-व्यय के विवरण की जानकारी

42—श्री राम विशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के नगर पंचायत मनकापुर में वर्ष 1996-97 में वाहन स्टैण्ड और तहबजारी की नीलामी की गयी थी? यदि हां, तो धनराशि किस दिनांक को कार्यालय नगर पंचायत मनकापुर में जमा की गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नगर पंचायत, मनकापुर में वर्ष 1995 से जून, 1997 तक विभिन्न मदों से हुई आय-व्यय का पूर्णरूपेण वास्तविक विवरण क्या है?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत मनकापुर में वर्ष 1995 से जून, 1997 तक विभिन्न मदों में हुयी आय-व्यय का पूर्ण रूपेण विवरण निम्नलिखित है:–

(रुपयों में)

वर्ष का नाम	आय	व्यय
1995-96	9,59,182-81	8,86,379-44
1996-97	14,02,310-90	10,41,892-06
अप्रैल 97 से जून 97 तक	43,969-75	39,225-60
योग	24,05,463-46	19,67,497-10

देवरिया जनपद के भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना

43—श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद देवरिया में भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गजहरा (अहिरौली) तथा खोरीबारी में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन की स्थापना अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं? उक्त दोनों सब-स्टेशन कब तक स्थापित हो जायेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

सुश्री मायावती–

संदर्भित उपकेन्द्रों की स्थापना वर्ष 1997-98 तथा इसके पूर्ववर्ती वर्षों की कार्य योजना में सम्मिलित न होने के कारण नहीं की गई है।

उक्त दोनों उपकेन्द्रों की स्थापना आश्यकतानुसार कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने एवं निर्माण के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर सम्भव है।

परन्तु परिषद की कठिन वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस कार्य के पूर्ण होने की कोई निश्चित समय सीमा इंगित करना सम्भव नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महोबा नगर पालिका में पेयजल समस्या हेतु स्वीकृत धनराशि

44—श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि महोबा नगर पालिका में पेयजल समस्या हेतु दो करोड़ बावन लाख रुपया मंजूर किया गया है? यदि हां तो अब तक कार्य न कराने का कारण क्या है क्या इसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।, महोबा पेयजल पुर्नगठन योजना जिसकी अनुमानित लागत 251.15 लाख है शासन में विचाराधीन है। अब तक 25.00 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा के जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

45—श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की कुल कितनी संख्या है और कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ कब तक कर दी जायेंगी?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जनपद महोबा में जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक के 68 तथा सहायक अध्यापक के 154 कुल 222 पद स्वीकृत हैं।

प्रधानाध्यापक के 29 तथा सहायक अध्यापकों के 06 पद रिक्त हैं।

उक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है। शीघ्र ही पदोन्नति से उक्त पद भर दिये जायेंगे।

श्री किशोर राम सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तेलमा, बलिया के देय अवशेषों का भुगतान

46—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर के प्राथमिक विद्यालय तेलमा में प्रधानाध्यापक पद से जून, 1995 में सेवानिवृत्त हुए श्री किशोर राम का सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो उक्त का भुगतान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

श्री किशोर राम अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक द्वारा बीमा संबंधी आवेदन पत्र न प्रस्तुत करने के कारण उनके सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री किशोर राम द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

जनपद सिद्धार्थनगर में लोक निर्माण खण्ड–I द्वारा कतिपय वर्षों में कृत कार्यों के विरुद्ध टी० ए० सी० से कराई गयी जांच

47—श्री धनराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सिद्धार्थनगर जनपद के लोक निर्माण के खण्ड–I में गत् 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के वित्तीय वर्ष में किये गये मार्गों के निर्माण में की गयी शिकायतों के आधार पर टी० ए० सी० द्वारा जांच की गयी है? यदि हां, तो उपरोक्त जांच किन-किन मार्गों की करायी गयी है? क्या उनकी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो निर्माण कार्यों में बरती गयी लपरवाही में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1994-95 में टी० ए० सी० से कोई जाँच नहीं कराई गई किन्तु वर्ष 1995-96 व 1996-97 में उक्त खण्ड से संबंधित कतिपय शिकायतों की जाँच टी० ए० सी० से कराई गई।

शिकायती बिन्दुओं से संबंधित कार्यों/मार्गों की सूची संलग्न है।

जी हाँ।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 317 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर में कतिपय मार्गों के निर्माण एवं स्वीकृत धन की जानकारी

48—श्री धनराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में दुल्हा, दलदलहा, उस्काराजा, सेमरहना तथा उस्का धर्मसिंहवा मार्ग का निर्माण करने हेतु गत किस वर्ष में धन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी? क्या यह सही है प्रश्नगत मार्गों पर मात्र आधे-अधूरे कार्यों के निर्माण के कारण जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या निर्माणार्थ स्वीकृत मार्गों के निर्माण में ढिलाई की जांच कर सदन को अवगत करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्गों के लिए माह मार्च, 1994, माह नवम्बर, 1994 में वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई थी।

दुल्हा–दलदलहा मार्ग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उस्का–सेमरहना मार्ग प्रथम सतह लेपन स्तर तक पूर्ण हो चुका है। उस्का धर्मसिंहवा मार्ग का कार्य समाप्त हो चुका है। क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता से आख्या मांगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विकास प्रगति की जानकारी

49—श्री धनराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1996-97 के वित्तीय वर्ष में अम्बेडकर ग्रामों के रूप में जोगिया, मजगवा, मारटरवर्ग खुर्द, हेनरी बुजुर्ग रीवां नानकार एवं गायघाट का चयन हुआ है, जिन्हें पक्की सड़क से जोड़ने हेतु मार्ग का निर्माण करना है एवं निर्माण कार्य करने हेतु प्रश्नगत वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत होकर लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर को मिल चुकी है? क्या यह सत्य है प्रश्नगत मार्गों को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु एल० डी० रोड से ककरही, टड़िवा, हरनी होकर सड़क निर्माण होना है, जिसका कुछ भाग विभिन्न योजनाओं में लेपन तथा पत्थर सोलिंग पहले से है शेष भाग पर मिट्टी का कार्य पूरा हो गया था, किन्तु इसके बाद निर्माण कार्य ठप्प कर दिया गया? यदि, तो क्या उपरोक्त मार्गों के निर्माण में बरती गई उदासीनता की जांच मंत्री जी करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 96-97 में हेनरी बुजुर्ग रीवां नानकर एवं गायघाट ग्रामों का चयन हुआ।

उक्त ग्रामों की मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है किन्तु धनावंटन अभी तक नहीं हुआ है।

स्वीकृत मार्गों पर मिट्टी का कार्य पूर्ण है। अवशेष कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रथम दृष्टया कोई उदासीना परिलक्षित नहीं होती।

प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर नगर पालिका परिषद् में स्वीकृत सेनेंटरी इंस्पेक्टर्स के पदों पर तैनाती

50—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर पालिका परिषद् में सेनेटरी इंस्पेक्टर के कितने पद हैं? इनमें से कितने रिक्त हैं? क्या इन पदों को भरा जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर पालिका परिषद् मिर्जापुर में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के चार पद स्वीकृत हैं। सभी पदों पर तैनाती की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों के रख-रखाव व भवन निर्माण की शासन की नीति

51—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के किराये पर चल रहे तथा दान में प्राप्त भवनों के रख-रखाव हेतु पिछले 5 वर्ष में मिर्जापुर जनपद में कितना धन आवंटित किया गया है? नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों के रख-रखाव एवं नये भवनों के निर्माण के संबंध में शासन की नीति क्या है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

किराये के भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु शासन द्वारा धन देने की व्यवस्था भवनों के व्यक्तिगत स्वामित्व होने के कारण सम्भव नहीं है। अतः धन आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला समिति की संस्तुति के अनुसार जनपद में कुल स्वीकृत धनराशि का आवश्यकतानुसार 15-20 रु० तक नगर के क्षेत्र के परिषदीय स्वामित्व के विद्यालयों के रख-रखाव पर व्यय किये जाने की नीति है। किराये भवनों का स्वामित्व दूसरे का होने कारण शासन द्वारा उसकी मरम्मत या पुर्ननिर्माण के लिए दान उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

52—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति मात्र 5-6 घंटे ही की जा रही है? क्या बारीपुर नारेपार का पावर हाउस बनकर तैयार है किन्तु पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो उससे कब तक पूर्ण रूप से सप्लाई दी जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

सुश्री मायावती–

भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण पोषकों पर औसतन लगभग 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा जिला मुख्यालय एवं कस्बों को औसतन लगभग 20-22 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है। बारीपुर-नारेपार नाम कोई विद्युत उपकेन्द्र निर्माणाधीन नहीं है।

स्व० श्री राम त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल नन्दमहर, सुल्तानपुर के आश्रित को पारिवारिक पेंशन देने की मांग

53—श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व० श्री राम त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाईस्कूल नन्दमहर, सुल्तानपुर की मृत्यु दिनांक 1-1-97 को हुई थी? यदि हां, तो क्या इनकी पत्नी श्रीमती पटुकादेवी को पारिवारिक पेंशन दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

इस नाम का कोई अध्यापक जूनियर हाई स्कूल नन्दमहर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत ही नहीं था। अतः दिनांक 1-1-97 को मृत्यु होने तथा पारिवारिक पेंशन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरस्वती विद्यालय कन्या इन्टर कालेज, नरही लखनऊ के अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री भोला प्रसाद को न्यायालयादेश के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण कराया जाना

54—श्री पारस नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि श्री भोला प्रसाद चौकीदार के पद पर जो सरस्वती विद्यालय कन्या कालेज, नरही, लखनऊ में कार्यरत था, की सेवायें समाप्त

कर दी गयी हैं? क्या यह सही है कि उक्त सेवा समाप्ति के विरुद्ध श्री भोला प्रसाद ने हाईकोर्ट लखनऊ से दिनांक 30-5-96 को स्थगन आदेश प्राप्त किया परन्तु अनुसूचित जाति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवा में नहीं रखा गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों और कब तक उसे सेवा में रख लिया जायेगा?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं। श्री भोला प्रसाद ने मा० उच्च न्यायालय में अवकाश के बाद कार्यभार ग्रहण करने हेतु रिट याचिका (सं 2685/96 एस/एस) दिनांक 26-5-96 दायर किया था। न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में दिनांक 3-6-96 को कार्यभार ग्रहण किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 14-6-96 से विद्यालय पुनः नहीं आ रहे हैं।

जिला अम्बेडकर नगर के तहसील आलापुर स्थित ग्राम उमरी जलालपुर में फर्जी विद्युतीकरण के संबंध में जांच की मांग

55—श्री पारस नाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उमरी जलालपुर, पो० आदमपुर, तहसील आलापुर, जिला अम्बेदकर नगर में फर्जी विद्युतीकरण विषयक जांच के संबंध में प्रमुख सचिव, ऊर्जा के पत्र संख्या 1009/पी० एस० ई०97, दिनांक 26-5-97 द्वारा जांच कराने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो क्या पूर्ण हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

प्रमुख सचिव, ऊर्जा के पत्र सं० 1009/पी० सी० ई०/97 द्वारा ग्राम उमरी जलालपुर पो० आदमपुर तहसील आलापुर जिला अम्बेदकर नगर में विद्युतीकरण की जांच हेतु कोई आदेश नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

56—श्री राम औतार शाक्य–

[6 वें मंगल के लिए स्थगित]

जनपद गोण्डा के विद्युत विवरण उपखण्ड मनकापुर द्वारा बगदर फीडर गौरा-।। के० वी० फीडर पर सीमेन्ट के पोल लगाया जाना

57—श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद गोण्डा के विद्युत वितरण उपखंड मनकापुर द्वारा बगदर फीडर गौरा, 11 के० वी० फीडर पर वर्ष 1994-95, 1995-96 में शासन द्वारा लकड़ी पोल के स्थान पर सीमेन्ट के पोल स्वीकृत हुए? यदि हां, तो अब तक कुल कितने सीमेन्ट पोल लगाये गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

15 नग।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997-98 में अशासकीय मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूलों को अुनदानित करने की मांग

58—श्री राजधारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997-98 में उ० प्र० सरकार अशासकीय मान्यता प्राप्त जू० हा० स्कूलों को अुनदानित करने का विचार कर रही है? यदि हाँ तो कितने विद्यालयों को अनुदानित करने का लक्ष्य है? क्या मानीनय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई दिशा निर्देश उ० प्र० शासन को दिया है? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

प्रश्नगत प्रकरण विचाराधीन है। अभी इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय के ही खण्ड पीठ के समक्ष विशेष अपील योजित की जा चुकी है। मामला मा० उच्च न्यायालय में सब्जुडिस रहने के कारण विशेष अपील लम्बित रहने तक कोई कार्यवाही करने की आवश्यता नहीं प्रतीत होती है।

59—श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

[चौथे बुध में अता० प्र० सं० 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ द्वारा साइड से उतारे गये एवं वर्क आर्डर के तहत ठीक कराये गये पावर मीटर एवं भुगतान

60—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ के परीक्षण खण्डों द्वारा वर्ष 1996-97 में पावर के कितने मीटर साइड से उतारे गये? इन्हीं वर्षों में पावर के कितने मीटर विभाग द्वारा वर्क आर्डर के तहत ठीक कराये गये? यह कार्य किस ठेकेदार से कराया गया एवं कितना भुगतान हुआ?

सुश्री मायावती–

(1) लेसू 1812 नग

(2) लखनऊ क्षेत्र 1136

(1) लेसू–शून्य

(2) लखनऊ क्षेत्र, 6 (छः) नग

(1) लेसू–प्रश्न नहीं उठता।

(2) लखनऊ क्षेत्र–मधु इलेक्ट्रिक कानपुर।

(1) लेसू–प्रश्न नहीं उठता।

(2) लखनऊ क्षेत्र 249000 रु०

61—श्री राजधारी–

[तीसरे शुक्र में अता० प्र० सं० 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर के लोक निर्माण खण्ड–I के मृतक बेलदार श्री रामेश्वर के पुत्र को सेवा में लिया जाना

62—श्री धनराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के लोक निर्माण खण्ड-I में श्री रामेश्वर बेलदार कार्यरत रहते हुए दिनांक 3-10-96 को उनकी मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो अभी तक मृतक आश्रित के रूप में उनके पुत्र को विभाग में कार्य करने का अवसर न देने का क्या कारण है? कब तक उनके पुत्र को कार्य करने का अवसर दे दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

मृतक के द्वितीय पुत्र श्री राजू के दिनांक 31-7-97 को मेट के पद पर तैनात कर दिया गया है। कार्यरत है।

देवरिया के रुद्रपुर में स्थित पंचलड़ी में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन के शीघ्र निर्माण की मांग

63—श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में पंचलड़ी एवं पकड़ी बाजार में पूर्वांचल निधि के तहत विद्युत सब स्टेशन बनाने की घोषणा वर्ष 1995 एवं 1996 में की गयी थी? यदि हां, तो इसके लिये कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सब स्टेशन निर्माण हेतु धन का आवंटन किया जायेगा? निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

सुश्री मायावती–

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में पंचलड़ी में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु शासन द्वारा घोषणा की गयी थी। किन्तु पकड़ी बाजार में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु कोई घोषणा नहीं हुयी थी। केवल पंचलड़ी उपकेन्द्र के निर्माण हेतु लगभग 1.5 एकड़ भूमि ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव पास करके विद्युत परिषद् की मिल गयी है परन्तु पकड़ी बाजार में अभी कोई भूमि प्रस्तावित नहीं है।

पंचलड़ी 33/11 के० वी० लाइन एवं उपकेन्द्र बनाने हेतु जिलाधिकारी देवरिया को 1,08,20,210.00 रु० का आँकलन दिनांक 19-11-96 को दे दिया गया है। अभी कोई भी धन प्राप्त नहीं हुआ।

परिषद् को जिलाधिकारी द्वारा अभी तक कुछ भी धन उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की कोई निश्चित तिथि इंगित करना सम्भव नहीं है।

64—श्री जय प्रकाश निषाद–

[दि० 22-7-97 को अता० प्र० सं० 81 द्वारा उत्तररित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के टाण्डा तापीय परियोजना के महाप्रबंधक व अधिशासी अभियन्ता पर परिषद् को क्षति पहुँचाने विषयक शिकायती पत्र पर जाँच

65—श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा तापीय परियोजना के महाप्रबन्धक एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षत्ति पहुंचने संबंधी श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 17-9-96 जो कि मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

सुश्री मायावती–

जी हॉ।

पत्र में संदर्भित प्रकरण में राज्य विद्युत परिषद द्वारा परिषदीय सतर्कता इकाई को जाँच के आदेश दिये जा चुके हैं।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अर्न्तगत मस्टर रोल पर नियुक्त कर्मियों को नियमित एवं वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में कृत कार्यवाही

66—श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं० 44 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री तत्कालीन सदस्य (सचिव) के अनुमति पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (जनपद पारेषण) के अधीन विद्युत जनपद निर्माण खंड मोहद्दी गोरखपुर द्वारा मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मियों की अवधि का जो प्रमाण-पत्र वर्ष 1988-89 एवं 1990 में जारी किया गया है उनके नाम, पिता का नाम एवं निवास स्थान क्या है? उनमें से कितनों को नियमित सेल में ले लिया गया है? कितनों को छटनी कर दी गई? छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मियों सेवा में लेने की क्या नीति अपनाई गई है?

सुश्री मायावती–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 195 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 44 के उत्तर में तत्कालीन सदस्य सचिव के किसी अनुमति पत्र का उल्लेख नहीं है अतएव उसे सदन के पटल पर रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता है। विद्युत जनपद निर्माण खण्ड द्वारा वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 में मस्टर रोल कार्यरत कर्मियों की कोई सूची जारी नहीं की गयी है।

चूँकि कोई सूची जारी नहीं की गयी अतः किसी को नियमित सेवा में लेने अथवा छँटनी किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

परिषद् ने छँटनी शुदा मस्टर रोल कर्मियों को सेवा में लेने की अभी कोई नीति निर्धारित नहीं की है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य (लेसू) द्वारा स्पेशल आडिट में अनियमिता एवं राजस्व खाते का रीकन्सीलेशन न किये जाने के विरूद्ध जांच

67—श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ के अधीन पिछले 5 वर्षों से स्पेशल आडिट ने 70 लाख रुपये के डिस्आनर चेक प्राप्त किये हैं? क्या यह सत्य है कि अनियमित रूप से उपभोक्ताओं के खाते में पोस्टिंग कर क्रेडिट कर दी गई है? यदि हां, तो किन- किन अधिकारियों द्वारा यह कार्य किया गया है? क्या यह सत्य है कि पिछले 10 वर्षों से लेसू में रीकंसीलेशन नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है?

सुश्री मायावती–

मुख्य अभियंता (लेसू) लखनऊ के अधीन मई, 1992 से सितम्बर, 1993 के मध्य विशेष सम्प्रेक्षा 4–5–1994 से 24–4–1995 तक किये जाने पर 62,64,713,06 रु० के डिस्आनर चेक उपभोक्ताओं के खातों में "डेबिट" करने हेतु लम्बित पाये गये।

उपरोक्त ऋणात्मक धनराशि को गलत उपभोक्ताओं के खातों में डेबिट किये जाने का कोई मामला विशेष सम्प्रेक्षा के प्रतिवेदन में इंगित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं बैंक आफ बड़ौदा का जनवरी 1994 से फरवरी 1995 तक का राजस्व प्राप्ति की धनराशि का रीकन्सीलेशन कर लिया गया है तथा व्यय खाते का रीकन्सीलेशन नियमित कर दिया गया है।

सिंडीकेट बैंक का राजस्व प्राप्ति की धनराशि का रीकन्सीलेशन जून 1982 से जनवरी 1994 तक अभी लम्बित है परन्तु व्यय खातें का रीकन्सीलेशन कर दिया गया हैं।

सिंडीकेट बैंक का राजस्व खाते का रीकन्सोलेशन न किये जाने के लिये दोषी अधिकारियों /कर्मचरियों को निर्धारण करने हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

जनपद हरदोई में नगर पालिका परिषद् की भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को गिराने की मांग

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

68—क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी टाइप स्कूल के सामने जनपद हरदोई में श्री राम कृष्ण मिश्र एवं सुभाष चन्द्र मिश्र द्वारा नगर पालिका परिषद् की जमीन अवैध निर्माण कराया गया है ? क्या उक्त निर्माण को गिराने हेतु अधिशासी अधिकारी ने 4 जून, 1995 को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या अवैध निर्माण को अब तक नहीं गिराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त अवैध निर्माण तुरन्त गिराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ ।

जी हाँ ।

अवैध निर्माण गिराए जाने के आदेश के पश्चात् मकान मालिक ने दिनांक 1-7-95 को उप जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र हरदोई के कार्यालय में मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन किया, जिस पर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया है । अतः अवैध निर्माण नहीं गिराया गया ।

अधिशासी अधिकारी द्वारा दी गयी अनापत्ति को निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, जिसके पश्चात् अवैध निर्माण विहित रीति से गिराया जाएगा ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कतिपय सरकारी भवनों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू"—

69—क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विधान भवन, एनेक्सी, मंत्री आवास एवं विधायक निवासों के लिये, दिनांक 31 मार्च, 97 की स्थिति के अनुसार विद्युत तथा सिविल अनुरक्षण कार्यों के लिये अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के कुल कितने पद अलग-अलग शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध उक्त प्रकार के कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी 26-6-97 तक तैनात हैं ? क्या प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की दृष्टि से मंत्री जी स्वीकृत पदों की संख्या के अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अविलम्ब विभाग के अन्य स्थानों पर तैनात करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

भवनवार कोई स्वीकृति नहीं है ।

कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी निम्नवत् है :—(सिविल/विद्युत)

भवन	अवर अभि०	सहायक अभि०	अधिशासी अभि०
विधान सभा	15	9	1
एनेक्सी भवन	2	1	1
मंत्री आवास	7	5	1
विधायक निवास	19	12	1

जी नहीं । उक्त भवनों में कर्मचारी, अधिकारी आवश्यकतानुसार ही तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकतानुसार ही कर्मचारी एवं अधिकारी तैनात हैं ।

39वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ राज्य सम्पत्ति विभाग) में ए०सी० आपरेटर पद में आरक्षण कोटे को भरने की मांग

श्री नन्द राम—

70—क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 39वां वृत्त लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ राज्य सम्पत्ति विभाग) में कितने स्थाई, अस्थाई एवं रेगुलर ए०सी० आपरेटर हैं ? उन्हें नियमित करते समय आरक्षण कोटे का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में कोटा पूरा किया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र—

39वाँ वृत्त में 4 ए०सी० आपरेटर नियमित हैं तथा स्थायी मस्टररोल पर 31 एवं अस्थाई मस्टररोल पर 16 ए०सी० आपरेटर कार्यरत हैं । नियमित करते समय कोई भी कर्मचारी आरक्षण कोटे के अन्तर्गत कार्यरत नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमित पदों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण खण्ड में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के अचल सम्पत्ति के ब्यौरा की जानकारी

श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू"—

71—क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण खण्ड में एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के सचिवालय स्थित विभिन्न कार्यालयों में अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता संवर्ग के कुल कितने अधिकारी (दिनांक 15 जून, 1997 को) नियुक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इस सचिवालय में नियुक्ति के समय अथवा उसके पूर्व इनमें से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने निजी सम्पत्ति, आस्तियों, दायित्वों का विवरण विभाग में प्रस्तुत कर दिया है ? क्या सरकार इन अधिकारियों के आस्तियों, दायित्वों का अद्यावधिक विवरण प्राप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण खण्डों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी की संख्या निम्नवत् है :—

अवर अभियन्ता	...	110
सहायक अभियन्ता	...	049
अधिशासी अभियन्ता	...	006

उ० प्र० राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पाँच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी अचल सम्पत्ति का ब्यौरा नियुक्ति प्राधिकारी को देना होता है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय में विभिन्न कक्षों में लगे विन्डो टाइप एयर कन्डीशनर की संख्या, खरीद, निष्प्रयोज्य घोषित एवं उन पर व्यय धनराशि की जानकारी

72—श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू"—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन (मुख्य भवन) सचिव भवन, अधिकारी भवन आदि में मंत्रियों एवं अधिकारियों के कक्षों में अलग-अलग कुल कितने विन्डो टाइप एयर कन्डीशनर लगाये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 1 अप्रैल, 1992 से 15 जून, 1997 की अवधि में सचिवालय में उक्त प्रकार के विन्डो टाइप कुल कितने एयर कन्डीशनर क्रय किये गये तथा आज की तिथि में उनमें से कुल कितने एयर कन्डीशनर सम्प्रति लगे हुये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में अनुरक्षण खण्ड (लोक निर्माण) द्वारा कुल कितने वातानुकूलन संयंत्रों को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया तथा इस अवधि में इस प्रकार के वातानुकूलन संयंत्रों पर वर्षवार कुल कितना धन अनुरक्षण में व्यय किया गया ?

सुश्री मायावती—

माननीय मंत्रियों तथा अधिकारियों के कक्षों में क्रमशः 134 एवं 95 विन्डो टाईप एयर कन्डीशनर लगे हैं ।

1 अप्रैल, 1992 से 15 जून, 97 की अवधि में सचिवालय हेतु कुल 55 विन्डो टाईप एयर कन्डीशनर क्रय किये गये । सभी 55 एयर कन्डीशनर सम्प्रति लगे हैं ।

कुल 18 विन्डों टाईप एयर कन्डीशनर निष्प्रयोज्य घोषित किये गये ।

इस अवधि में इस प्रकार के वातानुकूलन संयंत्रों पर वर्षवार व्यय :—

वर्ष 1992-93	5,03,193.00
वर्ष 1993-94	8,77,667.00
वर्ष 1994-95	9,48,252.00
वर्ष 1995-96	8,40,551.00
वर्ष 1996-97	6,88,350.00
वर्ष 1997-98 (15-6-97 तक)	2,78,581.00
कुल रु० व्यय	41, 36, 594.00

जनपद मिर्जापुर के चील्हघाट पर पुल की टोल टैक्स की वसूली गयी धनराशि से शहर की सड़कों के निर्माण की मांग

73—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में चील्ह घाट के पास बने पक्के पुल पर टोल टैक्स की वसूली से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? क्या उक्त धनराशि पुल की लागत से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका उपयोग मिर्जापुर शहर की सड़कों के निर्माण में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

रुपये 725.49 लाख ।

जी हाँ ।

जी नहीं ।

नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

सचिवालय कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ के आवास सं०–123 में कराये गये मरम्मत कार्य के विरुद्ध अध्यासी द्वारा दिये गए शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

74—श्री भारत सिंह रावत—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित कालोनी के आवास संख्या–123 में 1994 में कराये गये मरम्मत के कार्यों में अनियमितता के संबंध में अध्यासी द्वारा कोई शिकायती-पत्र माह सितम्बर/अक्टूबर, 1994 में अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड–1, लोक निर्माण विभाग को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और अब तक कोई कार्यवाही न करने के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती––

जी हाँ ।

जी हाँ । नया सिंक लगा दिया गया ।

दिनांक 15-10-94 को प्राप्त शिकायती-पत्र के बाद कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुगल सराय नगर पालिका परिषद, वाराणसी में दि० 2-6-97 को लाये गये एजेन्डे के विरुद्ध जाँच

75—श्री छब्बू पटेल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय नगर पालिका परिषद् जनपद वाराणसी में 2-6-97 को लाये गये एजेंडे को पास किया जाना विधि सम्मत है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन—

प्रकरण की जाँच की जा रही है ।

जांचोपरान्त दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नगर पालिका परिषद, मुगल सराय वाराणसी द्वारा कराये जा रहे कार्यों को कराने वाले ठेकेदारों की अर्हता का परीक्षण

76—श्री छब्बू पटेल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् मुगलसराय-जनपद वाराणसी के द्वारा कराये जा रहे कार्यों को कराने वाले ठेकेदार, निर्धारित अर्हता रखते हैं? यदि नहीं, तो उन्हें कार्य आवंटित करने का औचित्य क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन—

समस्त पंजीकृत ठेकेदारों की निर्धारित अर्हता का परीक्षण कराया जा रहा है।

परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पड़रौना–गोरखपुर को जोड़ने वाले देवडांड पिपराघाट पर पुल निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग

77—श्री राधेश्याम सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद पड़रौना व गोरखपुर को जोड़ने वाले देवडांड पिपराघाट पर पुल निर्माण की घोषणा पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा की गयी थी तथा प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को दिनांक 24 जून, 1997 को पत्र लिखा था? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में 1-7-96 से अब तक की गयी नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण

78—श्री बाबू राम यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में 1-7-96 से अब तक कितने शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति हुई? क्या इन नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का ध्यान रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

दिनांक 1-7-96 से अब तक लखनऊ विश्वविद्यालय में कुल शैक्षिक पदों के अन्तर्गत आचार्य के चार पदों पर, उपाचार्य के दो पदों पर तथा अस्थायी प्रवक्ता के एक पद पर नियुक्तियां की गयी हैं। आचार्य एवं उपाचार्य के कथित पदों पर नियुक्तियां तत्समय आरक्षण अधिनियम से आच्छादित नहीं थी तथा अस्थायी प्रवक्ता का पद अनारक्षित था। दिनांक 1-7-96 के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में शासन द्वारा सृजित एक भी शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। दिनांक 1-7-96 के बाद विश्वविद्यालय द्वारा की गयी तदर्थ, दैनिक वेतन एवं पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है।

79—श्री बाबूराम यादव—

[चौथे बुध में अता० प्र० सं० 126 के अन्तर्गत–स्थानान्तरित]

करहल जिला मैनपुरी में वर्ष 1996 में विद्युत सप्लाई की जानकारी

80—श्री बाबू राम यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि करहल जिला मैनपुरी में जो विद्युत आपूर्ति वर्ष 1996 से डबल ग्रुप सप्लाई में थी, उसे क्या सरकार ने काट कर 6 घंटे कर दिया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

सुश्री मायावती–

करहल जिला मैनपुरी में वर्ष 1996 में निम्नलिखित तिथियों में आपूर्ति डबल ग्रुप सप्लाई में की गयी।

4-1-96 से 29-2-96

30-6-96 से 30-7-96

22-11-96 से 30-11-96 तक

16-12-96 से 31-1-97 तक

शेष अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई है।

उ० प्र० सचिवालय के शिक्षा सचिव शाखा के सेवा निवृत्त अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या एवं समस्त देय अवशेषों का भुगतान

81—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1993 तथा दिसम्बर, 1995 के मध्य उत्तर प्रदेश सचिवालय के शिक्षा सचिव शाखा (उच्च, माध्यमिक) के कितने अराजपत्रित कर्मचारियों को सेवा निवृत्त किया गया है? सेवा निवृत्त के आदेश उन्हें कब प्राप्त कराये गये? क्या उन सभी को सेवा निवृत्त के उपरान्त प्राप्त होने वाले समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नैपाल सिंह–

प्रश्नगत अवधि में कुल 6 अराजपत्रित कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं। चार कर्मचारियों को सेवा निवृत्त के आदेश दिनांक 3-2-1995 को, एक कर्मचारी को दिनांक 6-4-95 को तथा एक कर्मचारी का आदेश दिनांक 3-7-95 को निर्गत किया गया है। एक कर्मचारी को छोड़कर शेष पांचों कर्मचारियों को सेवा निवृत्त के उपरान्त उनके समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है। एक कर्मचारी के देयों के भुगतान का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–2 लो० नि० वि, बस्ती में कार्यरत बेलदार के मरणोपरान्त मृतकाश्रित को सेवायोजित करने की मांग

82—श्री अक्षयवर लाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग जनपद बस्ती में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राम संवारे, बेलदार की मृत्यु सेवा काल में ही जनवरी, 1993 में हो गयी है और अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 379/7 ई, दिनांक 6-3-93 व 2432/7 ई०, दिनांक 13-12-93 के अनुरोध के बावजूद अधीक्षण अभियन्ता, 6वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर द्वारा मृतक के पुत्र राम दास की मृतक आश्रित के रूप में अभी तक सेवायोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ।

नियमानुसार श्री रामदास नियुक्ति के पात्र नहीं है।

एटा जनपद के राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्हौरा (मिरहवी) में प्रबंध तंत्र व प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

83—श्री नेता राम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जनपद के राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्हौरा (मिरहवी) एटा में प्रबन्ध तंत्र व प्रधानाचार्य द्वारा धन के दुरुपयोग, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, अनिमितताओं के गम्भीर आरोपों के विषय में शिकायती पत्र दिनांक 7-8-95 को तत्कालीन जिलाधिकारी, एटा को कार्यवाही हेतु मिला था? क्या जांच के बाद तहसीलदार एटा ने आरोप सत्य पाये? क्या यह सत्य है कि जांच के बाद तहसीलदार, परगनाधिकारी अपर जिलाधिकारी एटा ने प्रबन्धतंत्र को निलम्बित करके प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति की थी? यदि हां, तो आज तक जिलाधिकारी, एटा ने प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नैपाल सिंह–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय प्रबन्धतन्त्र को अतिक्रमित करते हुये प्रबन्ध संचालक की नियुक्त दिनांक 8-1-96 को की गई थी। प्रबन्ध तंत्र ने मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उपर्युक्त आदेश दिनांक 8-1-96 का कार्यान्वयन स्थगित करा दिया।

जनपद फर्रुखाबाद की कन्नौज नगर पालिका परिषद् में गरीबों दलितों हेतु आवासीय योजना की मांग

84—श्री बनवारी लाल दोहरे—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत गरीबों, दलितों के आवास हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

पर्याप्त मांग न होने के कारण।

जनपद फर्रुखाबाद में दस्यु प्रभावित क्षेत्र में काली नदी पर पक्का पुल बनवाने की मांग

85—श्री बनवारी लाल दोहरे—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के कन्नौज-सिंधी रामपुर-संयोगिता मार्ग के मध्य दस्यु प्रभावित क्षेत्र में काली नदी में पक्का पुल बनवाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

आवश्यकता के सापेक्ष वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

शाहजहांपुर नगर में मानक के अनुसार सफाई कर्मियों की व्यवस्था की मांग

86—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगर में मानक के अनुसार सफाई कर्मी नहीं है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मानक के अनुसार सफाई कर्मियों की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां।

जी नहीं। क्योंकि शासन द्वारा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिकोण से नये पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। सभी स्थानीय निकायों को निजी संसाधनों से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

87—श्री अमर मणि–

[6 वें सोम के लिए स्थगित]

जनपद हरदोई के ग्राम कुरसठ भजेहटा में मार्ग निर्माण की मांग

88—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुसरठ-भजेहटा, जनपद हरदोई के मार्ग को निर्माण किये जाने हेतु पत्र संख्या–एम-3/120-76/हरदोई/97, दिनांक 13-3-97 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, ने कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संदर्भित पत्र लोक निर्माण विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

89—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

[दि० 5-8-97 को अता० प्र० सं० 120 द्वारा उत्तरित]

मल्लावां–हरदोई में सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण विषयक कार्यवाही की जानकारी

90—श्री धर्मज्ञ मिश्र

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां–हरदोई में सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के संबंध में पत्र संख्या एम० 3/25-4/हरदोई/96, दिनांक 3-12-1996 पर प्रमुख सचिव, लो० नि० वि० ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र मुख्य अभियन्ता (म० क्षे०) लोक निर्माण विभाग को यथावश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-1-97 को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मल्लावां–हरदोई में गंगा नदी पर पीपे के पुल निर्माण की जानकारी

91—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मल्लावां–हरदोई में गंगा नदी के आकिम घाट पर पीपों का पुल बनवाने के संबंध में पत्र सं०–एम 3/30-5/हरदोई/96 दिनांक 3-12-1996 पर प्रमुख सचिव, लो० नि० वि० ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

मुख्य अभियन्ता (म० क्षे०), लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० लखनऊ से संस्तुति सहित आख्या/आगणन मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र किशनी में मार्गों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि एवं निर्माण कार्यपूर्ण कराने की मांग

92—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र किशनी, जनपद मैनपुरी अन्तर्गत वर्ष 1994 से दि० 21 अप्रैल, 1997 तक राज्य व जिला योजनान्तर्गत किन-किन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है? इन मार्गों के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी? क्या आवंटित धनराशि से सभी मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो इन मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

सूची संलग्न है।

इन कार्यों पर मार्च 1997 तक कुल रु० 225.65 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

जी नहीं।

(देखिये नत्थी ग पृ० 318 पर) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

आई० ए० एस० सेवा नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुरूप उनके आस्तियों एवं दायित्वों की अद्यावधिक विवरण की जानकारी की मांग

93—श्री विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू"

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1997 को प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के सचिवालय में नियुक्त कितने अधिकारियों ने अपने वित्तीय दायित्वों एवं आस्तियों का विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया था? आई०ए०एस० संवर्ग के उक्त श्रेणी के कितने अधिकारियों ने सेवा नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुरूप प्रति दो वर्ष के अन्तराल पर अपने आस्तियों एवं दायित्वों का विवरण नहीं प्रस्तुत किया? क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के सेवा अभिलेखों में आई० ए० एस० सेवा नियमावली की व्यवस्थाओं के उल्लंघन की उक्त स्थिति को अंकित करते हुए उनके आस्तियों दायित्यों का अद्यावधिक विवरण प्राप्त कर सदन के पटल पर रखेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० राज्य वस्त्र नि० लि० द्वारा खरीदे गये जनरेटिंग सेट के लिए उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के निर्धारित दर से मूल्य का भुगतान किया जाना

94—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 45 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 6 डीजल जेनरेटिंग सेट्स किन-किन खण्डों द्वारा कब-कब और कितने में बेचे गये तथा भुगतान कब प्राप्त किया? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों द्वारा इस मद में प्राप्त जेनरेटिंग सेट्स का मूल्य हड़प लिया है? यदि हां, तो इसकी वसूली कैसे की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम को निम्न खण्डों द्वारा जनरेटिंग सेट्स वर्ष 1973 में बेचे गये :–

1—विद्युत अनुरक्षण खण्ड शाहजहांपुर 3 नग मूल्य रुपया 9,60,000.00

2—विद्युत अनुरक्षण खण्ड मेरठ 2 नग मूल्य रुपया 6,42,000.00

3—विद्युत अनुरक्षण खण्ड बहराइच 1 नग मूल्य रु० 3,01,000.00

इनका कोई भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम से नहीं प्राप्त हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर एवं मेरठ मण्डलों में कार्यरत भण्डार पालों की संख्या की जानकारी एवं उनके विरुद्ध लगे गबन के आरोपों की जानकारी

95—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 110 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 22 भण्डार पाल/सहायक भण्डारपालों के विरुद्ध रु० 44,433.84 में कितनी धनराशि की वसूली कब से प्रारम्भ कर दी गयी है? मई 1997 तक कितना वसूल हो चुका है तथा कितना बाकी है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 93 भण्डारपालों/सहायक भण्डारपालों से कार्य न लेने से परिषद् पर कितना व्यय भार वार्षिक बढ़ा है? क्या इसकी कटौती अधिकारियों के वेतन से की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? उन 93 कर्मियों से क्या कार्य लिया जा रहा है? क्या मंत्री जी गबन/मिसलेनियस एडवान्स में फंसे कर्मियों को हटायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

रुपये 31,84,496,60 की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

रुपये 11,44,279.00 की वसूली/समाधान हो चुका है। शेष रुपये 20,40,217.54 की वसूली/समाधान की कार्यवाही प्रचलित है।

इन कर्मचारियों से भण्डार संगठन से संबंधित अन्य कार्य लिये जा रहे हैं।

अतः परिषद् पर किसी प्रकार का वार्षिक व्यय भार पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उन कर्मियों से भण्डार संगठन के अन्य कार्य यथा भण्डार सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, स्टाक रजिस्टर की पोस्टिंग, उनका मिलान, भण्डार की प्राप्ति, विभिन्न कार्यों पर अवमुक्तिका अभिलेख एवं लेखा तथा मासिक विवरण बनाना आदि लिये जा रहे हैं।

जी हां। कर्मियों को हटाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिवालय कर्मियों के लम्बित वाद का प्रकरण

96—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-102 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री न्यायालय में प्रेषित 38 मामलों में सचिवालय कर्मियों द्वारा, जो न्यायालय में निवेदन किया गया था, उसकी प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि तहसीलदार, लखनऊ द्वारा अवमुक्त धनराशि का 10 प्रतिशत की हानि के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके नाम क्या हैं? उनके वेतन से कब तक कटौती कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया नगर परिषद् द्वारा कराये गये कार्य एवं व्यय के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

97—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया नगर परिषद् द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्या है? निर्माण आदि कार्यों में कुल कितना मदवार व्यय किया गया? क्या यह सत्य है कि अधिकतर कार्य फर्जी एवं घटिया स्तर का कराया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच राज्य सतर्कता से करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 24-6-97 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को संबोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री लाल जी टण्डन—

नगर पालिका परिषद्, देवरिया द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कराए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट एवं निर्माण आदि कार्यों में मदवार किए गए व्यय का विवरण संलग्न है†।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष, नगर पालिका की रिपोर्ट के आधार पर कराए गए कार्यों पर निहित धनराशि का भुगतान सक्षम अधिकारियों अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, सहयुक्त नियोजक आदि की संस्तुति के पश्चात् ही किया गया है।

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच जिलाधिकारी, देवरिया से कराई जा रही है।

---

† छापा नहीं गया।

हरिद्वार नगर में विद्युत संयोजन देने हेतु विद्युत आपूर्ति में हो रहे व्यवधानों को दूर करने की मांग

98—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार में कितने होटल अथवा अन्य बड़े भवन ऐसे हैं जिन्हें विद्युत संयोजन देने के लिए प्राक्कलन में ट्रांसफार्मर का प्राविधान किया गया? क्या प्राक्कलन की धनराशि जमा करायी गयी अथवा बिना ट्रांसफार्मर लगाये ही विद्युत संयोजन दिये गये हैं? क्या यह सही है कि पैसा जमा करने के पश्चात् भी ट्रांफार्मर नहीं लगाये गये? सामान्य उपभोक्ता पर इस अतिरिक्त भार पड़ने से होने वाले विद्युत आपूर्ति व्यवधानों तथा लो-वोल्टेज समस्याओं की जिम्मेदारी किस पर है और उसे दूर करने के लिये क्या उपाय किये जाने हैं?

सुश्री मायावती—

हरिद्वार नगर में गत दो वर्ष में 5 होटल तथा 10 बड़े भवन ऐसे हैं जिन्हें विद्युत संयोजन देने के लिये प्राक्कलन में ट्रांसफार्मर का प्राविधान किया गया।

प्राक्कलन की धनराशि जमा करायी गई है। दो होटलों तथा दो भवनों में ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने के कारण बिना ट्रांसफार्मर लगाये ही विद्युत संयोजन दिये गये है।

केवल बड़े होटलों तथा दो भवनों में पैसा जमा करने के पश्चात् भी ट्रान्सफार्मर उपलब्ध न होने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये।

स्थानीय तकनीकी विद्युत दोषों को तथा लो वोल्टेड समस्याओं को आस-पास के ट्रान्सफार्मरों पर विद्युत भार ट्रान्सफार्मर करके तत्परता से दूर किया जाता है। इस प्रकार की शिकायत संज्ञान में आने पर प्राक्कलन के अनुसार स्वीकृत ट्रान्सफार्मर तुरन्त लगाने के निर्देश दे दिये जाते हैं। प्रश्नगत मामलों में भी ट्रान्सफार्मर लगाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों संचालन का दायित्व जिला पंचायतों को सौंपा जाना

99—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के संचालन का दायित्व जिला पंचायतों को सौंप दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के चतुर्दिक उन्नयन हेतु जिला, नगर विकास खण्ड तथा ग्राम स्तर पर गठित शिक्षा समितियों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार पालिका क्षेत्र में बने हुए अथवा बन रहे नलकूपों के रख-रखाव की जानकारी

100—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालिका क्षेत्र हरिद्वार में नये बने हुए अथवा बन रहे नलकूपों को चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति (स्थायी) का प्राविधान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं।

उ० प्र० जल निगम द्वारा निर्मित एक नलकूप वर्ष 1997 में चालू किया गया है तथा एक नलकूप निर्माणाधीन है। नलकूपों का संचालन एवं रख-रखाव हस्तान्तरण से पूर्व, जल निगम द्वारा एवं तदोपरान्त नगरपालिका परिषद् द्वारा किये जाने का प्राविधान है। इसके लिये कोई नयी नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैली सैंण स्थित पट्टी चोपड़ा कोट के ग्राम बघवाड़ी एवं गूरी आदि के विद्युतीकरण की मांग

101—डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैंण में स्थित पट्टी चोपड़ाकोट के ग्राम सभा बगवाड़ी कुणेथ, मरोड़ा धूरी, रणगांव आदि गांव को कब तक विद्युतीकरण किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या 1972 से बिजली के खड़े हुए खम्भे चौथान पट्टी को विशेष योजना के तहत विद्युतीकृत किया जायेगा?

सुश्री मायावती—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थैलीसैंण स्थित पट्टी चोपड़ा कोट के ग्राम बनवाड़ी एवं धूरी को वर्ष 1997-98 की विद्युतीकरण की योजना में सम्मिलित है।

ग्राम कुणेथ, मरोड़ा एवं रणगांव का विद्युतीकरण किसी योजना में शामिल नहीं है। शासन की वर्तमान नीति के अनुसार ग्रामों का विद्युतीकरण जिलाधिकारी द्वारा चयनित करने पर किया जाता है। ग्राम कुणेथ, मरोड़ा एवं रणगांव का विद्युतीकरण भी जिलाधिकारी द्वारा चयनित करने पर एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर सम्भव है। जी हां। जिलाधिकारी द्वारा चयन करने पर एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही कार्य पूर्ण कराया ज़ाना सम्भव है।

विकास खण्ड बिलग्राम जनपद हरदोई में कतिपय सड़कों के निर्माण की मांग

102—श्री धर्मज्ञ मिश्रा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बिलग्राम जनपद हरदोई में 13 (तेरह) विभिन्न सड़कों के निर्माण किये जाने के संबंध में पत्र सं०–एम० 3/19-75/हरदोई/97 दिनांक 4-3-1977 पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

पत्र संख्या–3/119-75 हरदोई/97 दिनांक 4-3-97 को प्राप्त हुआ है, जिस पर मुख्य अभियन्ता (म० क्षे०) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जनपद के मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी के आंकिन घाट पर पीपे के पुल निर्माण की मांग

103—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91 मल्लावां विधान सभा क्षेत्र जनपद हरदोई अन्तर्गत प्रवाहित गंगा नदी के आंकिन घाट पर पीपों का पुल बनाने की सरकार द्वारा कोई

योजना बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थान पर पीपे के पुल निर्माण हेतु कोई योजना बनाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

संसाधन सीमित होने के कारण संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में लागू निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जानकारी

104—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालयों में शिक्षा शुल्क मुक्त करने के संबंध में प्रबन्ध तंत्र ने कोई पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-2-97 को दिया था? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नैपाल सिंह—

ऐसे किसी पत्र की जानकारी शासन को नहीं है, जहां तक शिक्षण शुल्क मुक्त करने का प्रश्न है, प्रदेश के शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

105—श्री राम नक्षत्र—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

प्रदेश में नगर निकायों के कर्मचारी रहित क्षेत्रों में संविदा पर सफाई कार्य कराये जाने की जानकारी

106—श्री दल बहादुर कोरी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों में सफाई कार्य ठेकेदारी/संविदा अथवा निजीकरण व्यवस्था के अनुसार कराये जा रहे हैं? क्या इससे सफाई मजदूरों का आर्थिक एवं शारीरिक शोषण होता है? सफाई मजदूरों के हित में क्या यह व्यवस्था समाप्त की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

नागर निकायों के कर्मचारी रहित क्षेत्रों में समय-समय पर सफाई अभियान चलाने हेतु संविदा पर रखकर सफाई कार्य करा लिया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० विद्युत परिषद् में अवर अभियन्ताओं को सेवाशर्तों के अधीन निःशुल्क आवास उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में मकान किराये में वेतन का 2 प्रतिशत अधिक भुगतान करने की जानकारी

107—श्री बाबूराम तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ एवं कानपुर में तैनात अवर अभियन्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित मकान किराया भत्ता से मूल वेतन का 2 प्रतिशत अधिक भुगतान हो रहा है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? क्या इस प्रणाली को केवल अवर अभियन्ताओं तक सीमित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

अवर अभियन्ता अपनी सेवा शर्तों के अधीन निःशुल्क आवास हेतु अधिकृत हैं। जो परिषदीय सेवक अपनी सेवा शर्तों के अधीन निःशुल्क आवास हेतु अधिकृत होते हैं उन्हें परिषद् द्वारा निःशुल्क आवास उपलब्ध न कराये जा सकने की स्थिति में निःशुल्क आवास के बदले में स्वीकृत मकान किराया भत्ते की धनराशि मकान किराया भत्ता की सामान्य दरों में सम्बन्धित सेवकों के वेतन के 2 प्रतिशत की धनराशि जोड़कर निर्धारित की जाती है।

उक्त प्रणाली उन सभी सेवकों पर भी लागू है जो अपनी सेवा शर्तों के अधीन निःशुल्क आवास हेतु अधिकृत हैं।

विद्युत जनपद पारेषण मण्डल इलाहाबाद द्वारा शिड्यूल दर बढ़ाये जाने की जानकारी

108—श्री बाबू राम तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत जनपद पारेषण मण्डल, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1995 से 1–8–96 तक शेड्यूल दर में कितनी बार और कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई एवं 1–8–96 से संशोधित शेड्यूल दर समकालीन लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल दर से कितना प्रतिशत अधिक था? क्या यह सत्य है कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मनमाने ढंग से सर्वप्रथम 1–4–96 से दर बढ़ायी गयी, तथा 1–8–96 से पुनः भारी वृद्धि की गई। क्या यह भी सत्य है कि गोरखपुर क्षेत्र में जारी शेड्यूल दर से 15 प्रतिशत कम दर पर कार्य हो रहा है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

सुश्री मायावती—

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत जनपद पारेषण मण्डल, इलाहाबाद द्वारा शेड्यूल दर में दो बार वृद्धि की गयी पहली बार 1–4–96 से विभिन्न आइटमों में 1995 की दरों में औसतन 8% एवं दूसरी बार 1–8–96 से विभिन्न आइटमों में 1995 के दरों में औसतन 15% की वृद्धि की गयी। 1–8–96 से संशोधित मण्डल शेड्यूल दरों एवं लोक निर्माण विभाग के दिनांक 1–10–96 से संशोधित दरें ओवरआल लगभग बराबर है।

जी नहीं।

विभिन्न स्थानों के बाजार भावों एवं श्रम आयुक्त द्वारा की गयी श्रमिक दरों के वृद्धि के आधार पर शेड्यूल दरों में वृद्धि की गयी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में सेवारत सहायक स्थानिक अभियन्ता एवं उप अभियन्ताओं को नियमित किये जाने की मांग

109—श्री राजधारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में वर्ष 1991 से कार्यरत (दैनिक वेतन भोगी) सहायक स्थानिक अभियन्ता एवं उप अभियन्ताओं की संख्या कितनी है? इन्हें आज तक नियमित न करने का कारण क्या है? क्या सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें नियमित किया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० में वर्तमान में 159 उप अभियन्ता एवं 48 सहायक स्थानिक अभियन्ता वर्ष 1991 व उसके पूर्व से मस्टर रोल पर कार्यरत हैं, जिन्हें दैनिक वेतन भोगी के रूप में वेतन दिया जा रहा है।

पद उपलब्ध न होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया जा पा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के निजीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विदेशी कम्पनी द्वारा कराये गये शोध पर हुए व्यय की जानकारी की मांग

110—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य विद्युत परिषद् को सुदृढ़ करने हेतु सरकार ने विदेशी कम्पनी से अध्ययन एवं शोध कराया है? यदि हां, तो वह विदेशी कम्पनी कौन सी है? उस अध्ययन शोध पर कितना व्यय हुआ? कम्पनी ने इस कार्य हेतु कितने धन की मांग की? उनके सुझावों पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार विद्युत उत्पादन को निजी क्षेत्र में देने हेतु विद्युत परिषद् की उत्पादन इकाईयों का विक्रय करने जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर परिषद् फिरोजाबाद को वर्ष 1994–95 में सफाई उपकरण की खरीद में अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही एवं स्वीकृत धन

111—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर परिषद् फिरोजाबाद को वर्ष 1994–95 में सफाई उपकरण आदि की खरीद हेतु कितना धन प्रदान किया गया और क्या उस रकम से सफाई उपकरण खरीदे गये? क्या यह सत्य है कि लाखों रुपये के अग्रिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी वह उपकरण नगर परिषद् को प्राप्त नहीं हुए? यदि हां, तो अनियमितता करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन—

वित्तीय वर्ष 1994–95 में सफाई उपकरण आदि की खरीद करने हेतु रु० 77,00,000 (रु० सतहत्तर लाख मात्र) की धनराशि दी गयी।

जी हां।

इस धनराशि से विभिन्न प्रकार के उपकरण क्रय किये गये।

उक्त धनराशि से जो विभिन्न प्रकार के उपकरण क्रय किये गये उनमें से 20 कन्टेनर की आपूर्ति हेतु अग्रिम धनराशि भुगतान की गयी थी, इनमें से 4 (चार) कन्टेनर व्यापार कर विभाग से फार्म नम्बर–32 प्राप्त कर न भेजे जाने के कारण अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसके लिए तत्कालीन अधिशासी अधिकारी एवं स्टोर कीपर को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है। इसी प्रकार सीवर पम्प निर्धारित शर्तों की विशिष्टियों के अनुरूप न होने के कारण वापस कर दिया गया है, जो शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा।

नगर परिषद् फिरोजाबाद द्वारा कतिपय नालों का निर्माण

112—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर परिषद् फिरोजाबाद को कितना धन वर्ष 1994–95 में सरकार ने मुख्य नाले की सफाई और उसके देहाती भाग को पक्का बनाने हेतु प्राप्त हुआ? क्या नाला रेलवे लाइन से आगे खेतों में पक्का बना दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्टन—

नाला सफाई मद में कोई धन नहीं दिया गया। नाला निर्माण मद में वर्ष 1994–95 में 112.00 लाख रु० दिया गया जिससे निम्नलिखित छः नाले निर्मित कराये गये:–

(1) गोशाला चौराहे से नगला भाऊ तक पार्ट "ए" एवं पार्ट "बी" दो भागों में नालों का निर्माण कार्य।

(2) नगला भाऊ से मथुरा नगर चौराहे तक नाला निर्माण कार्य।

(3) मथुरा नगर अस्पताल की बाउन्ड्री से कोटला चौराहे तक नाला निर्माण कार्य।

(4) कोटला चौराहा (वर्मा पेट्रोल पम्प) से नगला बरी तक नाला निर्माण कार्य।

(5) सरकुलर रोड नाले का सुधार दुली चौराहे से ओझानगर तक नाला निर्माण कार्य।

(6) सरकुलर रोड मिर्जा नगला से कैंची वाली पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।

निम्न एक नाला निर्माणाधीन है:–

(1) सन्तनगर से फतेहाबाद पुलिया तक नाला निर्माण कार्य चार पार्टो में स्वीकृत कराया गया था जिसमें कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

कुमायूँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट अल्मोड़ा में भूमि अध्यापित परिवार को सेवायोजित करने की जानकारी

113—श्री बनवारी लाल दोहरे—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कुमायूँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा में वतमान समय में कुल कितने तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं? कितने कर्मचारी भूमि अध्यापित परिवारों से संबंधित हैं? क्या भूमि अध्यापित परिवारों को प्रदत्त सुविधा संबंधी राजाज्ञाओं में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा भूमि अध्यापित परिवार के एक-एक सदस्य को सेवायोजित करने में प्राथमिकता दी? यदि नहीं, तो क्यों?. क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी हां।

कुमायूँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट, जनपद–अल्मोड़ा में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :–

(अ) तृतीय श्रेणी :–

(I) तकनीकी संवर्ग	16
(II) लिपिकीय संवर्ग	15
योग	31

(ब) चतुर्थ श्रेणी :–

(I) तकनीकी संवर्ग	05
(II) गैर तकनीकी संवर्ग	15
योग	20

तकनीकी/गैर तकनीकी पदों पर भूमि अध्यापित परिवारों से सम्बन्धित अपनी-अपनी योग्यतानुसार कुल 22 कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद् अकबरपुर, अम्बेडकर नगर स्थित जौहरडीह, मुरादाबाद में बाल विद्या बिन्दु नामक शिक्षण संस्थान के छात्रों की संख्या, प्राप्त अनुदान एवं विद्यालय भूमि की जानकारी

114—डा० गंगा बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर स्थिति जौहरडीह मुरादाबाद में बाल विद्या बिन्दु नामक कोई शिक्षण संस्था है? यदि हां, तो क्या वह पंजीकृत है और शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं? यदि हां, तो वहां कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितनी फीस प्रति छात्रा ली जा रही है? इस विद्यालय को क्या अब तक कोई अनुदान दिया गया है? विद्यालय के नाम ग्राम जौहरडीह, मुरादाबाद में कितनी जमीन की खतौनी है? क्या श्री भीम सिंह नामक व्यक्ति इस शिक्षण संस्थान के नाम पर जमीन पर कब्जा किये है? क्या मंत्री जी विद्यालय की पूरी जांच करवा कर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां।

प्रश्नगत संस्था मान्यता प्राप्त हैं और उसमें कुल 123 छात्रायें अध्ययनरत हैं। कक्षा-6 की छात्राओं से रु० 11 व कक्षा–7 व कक्षा–8 की छात्राओं से रु० 6, प्रति माह फीस वसूल की जाती है।

जी हां, दो बार अनावर्तक अनुदान दिया गया है।

3 (तीन) बिस्वा।

जी नहीं। तीन बिस्वा जमीन विद्यालय के नाम दाखिल खारिज है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत यान्त्रिक लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

115—श्री पारसनाथ यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत यांत्रिक लोक नि० वि० लखनऊ के संबंध में शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17–4–97 को शासन को भेजा गया था, लम्बित है? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर कब तक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। उल्लेखनीय है कि मा० सदस्य, विधान सभा का अधिशासी अभियन्ता विद्युत यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के संबंध में एक शिकायती पत्र दिनांक 4 दिसम्बर, 1996 प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच करायी जा रही है।

जनपद लखनऊ के ग्राम खुर्रम नगर स्थित कब्रिस्तान की भूमि आवास विकास परिषद् द्वारा बेचे जाने का आरोप

116—श्री पारसनाथ यादव—

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ अन्तर्गत ग्राम खुर्रम नगर स्थित कब्रिस्तान रकबा 3.15 बिस्वा खसरा नं०–170–171 को आवास विक स परिषद् द्वारा लोगों को बेचा जा रहा है? यदि हां, तो उसमें कितना रकबा शेष रह गया है और कितना-कितना किस रेट में बेचा गया है? क्या यह सही है कि करोड़ की सम्पत्ति आवास विकास परिषद् के अधिकारियों द्वारा कम दामों पर बेचा जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार इसकी विस्तृत जांच करायेगी?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित नेहरु नगर पार्क (मवईया) से अवैध कब्जा हटाने की मांग

117—श्री पारसनाथ यादव—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित नेहरु नगर पार्क (मवईया) में अवैध रूप से कुछ अराजक तत्वों द्वारा कब्जा करके भैंसें पाली गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त पार्क से अवैध कब्जा हटाकर उसे विकसित करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा में द्वादश शाखा जल निगम द्वारा लगाये जाने वाले इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों की संख्या की जानकारी

118—श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वादश शाखा जल निगम मथुरा द्वारा वर्ष 1997–98 में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां।

608 नग इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

छाता क्षेत्र मथुरा की पेयजल समस्या के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

119—श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा 25–6–97 के छाता क्षेत्र मथुरा की पेयजल समस्या के संबंध में एक शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री को दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हां।

पत्र सं०–सी० एम०विकों/एम–3/16–3/मथुरा–97, दिनांक 30–6–97 द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी, मथुरा को भेजे गये है।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन निर्माण की जानकारी

120—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ में विगत कई वर्षों से स्वीकृत राजकीय कन्या इण्टर कालेज का भवन अभी तक निर्मित नहीं हुआ है? क्या इसका निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नैपाल सिंह—

जी हाँ।

चालू वित्तीय वर्ष में जिला योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु जनपद बाराबंकी के लिये परिव्यय एवं आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध है। राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

121—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 132 के० वी० ए० का सब स्टेशन स्वीकृत किया गया था, जिसका निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका है? क्या इसका निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

ऐसा कोई उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है तथा न ही निर्माण प्रारम्भ किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है क्योंकि हैदरगढ़ क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 33 के० वी० पर 132 के० वी० बाराबंकी उपकेन्द्र से की जाती है।

जूनियर हाईस्कूल पाली शिक्षा क्षेत्र शुकुल बाजार जनपद सुल्तानपुर में अनुचर के पद पर फर्जी नियुक्ति की जांच एवं कार्यवाही

122—श्री मित्रसेन यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राधेश्याम मिश्रा पुत्र श्री राम कृपाल मिश्रा, नि० ग्रा० बिसानी, शिक्षा क्षेत्र दूबेपुर विकास खण्ड दूबेपुर, तहसील व जिला सुल्तानपुर की नियुक्ति अनुचर पद पर जू० हा० स्कूल, पाली शिक्षा क्षेत्र शुकुल बाजार जनपद सुल्तानपुर में मृतक आश्रित कोटे में की गयी है? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी श्री राधेश्याम के पिता श्री राम कृपाल मिश्रा नि० ग्रा० बिसानी उपरोक्त जीवित हैं और पी० ए० सी० के पेंशन प्राप्त सेवा निवृत्त कर्मचारी है? यदि हां, तो इस प्रकार अवैध नियुक्ति एवं पात्रता के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी कौन-कौन हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां।

तथ्यों की पुष्टि हेतु जांच की जा रही है।

1—मृत्यु प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत अधिकारी न्याय पंचायत क्षेत्र दूबेपुर सुल्तानपुर द्वारा जारी है।

2—सम्बन्ध प्रमाण-पत्र अपर जिला अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा जारी है।

3—हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र मा० शि० प० उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा जारी है।

4—शपथ-पत्र श्रीमती पुष्पा देवी माता श्री राधेश्याम मिश्र द्वारा जारी।

5—नियुक्ति-पत्र तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री राम लोटन द्वारा जारी किया गया है।

जांच में आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अलीगढ़ जनपद में बेसिक प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाईस्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही

123—श्री दलवीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद में बेसिक प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाईस्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुरूप अध्यापक नियुक्त नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

पार्वती आर्य कन्या संस्कृत इण्टर कालेज, बदायूँ में नियुक्त श्रीमती राधा देवी पुत्री श्री यशोधर आचार्य के वेतन भुगतान की मांग

124—श्री अफरोज अली खाँ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पार्वती आर्य कन्या संस्कृत इण्टर कालेज, बदायूँ में अस्थायी रूप से सहा० अध्यापिका स्नातक वेतनक्रम के पद वेतनक्रम 1400–2300 में उक्त कालेज के प्रबन्धक के आदेश पर श्रीमती राधा देवी पुत्री श्री यशोधर आचार्य की नियुक्ति दिनांक 6–7–91 को हुई थी? यदि हां, तो क्या उनका वेतन 1991 से प्रतिमाह दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन की तरफ से उनके बकाये के भुगतान हेतु प्रबन्धतंत्र को बाध्य किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नैपाल सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में मोतीराम अड्डा के पास अधूरे निर्मित विद्युत उप केन्द्र के निर्माण की मांग

125—श्री अमर मणि—

क्या सरकार को जानकारी है कि गोरखपुर मोतीराम अड्डा के पास 400 (चार सौ) के०वी०ए० विद्युत स्टेशन का निर्माण लगभग 70 प्रतिशत सम्पन्न होकर रुका हुआ है? क्या सरकार बतायेगी कि कितने रुपयों की सामग्री निर्माण स्थल पर निष्प्रयोज्य पड़ी है और जंग खा रही है? कितने रुपयों की लागत से उक्त सब स्टेशन बन कर तैयार हो जायेगा? क्या सरकार शेष कार्यों को करा कर विद्युत आपूर्ति उक्त स्टेशन से करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हां, मोतीराम अड्डा स्थित 400 के०वी० गोरखपुर उपकेन्द्र पर मात्र 35% (पैंतीस प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो पाया है।

साइट पर उपलब्ध कोई सामग्री निष्प्रयोज्य नहीं है।

उपकेन्द्र के शेष कार्य पूर्ण करने हेतु लगभग रु० 13.05 करोड़ की आवश्यकता है।

जी हाँ।

परिषद् की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण कार्य पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

126—श्री अमर मणि—

[पांचवें सोम में अता०प्र०सं० 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल परियोजना के पर्यटन आवास गृह को संचालित करने की मांग

127—श्री अमर मणि—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामगढ़ ताल परियोजना जनपद गोरखपुर में पर्यटन आवास गृह का निर्माण पूर्ण हो चुका है? क्या यह सही है कि फर्नीचर के अभाव में उक्त पर्यटन आवास गृह बन्द पड़ा है? यदि हां, तो बन्द रहने से पर्यटन विभाग को कितने धन की हानि हुई है? क्या सरकार पर्यटन आवास गृह को तत्काल शुरू कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाउन्ड्रीवाल एवं एप्रोच रोड के निर्माण एवं स्थल विकास के उपरान्त निर्माण इकाई द्वारा भवन का हस्तान्तरण पर्यटन विभाग को अभी किया जाना है। भवन के हस्तान्तरण के पश्चात् ही आवास गृह का संचालन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा-आगरा के मध्य शेरशाह शूरी मार्ग में होने वाले व्यय एवं पूर्ण कराने के लक्ष्य की जानकारी

128—श्री सरदार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मथुरा आगरा के मध्य शेरशाह शूरी मार्ग चार लेन का हो रहा है? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण में अब तक कितना व्यय हो चुका है? भविष्य में कितना व्यय होना प्रस्तावित है? मार्ग के पूरे होने की कब तक सम्भावना है?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण में माह जुलाई, 1997 तक रु० 35.63 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है।

भविष्य में रु० 90.12 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

माह जून, 1999 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ग्राम खुरुसू, आजमगढ़ में स्वीकृत उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की जानकारी

129—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खुरुसू विकास खण्ड लालगंज, जनपद आजमगढ़ में उच्चतर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण स्वीकृत है? यदि हां, तो इसके लिये स्थल चयन किस आधार पर किया गया है? क्या इसका निर्माण सम्प्रति गाव में पहले से स्थित प्राइमरी स्कूल की जमीन पर किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इसके कारण प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के खेल-कूद का स्थान कम किया जा रहा है? यदि हां, तो इसका निर्माण अन्यत्र क्यों नहीं कराया जा रहा है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

ग्राम सभा खुरुसू में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति है।

संबंधित ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर स्वीकृत किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

130—डा० सरजीत सिंह डंग—

[चौथे बुध में अता०प्र०स० 128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिर्जापुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्वान्चल विकास निधि से स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित जानकारी

131—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिर्जापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वान्चल विकास निधि द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् को 1993-94 एवं 1994-95 निर्गत धनराशि का उपभोग विभिन्न प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस धन का इतने समय तक उपयोग न करने वाले अधिकारियों को शासन दण्डित करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में परिषद् को पूर्वान्चल विकास निधि से क्रमशः रु० 7.22 लाख एवं रु० 5.65 लाख प्राप्त हुआ। इसमें से रु० 6.34 लाख एवं रु० 5.00 लाख की लागत के कार्य पूर्ण करा दिये गये। शेष लागत के कार्य स्थानीय विवादों के कारण स्थगित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शेष कार्य स्थानीय विवादों के कारण लम्बित हैं। जिसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

जनपद हरदोई में पिहानी डिग्री कालेज के भवन निर्माण में अनियमितता के आरोप की जांच की मांग

132—श्री सुरेश चन्द्र तिवारी—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई पिहानी डिग्री कालेज का निर्माण कार्य जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी० एण्ड डी० एस० द्वारा कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि डिजाइन के अनुसार साढ़े तीन मीटर पाइपिंग की जगह ढाई मीटर ही गहरी पाइप डाली गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी हां।

जी नहीं, जाँचोपरान्त पाइप की गहराई 3.50 मीटर डिजाइन के अनुसार सही पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता। कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति एवं आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

133—डा० वकार अहमद शाह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 15000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती की योजना बनाई गयी थी? क्या इस हेतु वर्ष 1994-95 में 5000 तथा वर्ष 95-96 में 5000 शिक्षकों की भर्ती हेतु राजाज्ञायें जारी की गयी थीं? वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पदों पर नियुक्तियाँ की गयी? कितने पद अभी रिक्त पड़े हैं और वे पद कब तक भर लिये जायेंगे? क्या आरक्षित श्रेणी के पद आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पड़े हैं? यदि हां, तो इन को कब तक और कैसे अभ्यर्थियों से भरा जायेगा?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां।

जी हां।

वर्ष 1994-95 में 4667 तथा वर्ष 1995-96 में 3132 पदों पर नियुक्तियाँ की गयीं।

वर्ष 1994-95 में 1599 तथा वर्ष 1995-96 में 2123 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। जी हाँ।

आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता पर शीघ्र रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद् के लाइन लास का प्रतिशत एवं हो रहे घाटे की जानकारी की मांग

134—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् का लाइन लास कितने प्रतिशत है? क्या यह सत्य है कि देश के अन्य राज्यों में विद्युत बोर्ड को लाईन लास के प्रतिशत में 10 प्रतिशत ज्यादा लाईन लास उ०प्र० का है? इससे राज्य विद्युत परिषद् को प्रति वर्ष कितने करोड़ का घाटा हो रहा है?

सुश्री मायावती—

वर्ष 1995-96 में विद्युत परिषद् का लाईन लास 22.79% था।

जी नहीं।

इसकी गणना नहीं की गई है।

मथुरा जनपद में महावन नगला लोका पचावर मार्ग के अधूरे मार्ग के डामरीकरण की मांग

135—श्री सरदार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में महावन नगला लोका पचावर मार्ग राज्य सेक्टर में स्वीकृत है? क्या उस मार्ग का 7.5 किलोमीटर का डामरीकरण हो चुका है? यदि हां, तो स्वीकृत शेष 3.5 कि०मी० मार्ग का डामरीकरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में विद्युत कटौती

136—श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 मार्च, 1997 को शासन द्वारा प्रश्नकर्ता के पत्र पर देवरिया में विद्युत कटौती न करने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो पुनः 1 अप्रैल, 97 में देवरिया में विद्युत कटौती क्यों की जा रही है? क्या सरकार देवरिया को विद्युत कटौती से मुक्त करेगी? यदि हां, तो कब से?

सुश्री मायावती—

प्रश्नगत पत्र पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये थे।

विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण प्रणाली की सुरक्षा हेतु कटौती आवश्यक हुई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिविल लाइन देवरिया में सड़कों के मरम्मत की गुणवत्ता की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

137—श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 27-2-97 को लोक निर्माण विभाग देवरिया द्वारा निर्मित सिविल लाइन देवरिया की सड़कों के हुए मरम्मत कार्य की गुणवत्ता की जांच में जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा मानक के प्रतिकूल कार्य पाया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कलराज मिश्र—

जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत सड़कों का निरीक्षण किया गया था।

जिलाधिकारी की संस्तुति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रधान मंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम योजना अन्तर्गत देवरिया नगर परिषद् द्वारा प्राप्त धन के उपयोग में उदासीनता का आरोप

138—श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रधान मंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम योजना अन्तर्गत चयनित देवरिया नगर परिषद् को विगत वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये एक करोड़ रुपया के प्राविधान के विरुद्ध मात्र 40 लाख रुपया प्राप्त हुए, जिसकी सदुपयोगिता जिला नगरीय विकास अभिकरण देवरिया की उदासीनता के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सुनिश्चित नहीं हो सकी जिससे देवरिया नगर शेष 60 लाख रुपये की धनराशि से वंचित रह गया? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड-देवरिया पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग एवं मुख्य अभियंता (गोरखपुर क्षेत्र) में ग्रामीण एवं अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण की जानकारी

139—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियंता (गोरखपुर क्षेत्र) में जनपद वार ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत अलग-अलग कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया? कुल चयनित ग्राम कौन-कौन से हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया द्वारा भारी भ्रष्टाचार संबंधी करोड़ों रुपये की हानि के मामले में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद ने दिनांक 23-6-97 को मा०

मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०प० को कोई पत्र लिखा है? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर परिषद् गोण्डा द्वारा ठेके की सार्वजनिक निलामी न करके मनमाने ढंग से देने का आरोप

140—श्री विनोद कुमार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 के लिये नगर परिषद् गोण्डा द्वारा टैक्सी स्टैण्ड तहबाजारी, सब्जी मण्डी, सुलभ शौचालय, चरसा आदि की सार्वजनिक नीलामी न करके मनमाने ढंग से लोगों को ठेके दे दिये गये जिसके कारण पालिका परिषद् को वित्तीय हानि हुई है। यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री लालजी टण्डन—

जी नहीं।

वर्ष 1996-97 के लिए सुलभ शौचालय को छोड़कर शेष सभी ठेके बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात् प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करके अधिकतम प्रस्तावित दर पर गत वर्ष की अपेक्षा अधिक धनराशि पर दिए गए। सुलभ शौचालय का ठेका विज्ञापन द्वारा नीलामी की कार्यवाही के आधार पर गत वर्ष की अपेक्षा अधिक धनराशि पर दिया गया। चूंकि ये सभी ठेके गत वर्ष की अपेक्षा अधिक धनराशि पर दिए गए हैं, अतः इससे पालिका परिषद् को कोई वित्तीय हानि नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मृतकाश्रित सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान देने की मांग

141—श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मृतक आश्रित सहायक अध्यापकों को उनकी नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष के अन्दर प्रशिक्षित कराने संबंधी एक शासनादेश संख्या 48/15590-30/82, दिनांक 23-3-90 निर्गत किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के बावजूद भी विगत 10 वर्षों से कार्यरत मृतक आश्रित सहायक अध्यापकों को बी०टी०सी० पत्राचार प्रशिक्षण नहीं कराया गया? क्या सरकार उन सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षित मानते हुए प्रशिक्षित वेतनमान देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या 860/15(13)/97—1499(8)/77 दिनांक 15-5-97 द्वारा ऐसे मृतक आश्रित सहायक अध्यापकों जिनकी दिनांक 30-4-97 को 5 वर्षों की अनवरत सेवा हो गयी हो, उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करने का अधिकार मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्तूरबा राजकीय बालिका इण्टर कालेज, देवरिया में प्रधानाचार्या/प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने की मांग

142—श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि देवरिया में स्थित कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कालेज में विगत दो वर्षों से कोई पूर्णकालिक प्रधानाचार्या नहीं हैं तथा विगत 4 वर्षों से विज्ञान के विभिन्न विषयों की प्रवक्ता नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के समाधान हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर नैपाल सिंह—

जी हाँ। कस्तूरबा राजकीय कन्या इण्टर कालेज, देवरिया में प्रधानाचार्या का पद दिनांक 1-7-95 से तथा प्रवक्ता रसायन विज्ञान का एक पद 10–7–95 से एवं प्रवक्ता जीव विज्ञान का एक पद दिनांक 5-5-89 से रिक्त है।

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सीधी भर्ती के पदों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है तथा पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर नियमित चयन हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तथा प्रोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद प्रधानाचार्या के रिक्त पद पर व्यवस्था कर दी जायेगी।

प्रवक्ताओं के सीधी भर्ती के पदों का भी अधियाचन चयन आयोग को भेजा जा चुका है तथा पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने हेतु चयन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रबन्ध निदेशक जल निगम द्वारा नियम विरुद्ध स्थानान्तरण करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

143—श्री राम नक्षत्र—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996 के अप्रैल/मई में नगर विकास सचिव द्वारा इस आशय का आदेश जल निगम प्रशासन को दिया गया था कि किसी भी प्रोजेक्ट या महाप्रबन्धक को एक स्थान पर 3 साल से अधिक न तो रहने दिया जायेगा और न ही तीन साल के पहले सामान्य स्थिति में स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं कामर्शियल विंग के निदेशक द्वारा इसका पालन न करके बड़े पैमाने पर पी०एम०/जी०एम० का स्थानान्तरण उनके रुचि के मुताबिक किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी छानबीन कराकर जिम्मेदार प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

श्री लाल जी टण्डन—

माह अप्रैल/मई, 1996 में कोई आदेश निर्गत नहीं हुये अपितु उ०प्र० जल निगम के०सी० एण्ड डी०एस० विंग में कार्यरत् अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध मे दिनांक 11-6-1996 को एक शासनादेश निर्गत हुआ था, जिसमें तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सी० एण्ड डी०एस० विंग के अधिकारियों, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष हो चुका हो, का स्थानान्तरण तत्काल करने एवं पुनः सी० एण्ड डी०एस० शाखा में तैनात न करने के निर्देश दिये गये थे।

जी नहीं। केवल दो सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण पुनः सी० एण्ड डी०एस० में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० जल निगम के फ्लोराइड योजनान्तर्गत स्टार्टर की खरीद में घपले के आरोप की जांच एवं कार्यवाही

144—श्री राम नक्षत्र—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के फ्लोराइड योजना के अन्तर्गत एवं स्टार्टर के खरीद में निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं कई उच्च अधिकारी करोड़ों रुपये के घपले मे जांच के अन्तर्गत दोषी पाये गये हैं? क्या सरकार इन सभी को दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन—

जनपद उन्नाव की फ्लोराइड योजना पर माननीय संसद सदस्य श्री विशम्भर प्रसाद निषाद का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में जांच कराई गयी। जांच के आधार पर तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियन्ता दोषी पाये गये। प्रबन्ध निदेशक दोषी नहीं पाये गये।

उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम जमुही में नवनिर्मित स्कूल की निकलवायी गयी खिड़की व दरवाजे शीघ्र लगवाने की मांग

145—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शाहजहांपुर जनपद के भाल्लखेड़ा ब्लाक के ग्राम जमुही में नवनिर्मित स्कूल के खिड़की व दरवाजे प्रधानाचार्य व तत्कालीन बी०एस०ए० शाहजहांपुर ने निकलवा लिये? इस मामले में अब तक कार्यवाही करने के कितने आदेश डी०आर०डी०ए० शाहजहांपुर की बैठक में जिला अधिकारी, शाहजहांपुर ने किये हैं? क्या सरकार स्कूल के खिड़की दरवाजे शीघ्र लगवाने की व्यवस्था करेगी? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर में उ०प्र० निर्माण निगम द्वारा कराये जा रहे प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

146—श्री अमर मणि—

क्या सरकार को जानकारी है कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा प्रेक्षागृह का निर्माण हो रहा था? यदि हां, तो कितने दिनों से उक्त प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य बंद है? अभी तक उसके निर्माण में कितना धन व्यय हो चुका है? कितना धन और लगने की सम्भावना है? क्या शेष धन देकर सरकार उक्त प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूर्ण कराने पर विचार कर रही है?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

प्रश्नगत प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य वर्ष 1991 से बन्द है।

उक्त प्रेक्षागृह के निर्माण पर कुल रु० 98.22 लाख व्यय हो चुका है। वर्ष 1997 में अवशेष कार्य को पूर्ण करने की अनुमानित लागत रु० 513.00 लाख आँकलित है। शेष धन उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

राज्य विद्युत परिषद्, फैजाबाद में 20 वर्षों से अधिक समय से तैनात अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

147—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद्, फैजाबाद में वितरण पारेषण संगठन में कितने अवर अभियन्ता 20 वर्षों से अधिक समय से फैजाबाद जनपद एवं मुख्यालय पर ही कार्यरत हैं? क्या यह परिषद् की स्थानान्तरण नीति के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे कर्मियों को स्थानान्तरित करने के बारे में कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

सुश्री मायावती—

राज्य विद्युत परिषद् फैजाबाद में वितरण संगठन तथा पारेषण संगठन में एक-एक अवर अभियन्ता 20 वर्षों से अधिक समय से फैजाबाद जनपद एवं मुख्यालय पर ही कार्यरत हैं।

जी नहीं।

जी हाँ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में।

उत्तराखण्ड क्षेत्र के राजकीय हाईस्कूलों/इण्टरमीडिएट विद्यालयों में प्रधानाचार्यों/अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

148—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तराखण्ड क्षेत्र के सभी राजकीय हाईस्कूलों एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में प्रधानाचार्यों एवं विज्ञान वर्ग के अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं इन पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी?

डाक्टर नैपाल सिंह—

उत्तराखण्ड क्षेत्र के राजकीय इण्टरमीडिएट विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 332 तथा राजकीय हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के कुल 89 पद तथा विज्ञान वर्ग के प्रवक्ता के 257 पद रिक्त हैं।

राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरे जाने की दिशा में यह उल्लेखनीय है कि सीधी भर्ती के पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है। पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को आयोग के माध्यम से भरे जाने की नियमों में व्यवस्था है। तद्नुसार पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही आयोग से सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे और विभागीय चयन से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था नहीं है। सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इस हेतु विभागीय चयन समिति के माध्यम से चयन प्रक्रिया गतिमान है। जिससे वर्तमान में उपलब्ध 19 मौलिक रिक्तियों को भरा जा सकेगा। कतिपय प्रधानाध्यापकों जो समूह "ख" के पदों पर तदर्थ प्रोन्नति प्राप्त कर कार्यरत हैं, की नियमित प्रोन्नति के बाद राजपत्रित वेतनक्रम में मौलिक रिक्तियों के उपलब्ध होने पर अवशेष प्रधानाध्यापकों के पदों को भरा जा सकेगा।

विज्ञान वर्ग के प्रवक्ता के रिक्त पदों में 141 पद सीधी भर्ती के रिक्त हैं। इन पदों पर चयन हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को भेज दिया गया है। पदोन्नति कोटे में कुल 116 पद रिक्त हैं जिन पर विभागीय चयन की कार्यवाही श्रोत संवर्ग से गतिमान है।

आवास विकास परिषद् उ० प्र० द्वारा सुहाग नगर फिरोजाबाद नामक कालोनी में दुर्बल आय वर्ग के भवनों के बिक्री मूल्य बढ़ाने की शिकायत

149—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि क्या वर्ष 1978–79 में आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश ने सुहाग नगर फिरोजाबाद नामक आवास कालोनी में दुर्बल आय वर्ग को भवन एवं भूखण्ड आवंटन हेतु 7,000 रु० से 8,000 रुपये तक की कीमत पर आवंटन रजिस्ट्रेशन किस्त भुगतान पर हुआ? यदि हां, तो वर्ष 1986 में इस लिखित करार के बाद परिषद् ने बिना कुछ बनाये बिक्री मूल्य 27,000 रु० एवं 42,000 रु० बढ़ाकर घोषित किया और उसी अनुरूप किस्तें बंधी? यदि हां तो ऐसा क्यों? जबकि परिषद् निर्धारित लिखित करार अवधि में भूमि भवन प्रदान नहीं कर पाई? तो क्या परिषद् दुर्बल आय वर्ग आवंटियों को दंड ब्याज माफ करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

वर्ष 1978–79 में आवास विकास परिषद् द्वारा अन्य नगरों के साथ फिरोजाबाद नगर के लिए भी दुर्बल आय वर्ग के भवनों हेतु पंजीकरण खोला गया था। इस पंजीकरण पुस्तिका में दुर्बल आय वर्ग के भवन का अनुमानित मूल्य रु० 8,000 से 10,000 ब्याज को छोड़कर दिया गया था।

भवनों को निश्चित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु परिषद् द्वारा पंजीकृत व्यक्ति के साथ कोई लिखित करार नहीं किया गया था बल्कि पंजीकरण पुस्तिका में स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि उक्त मूल्य निकटतम है और वह घट-बढ़ सकता है। वर्ष 1986 में जो मूल्य निर्धारित किए गये थे वह वास्तविक लागत पर आधारित थे।

परिषद् द्वारा निर्धारित अवधि में भूमि/भवन देने हेतु कोई करार नहीं किया गया था बल्कि सामान्य रूप से 3 वर्ष में भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराने की सम्भावना को पंजीकरण पुस्तिका में इंगित किया गया था। दण्ड ब्याज माफ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् एक स्वायतशासी संस्था है जो अन्य वित्तीय संस्थाओं से ब्याज ऋण लेकर योजनाओं में निर्माण/विकास कार्य करती है। समय से वित्तीय संस्थाओं को ऋण की अदायगी न करने पर परिषद् को भी ब्याज देना होता है।

रामाधीन सिंह रोड, डालीगंज, लखनऊ की सड़क का लेपन कार्य पूर्ण कराया जाना

150—श्री नन्द राम—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि रामाधीन सिंह रोड, डालीगंज, लखनऊ की सड़क के लेपन के कार्य के आदेश शासन द्वारा अप्रैल/मई, 1997 में दिये गये थे? यदि हां, तो क्या

आदेशानुसार लेपन कार्य पूर्ण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने एवं लेपन का कार्य पूर्ण करने का आदेश सरकार देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यद्यपि नगर निगम, लखनऊ द्वारा 280 मीटर लम्बाई में सड़क का लेपन कार्य पूर्ण करा दिया गया है शेष 165 मीटर सड़क का लेपन कार्य धन की कमी होने के कारण अवशेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रामपुर शाहबाद नगर पंचायत के कतिपय मुहल्लों के विद्युतीकरण की मांग

151—स्वामी परमानन्द दण्डी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर की नगर पंचायत शाहबाद के मंगोली, भीतर गांव व नालापार मोहल्लों में अब तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है? क्या सरकार इन मोहल्लों में विद्युतीकरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

मोहल्ला नालापार के कुछ भाग में विद्युतीकरण किया गया है।

नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर विद्युतीकरण सम्भव होगा।

जनपद रामपुर में ग्राम पटवाई में इण्टर कालेज खोलने की मांग

152—स्वामी परमानन्द दण्डी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर की तहसील शाहबाद के ग्राम पटवाई से 20-20 किमी० की दूरी तक कोई इण्टर कालेज न होने के कारण पटवाई क्षेत्र के छात्र-छात्रायें इण्टर मीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पटवाई क्षेत्र के छात्र/छात्राओं के लिए इण्टर मीडिएट की शिक्षा दिलाने हेतु ग्राम पटवाई में इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नैपाल सिंह—

जी नहीं। तहसील शाहबाद के ग्राम पटवाई के 20 किलोमीटर की परिधि में बालकों के 9 इण्टर कालेज तथा बालिकाओं के 6 इण्टर कालेज संचालित हैं।

वर्तमान में राजकीय कालेज की स्थापना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तर–1 को देखते हुए तत्काल आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

जनपद रामपुर शाहबाद नगर पंचायत के कतिपय मोहल्लों में ओवर हेड टैंक बनाकर पेयजल की व्यवस्था की मांग

153—स्वामी परमानन्द दण्डी—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर की नगर पंचायत शाहबाद में सम्मिलित मोहल्ला मंगोली व भीतरगांव में रहने वाले व्यक्तियों को पानी की व्यवस्था ओवर हेड टैंक के माध्यम से अभी तक नहीं करायी गयी? क्या सरकार इन मोहल्लों में पीने के पानी की व्यवस्था ओवर हेड टैंक के माध्यम से करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ।

पेयजल की सुविधा 8 नग इण्डिया मार्क–11 हैण्डपम्प के माध्यम से कराई गई है।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

गाजियाबाद में मास्टर प्लान क्षेत्र में निर्मित होने वाले आवासीय भवनों का मूल्यांकन कामर्शियल रेट पर करने व कतिपय अधिकारियों को आवंटित भूमि के रेट की जानकारी की मांग

154—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद में मास्टर प्लान क्षेत्र में निर्मित होने वाले आवासीय भवनों का मूल्यांकन दिनांक 23–4–88 के बोर्ड बैठक में क्या निर्धारित किया गया? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राजनगर डिस्ट्रिक सेन्टर में निर्मित आवासीय भवनों के मूल्य गणना के समय, भूमि के मूल्य की गणना क्यों नहीं की गयी। क्या यह सत्य है कि अधिकारियों ने रेजिडेन्सियल रेट न लगाकर कामर्शियल रेट लगाया है? यदि हां, तो किसके आदेश से और क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सेक्टर 9, राजनगर, गाजियाबाद में व्यवसायिक भूमि को श्री नसीम जैदी, श्री वी० एस० वेदी, आई० ए० एस० एवं हर भजन सिंह आई० पी० एस० को आवासीय उपयोग हेतु आवंटित किया गया है? यदि हां, तो क्यों और किस दर से?

श्री लाल जी टण्डन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

155—श्री शिवपाल सिंह यादव—

[चौथे गुरू में अता० पत्र सं० 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

करहल से मैनपुरी रोड के चौड़ीकरण की जानकारी

156—श्री शिव पाल सिंह यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि करहल से मैनपुरी रोड (लगभग 30 कि० मी०) का चौड़ीकरण कराने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

करहल–मैनपुरी रोड के 30 कि० मी० में से 17 कि० मी० भाग का पहले ही चौड़ीकरण किया जा चुका है। शेष भाग का चौड़ीकरण कार्य प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्भव नहीं है।

157—श्री शिव पाल सिंह यादव—

[चौथे बुध में अता० प्र० सं० 109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में इण्टर तथा हाई स्कूल के छात्रों के शुल्क से प्रबन्ध तंत्र मिलने वाले 20% अंशदान के भुगतान की मांग

158—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इण्टर तथा हाई स्कूल कक्षा के छात्रों की शिक्षा शुल्क सरकार ने मुक्त कर दिया है? क्या यह सही है कि 20 प्रतिशत शिक्षा शुल्क से प्रबन्ध तंत्र को जो अंश विद्यालय के देखभाल करने के लिए दिया जाता था, उसे भी बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या 20 प्रतिशत अंश जो प्रबन्ध तंत्र को मिलता था उसे भुगतान करने के लिए सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नैपाल सिंह—

प्रदेश के शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, अशासकीय असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण शुल्क लिये जाने की छूट दी गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 में खुले विद्यालयों की संख्या एवं उनके भवन निर्माण की मांग

159—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 में कितने विद्यालय खुले हैं? उनमें से कितने विद्यालय का निर्माण हो चुका है? कितने का निर्माण होने को बाकी है? बाकी विद्यालयों का अब तक निर्माण न होने का क्या कारण है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जनपद बस्ती हेतु वर्ष 1990–91 में 60 प्राथमिक तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं।

53 प्राथमिक तथा 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है।

07 प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जाना शेष है।

अवशेष भवनों का निर्माण कार्य समय से पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में दोषी का दायित्व निर्धारित कराकर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दे दिया गये हैं।

मल्लावां हरदोई में रहुला रोड से गंगापुल पहुंच मार्ग के डामरीकरण एवं कबीरा नदी पर पुल निर्माण की मांग

160—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र हरदोई में रहुला रोड से गंगापुल पहुंच मार्ग पर दोनों तरफ से डामर रोड का निर्माण हो चुका है और कबीरा नदी पर पुल का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है? क्या यह सही है कि पुल का निर्माण न होने से जनता को सड़क का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार पुल का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता के सापेक्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

161—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

[चौथे बुध में अता० प्र० सं० 111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में डिगरी तालाब पर पुल निर्माण की मांग

162—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र, जनपद हरदोई के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा माधोगंज मेंहदी घाट रोड पर ग्राम नई बस्ती के पास डिगरी के तालाब पर पुल निर्माण कराये जाने संबंधी मामले में तत्कालीन मंत्री, लोक निर्माण विभाग के पत्रांक 4973 वी० आई० पी०/90, दिनांक 29–6–90 को अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड हरदोई को पत्रांक 468/सी० टी०/ दिनांक 16–7–88 द्वारा पुल निर्माण के संवंध में भेजा था? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

आवश्यकता के सापेक्ष संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में माधौगंज से नयागांव तक डामर रोड के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

163—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि माधौगंज से नयागांव जनपद हरदोई डामर रोड के निर्माण में कृषकों की जमीन का मुआवजा दिये जाने के संबंध में पत्र संख्या एम०/34–5/हरदोई/96, दिनांक 3–12–1996 पर प्रमुख सचिव, सिंचाई ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जनपद–हरदोई में माधौगंज से नयागांव डामर रोड के निर्माण में भूमि का मुआवजा दिये जाने विषयक प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्रमुख सचिव, सिंचाई को नहीं वरन् प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत प्रकरण में 202 कृषकों की भूमि ली गई थी, जिसमें से 166 कृषकों को भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। शेष 36 कृषकों को उनके आपसी विवाद के कारण कुल रुपये 50, 417.23 के मुआवजे का भुगतान नहीं हो सका है।

कुमारी कटोरी देवी अध्यापिका राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बल्देव, मथुरा के देयकों का भुगतान

164—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कुमारी कटोरी देवी अध्यापिका राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक, बल्देव, जनपद मथुरा का अनशन दिनांक 26 फरवरी, 1996 को शासन द्वारा उनकी समस्त शर्तों को स्वीकार करते हुए तुड़वाया गया था? यदि हां, तो उनको 1968 से अब तक शेष वेतन एवं अन्य देय तथा अन्य लाभ न मिलने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त महिला के देयों का भुगतान अविलम्ब करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नैपाल सिंह—

सुश्री कटोरी देवी का अनशन तत्कालीन महामहिम श्री राज्यपाल के विवेकाधीन कोष से रु० 3.25.000 (तीन लाख पच्चीस हजार) एक मुश्त अनुतोष के रूप में देते हुए तुड़वाया गया तथा इन्हें माननीय आधार पर विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष की पुनः नियुक्ति प्रदान की गई। सुश्री कटोरी देवी को वर्ष 1968 से पुनर्नियुक्ति की तिथि तक अन्य किसी प्रकार का भुगतान नियमानुसार देय नहीं है शेष प्रश्न नहीं उठते।

165—श्री तेज भान सिंह—

[दिनांक 11-8-97 को अता० प्र० सं० 65 द्वारा अन्तरित]

श्रीमती कीर्ति गौतम, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर पर भ्रष्टाचार एवं अभद्रता विषयक शिकायती-पत्र पर जांच

166—श्री संजय सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर श्रीमती कीर्ति गौतम के विरुद्ध जिला समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर, श्रीमती रमा नागर, अध्यक्ष, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर आदि द्वारा प्रेषित भ्रष्टाचार अनियमितताओं एवं अभद्र व्यवहार की जन शिकायतों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 18–12–96 पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नैपाल सिंह—

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त शिकायती-पत्रों की जांच हेतु शिक्षा निदेशक (मा०) को भेज दिया गया है। श्रीमती कीर्ति गौतम जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर को स्थानान्तरित भी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनपारा तापीय परियोजना में निर्माणाधीन राख तालाब के बांध का संरेखण एवं व्यय धनराशि की जानकारी

167—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपारा तापीय परियोजना में निर्माणाधीन राख तालाब की बांध से संरेखण का तल ज्ञात करने हेतु कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस संस्था द्वारा साउन्डिग कराई गई? उस पर कितना व्यय हुआ? क्या यह सत्य है कि उसी संरेखण पर पुनः वर्ष, 1996-97 में कराई गई साउन्डिंग के अनुसार निर्माणाधीन बांध की ऊंचाई विगत में की गई साउन्डिंग के आक्कलित ऊंचाई से कहीं अधिक पाई गई है? यदि हां, तो इससे बांध के आयतन में कुल कितनी वृद्धि हो रही है? उससे कितना व्यय भार बढ़ा है?

सुश्री मायावती–

साउंडिंग कराने का वर्ष		अधिकारियों का नाम	संस्था का नाम	व्यय रूपया
(1)	1990	(1) श्री शफीउल्लाह (2) श्री केशवराम गुप्ता	गे० जोश टी जार्ज अनपरा	40,500.00
(2)	1993	(1) श्री वी० के० वर्मा (2) श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी	मे० प० पी० इरीगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की	1,47,000.00

जी नहीं वर्ष 1996 में कोई साउंडिंग नहीं करायी गयी।

बांध के आयतन में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया कुशी नगर में रेलवे सेतु के निर्माण की मांग

168—श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विगत 13 मार्च, 97 के प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन ने देवरिया नगर में देवरिया कुशी नगर मार्ग पर स्थित रेलवे ढाला पर रेलवे सेतु निर्माण हेतु आने वाले खर्च का आधा हिस्सा वहन करने संबंधी स्वीकृति रेल मंत्रालय को दी थी? यदि हां, तो प्रदेश सरकार इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला एवं बाल विकास विभाग में कतिपय अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

169—श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं में अधीक्षकों/प्रावेशन अधिकारियों के कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? उक्त पदों को सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

श्री हरी किशन–

महिला कल्याण विभाग में रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त होने की तिथि
1	अधीक्षक /अधीक्षिका	11	25.10.94
2	अधीक्षिका	01	17.06.96
3	अधीक्षिका	01	28.06.96
4	अधीक्षिका	01	24.01.96
5	अधीक्षक	01	27.01.97
6	अधीक्षक	01	11.03.97
7	सहायक अधीक्षक	14	16.11.94
8	प्रोवेशन अधिकारी	24	16.11.94
9	प्रोवेशन अधिकारी	01	05.07.97

अधीक्षक /अधीक्षिकाओं के 7 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित हो चुका है। शेष 9 पदों में से 7 पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे व अधीक्षक के दो पद तथा प्रोवेशन अधिकारियों के पद उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली से आच्छादित है, जो सम्प्रति विवादित है। सहायक अधीक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सेवा नियमावली के प्राख्यापन की कार्यवाही विचाराधीन है।

विवादित सेवा नियमावली के विवाद निस्तारण तथा संगत सेवा नियमावली के प्राख्यापन के बाद उक्त रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

उ० प्र० के मुख्य मंत्री सचिव शाखा के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मकान बंधक मुक्त करने की कार्यवाही

170—श्री बाबू राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के मुख्य मंत्री के सचिव शाखा में दिनांक 1-1-93 से 1-1-95 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों का मकान बन्धक मुक्त कर दिया गया है? कितने कर्मचारियों का शेष रह गया है? अवशेष व्यक्ति का मकान बन्धक मुक्त न किये जाने का क्या कारण है? उन्हें कब तक मकान बन्धक मुक्त कर दिया जायेगा?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश सचिवालय के मुख्य मंत्री सचिव शाखा में दिनांक 1-1-93 से 1-1-95 तक कुल 9 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए जिनमें से 3 कर्मचारियों का मकान बंधक मुक्त कर दिया गया है। केवल एक कर्मचारी श्री राम औतार वर्मा का मकान बंधक मुक्त होने से शेष रह गया है, क्योंकि श्री वर्मा का भवन निर्माण अग्रिम के अदेयता प्रमाण-पत्र संबंधी प्रकरण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के

स्तर पर लम्बित है। मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर मामले के त्वरित निस्तारण का अनुरोध किया जा चुका है। जैसे ही महालेखाकार के स्तर से अदेयता प्रमाण-पत्र संबंधी प्रकरण का निस्तारण हो जाता है, श्री वर्मा का मकान बंधक मुक्त करा दिया जायेगा।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरा नगर कालोनी के सेक्टर-6 में मकान सं० सी–495/ए के आवंटी द्वारा कराया गया अवैध निर्माण हटाये जाने की कार्यवाही

171—श्री भारत सिंह रावत–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर कालोनी के सेक्टर 6 के भूतल के फ्लैट संख्या सी–495/ए के आवंटी द्वारा अनियमित तरीके से अतिरिक्त निर्माण करा दिये जाने के प्रथम तल के फ्लैट्स असुरक्षित हो गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त फ्लैट्स में अतिरिक्त निर्माण परिषद् से नक्शा पास करके कराया गया है? यदि हां, तो अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दिये जाने का क्या औचित्य है? यदि नहीं, तो अनियमित तथा अवैध रूप से कराये गये उक्त निर्माण को कब तक ध्वस्त करा दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन–

इन्दिरानगर कालोनी के सेक्टर 6 के भूतल के फ्लैट सं० 495/ए के आवंटी द्वारा अनियमित तरीके से अतिरिक्त निर्माण किया गया है परन्तु दो मंजिले फ्लैट्स में भूतल पर निर्माण कराने से प्रथम तल के फ्लैट्स असुरक्षित नहीं होते है।

उक्त फ्लैट्स में बिना नक्शा पास कराये अनधिकृत निर्माण किया गया है।

अतिरिक्त निर्माण हेतु कोई अनुमति नहीं दी गयी है।

अनियमित तथा अवैध रूप से कराये गए उक्त निर्माण को एक सप्ताह में हटाये जाने की नोटिस दिनांक 4-8-97 को दी गयी है यदि निर्धारित अवधि में उक्त निर्माण नहीं हटाया जाता तो उसे नियमानुसार ध्वस्त कराने की कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती सुशीला शर्मा निवासिनी म० नं० 532/101 पाण्डेटोला, लखनऊ द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

172—श्री भारत सिंह रावत–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुशीला शर्मा निवासिनी मकान नं० 532/101 पाण्डे टोला (सी–15 महानगर विस्तार योजना के पीछे) लखनऊ द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण को विहित प्राधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या–1007/1988, दिनांक 18-7-91 के अन्तर्गत ध्वस्त करने के आदेश पारित किये गये थे ? क्या यह सही है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 20-5-56 द्वारा विहित प्राधिकारी के आदेश को यथावत् बनाये रखा? यदि हां, तो क्या उक्त अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया गया? यदि नहीं तो क्यों? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा–26 "क" के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

प्रश्नगत रिट याचिका, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पक्ष के पैरवी न करने तथा वादी की अनुपस्थिति के कारण अपने आदेश दिनांक 20-5-96 द्वारा खारिज कर दी गई।

मा० उच्च न्यायालय के निर्णय पर विधिक राय प्राप्त की जा रही है। विधिक राय प्राप्त होते ही नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमानुसार भवनों का निराकरण न करने का आरोप

173—श्री भारत सिंह रावत–

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा माह सितम्बर-अक्टूबर, 1996 में इस आशय की सूचना प्रसारित की गयी थी कि लखनऊ जनपद में इन्दिरा नगर योजना, सीतापुर रोड तथा राजाजीपुरम् योजना में पंजीकृत अभ्यर्थी यदि परिषद् की तेलीबाग योजना में भवन लेने के इच्छुक हों तो वे अपना पंजीकरण जीवित रखने के लिये एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित धनराशि और जमा कर दें? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाते समय उक्त कालोनियों (जिनके लिये पंजीकरण कराया गया था) में कई भवन आवंटन हेतु उपलब्ध थे? क्या यह भी सही है कि उक्त अधिसूचना के बाद उक्त तीनों कालोनियों में भवनों का आवंटन किया गया? यदि हां, तो उक्त अनियमिता के लिये कौन-कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत नियमानुसार भवनों का निराकरण किया गया है इसलिए कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य सम्पत्ति विभाग की कतिपय आवासीय कालोनियों से म्युनिसिपिल चार्जेज की वसूली एवं भुगतान

174—श्री विनय कुमार पाण्डेय ''विन्नू''–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी आवासीय कालोनियों के अध्यासियों से उन्हें आवंटित आवासों की लाइसेन्स फीस (किराये के साथ म्यूनिसिपिल चार्जेज के रूप में भी एक निश्चित धनराशि वसूल की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बटलर पैलेस कालोनी, गुलिस्तां कालोनी, महानगर सचिवालय कालोनी, पार्क रोड, लालबाग, ओ० सी० आर० काम्पलेक्स, डायमण्ड डेरी काम्पलेक्स तथा कैसरबाग काम्पलेक्स से वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में कुल कितना धन म्यूनिसिपिल चार्जेज के रूप में राज्य सम्पत्ति विभाग को प्राप्त हुआ है? क्या उक्त धनराशि नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

प्रश्नगत कालोनियों से वर्ष 1994-95, 1995-96, तथा 1996-97 में म्यूनिसिपल चार्जेज के रूप में कुल रुपया 6,57,504.23 पैसे की धनराशि प्राप्त हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

म्यूनिसिपल चार्जेज (जलकर, सीवर कर) का भुगतान लखनऊ जल संस्थान को किया जाता है।

लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पी० एल० ए० खाता चलाये जाने का आरोप

175—श्री विनय कुमार पाण्डेय ''विन्नू''–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन) के अधीन कुल कितने अधीक्षण अभियंता कार्यरत हैं ? उनमें से किन-किन अधीक्षण अभियंताओं द्वारा स्वयं अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पी० एल० ए० खाते चलाये जा रहे हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस प्रकार चलाये जा रहे पी० एल० ए० खातों में 30 जून, 1997 तक अलग-अलग कुल कितना धन जमा कराया गया है और क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

मुख्य अभियन्ता (भवन) के अधीन कुल चार अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत हैं [illegible] किसी अधीक्षण अभियन्ता अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के नाम से पी० एल० [illegible]ता नहीं है। अतः उसमें किसी धनराशि के जमा होने का प्रश्न नहीं उठता।

176—श्री अमर मणि–

[पांचवें बुध में अता० प्र० सं० 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत व्यवस्था में सुधार एवं उपखण्ड अधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध लम्बित जांच की जानकारी

177—श्री अमर मणि–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत वितरण को सरकार की घोषणा के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड ने क्या कदम उठाये हैं? क्या सरकार अवगत है कि उन्नाव जिले में नगर क्षेत्र में नियुक्त एस० डी० ओ० के विरुद्ध अनेक जांचें लम्बित हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रदेश में विद्युत व्यवस्था सुधार करने के लिये कई कदम उठाये हैं जिनमें से आवश्यकता के अनुरूप धन की उपलब्धता पर नये 33 के० वी० लाइन व उपकेन्द्रों का निर्माण अधिभारित वितरण लाइनों एवं ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि, जनपद मुख्यालयों में विद्युत शिकायतों के अनुश्रवण एवं निराकरण हेतु नियंत्रण कक्ष खोले जाने एवं उपभोक्ताओं के बिलों से संबंधित शिकायतों की प्रभावी ढंग से कैम्प लगा कर ठीक करना आदि मुख्य है।

वर्तमान में उप खण्ड अधिकारी (नगर) उन्नाव के पद पर तैनात श्री श्रीष प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय जांच का एक प्रकरण लम्बित है।

प्रश्न प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से श्री श्रीवास्तव सहित कुछेक अधिकारियों के स्पष्टीकरण प्रतीक्षित हैं।

178—श्री शिवपाल सिंह यादव–

[चौथे बुध में अता० प्र० सं० 110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इटावा में बाई पास (राष्ट्रीय मार्ग सं–2) का निर्माण कराने की मांग

179—श्री शिव पाल सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा बाईपास (राष्ट्रीय मार्ग सं० 2) जिसकी लम्बाई 6.3 किमी० है, धनाभाव के कारण नहीं बन पा रहा है? यदि हां, तो क्या इस मार्ग की उप्योगिता को ध्यान में रखते हुये तत्काल धन आवंटित कर इसका निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

कार्य स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् पर कोल इण्डिया एवं एन० टी० पी० सी० के बकाये की जानकारी एवं बकाये के एवज में तापीय बिद्युतघर देने का आरोप

180—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में कोल इण्डिया भारत सरकार तथा एन० टी० पी० सी० का कितने-कितने करोड़ रुपया राज्य विद्युत परिषद् पर बाकी है? क्या यह सत्य है कि राज्य विद्युत परिषद् एन० टी० पी० सी० का बकाया अदा करने के लिए ऊंचाहार तापीय विद्युत घर की तरह एक अन्य तापीय विद्युत घर एन० टी० पी० सी को देने जा रही है? यदि हां, तो वह कौन सा विद्युत घर है?

सुश्री मायावती–

जून, 97 के अन्त तक बकाया राशि निम्नवत् है–

1—कोल इण्डिया से सम्बन्धित रु० 354.48 करोड़, जिसमें रु० 88.79 करोड़ विवादित है।

2—एन० टी० पी० सी० से सम्बन्धित रु० 1168.24 करोड़ जिसमें रु० 329.43 करोड़ विवादित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गृह (बीजा) विभाग का कार्यालय बापू भवन में स्थानान्तरण किये जाने की जानकारी

181—श्री शिव शंकर सिंह (बांदा)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गृह (बीजा) विभाग सचिवालय से बाहर एवं दूर पुराने निजी भवन (बर्लिंगटन होटल) में स्थित है? क्या वहां पर कर्मचारियों के लिये मूल आवश्यक सुविधायें जैसे पानी शौचालय, टेलीफोन व गर्मियों में कूलर आदि की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं? क्या इन तमाम परेशानियों को देखते हुए इस कार्यालय को नवनिर्मित बापू भवन में स्थानान्तरित करने के लिये गृह

(बीजा) विभाग की ओर से सचिवालय प्रशासन को पत्र संख्या 1236/97–छः बी-4, दिनांक 23-4-97, 29-5-97 व अन्य पत्रों द्वारा लिखा गया है? यदि हां, तो इन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

गृह (बीजा) विभाग ने अपने पत्रों व पत्रावली के माध्यम से प्रश्न में उल्लिखित कठिनाईयों से अवगत कराया है। जी हाँ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या इ-6057/32-1-201/97, दिनांक 29-7-1997 द्वारा बापू भवन में दो कक्ष आवंटित कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार विभाग, लखनऊ की भूमि पर मंत्री आवास बनाये जाने की योजना की जानकारी

182—श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला कारागार, लखनऊ में स्थित खुली बेकार भूमि पर मंत्री आवास बनाने की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है? यदि इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, तो क्या वहां पर निर्माण की कोई अन्य योजना है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

कारागार विभाग से भूमि हस्तान्तरण के पश्चात रूप-रेखा तैयार की जायेगी। तदोपरान्त आवासों के निर्माण संबंधी अग्रेत्तर कार्यवाही होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के आलमनगर वार्ड के कतिपय ग्रामों में नजूल की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप

183—श्री दलवीर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम पारा, देवपुर, जलालपुर, डाक्टर खेड़ा, मुन्नू खेड़ा, दलदलहा कोड़ा, पुरइया खेड़ा एवं हैदर कैनाल के किनारे वार्ड आलमनगर व जिला लखनऊ में नजूल की हजारों बीघा भूमि है? यदि हाँ, तो उक्त ग्रामों में नजूल की कुल कितनी भूमि है? उसमें से कितनी भूमि आवंटित है? कितनी भूमि अनाधिकृत कब्जे में है? कितनी भूमि आवंटन हेतु शेष है?

श्री लाल जी टण्डन–

जिला लखनऊ में नजूल भूमि है। किन्तु प्रश्नगत ग्रामों में एवं हैदर कैनाल के किनारे वार्ड आलमनगर में नजूल भूमि नहीं है।

संदर्भित ग्रामों में कोई नजूल भूमि नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

184—श्री भारत सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता तथा अध्यापकों के पद रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

डा० नैपाल सिंह–

जी हाँ।

जनपद	प्रधानाचार्य रा० इ० का०	प्रधानाध्यापक रा० उ० मा० वि०
1—पौड़ी	63	13
2—चमोली	51	25
3—टिहरी	69	18
4—उत्तरकाशी	25	16
5—देहरादून	9	4
योग, गढ़वाल मण्डल	217	76
	प्रवक्ता	स्नातक
बालक	671	543
बालिका	71	34

कार्यवाही गतिमान है।

ग्राम बेहसा, अमौसी एअर पोर्ट, लखनऊ में सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर किये गए अवैध कब्जे को हटाने की मांग

185—श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बेहसा, पोस्ट अमौसी एअर पोर्ट, जनपद लखनऊ में अपने मूल भवन की जमीन से हटकर सार्वजनिक रास्ते में अवैध रूप से बनाये गये चबूतरे को हटाने से संबंधित सर्वश्री सरदार व सियाराम आदि प्रार्थीगण ग्राम बेहसा, पोस्ट अमौसी, एअर पोर्ट, जनपद लखनऊ का शिकायती-पत्र दिनांक 15-3-1997 उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हाँ।

सर्वश्री सरदार व सियाराम आदि प्रार्थीगण ग्राम-बेहसा, पोस्ट अमौसी, एयरपोर्ट, जनपद लखनऊ का शिकायती-पत्र दिनांक 15-3-97 जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय से नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 8-8-1997 को प्राप्त किया गया। सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर जांचोपरान्त पाये गये अवैध कब्जों को नगर निगम अधिनियम की धारा 296 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही नगर निगम, लखनऊ द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को पर्वतीय विकास भत्ता देने की मांग

186—श्री नारायण राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों/कर्मचारियों को समान रूप से पर्वतीय विकास भत्ता दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोषागार से पेंशन सुविधा देने की मांग

187—श्री नारायण राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की तरह कोषागार से पेंशन सुविधा प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो यह सुविधा कब से दी जा रही है? जनपदवार कितने शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को यह सुविधा दी जा चुकी है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जुबली गर्ल्स इण्टर कालेज, चारबाग, लखनऊ की अध्यापिकाओं की उदासीनता के कारण शैक्षिक स्तर गिरने की शिकायत

188—श्री विनय कुमार पाण्डेय ''विन्नू''–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जुबली गर्ल्स इण्टर कालेज, चारबाग, लखनऊ की अध्यापिकाओं द्वारा सुचारु रूप से कक्षायें न लेने के कारण छात्रों का परीक्षा फल प्रतिवर्ष निरन्तर गिरता जा रहा है? यदि हां, तो उक्त कालेज में गिरते शैक्षिक स्तर को सुधारने तथा अध्यापिकाओं को नियमित कक्षायें लेने हेतु सरकार उक्त कालेज के प्रधानाचार्य को निर्देशित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

अध्यापिकाओं व शैक्षिक संसाधनों की कमी के कारण परीक्षाफल में गिरावट आ रही है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के खेसरहा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मेहनुआ, व चिउटहा का विद्युतीकरण की मांग

189—श्री विनोद मणि–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थ नगर जनपद के विधान सभा क्षेत्र खेसरहा के ग्राम मेहनुआ, ग्राम सभा चिउटहा के विद्युतीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण जिलाधिकारी द्वारा चयनित किये जाने एवं पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर ही सम्भव है। अतः कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ में नियुक्त अनर्ह व्यक्तियों द्वारा अनियमिता करने की शिकायत के विरुद्ध सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा जांच की मांग

190—श्री राजधारी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार शासकीय सहायता प्राप्त क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ के ऊपर वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त कालेज में नियुक्त प्रधानाचार्य निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं? क्या यह भी सही है कि उन्होंने अनेक अनर्ह व्यक्तियों को शिक्षण और शिक्षणेत्तर कार्य में लगाया है? क्या इससे छात्रों के शिक्षा स्तर पर कुप्रभाव पड़ रहा है तथा विद्यालय में घोर अक्षमता, भ्रष्टाचार और धन के गबन की स्थिति भी आ गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हाँ। उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार वित्तीय नियंत्रण रखती है किन्तु अल्पसंख्यक महाविद्यालय होने के कारण कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखती। उ० प्र० विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–40 के तहत जांच तथा धारा 60 ई (1) के तहत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व।

जी नहीं, प्रधानाचार्य कुलपति के अनुमोदन पत्रांक ए० प०/9589, दिनांक 15-5-92 के पश्चात् कार्यरत् है।

प्राचार्य के पत्र दिनांक 6-8-97 के द्वारा प्राप्त सूचनानुसार महाविद्यालय में कोई अनर्ह शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ महानगर में स्थित भगवतपुरा एवं मलियाना के स्कूलों के भवनों के पुनर्निर्माण की मांग

191--डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर में स्थित भगवतपुरा तथा मलियाना के स्कूलों के ध्वस्त भवनों के पुनर्निमाण एवं मरम्मत का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल--

जी नहीं।

किराये के भवन होने के कारण उनके पुनर्निमाण एवं मरम्मत हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

192—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

193—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु कोई नियमावली बनायी गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या यह सही है कि उसका पालन नहीं किया जा रहा है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आजमगढ़ जौनपुर एवं इलाहाबाद देवरिया जनपद के विभिन्न वितरण खण्डों में एच० बी० सी० एच० डी० सी० बिल क्लर्क कैशियर, अनुबन्ध लिपिक मानचित्रक, संगणक आशुलिपिक आदि विगत 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही जनपद में एक ही सीट स्थान खण्ड में तैनात हैं? यदि हां, तो क्या जनहित में इनका स्थानान्तरण अन्यत्र जनपदों में किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती--

जी हाँ।

नियमावली में स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

जी नहीं।

जी हाँ।

इस पर अगले स्थानान्तरण सत्र में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण/जी० पी० एफ० आदि देयों के भुगतान प्रक्रिया की जानकारी

194—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारियों के अवकाश नगदीकरण/जी० पी एफ० आदि देयों से संबंधित निधि आवंटन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-3-97 एवं 12-3-97, जो कि मुख्य सचिव एवं प्रमुख (ऊर्जा), उ० प्र० शासन को संबोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

सुश्री मायावती–

विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण/जी० पी० एफ० अग्रिम आदि के देयों का भुगतान धन की उपलब्धता के अनुसार आय-व्ययक सीमा के अन्तर्गत सामान्यतः उसी माह या अगले माहों में कर दिया जाता है।

जी हाँ।

प्रश्नगत धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या तथा एवार्ड के रुप में दी जाने वाली राशि को निरस्त करने के कारणों की जानकारी

195—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री विद्या सागर गुप्त तथा श्री बाबूराम–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के तृतीय शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 43 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 150 करोड़ रुपये वित्तीय व्यय का मदवार विवरण क्या है? क्या यह सत्य है कि परिषदीय सचिवालय के अधिकारियों ने आकंड़ों में हेराफेरी की है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ के अधीन कथित घोटाले के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

196—श्री बाबूराम–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू), लखनऊ के अधीन ही एक करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व घोटाला किये जाने के संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 16-12-96 जो प्रमुख सचिव, ऊर्जा को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? क्या मंत्री जी उक्त पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, नैनीताल एवं पौड़ी द्वारा कराये गये विज्ञापन से प्राप्त आय तथा की गयी नियुक्तियों की जानकारी

197—श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1993 में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, पौड़ी तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक नैनीताल द्वारा सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के कितने पद (प्रत्येक मण्डल में) किस-किस विषय के विज्ञापित किये गये थे ? प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये कितने-कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा उनसे शुल्क के रूप में कितनी धनराशि सरकार को प्राप्त हुई? प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के अभिमुख (अगेन्स्ट) कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति की गई?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक, पौड़ी द्वारा 498 अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद तथा मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक, नैनीताल द्वारा 591 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन किया गया था।

पौड़ी गढ़वाल मण्डल में सभी श्रेणियों के 14516 आवेदन-पत्र तथा नैनीताल मण्डल में लगभग 16,000 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। पौड़ी मण्डल में शुल्क के रूप में रु० 1,37,0834 तथा नैनीताल मण्डल में रु० 2,18,4144 की धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी।

प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के अभिमुख कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में नगरपालिका गेट से पीपल चौराहा होते हुए कन्नौज मार्ग तक सड़क के पुनर्निर्माण कराने की जानकारी

198—श्री गंगा सिंह चौहान—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम में नगरपालिका गेट से पीपल चौराहा होते हुये कन्नौज मार्ग तक की सड़क की काफी समय से मरम्मत नहीं हुई है ? क्या सरकार उक्त मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी नहीं। प्रश्नगत सड़क पर 300 मीटर की लम्बाई में मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्नगत मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक निर्देश जिला मजिस्ट्रेट हरदोई/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम (हरदोई) को दे दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम/परिषद् द्वारा निर्बल आय वाले नागरिकों को आवास दिये जाने तथा शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करने की मांग

199—श्री जय प्रकाश,

श्री राम नरेश रावत तथा

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम/परिषद् द्वारा निर्बल आय वाले नागरिकों के लिए कोई आवासीय योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उस पर निर्बल आय धारकों द्वारा कितना धन व्यय करने पर आवास उपलब्ध करा दिया जायेगा ? क्या स्वच्छता की दृष्टिकोण से शुष्क पड़े शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन उस पर प्रति शौचालय कितना व्यय करेगा ?

श्री लाल जी टण्डन—

नगर विकास विभाग की कोई योजना नहीं है आवास विभाग द्वारा प्रदेश के नगर निगम वाले 11 शहरों में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा दुर्बल वर्ग के अनिश्चित आय वाले परिवारों के लिये उनकी क्षमता पर आधारित प्रतिदिन रु० 5,10 अथवा 15 भुगतान पर आश्रय उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है ।

केन्द्र सरकार के अनुदान एवं हुडको से प्राप्त ऋण से प्रदेश में शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने की स्वच्छकार विमुक्ति योजना संचालित की जा रही है । यह योजना प्रथम चरण में 59 नगरों में क्रियान्वित की जा रही है तथा द्वितीय चरण में 10 नगर और आच्छादित किये गये हैं ।

भारत सरकार द्वारा 5 व्यक्तियों के प्रयोग शौचालय के लिये रु० 3000/-, 10 व्यक्तियों के शौचालय के लिये रु० 4,500/- तथा 15 व्यक्तियों के शौचालय के लिये रु० 5, 250/- प्रति शौचालय की धनराशि निर्धारित की गई है । इस निर्धारित धनराशि के अन्तर्गत ही शौचालय का निर्माण किया जाता है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत स्थापित रोलिंग मिल एवं आर्क फर्नेश की संख्या एवं औद्योगिक संस्थानों पर रेड मानीटरिंग यूनिट द्वारा डाले गये छापे में निलम्बित अधिकारियों की बहाली की जानकारी

200—श्री बाबू राम—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कितने रोलिंग मिल एवं आर्क फर्नेश हैं ? कितने औद्योगिक संस्थानों पर रेड मानीटरिंग यूनिट द्वारा जनवरी, 1994 से अगस्त, 1996 तक छापे मारे गये ? छापे के बाद कितना अतिरिक्त लोड स्वीकृत किया गया ? कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया ? उनके नाम, पदनाम व तैनाती स्थान एवं पुनः बहाल की तिथि क्या है ?

सुश्री मायावती—

प्रदेश में कुल 275 रोलिंग मिल एवं आर्क/इण्डक्शन फर्नेश हैं ।

रोलिंग मिल/आर्क एवं इण्डक्शन फर्नेश के उपभोक्ताओं के संस्थानों पर प्रश्नगत अवधि में 27 छापे मुख्यालय की रेड मानीटरिंग यूनिट द्वारा डाले गये । सूची संलग्न है ।

उपरोक्त छापे डालने के उपरान्त कुल 10200 के०वी०ए० का अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया ।

उपरोक्त अवधि में डाले गये छापों के विरुद्ध निलम्बित किये गये अधिकारियों की संख्या 13 है, जिनका वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 320 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मेसर्स नोएडा पावर कम्पनी से अनुबंध के अनुसार विद्युत आपूर्ति एवं भुगतान की जानकारी

201—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया,

श्री लल्लू सिंह,

श्री जय प्रकाश निषाद,

श्री सूर्य प्रताप शाही तथा

श्री बाबू राम—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मेसर्स नोएडा पावर कम्पनी लि० से विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी कोई अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या थी ? परिषद् द्वारा नोएडा कम्पनी को किस दर पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? दिसम्बर, 1993 से अब तक कुल कितना भुगतान नोएडा को करना है ? नोएडा कम्पनी ने कुल कितना भुगतान किस आधार पर किया है ? समझौता के मुताबिक कार्य न करने के कारण क्या शासन समझौता रद्द करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां ।

दिनांक 15-11-93 को मेसर्स नोएडा पावर कम्पनी लि० (एन०पी०सी०एल०) और परिषद् के बीच हुये अनुबन्ध की प्रमुख शर्तें निम्न हैं :—

(1) परिषद् मेसर्स एन०पी०सी०एल० को 132/33 के०वी० सूरजपुर सब-स्टेशन से 33 के०वी० विभव पर 30 एम०वी०ए० विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराएगा । सूरजपुर सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ने के पश्चात् तथा 220 के०वी० नोएडा सब-स्टेशन बनने पर परिषद् कम्पनी का अपना विद्युत गृह बनने तक अधिकतम 45 एम०वी०ए० तक ऊर्जा की आपूर्ति करेगा ।

(2) 33 के०वी० पर परिषद् द्वारा मेसर्स एन०पी०सी०एल० को विद्युत आपूर्ति के दर 166पै/इ होंगे । इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा लेट पेमेन्ट, सरचार्ज, लो पावर फैक्टर, सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, विद्युत कर, एवं लेवी इत्यादि भी देय होगी ।

(3) परिषद् जब भी अपने अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत दर पुनरीक्षित करेगा तब मै० एन०पी०सी०एल० को विद्युत आपूर्ति के दरों का भी उसी प्रकार पुनरीक्षण किया जायेगा ।

(4) मै०एन०पी०सी०एल० यदि अनुबन्ध अवधि की अधिकतम सीमा ($4\frac{1}{2}$ वर्ष) में अपना विद्युत उत्पादन आरम्भ नहीं करता है तो उस अवस्था में यदि परिषद् कम्पनी को विद्युत आपूर्ति जारी रखना चाहता है तो उस समय के लागू दर से दो गुने दर पर ही कम्पनी की विद्युत आपूर्ति की जायेगी ।

परिषद् द्वारा मैसर्स एन०पी०सी०एल० को दिनांक 15-12-93 से 166पै/इ की दर से एवं 16-7-1994, से 210 पै/इ की दर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

विभिन्न मदों में दिसम्बर, 1993 से जून, 1997 तक कम्पनी द्वारा लगभग रु० 119,77 करोड़ का भुगतान देय है ।

उक्त के विरुद्ध कम्पनी ने लगभग रु० 89.35 करोड़ का भुगतान किया है ।

इसमें परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

"वेसु" कार्यरत वैकल्पिक कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

202—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि "वेसु" में सैकड़ों बिजलीकर्मी विगत अनेक वर्षों से वैकल्पिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वैकल्पिक कर्मचारियों को विनियमित कर उनके साथ न्याय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां ।

इस विषय पर नियमानुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

203—श्री मस्तराम—

[6वें बुध में अता०प्र०सं० 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप आवास आयुक्त/उप निबंधक द्वारा अनियमितता के आरोप में निरस्त मे० गुलिस्ता सहकारी आवास समिति लि०, लखनऊ द्वारा भूमि क्रय-विक्रय की शिकायत

204—श्री महेन्द्र कुमार—

क्या सरकार को जानकारी है कि मे० गुलिस्ता सहकारी आवास समिति लि० लखनऊ निबन्धन सं० 1373 दिनांक 25-6-90 अनेक अनियमितताओं के कारण उप आवास आयुक्त/उपनिबन्धक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ द्वारा उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1956 की धारा 76 के अधीन पत्र सं० 560/सह० विघटन दिनांक 15-2-94 के माध्यम से रद्द कर दी गयी है फिर भी उक्त समिति भूमि की खरीद फरोख्त कर रही है और भूखण्डों की रजिस्ट्री सब रजिस्टार लखनऊ के कार्यालय में करा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन—

जी हाँ ।

जी हाँ ।

उप आवास आयुक्त/उप निबन्धक के पत्र-संख्या 560, दिनांक 15-2-94 द्वारा निबन्धन निरस्त कर दिया गया था, किन्तु अपीलीय प्राधिकारी के आदेश दिनांक 22–8–96 के द्वारा उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया है। जिससे समिति पूर्व स्थिति में आ गयी है और भूमि का क्रय-विक्रय कर रही है ।

उत्तराखण्ड में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं छात्रों की संख्या एवं प्रति छात्र होने वाले वार्षिक व्यय की जानकारी की मांग

205—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा विद्यालयों में कितने अध्यापक नियुक्त हैं ? उन पर प्रतिवर्ष कुल वेतन व्यय कितना है ? विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है और प्रति छात्र प्रतिवर्ष कितना खर्च हो रहा है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्रीय मार्ग नं० 2 से रैपुरा मार्ग पर कार्यरत मजदूर मृतक केवल सिंह की विधवा को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

206—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-5-97 को दिन में सुबह 8 बजे से मजदूर राष्ट्रीय मार्ग नं० 2 से रैपुरा को बनाये जा रहे मार्ग पर मिट्टी खंड़जा का कार्य कर रहे मजदूर केवल सिंह की बिजली के तार टूटने से विद्युत स्पर्शाघात से घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार गरीब मृत मजदूर की बिधवा को सहायता के रूप में एक लाख रुपये देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ ।

जी नहीं।

विद्युत परिषदीय नियमों के अनुसार विद्युत परिषद् के संयंत्रों से बाहरी व्यक्तियों की विद्युत दुर्घटना होने की स्थिति में अनुमन्य अधिकतम अनुग्रह धनराशि की सीमा रु० 20,000 है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में बिना अनुमोदन के पद सृजन के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

207—श्री बाबू राम तथा

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल एवं श्री वासुदेव सिंह विधायक का पत्र दिनांक 14-4-94 जो कि सचिव (वित्त) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित था, जो उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में बिना परिषद् स्तर के अनुमोदन के पदों का सृजन किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ ।

संदर्भित पत्र दिनांक 14-4-97 में वर्णित मुख्य बिन्दु एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :—

बिन्दु	कृत कार्यवाही
(अ) बिना परिषद् स्तर के अनुमोदन से प्रबन्ध समिति और अध्यक्ष के अनुमोदन से पदों का सृजन किया जाना ।	(अ) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से सृजित पदों का रेटीफिकेशन हेतु प्रस्ताव परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत किया जा चुका है ।
(ब) परिषद् सचिवालय कर्मी द्वारा बिना परिषद् के अनुमोदन के अनेकों भत्तों जैसे सचिवालय भत्ता एवं वाहन भत्तों का लिया जाना ।	(ब) परिषद् सचिवालय में अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता/वाहन भत्ता क्रमशः 31-3-87 एवं 26-12-88को परिषद् की हुई बैठकों में विधवत् अनुमोदित है ।
(स) अतः पदों के सृजन एवं भत्तों के मामलों में राज्य सतर्कता विभाग से जाँच कराते हुए अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का किया जाना ।	(स) पदों का सृजन परिषद् के व्यापक हित में तत्सम्यक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है तथा सचिवालय भत्ता एवं वाहन भत्तों का भुगतान परिषद् के अनुमोदनोंपरान्त किया जा रहा है । अतः सर्तकता विभाग द्वारा इन बिन्दुओं पर जाँच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के वृन्दावन में यमुना नदी पर सेतु निर्माण शीघ्र कराने की मांग

208—श्री सरदार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री जी को जानकारी है कि मार्च, 1996 में वृन्दावन जनपद मथुरा यमुना नदी पर पुल निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो पुल निर्माण की प्रगति क्या है ? क्या शासन पुल का निर्माण शीघ्र करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ ।

सेतु निगम ने सेतु निर्माण का कार्य आस्थगित रखने का प्रस्ताव किया है जो परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोण्डा में प्राइमरी विद्यालय कैथौला में स्वीकृत धन आहरित कर लेने के बावजूद भी भवन निर्माण न कराने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

209—श्री बावन सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा जिले के ब्लाक हलधरमऊ के प्राइमरी विद्यालय कैथौला के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1995-96 में धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त धन आहरित कर लिया गया परन्तु अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सदन में दिये गये आश्वासनों को शासन द्वारा पूर्ति न होने पर उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और आपका संरक्षण चाहता हूँ। एक तो जिलाधिकारी फिरोजाबाद श्री चक साहब वाला मामला था उसमें सरकार ने कहा था कि सूचित करेंगे। उसमें सरकार से वक्तव्य दिला दें। दूसरा बबराला और गीडा पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि सदन उठने से पहले उसे सदन में प्रस्तुत करेंगे। तो मैं, इसमें आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आज ही सूचित कर देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में एक प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश में नकली नोटों का प्रचलन बढ़ रहा है और यह आई०एस०आई० से जुड़ा हुआ प्रश्न था और इसमें पूरी सूचना 12 तारीख तक रखने का कहा था आज 12 तारीख हो गयी है; कृपया पीठ से निर्देशित करें कि जो जाली नोटों का प्रचलन उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है उसकी पूरी सूचना आज इस सदन में रख दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर इस सम्बन्ध में आ गया है और उस पर विचार करने के बाद मैं अपनी व्यवस्था सदन में दे दूंगा। अब मैं अगली मद ले रहा हूँ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 अगस्त, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 91 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिनमें से एक सूचना को अग्राह्य कर 89 सदस्यों की सूचनाओं को स्वीकार किया गया । श्री ओम प्रकाश जी की सूचना व्यक्तिगत है इसलिए अस्वीकृत की गयी है।

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं।)

लखनऊ नगर की सीवर एवं ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

[महोदय आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए लखनऊ नगर की सीवर व्यवस्था में तत्काल सुधार हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

लखनऊ नगर में केवल 1/3 भागों में सीवर व्यवस्था है। नगर की बढ़ती हुई आवासीय कालोनियों में सीवर व्यवस्था न होने के कारण जलभराव एवं गंदगी का साम्राज्य बना रहता है। पड़ी हुई सीवर लाइनों के निस्तारण हेतु कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश सीवर लाइनें स्थानीय नालों से मिली हुई हैं। नाले पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जिनकी सफाई कराना नितांत आवश्यक है।

नगर के सीवर डिस्पोजल हेतु पूर्व में गोमती नगर में सलेज फार्म का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया एवं नगर का समस्त जल-मल नालों के माध्यम से सीधे नदी में गिरने लगा। आज स्थिति यह है कि गोमती नदी का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है।

अतः इस संबंध में शासन सीवर लाइनों के पुनरोद्धार एवं ड्रेनेज व्यवस्था के सुधार हेतु अलग से धन मुहैय्या कराये जाने तथा ड्रेनेज व सीवर एक ही विभाग के पास हो ताकि उनका सुचारु संचालन हो सके। शासन द्वारा नगर की सीवर व्यवस्था के सुधार एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के निर्माण हेतु गम्भीर विचार किया जाना आवश्यक है ताकि गोमती नदी में व्याप्त प्रदूषण को समाप्त किया जा सके एवं नगरवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके।]

जनपद मथुरा में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री ददद्दू प्रसाद–

[महोदय आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार के संज्ञान में निर्वाचन क्षेत्र 366 गोकुल जनपद मथुरा की अतिवृष्टि के कारण अस्त-व्यस्त हुई सड़कों की समस्या को लाकर तुरन्त मरम्मत की मांग करता हूँ। इस धार्मिक क्षेत्र में मार्ग गोकुल, ब्रह्माण्ड घाट, बल्देव मार्ग, बल्देव से पटनौली बरौली नगला संजा मार्ग, मांट ब्रांच से नगला सैरिया ऐरा खेड़ा हुलू मार्ग झरौठा से दघेटा मार्ग, सिहोरा कारब पचावत जुगसाना मार्ग, पचावर सौख खेड़ा मगौड़ा गुड़ेरा मार्ग, राया नीमगांव मार्ग, अवेरनी जुगसना ब्योही होते हुए रोजगला मार्ग, राया सादाबाद मार्ग से बल्टीकरी आदि मार्ग अतिवृष्टि के कारण ध्वस्त हो गए हैं। मनुष्य एवं वाहनों का चालन पूर्णरूप से व आंशिक रूप से बन्द हो गया है। देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थ यात्रियों को भारी कष्ट हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से अविलम्ब मरम्मत की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के कुर्माचल नगर में पार्क हेतु आरक्षित भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोमती यादव–

[महोदय मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाकर त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूँ:–

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1—यह कि कुर्मांचल नगर, लखनऊ में ग्राम सभा बस्तौली की खसरा नं०-95 की रिक्त भूमि, जो डा० अजय मल्लन एवं श्री इन्द्रराज सिंह चौहान के मकान के मध्य स्थिति है, वर्ष 1979 से पार्क एवं कम्युनिटी हाल बनाने हेतु प्रशासन द्वारा सुरक्षित रखी गयी है किन्तु 18 वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य उक्त स्थल पर प्रारम्भ नहीं किया गया।

2—यह कि प्रशासन की निष्क्रियता के परिणाम स्वरूप कतिपय भू-माफियाओं द्वारा उक्त भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराकर न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त भूमि पर 1995 तथा दिनांक 17-6-96 को अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास किया गया जिसे क्षेत्रीय नागरिकों के प्रबल विरोध एवं जिलाधिकारी, लखनऊ के हस्तक्षेप से असफल किया गया।

3—यह कि क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा दायर रिट में मा० उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि पर पार्क आदि का निर्माण किए जाने हेतु दिनांक 9-11-95 को नगर निगम लखनऊ को निर्देशित किया है किन्तु निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है।

4—यह कि जहाँ एक ओर उक्त भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने के प्रयासों से क्षेत्रीय नागरिकों में रोष एवं तनाव व्याप्त है वहीं दूसरी ओर रिक्त भूमि पर गन्दगी के ढेर एवं जल भराव होने से क्षेत्र के खड़ंजायुक्त सम्पर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। प्रकाश व्यवस्था न होने से क्षेत्रीय नागरिकों को अपने आवास तक पहुंचने में नित्य प्रति दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है।

अतः उक्त प्रकरण में रिक्त भूमि पर चहारदिवारी युक्त पार्क एवं उसके चारों ओर प्रकाश युक्त डामर रोड के निर्माण हेतु शासन द्वारा त्वरित कार्यवाही किया जाना अत्यावश्यक हो गया है ताकि सरकारी सम्पत्ति की रक्षा हो सके तथा क्षेत्रीय नागरिकों में व्याप्त असंतोष एवं असुविधा का समाधान हो सके।]

जनपद मथुरा की गोकुल विधान सभा क्षेत्र की जीर्ण-शीर्ण विद्युत व्यवस्था के सुधार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह—

[महोदय मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र 366, गोकुल, जनपद मथुरा की ध्वस्त विद्युत व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण विद्युत उपकेन्द्र, सड़े गले विद्युत खम्भे, पुराने तारों की सूचना सम्मानित सदन एवं सरकार को देकर तुरन्त समाधान की मांग करता हूँ। विद्युत उपकेन्द्र राया, जमुनापार, बल्देव एवं बरौली की मशीने एवं उपकरण अति पुराने हैं। इन केन्द्रों से पोषित होने वाले गांव एवं कस्बों की विद्युत आपूर्ति अति असंतोषजनक है। केन्द्रों से जाने वाली फीडर एवं लाइनें पुरानी होने के कारण विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं कर पा रही हैं। केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विद्युत पोल, तार, केबिल जीर्ण-शीर्ण होने के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधक बने हुये हैं। ट्रांसफार्मर लगने के एक हफ्ते के बाद खराब हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाले कारखाने मरम्मत करते समय उपयुक्त एवं अच्छा मैटीरियल नहीं लगाते हैं। इस कारण ट्रांसफार्मर बहुत जल्दी जल जाते हैं। घटिया मैटीरियल लगाने का कारण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है। इससे कृषि एवं उद्योग दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। अपराधों में वृद्धि हो रही है।

अतः आपकी अनुकम्पा से सरकार से शीघ्र युद्ध स्तर पर विद्युत आपूर्ति में सुधार चाहता हूँ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लालबाग आफीसर्स कालोनी में नियमित सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्या सागर गुप्त—

[महोदय मैं नियम 301 में निम्नलिखित विषय में सूचना देना चाहता हूँ :—

उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के निर्मित लालबाग आफीसर्स कालोनी, लालबाग, लखनऊ एक सात मंजिली इमारत है जिसमें दो ब्लाक हैं और प्रत्येक ब्लाक में 28-28 फ्लैट्स हैं । वर्ष 1980 में निर्मित 17 वर्ष पुरानी इस कालोनी के अनुरक्षण पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है उक्त कालोनी के फ्लैट्स को बाथरूमों में लगे फिक्सर्स तथा अन्य दैनिक सिविल कार्यों का समुचित अनुरक्षण नहीं होता है और छोटे-छोटे कार्यों के लिए यह कह दिया जाता है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के पास फण्ड्स नहीं है । इससे अध्यासियों को दिन-प्रति-दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । कालोनी की जल निकासी की व्यवस्था भी ठीक न होने से लगातार गन्दगी बनी रहती है और महीनों कूड़े की डक्ट की सफाई न होने से इतनी गन्दगी फैल चुकी है कि संक्रामक रोग फैलने की आशंका प्रबल हो गयी है ।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उक्त कालोनी में कूड़े की डक्ट की नियमित सफाई हो, जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय तथा सिविल कार्यों को कराये जाने हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग समुचित फण्ड्स उपलब्ध कराये जाने तथा उक्त कालोनी से सम्बद्ध सिविल अभियंताओं को नियमित अनुरक्षण हेतु निदेशित किया जाय कि वे उक्त कार्यों को अपनी निगरानी में पूरा कराये और उसका समुचित रिकार्ड भी रखवायें ।

मैं अनुग्रहीत हूँगा यदि आप कृपया पर्याप्त लोक महत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाने हेतु मुझे अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ।]

जनपद फतेहपुर में विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर में शिक्षा की उचित व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुरलीधर—

[महोदय मैं, आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र किशुनपुर के ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा विकास खण्ड विजयीपुर में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है । जिससे इस ग्राम के साथ-साथ अगल-बगल के ग्रामों के बच्चे भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । इन ग्रामों की बालिकाएं भी प्राइमरी पाठशाला के बाद की शिक्षा अर्जित नहीं कर पातीं । इन ग्रामों में अधिकतर गरीब अनुसूचित जाति एवं अति पिछड़े वर्ग की जनता निवास करती है। जिनकी खेती मजदूरी ही आय के मुख्य साधन हैं । इस स्थिति में गरीब किसान अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं । शासन की मंसा भी प्रत्येक ग्राम को पूर्ण साक्षर बनाना है । शिक्षा ही उस व्यक्ति, ग्राम एवं क्षेत्र व प्रदेश के विकास का साधन है ।

अस्तु मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार से माँग करता हूँ कि ग्राम शाहजहांपुर सेलरहा विकास खण्ड विजयीपुर जनपद फतेहपुर में जनहित को ध्यान रखते हुये एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद कौशाम्बी (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में विद्युत पावर हाउस लगाने के संदंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मतेश चन्द्र सोनकर—

महोदय मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र सिराथू जनपद कौशाम्बी (इलाहाबाद) अन्तर्गत मेरे गांव कमालपुर ब्लाक कड़ा में विद्युत व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। मेरे यहां अझुआ फीडर से सप्लाई होती है जिसके कारण विद्युत व्यवस्था एकदम चरमरा सी गयी है आये दिन पूरा ब्लाक अंधकारमय रहता है। ग्राम कमालपुर ब्लाक कड़ा में 33 के०वी० विद्युत पावर हाउस पास हुआ था परन्तु लगाया नहीं जा सका। ग्राम कमालपुर ब्लाक कड़ा में 33 के०वी० पावर हाउस लगना अति आवश्यक है। इस पावर हाउस के स्थापित हो जाने से ब्लाक के निवासियों का बहुमुखी विकास सम्भव है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ग्राम कमालपुर ब्लाक कड़ा में 33 के०वी० विद्युत पावर हाउस लगाये जाने की व्यवस्था की जाय जिससे जनहित को इसका लाभ मिल सके।]

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा में विद्युतीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयराज यादव–

[महोदय आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित प्रश्न को लाना चाहता हूं:–

मान्यवर, ग्राम उतरौरा विकास खण्ड असोहा जनपद उन्नाव एक दलित बाहुल्य आबादी वाला गांव है। इस गांव में हजारों लोगों का जीवन अंधकारमय है क्योंकि आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां पर विद्युतीकरण नहीं किया गया है जिससे ग्राम का विकास नहीं हुआ है।

अतः आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में उक्त तथ्य लाते हुये मांग करता हूं कि ग्राम उतरौरा का विद्युतीकरण अविलम्ब कराया जाय ताकि इस ग्राम के लोगों का विकास हो सके।]

जनपद महोबा चरखारी तहसील की ग्राम सभा गुड़ा की अवैध भूमि को कब्जेदारों से मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० छोटे लाल वर्मा–

[महोदय आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

जिला महोबा की चरखारी तहसील की ग्राम सभा गुड़ा की लगभग 500 बीघा भूमि गरीबों व पात्रों के हक से छीनकर चकबन्दी विभाग की मिली भगत से कतिपय दलालों द्वारा नियम विरुद्ध अपने नाम कराकर फर्जी भू-स्वामी बन गये। इस प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी चरखारी श्री विमल कुमार दुबे द्वारा की गई है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक संस्तुति की आख्या सहित जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई है। किन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे उक्त माफियाओं के हौसले बहुत बुलंद हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि ग्राम सभा गुड़ा की उक्त भूमि अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराकर गरीब और पात्र लोगों को दी जाय।]

जनपद बहराइच के ग्राम नसरापुर मझवां में अर्धनिर्मित पाठशाला का निर्माण रोके जाने तथा व्यय धन की वसूली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अरुण वीर सिंह–

[मान्यवर, जनपद बहराइच के ग्राम नसरापुर मझवां में एक प्राइमरी पाठशाला के निर्माण हेतु वहां के एस० डी० आई० ने धन बैंक में जमा किया। उक्त पाठशाला के अध्यापक निर्माण कार्य को अथक मेहनत से बनवाना प्रारम्भ किया तथा 23-6-97 को धनराशि निकाली और निर्माण कार्य के सम्बन्ध में हुए परिव्ययों को चुकाया। दिनांक 4-7-97 को प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने अपने स्तर से आदेश भेजकर निदेशित किया कि विद्यालय को वहां न बनाकर दूसरी जगह बनाया जाये। उस समय तक विद्यालय के खड़ंजा स्तर तक का कार्य हो चुका था जिसका भुगतान भी कर दिया गया। मा० मंत्री ने आदेश निर्गत किये हैं कि उस अध्यापक से, जिसने विद्यालय बनवाना शुरू किया था तथा शिक्षा अधिकारियों से जिसे प्राधिकृत किया था, व्यय हुई धनराशि वसूली जाये।

मान्यवर, उक्त कार्य अध्यापक को जनपदीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा कराने का आदेश दिया था। मा० मंत्री का आदेश क्या सीधे इसको रोक कर जनहित कार्य को प्रभावित कर सकता है तथा जो काम हो गया है उसी धनराशि उस अध्यापक से वसूलने के आदेश दे सकते हैं। यह सरासर अनीति का कार्य है। इस आदेशों को शिक्षा विभाग के अधिकारी के माध्यम से जाने चाहिए ताकि आदेश का नीति विरुद्ध अनुपालन रुक सके। विद्यालय के उक्त स्थान से स्थानांतरित हो जाने वहां की जनता को काफी दिक्कत उठानी पड़ेगी तथा शिक्षा के मामले में भी।

उक्त तथ्य संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश पर से गुण्डा ऐक्ट हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि यह सरकार केवल बदले की भावना से ही कार्य करवाया जा रहा है। मेरे क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर गोण्डा में जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी हाल में युवजन समाजवादी पार्टी के विकास खण्ड मनकापुर के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह को राजनैतिक द्वेष एवं प्रशासन के दबाव में गैंगस्टर में मनकापुर कोतवाली में बंद कर दिया गया था यहां तक कि सरकार के दबाव में श्री सिंह के ऊपर रा० सु० का० लगाने का भी योजना बना रही है। जबकि सत्ता पक्ष के लोग घूम रहे हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर दबाव डालकर जाति वादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे क्षेत्र की जनता में काफी जन-आक्रोश व्याप्त है।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं मांग करता हूं कि निर्दोष रूप में न फंसाकर श्री सिंह को निष्पक्ष न्याय दिलाने की कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

जनपद अलीगढ़ में बरौली विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दलवीर सिंह–

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद के बरौली विधान सभा क्षेत्र में सड़क न होने के कारण सुदूर देहात में आवागमन बहुत ही दुर्गम हो रहा है। इस क्षेत्र से चन्डौस, बबेरु मार्ग से जला कबेरु दिलावरपुर चन्डौस डाबर मार्ग से भगतपुर जहराना, भोगपुर किनुआ, चन्डास, दौराऊ मार्ग से नवाबपुर इमलहरा, नूरपुर भगवानपुर, चांदपुर, गोराना जी० टी० रोड से पहावटी भूपाल नगलिया, हसनपुर, रायपुर खेरियाबीरिया, गिरधरपुर, कौरा, कल्लुवा मेहरावल, राजमऊ, रायट, खेड़ाखुशख्वर, बहलौलपुर, अलीगढ़ खैर मार्ग से अकरावट परसूवा, जिरौली डोर, बम्बाकी पटरी पर गवाहाना बरौली मार्ग से लालपुर कोधी पोधा, श्यामपुर, मोरहना, कटरा बरौली मार्ग से अर्जुनपुर मदनगढ़ी, पोंकनगढ़ी, गोलगढ़ी, बरौली से श्यामपुर रामनगर, दाऊपुर बरौला खुर्द खेड़ा, लालेपुर अकनगला, धनुआनगला तहरटोई, नगौला जवां से साधा से सेरुपुरा, नगलामीर बरौली, अमरौली मार्ग से माधौगढ़ दाऊपुर, कोटा नगलिया सुनाना दरियापुर, मदनपुर, छविला, बरई, काशिमपुर से लुहारा, सौमना खैर से जखैता, चिलावटी, कोमला, नगर सरुआ, उदयपुर, डीसैल, आदि मार्ग अभी तक नहीं बने हैं। जिससे जनता में भारी असंतोष है।

अतः मैं इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि उक्त मार्ग को शीघ्र बनवाने का कष्ट करें।]

जनपद शाहजहांपुर के तहसील सदर के ग्राम सिकन्दरपुर कलां में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कोविद कुमार सिंह–

[मान्यवर, मैं एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना उपस्थित कर रहा हूं।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर के ग्राम सिकन्दरपुर कलां में वर्ष 1962-63 में चकबन्दी हुई थी। द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने हेतु स्थानीय सांसद व मा० विधायकों ने भी शासन व चकबंदी आयुक्त से अनुरोध किया जिसके फलस्वरूप चकबंदी आयुक्त ने समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर द्वितीय चक्र की चकबंदी को सही मानते हुये अपने पत्रांक 8838/जी/68/59 दिनांक 21 नवम्बर, 95 द्वारा शासन से अनुमति मांगी किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि शासन स्तर पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी। शासन द्वारा अनुमति न देने से स्थानीय कृषकों व निवासियों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ग्राम सिकन्दरपुर कलां तहसील सदर जनपद शाहजहांपुर की द्वितीय चक्र की चकबंदी तत्काल कराये जाने के निर्देश शासन को देने की कृपा करें तथा विलंब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ० प्र० के सफाई कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करके अनशन समाप्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

[मान्यवर, मैं उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं मान्यवर आज सारा हिन्दुस्तान आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है और विधान सभा के सामने 85 दिनों से बैठे उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं की मांगों को लेकर हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। मान्यवर आजादी के 50 वर्षों के बाद हर सरकार दलितों का सहारा ले रही है अपनी राजनैतिक रोटी सेंक रही है लेकिन दलितों में से भी एक यह बाल्मीकि वर्ग सबको स्वच्छ रखने वाला आज भी जहां का तहां पड़ा हुआ है आज इनके बच्चे भूखों मरने के कगार पर हैं। धन के अभाव से आज इनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। धन के अभाव में यह वर्ग आज और भी दयनीय स्थिति में होता जा रहा है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और सरकार से सफाई कर्मचारियों की निम्न मांगों की मांग करता हूं।

1. नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों से जुड़े सफाई कर्मचारियों का 3 माह से 40 माह तक के वेतन का भुगतान किया जाये।
2. स्थानीय निकायों के सफाई कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाये।
3. स्थानीय निकायों के दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों पर लगी भर्ती की रोक को तत्काल खोला जाय।
4. स्थानीय निकायों में वर्षों से सफाई का कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किया जाये।
5. स्थानीय निकायों में शिक्षित सफाई कर्मचारियों को योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाये।]

जनपद मेरठ के ग्राम बैराज से ग्राम जलालपुर जोरा के बीच बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अतुल कुमार–

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र के खाद में गंगा से आयी बाढ़ के सम्बन्ध में आपके संज्ञान में यह बात डालना चाहता हूं कि लगभग 20 गांव गंगा से आयी बाढ़ की चपेट में है लेकिन दिनांक 10-8-1997 को जब मैंने दौरा किया और ग्राम मजदूमपुर पहुंचा तो वहां गंगा ने काफी कटान कर रखा था और गंगा व गांव के बीच लगभग 50 फीट का ही फासला था अभी तक इस गांव में कोई सुविधा के नाम पर न कोई व्यवस्था की गयी और न ही एस० डी० एम० महोदय और न तहसीलदार महोदय और न ही कोई अधिकारी इस स्थान पर पहुंचा है।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वहां पर तत्काल उचित कार्यवाही की जाए और बैराज से ग्राम जलालपुर जोरा के बीच में पत्र का बांध जलालपुर जोरा के बीच में पत्तर का बांध बांधा जाए।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद–महराजगंज, तहसील नौतनवां, ग्राम कुनसेरवा में ग्राम समाज की भूमि को भू-माफियाओं से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अमर मणि–

महोदय जनपद–महराजगंज तहसील नौतनवां ग्राम कुनसेरवा में भू-माफियाओं द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जा कर महंगे दामों पर विक्रय किया जाता है। खसरा नम्बर 560 रकबा 53 डिसमिल तथा खसरा नं० 458 खलिहान के नाम से दर्ज भूमि को भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जिससे गांव में असंतोष व्याप्त है। गांव के लोग आन्दोलित हैं। गांव में असंतोष व्याप्त है।

अतः तत्काल कार्यवाही करते हुये भू-माफियाओं का कब्जा बदखल कर गांव सभा एवं खलिहान की भूमि का पट्टा गांव के पात्र व्यक्तियों में कर दिया जाय तथा इस लोक महत्व की घटना पर चर्चा कराई जाय।

लोक सेवा आयोग द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सेवकों के विनियमितीकरण हेतु नियमावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विवेक कुमार सिंह–

[लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त सेवकों के विनियमितीकरण हेतु नियमावली दिनांक 14-5-79 को तथा जिसका प्रथम संशोधन 22-3-1984 को जारी किया गया है। जिसके क्रम में गृह विभाग के शासनादेश संख्या 3735/छः पु०–9-31–(147)/94, दिनांक 7-7-94 के द्वारा उक्त नियमावली के जारी होने की तिथि से सभी पात्र व्यक्तियों/कर्मचारियों को विनियमित माना, तथा इस सिद्धान्त को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट संख्या 24190 आफ 1994 में गृह विभाग के शासनादेश को न्यायोचित मानते हुए कार्मिक की ज्येष्ठता अवधारित की गई।

लघु सिंचाई विभाग में सहायक अभियंताओं को उपरोक्त आधार पर विनियमितीकरण नियमावली जारी होने की तिथियों क्रमशः 14-5-79 एवं 22-3-94 से विनियमित नहीं माना गया है। जबकि विशेष सचिव, कार्मिक के पत्र सं० 1514/85-क-कार्मिक, दिनांक16-7-85 में स्पष्ट आदेश हैं कि पहले तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों को दिनांक 22-3-84 की नियमावली के अधीन पात्रता के आधार पर नियमित कर दिया जाये, उसके उपरान्त लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाये। गृह विभाग से संदर्भित आदेश के प्रस्तर-2 में भी स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति के दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान की जायेगी, परन्तु विभाग में ऐसा न करके आयोग से चयनित उम्मीदवारों को वास्तविक रूप में दिनांक 18-6-86 से 1990 तक नियुक्ति-पत्र जारी किये गये तथा उन्हें काल्पनिक नियुक्ति की तिथि 3-12-85 दी गई है तथा 22-3-84 की नियमावली के अधीन नियमित व्यक्ति से ऊपर रखकर प्रोन्नति आदि का लाभ दिया जा रहा है विभाग में एक अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक8-3-93 को जारी की गई थी जो कार्मिक विभाग के नियमों के अनुसार अनुमोदित भी थी परन्तु उक्त ज्येष्ठता सूची को निरस्त करके पुनः दिनांक 19-3-96 से ज्येष्ठता सूची जारी की गई जो आज तक कार्मिक से अनुमोदित भी नहीं है और उसी को आधार मानकर पदोन्नति आदि की कार्यवाही की जा रही है, जिसके कारण विभाग में अनेकों मुकदमें कायम हो गये हैं। बिना पद के प्रोन्नतियां की जा रही हैं एवं मुकदमों से शासन एवं कार्मिकों का धन अनावश्यक व्यय किया जा रहा है।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद वाराणसी के थाना शेहनियां के कतिपय ग्रामों में पड़ी डकैती में मारे गये लोगों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बचनू राम पटेल–

महोदय दिनांक 7/8 की ग्रात करीब 3.00 बजे डकैत, हमारे विधान सभा क्षेत्र के बसन्त पट्टी, ग्राम थाना शेहनियां, जिला वाराणसी में घर का दरवाजा तोड़ कर रुपये एवं कुछ चांदी का आभूषण लूट लिए, गृह स्वामी के विरोध करने पर गृह स्वामिनी सुखनी देवी पत्नी बचनू राम पटेल को मारकर हत्या कर दिए। पड़ोसी प्रेम कुमार पटेल को राड और हथियार से बुरी तरह घायल कर दिए। प्रेम कुमार पटेल अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। बसन्त पट्टी के ही बांके पुत्र सुद्धन के घर में भी डकैती डाले। बसन्त पट्टी से सटा टाउन एरिया, गंगापुर में रफीउल्ला के घर पर धावा बोल दिए रफीउल्ला के विरोध करने पर उसे बुरी तरह मारे। रफीउल्ला भी अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मृतक के परिवारजनों को एक-एक लाख रुपया सहायता दिए जाने की मांग करता हूं तथा घायलों को दस-दस हजार रुपये की मांग करता हूं।।

जनपद फैजाबाद में शहर के बीचों-बीच से सब्जी मण्डी को हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लल्लू सिंह–

[महोदय, फैजाबाद नगर के बीचों-बीच घनी बस्ती के बीच में सब्जी मण्डी है। जहां यातायात से लेकर पर्यावरण की कठिन समस्या पैदा हो गई है। यह स्थल पूर्ण रूप से संवेदनशील भी है जिसके कारण अनेकों बार साम्प्रदायिक दंगा भी फैलने का डर बराबर बना रहता है। इस मंडी को स्थानान्तरित करने हेतु शासन ने फैजाबाद नगर से सटा रायबरेली रोड पर करोड़ों रुपये की लागत से नई मंडी का निर्माण वर्षों पूर्व कराया गया है। जिसमें सभी तरह की सुविधायें उपलब्ध हैं। परन्तु यह मंडी अभी तक स्थानान्तरित न करने से जनमानस को जहां असुविधा हो रही है। वहां भारी असंतोष है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर मंडी स्थल को तुरन्त बदलने की मांग करता हूं।]

आगरा महानगर के नालों की समुचित सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० राम बाबू हरित–

[महोदय, आगरा महानगर में जितने भी बड़े-बड़े नाले हैं उनकी सफाई तली झाड़ नहीं होती है तथा नाम मात्र के लिए यदि किसी नाले की सफाई हो भी जाती है तो निकली सिल्ट को बाहर नहीं फेंका जाता है जिससे बरसात में वह सिल्ट पुनः नाले में गिर कर उसे अवरुद्ध कर देती है। वर्ष 1995-96 में लगभग 14 लाख रुपयों का गोल-माल किया गया जिससे पहली बार आगरा में जल भराव की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

तबाही मची, कालोनियों मलिन बस्तियों, आदि में घरों में 5 फुट तक पानी भर गया था तथा जनता को करोड़ों का नुकसान हुआ था। दुर्भाग्य से इस वर्ष भी नालों की सफाई तली झाड़ नहीं हो पायी।

आगरा पश्चिम क्षेत्र के पुत्र हिंगा मोदी से रेलवे लाइन तक नाला की सफाई का 17 लाख रुपये का ठेका उठा जिससे कि कुछ साफ हुआ परन्तु निकली सिल्ट बाहर न फेंकने, पुलियाओं की सफाई न होने से बरसात में सिल्ट के नाले में गिरने से पूर्व की स्थिति बन गयी और सफाई का धन बेकार चला गया। खरीफपाड़ा में भग्गा मल के नाले की भी सफाई नहीं हुई तथा बुढ़ान सयैद नाले पर रघुनाथ टाकीज बनाकर उसे पाट देने से यहां थोड़ी बरसात में घरों में रेलवे लाइन पर पानी भर जाता है। टाकीज मालिक द्वारा अधिकारियों को खरीद लिया जाता है जिससे आज तक नाले की सफाई न होने से यहां तबाही मची रहती है। खरीफ पाड़ा में सभी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं यहां स्ट्रीट लाइट भी खराब पड़ी है, महिलाओं का शौचालय टूटा पड़ा है। नाली, खड़न्जों की जर्जर हालत हो रही है तथा सभी हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। जबकि यहां पूर्व में पानी के सेवन से वर्ष 20 मई, 1993 को 19 लोग मारे गये। यहां सफाई व्यवस्था भी असहनीय स्थित हो रही है। नगर निगम द्वारा गर्ल्स इण्टर कालेज चारसू दरवाजा की इमारत जर्जर है तथा कभी भी गिर सकती है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु पुनः सभी नालों की सफाई कराकर सिल्ट बाह फिकवाने की व्यवस्था कराकर समस्या का समाधान करायें। ।

जनपद देवरिया में नियमित विद्युत व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सूर्य प्रताप शाही–

। महोदय, देवरिया जिले में बिजली आपूर्ति की दशा दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्र में तीन-तीन दिनों तक तरकुलवा, पथरदेवा, बघोचघाट, रुद्रपुर से संबंधित सब स्टेशनों पर नहीं आती। अवर्षण के कारण भयंकर सूखे की स्थिति है किन्तु विद्युत अनापूर्ति के कारण राजकीय तथा निजी नलकूप ठप्प हैं। सिंचाई के अभाव में धान की फसल खेतों में सूख रही है जिससे किसानों में हाहाकार मचा है। जिला मुख्यालय देवरिया पर नियमित कटौती 5 बजे शाम से 1 बजे रात तक की जा रही है। जिससे बच्चों का पठन-पाठन ठप्प है। मिट्टी के तेल काले दामों पर मिलना मुश्किल हो जाने से जनता में भयंकर आक्रोश है। कई दिन तो दिन में भी आपातकालीन कटौती किये जाने से दिन में भी बिजली नहीं आ पाती जिससे अनेक बीमार मरीजों के आवश्यक आप्रेशन और जांच आदि नहीं हो पाती। देवरिया जिला मुख्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों तरकुलवा, बघौचघाट, रुद्रपुर आदि के सब स्टेशनों पर लगातार की जा रही बिजली कटौती के विरोध में जनमानस आन्दोलित है तथा घेराव और प्रदर्शन कर रहा है।

फलतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन की संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल देवरिया जनपद तथा जनपद मुख्यालय में की जा रही बिजली कटौती को समाप्त कर निर्बाध गति से बिना कटौती बिजली सप्लाई सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूं ।

प्रदेश में फर्जी वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रेम स्वरूप पाठक–

। महोदय, पिछले समय से लेकर अब तक प्रदेश में वाहनों की लूट करके अन्य प्रदेशों का फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट लगा करके अपने प्रदेश में नये नम्बर दिये जा रहे हैं और इन वाहनों पर फर्जी चेचिंस नम्बर खुदवा कर वैधानिक बना दिया जाता है। इस संदर्भ में मा० परिवहन मंत्री जी

। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बताने की कृपा करें कि वर्तमान समय में विगत तीन वर्षों से कितने वाहनों पर अन्य प्रदेश की आर० सी० ओ० पर इस प्रदेश के नये नम्बर जारी किये गये हैं और नियमानुसार उन आर० सी० बुकों की पुष्टी अन्य प्रदेशों से आ गयी है या नहीं ? यदि नहीं तो इन वाहनों का पता लगाया जाय कि यह वाहन कहां से आये और किनके पास है इस खुलासा से प्रदेश की वाहनों की लूट एवं हत्याओं के संबंध में सम्पूर्ण तथ्य प्रकाश में आ जायेंगे।

इसी परिप्रेक्ष्य में परिवहन मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि इस प्रकार की जारी आर० सी० ओ० की पत्रावलियां क्या संबंधित परिवहन अधिकारियों के कार्यालय में सुरक्षित हैं, मेरे संज्ञान में यह बात भली-भांति है कि पंजीयन अधिकारी फतेहपुर के कार्यालय से इस प्रकार जारी की गई आर० सी० ओ० की जारी 34 पत्रावली गायब हैं जिसमें से कि एक नम्बर यू० पी०/71 ए /6627 ट्रक का नम्बर है। वर्तमान समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र, बदायूं के ऊंझानी कोतवाली में खड़ा है। थाना बन्थरा पुलिस अभियुक्तों को बचाने के उपरोक्त प्रयास में जुटी है। जबकि महानुभावों को सप्रमाण सूचित किया जा चुका है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं। ।

जनपद एटा के परगनाधिकारी श्री सी० पी० सिंह के विरुद्ध शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ओम प्रकाश (एटा)–

। महोदय, हजारों गांव की जनता को परगनाधिकारी, एटा द्वारा जमीन के मामले में बिना वजह परेशान किया जा रहा है और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए बीसों गांव सभा की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। जैसे ग्राम्य नगला, गलुवा, मौजा, बसुन्धरा, किशोरपुरा, गघनपुरा, दरिगापुर, हिम्मतिपुर बजेड़ा मिरैची, भारहेरा, निधौली कलां, जिला एटा में इन लोगों के बीस-बीस साल पुराने गांव बने हुए हैं। वहां जाकर जनता से कहते हैं कि मकानों पर बुल्डोजर चलवा दूंगा। जनता को मारा पीटा गया है। ऐसी स्थिति में एस० डी० एम०, एटा श्री सी० पी० सिंह का दिनांक 5 मई, 1997 को सुश्री मायावती, मुख्यमंत्री उ० प्र० के आदेश के अनुसार स्थानान्तरण महोबा के लिए हुआ और आज तक रोका नहीं गया। बहन जी के आदेश को न मानते हुए जिले एटा में आतंक मचा दिया है।

अतः इन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाये।

महराजगंज सदर क्षेत्र में बाढ़ कटान रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चन्द्र किशोर–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा महराज गंज सदर के लोग पूर्णतः कृषि पर आधारित हैं। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाने के कारण फसलों की भारी क्षति होती है। जिससे बागापार न्याय पंचायत के समस्त गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। जिससे बगल में रोहिन नदी में वर्तमान समय में भयानक बाढ़ आयी हुई है। जिससे ग्राम सभा की पुलिया, काश्तकारों का मकान तथा सिंचाई की नहर एवं काश्तकारों के खेत भी बह गये हैं। जिससे ग्राम सभा के अधिकांश नागरिक भुखमरी की कगार पर आ गये हैं तथा शेष जनता भय के मारे गांव छोड़ कर भागने लगे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए नदी के कटान को रोकने के लिए उचित प्रबन्ध किया जाय। जिससे जनता की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हो सके साथ ही साथ बाढ़ से प्रभावित घरों एवं फसलों को क्षतिपूर्ति दिलाने की व्यवस्था की जाय।]

जनपद बांदा नगर के विद्युत अवर अभियन्ता श्री प्रेम बहादुर सक्सेना के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बादशाह सिंह—

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा नगर में दिनांक 23–7–97 को नगर में विद्युत न आने के कारण बांदा नगर के सम्भ्रांत नागरिक संतोष कुमार गुप्ता, निवासी बलखण्डी नाका, बांदा के नेतृत्व में स्थानीय विद्युत विभाग के चिल्ला रोड स्थित विद्युत भण्डार में एक सप्ताह से जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाने के उद्देश्य से वहां पर गये थे। वहां पर उपस्थित प्रेम बहादुर सक्सेना, अवर अभियन्ता विद्युत जो शराब के नशे में धुत थे, अपने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए अकारण बांदा नगर के सम्भ्रांत नागरिकों के ऊपर मार-पीट शुरू कर दिया जिससे कि कई लोग वहां पर घायल हुए इस बात को लेकर संतोष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सभी लोगों स्थानीय कोतवाली नगर बांदा के रिपोर्ट दर्ज कराने के उद्देश्य से पहुंचे लेकिन वहां पर रिपोर्ट न लिख कर संतोष कुमार गुप्ता एवं साथ में दो अन्य लोगों को विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा दी गयी धमकी के कारण निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजवा दिया गया और जो प्राथमिक रिपोर्ट घायल लड़कों की तरफ से दर्ज करायी गयी थी। उस पर कोई कार्यवाही पुलिस प्रशासन के द्वारा आज तक नहीं की गयी। इस संबंध में आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि उक्त अवर अभियन्ता, बांदा नगर में लगभग 12 वर्षों से कार्यरत है। जब कि उसके खिलाफ कई शिकायतें एवं जांच शासन स्तर पर लम्बित है। इस घटना से समूचा बांदा नगर बहुत आक्रोशित और दुखी है।

अस्तु आपसे अनुरोध है, कि लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के गरीब किसानों के दस हजार तक के कर्जे घोषणा के अनुसार माफ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भारत सिंह रावत—

[महोदय सन् 1989 में केन्द्र सरकार ने निर्धन किसानों के दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी, गरीब किसानों ने ऋण माफी के कारण कर्जे वापिस नहीं किये एवं तत्कालीन सरकार ने तीन साल तक कर्जे वसूल करने की कार्यवाही भी नहीं की। किसानों ने समझा कि उनका कर्जा माफ हो गया है। किन्तु अब ब्याज सहित कर्जे वापिस करने की कार्यवाही में गरीब किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। वह कर्जा ब्याज सहित दूना-तिगुना हो गया है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि गरीब किसानों के कर्जे एवं ब्याज को माफ करने के लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार को निर्देशित कर दें। कि 10 हजार तक के कर्जे ब्याज की माफ कर दें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मेरठ के छपरौली कस्बे में स्वीकृत डिग्री कालेज का भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गजेन्द्र कुमार "मुन्ना" एवं श्री राजपाल सिंह—

[मान्यवर, छपरौली कस्बा, जिला मेरठ में चौधरी चरण सिंह राजकीय डिग्री कालेज का शिलान्यास दिनांक 23–12–96 में माननीय प्रधान मंत्री जी भारत सरकार द्वारा किया गया व महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपया की धनराशि की स्वीकृति की गयी है। लेकिन आज तक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है। जिससे छपरौली के आस-पास के हजारों छात्रों को पढ़ाई के लिए 20 किमी० दूर जाना पड़ता है।

अतः मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन व सरकार से मांग करता हूँ कि उपरोक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाय।]

आजमगढ़ मण्डल के धोबी समाज की समस्याओं के निराकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नन्दराम एवं श्री मोतीलाल—

[महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ग्राम नीबी ब्लाक पल्हनी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ की पुस्तैनी धोबी घाट का वर्तमान समय चकबन्दी विभाग द्वारा व्यक्ति विशेष के नाम चक काटने की साजिस चल रही है जो कि पहले से ही धोबी बिरादरी के लोगों के लिए परम्परागत पेशा करने के लिए कपड़ा सुखाने हेतु छोड़ी गई थी जिस पर धोबी समाज पीढ़ी दर पीढ़ी से कब्जे में है जिससे कपड़े धोकर अपनी जीविकापार्जन करते हैं यह कि ग्राम सभा जमुडी शाह गढ़ में भी समस्याएं हैं। इस मण्डल में जिस ग्राम में धोबी समाज रहता है। उस गांव के पोखरे धोबी समाज के लिए कर दिये जाय ताकि धोबी समाज के ढेरों समस्याएं हल हो सके यदि शासन द्वारा ऐसा सम्भव न हो तो भूमिहीन अनुसूचित जाति के धोबियों के लिए प्रति परिवार 3 एकड़ 12 डिसमिस का पट्टा आवंटित कर दिया जाय। जिसके लिए धोबी समाज द्वारा क्रमिक अनशन व धरना चल रहा है को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ मण्डल में धोबी समाज में व्यापक असंतोष के धरना क्रमिक अनशन को समाप्त कराते हुए उक्त समस्या का निदान करने की कृपा करें।]

जनपद देवरिया भुजौली रोड आवासीय योजनान्तर्गत आवंटियों को पूर्ण स्वामित्व दिलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

[महोदय भुजौली रोड आवासीय योजना (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर) देवरिया का गठन सन् 1983 में नगर संगठित विकास योजनान्तर्गत केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा पुरोनिर्धारित करके किया गया। प्रारम्भ में भूखण्डों का विक्रय पूर्ण स्वामित्व (सेल डीड का विज्ञापन, नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के निर्णय के द्वारा समाचार पत्रों में दिया गया। इसी क्रम में भूखण्डों का आवंटन सेल डीड किए जाने के प्रपत्र भरवाकर अधिकार पत्र सन् 1983 में विभिन्न चरणों में दिया गया। आवंटियों ने अधिकार पत्र के आधार पर आवंटित भूखण्ड पर निर्माण भी किया है तथा कुछ निर्माण अवशेष हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त 579 भूखण्डों का आवंटन 4 श्रेणियों क्रमशः 1–दुर्बल आय वर्ग, 2—अल्प आय वर्ग, 3—मध्यम आय वर्ग, 4—उच्च आय वर्ग के रूप में किया गया। इस आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व नगर पालिका कर्मचारी को आरक्षण भी दिया गया।

भूखण्डों के आवंटन के पश्चात् आवंटियों को भूखण्डों का स्वामित्व (टाइटिल डी) के अभाव में तमाम उल्लिखित वर्गों के विशेष कर कमजोर, दुर्बल व मध्यम आय वर्ग के लोग भवन निर्माण में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि आवंटित भूखण्डों के पूर्ण स्वामित्व (टाइटिल डी) न होने के कारण वे किसी भी स्रोत जैसे सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जिससे आवासीय योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जिन लोगों ने मकान बना लिया है, और अन्य कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, वे लोग भी इन भूखण्डों पर ऋण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।

वर्तमान सरकार एवं उसके पूर्ववर्ती सरकारों ने सिद्धान्ततः यह निर्णय ले लिया है कि आवास विकास के अन्तर्गत विभिन्न नगरों में नगरपालिकों स्थानीय निकाय द्वारा प्रयोजित भूखण्डों एवं भवनों का पूर्ण स्वामित्व दे दिया जाये। इस अनुपालन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है, किन्तु आज तक इस उप नगर के आवंटियों को पूर्ण स्वामित्व स्थानीय नगर परिषद् देवरिया नहीं कर रही है, जिससे इस आवासीय योजना का उद्देश्य ही ठप्प पड़ गया है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि उक्त आवंटितों को तत्काल पूर्ण स्वामित्व दिलाने हेतु नगर पालिका, देवरिया को आदेशित करने का कष्ट करें।]

जनपद मिर्जापुर स्थित टाडा जलाशय की सफाई तथा जल धारण क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० सरजीत सिंह डंग—

[महोदय, मिर्जापुर जनपद स्थित टाडा जलाशय मिर्जापुर नगर में पेयजल आपूर्ति का प्रमुख साधन है। इसमें आस-पास के गांवों में सिंचाई भी होती है परन्तगता काल से बने इस जलाशय में वर्षों से सिल्टिंग होने के कारण तथा इसकी ऊंचाई न बनाये जाने के कारण इस बांध की जलधारण क्षमता कम हो गयी है। फलस्वरूप वर्षों का जल एकत्र होकर बह जाता है। इसी कारण इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में मिर्जापुर के नागरिकों को कीचड़ मिश्रित बदबूदार पानी कई सप्ताह तक पीने के लिये बाध्य होना पड़ा था।

कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन को निर्देश दें कि इस बांध की सिल्टिंग हटाकर सफाई की जाय तथा इसको तट बंधों को ऊंचा करके इसकी जलधारण क्षमता बढ़ाई जाय।]

श्री राम निवाज पुत्र श्री जाग्रश्वर, भदसाना, मोहन गंज, रायबरेली के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० मुस्लिम एवं अशोक सिंह—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि श्री राम निवाज पुत्र श्री जाग्रश्वर, ग्राम भदसाना, थाना मोहनगंज, जिला रायबरेली की दिनांक 9–8–97 को समय 8.00 बजे दिन में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक अनुसूचित जाति का था और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। मुल्जिम (1) कमलेश सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह (2) श्री संगम सिंह पुत्र श्री अनरुद्ध सिंह (3) श्री देव प्रकाश सिंह पुत्र श्री भगवान बख्श सिंह (4) श्री भगवान बख्श सिंह पुत्र श्री चन्द्र भूषण सिंह आदि निवासीगण ग्राम भदसाना द्वारा मामूली खेत के विवाद को लेकर हत्या की गई है यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सभी मुल्जिमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यह सभी चुनाव के समय से मृतक से रंजिश रखने लगे थे। स्थानीय पुलिस ने मुल्जिमानों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है जबकि मुल्जिमान खुले आम क्षेत्र में घूम रहे हैं और मृतक के परिवार वालों को बराबर धमका रहे हैं।

इसके अतिरिक्त पुलिस उल्टे मृतक के पिता व छोटे भाई को धारा 308 भा० द० वि० का मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया है मुल्जिमानों तथा पुलिस की ज्यादतियों के कारण क्षेत्र की जनता में असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त ज्यादतियों को देखते हुए तुरन्त मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया जाए और मृतक के पिता व भाई पर से झूठा मुकदमा हटाकर उन्हें तुरन्त रिहा किया जाय और दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही आदि किए जाने के आदेश देने की कृपा करें।]

प्रदेश में एक्स-रे टेक्नोलाजी डिप्लोमा एवं लैब टेक्नोलाजी डिप्लोमा नामक अनेक संस्थाओं की जाँच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई—

[महोदय, पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक संस्थाओं की विशेष स्थिति के डी० जी० ए० एम० एस० डिप्लोमा इन ई० सी० जी० एण्ड एक्स-रे टेक्नोलाजी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलाजी के नाम मिलती जुलती उपाधि का भ्रम पैदाकर कथित शिक्षा एवं परीक्षा आयोजित कर बेरोजगारों के साथ धोखा एवं उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

मेरठ महानगर में विकास मेडिकल इन्स्टीट्यूट नामक संस्था भी इस प्रकार के कोर्स संचालित कर रही है।

मैं इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन के संज्ञान में लाते हुये समुचित जांच करने तथा सत्यता होने पर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विश्व हिन्दू परिषद् के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं प्रमुख व्यवसायी श्री नन्द किशोर संगटा का हुए अपहरण की खोज कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)—

[महोदय, अनेक शिक्षण एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए विश्वहिन्दू परिषद् के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं प्रमुख कोयला शुरू व्यवसायी श्री नन्द किशोर संगटा का अपहरण राष्ट्रपति शासन काल में जनवरी, 1997 में उनके वाराणसी स्थित आवास से हुआ था।

राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद मार्च, 1997 में प्रदेश में लोकप्रिय सरकार के आने पर लोगों में भरोसा उत्पन्न हुआ कि शासन श्री संगटा को खोज निकालेगा परन्तु पांच महीने बीत जाने के बाद भी उनका पता न चलने से जनता में घोर निराशा उत्पन्न हो गयी है। फलतः जनता में आन्दोलन की आग सुलग रही है और आज वाराणसी पूरी तरह से बन्द है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन श्री संगटा की खोज निकालने के लिये सी० बी० आई० सी० आई० डी० से जांच कराने का आदेश दें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बाराबंकी में निर्बल वर्ग के बने इन्दिरा आवासों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सरवर अली—

। महोदय, इस सम्मानित सदन का ध्यान में जनपद बाराबंकी में वर्ष 1997–98 में आवंटित अनुसूचित जाति, निर्वल वर्ग के लोगों को इन्दिरा आवासों के आवंटन में बरती गयी गम्भीर अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उक्त आवास पात्र लोगों को न देकर शासन की नीति व नियमों की अनदेखी कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमित ढंग से सम्पन्न लोगों को दिये गये हैं। इससे जहां पात्र अनुसूचित जाति, पिछड़े एवं निर्वल वर्ग के लोगों में निराशा एवं असंतोष व्याप्त है वहीं इससे किसी भी समय किसी गम्भीर घटना की सम्भावना है।

अतः इस सूचना के माध्यम से मैं जनपद बाराबंकी में वर्ष 1997–98 में इन्दिरा आवासों के आवंटन की जांच एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूँ। ।

जनपद बाराबंकी के नवाबगंज तहसील के ग्राम सालेहनगर में पट्टे पर दी गयी जमीन वन विभाग को न देकर किसानों को ही दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संग्राम सिंह—

। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र ग्राम सालेहनगर, तहसील नवाबगंज (बाराबंकी) में किसानों का पट्टा दिनांक 8–3–52 का है और वन विभाग अपनी विज्ञप्ति संख्या 617×14 के अनुसार दिनांक 11–10–52 वन में नीहित बताता है। वह जमीन पट्टे के अनुसार किसानों की पहले है। वे काबिज हैं तथा जोत बो रहे है।

आदेश दिनांक 2–6–66 के अनुसार जमीन किसानों को सरकार और वन दोनों द्वारा संदर्भित करके किसानों को दे दी गई और यह भी सहायक सचिव द्वारा आदेश दिया गया कि मामले को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है किसानों का कब्जा बहाल रखा जाय यदि जमीन वन विभाग के कब्जे की हो तो जमीन विपक्षी जनों (किसानों) को दे दी जाय।

माननीय अध्यक्ष जी किसानों की अब अनावश्यक कानूनी विवाद एवं कागजी चक्कर में न फसाया जाय।

चूँकि यह विषय बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का यह बहुत छोटे किसानों का मामला है खेती ही इनके पालन पोषण का जरिया आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। अतः किसानों का पट्टे व शासनादेश के आधार पर जितनी जमीन उनके कब्जे में किसानों को खेती वारी के लिए छोड़वाने की कृपा करें। ।

जनपद अल्मोड़ा के तहसील भिक्यासैण के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्त स्थली को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय भट्ट (एडवोकेट)—

। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूँ–

अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैण तहसील के अन्तर्गत स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पन्त स्थली जा सत्तर के दशक से लेकर आज तक उच्चीकृत नहीं हो पाया है, जबकि इस क्षेत्र की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनता बार-बार इस विद्यालय के उच्चीकरण के मांग करती आ रही है। आजादी के 50 साल बाद जब हम आज स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं, वहीं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पन्तस्थली के लोग अपने बच्चों को इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा देने के लिए आन्दोलित हैं जिन महिलाओं को गृहस्थी का कार्य संभालना था वे सड़कों पर अपने बच्चों को अंधकार मय जीवन के लिए, संघर्ष की राज पर चलकर आन्दोलन कर रही हैं खेतों की गुड़ाई-निराई के कार्य को छोड़कर महिलायें उक्त विद्यालय के उच्चीकरण के लिए आन्दोलित हैं ताकि इन क्षेत्र के बच्चे भी इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

अतएव मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनभावनाओं के अनुरूप उक्त विद्यालय को अविलम्ब उच्चीकृत करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। |

घाघरा नदी पर रुदौली (बाराबंकी) में बने बांध के कटाव पर नियंत्रण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद—

| महोदय, घाघरा नदी, बाराबंकी से होकर फैजाबाद की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। फैजाबाद में यही नदी सरयू नदी में रूप में मानी जाती है आज एक सप्ताह से अधिक हो गया, इस नदी के बांध में बाराबंकी के रुदौली तहसील के अन्तर्गत चिर्रा गांव के पास इस नदी के बांध में कटान हो गया है। जिस पर आज तक काबू नहीं पाया गया। फलस्वरूप इस बांध के कटान से नदी का पानी फैजाबाद जनपद के गांव में घूसना शुरू हो गया है, और पानी का बहाव बड़ी तेजी से हो रहा है। इस बहाव से फैजाबाद जनपद के मेरे क्षेत्र सोहावल के गांव सिवार रामनगर धौरहरा, महोली, गुलालपुर, हाजीपुर, अम्बरपुर आदि गांव में पानी आ चुका है और गांव में एक फिट से पानी अधिक भर गया है किसानों की बोयी हुई फसल सड़ रही है। पानी के इस बहाव से समूचे क्षेत्र में भय और आतंक व्याप्त हो गया है। खासतौर से जो नदी के किनारे गांव है, जैसे इस्माइल नगर सिहोरा, दोषमूर रग्घू, सनाहा, अलीगंज, आदि गांवों में भय और दहशत फैल गयी है।

इस अविलम्बीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूँ कि तत्काल बांध का कटान जो 200 मीटर हो गया है, काबू पाया जाये, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय, और किसानों को उनकी जो फसलें सड़ गयी है, मुआवजा दिया जाय राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर से किया जाय। |

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साधारण ग्रेड चिकित्सकों की प्रोन्नति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शेर बहादुर सिंह—

| महोदय, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में साधारण ग्रेड चिकित्सकों की प्रोन्नति लगभग 8 वर्ष बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दिनांक 26 जून, 1997 तथा 2 जुलाई, 1997 को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया गया। इस समिति द्वारा वरिष्ठता क्रम के आधार पर चयन प्रक्रिया सम्पन्न हुई। उक्त वरिष्ठता क्रम में कुछ चिकित्सकों का चयन बिना किसी ठोस आधार के डिफर (स्थगित) कर दिया गया। इस कारण बड़ी संख्या में चिकित्सक प्रोन्नति से वंचित रह गये। उपरोक्त श्रेणी के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सकों के नाम के समुख न तो उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया गया और न ही उनकी प्रोन्नति की गई। कुछ चिकित्सकों के अभिलेख विभागीय लापरवाही के कारण अपूर्ण रहे। प्रोन्नति में सहायक आवश्यक शासनादेश तथा वार्षिक प्रविष्टि की विधिवत जांच को गम्भीरता से संज्ञान में नहीं लिया गया, इससे प्रतीत होता है। कि विभागीय प्रोन्नति समिति बिना पूर्ण अभिलेख प्राप्त किए ही सम्पन्न की गई। शासनादेशों की व्याख्या एवं इसके अन्तर्गत आच्छादित समस्त प्रकरणी की स्वीकृति हेतु कार्मिक विभाग का एक अधिकारी प्रोन्नति समिति का सदस्य होता है। उक्त समिति में सम्भवतः कार्मिक विभाग के सदस्य ने या तो शासनादेशों का सावधानी पूर्वक पालन नहीं कराया या उसकी उपेक्षा की गई। 24 वर्ष तक की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त एक लम्बे अन्तराल के बाद प्रोन्नति की आस लगाये चिकित्सकों की इससे वंचित रखा गया जिससे उनका मनोबल गिरा है तथा उनके अन्दर कुण्ठा व्याप्त है। इस विभागीय प्रोन्नति समिति में पारदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है कि मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूँ अनुरोध है कि सन्दर्भित चिकित्सकों की तत्काल प्रोन्नति हेतु निर्देश देने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करायें।]

प्रदेश में आरक्षण अधिनियम का लाभ कई अन्य जातियों को न मिलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कुँवर पाल सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक हित की सूचना लाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनयम, 1994 के अन्तर्गत प्रदेश की कुल जनसंख्या के 42% पिछड़े समुदाय के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकास का उपलब्ध किया गया। अधिनियम की अनुसूची–1 में 55 पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया गया। जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पर 11 अन्य जातियों/वर्गों एवं कुछ उप जातियों को इसमें समाहित किया गया।

आरक्षण द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को लाभ चिन्हित पिछड़ी जातियों में कुछ विशेष जातियों को प्राप्त करती रही हैं, जबकि कई जातियों जैसे धोबी, कसेरा, नानबाई, कोष्ठाबंजारस, फकीर, मोमिन (अंसार) हज्जाम, तेली, दर्जी, बिन्द, कम्पशेज,. छीपी, जोगी आदि तथा अन्य अति पिछड़ी जातियां आरक्षण के लाभ से पूरी तरह वंचित रही है। इससे पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए लागू किए गए अधिनियमों का मूल उद्देश्य अधूरा होकर रह गया है।

इस विशेष स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण में से मुस्लिम अति पिछड़ी जातियों तथा हिन्दू अतिपिछड़ी जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर 27% आरक्षण में ही अलग स्लैब बनाकर आरक्षण निश्चित किया जाए ताकि अभी तक आरक्षण के लाभ से वंचित अति पिछड़ी जातियों को विकास का अवसर सुलभ हो सके तथा समग्र सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करने का निर्देश किया जाए। इसके साथ ही सरकार यह जानकारी भी प्रदान करे किन-किस अति पिछड़ी जातियां को अभी तक 27% आरक्षण का कितना लाभ प्राप्त हुआ है। अतः संविधान की मूल भावना का आदर करते हुए इस सदन पर आप सरकार को उचित निर्देश देने की कृपा करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद महराजगंज के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की पदोन्नति नियमावली के अनुसार न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दीप लाल भारतीय—

[मान्यवर, मेरे जनपद महराजगंज के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेजों में नियुक्त सहायक अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की पदोन्नति बिना पद सृजन किये ही शिक्षा नियमावली के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रभाव में आकर किया जा रहा है, जिससे शिक्षा नियमावली का उल्लंघन हो रहा है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि राजा रत्नसेन इण्टर कालेज, निचलौल में एल० टी० ग्रेड अध्यापकों को पद का वेतन लाभ शासन द्वारा दिया जा रहा है। उन्हीं अध्यापकों को बिना पद सृजन के ही पदोन्नति करने की कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक, महराजगंज द्वारा की जा रही है, जो शिक्षा अधिनियम के विरुद्ध लोक हित में नहीं है।

अतः उक्त सूचना के माध्यम से नियम विरुद्ध पदोन्नति पर रोक लगाने की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेदकर नगर के टाण्डा में महिला महाविद्यालय खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा—

[महोदय, टाण्डा जनपद–अम्बेदकर नगर में छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय न होने के कारण छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में काफी असुविधा होती है। टाण्डा नगर परिषद् की आबादी लगभग एक लाख है साथ ही साथ 440 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना भी स्थित है जहां पर कई हजार कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके बच्चों के शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के विस्तार के लिए एक महिला डिग्री कालेज की स्थापना की मांग क्षेत्रीय जनता काफी अरसे से कर रही है। महिला महाविद्यालय न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी रोष असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट कालोनी में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित कराये जाने की मांग करता हूँ]

जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन में गुरू पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिये स्वास्थ्य जल तथा विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय कुमार पोइया—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ। मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन में गुड़िया पूर्णिमा (गुरू पूर्णिमा) पर देश के ही विभिन्न हिस्सों से ही नहीं विश्व के विभिन्न भागों से श्रद्धालू गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने हेतु लाखों-लाख व्यक्ति भाग लेते हैं। जिसकी संख्या 40 लाख से अधिक ही हो जाती हैं। परन्तु शासन द्वारा प्रशासन को कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भी धनराशि उपलब्ध नहीं किये जाने से वहां से प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य, जल, विद्युत आदि की कोई भी व्यवस्था तीर्थ यात्रियों के लिए नहीं कर पाता है। जिससे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है तथा गलत प्रभाव आने वालों पर पड़ता है जिससे सरांगता पर प्रभावित होती जा रही है तथा कई लोगों को व्यवस्था के अभाव में मौत का शिकार होना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूँ कि लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर स्थानीय प्रशासन को धन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जबकि हरिद्वार, इलाहाबाद आदि को मेले हेतु धन की व्यवस्था हो सकती है तो गोवर्धन मेले की क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती है।]

प्रदेश की निकायों में जलकर वृद्धि स्थगित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* कुँवर रेवती रमण सिंह—

[महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं नियम 301 के अन्तर्गत एक लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय गजट के माध्यम से 24 अगस्त, 1996 में प्रकाशित विज्ञप्ति के माध्यम से जल कर की दरों में भारी वृद्धि सभी नगर महापालिकाओं सभी नगर निकायों के द्वारा स्वेच्छाचारिता से बढ़ाने का निर्णय किया है। जिसके कारण आम लोगों पर अधिभार बहुत अधिक बढ़ गया, इस विज्ञप्ति के पूर्व सरकार ने जनता से कोई आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करना उचित नहीं समझा जिसके कारण जन सामान्य की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। इस प्रस्तावित वृद्धि को सरकार स्थगित करके इस सम्बन्ध में जन आकांक्षाओं पर उसके अभिनवीकरण पर ठीक ढंग से विचार करके लागू किया जायं। इस सम्बन्ध में जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे भी सुझाव आमंत्रित करें।]

जनपद लखनऊ के सरदारी खेड़ा में अवैध रूप से बिजली जलाने के विरुद्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० बकार अहमद शाह—

[महोदय, मैं आपका ध्यान बिजली की चोरी व कटिया लगाने से आये दिन हुई दुर्घटनाओं की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ मोहल्ला पुराना सरदारी खेड़ा (कोरियाना) पेट्रोल पम्प के पीछे राम लीला ग्राउन्ड के दक्षिण तरफ आलमबाग, लखनऊ में कुछ लोग अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, जो वहां के सम्भ्रान्त लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से अवैध रूप से तार लगाकर बिजली जलाते हैं तथा तारों पर डण्डे मारते हैं, जिससे बिजली कनेक्शन मेन तार से अलग हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचना दी गई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और यह प्रकाश में आया कि बिजली विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी अवैध रूप से बिजली जलाने वालों से महवारी पैसा वसूलते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि गोपनीय छापे द्वारा अवैध रूप से बिजली की चोरी रोकने तथा अपराधी व कर्मचारी जो इसमें लिप्त हैं, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद वाराणसी के चुप्पेपुर में पत्रकारपुरम् कालोनी के निर्माण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्याम देव राय चौधरी—

[महोदय, वाराणसी शहर में चुप्पेपुर में मान्यता प्राप्त पत्रकारों हेतु पत्रकारपुरम् नाम से एक कालोनी का निर्माण विगत अनेक वर्षों से प्रस्तावित व लम्बित है। कई बार विधान सभा में प्रश्नों के माध्यम से सूचित किया गया और उत्तर में पत्रकारपुरम् का निर्माण स्वीकार किया जा चुका है। मैने स्वयं कई बार उक्त प्रस्तावित पत्रकारपुरम् के निर्माण में हो रहे विलम्ब के प्रति शासन का ध्यान् आकृष्ट कराया है। पत्रकारों की मांग है कि उक्त पत्रकारपुरम् में फलैट्स निर्माण कराकर लखनऊ व अन्य नगरों की भांति जिस प्रकार पत्रकारों को रियायती दर पर (सब्सिडी) फ्लैट्स दिये गये हैं उसी प्रकार वाराणसी में भी दिया जाय जो नितान्त तर्कसंगत व न्यायोचित है। लेकिन खेद का विषय है कि इस सम्बन्ध में पत्रकारों द्वारा कई बार प्रत्यावेदन के माध्यम से एवं सम्बन्धी नगर विकास के माननीय मंत्रीगण से मिलने व आश्वासन प्राप्त करने के बाद आज तक उक्त दिशा में कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रहा है जो असंतोष का भी कारण बन रहा है। अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बीय व सुनिश्चित विषय पर माननीय सदन का ध्यानाकृष्ट करते हुए वाराणसी में प्रत्तावित पत्रकारपुरम् के अविलम्बनीय निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने व लखनऊ व अन्य नगरों की तरह रियायती मूल्य पर पत्रकारों को फलैट् दिये जाने हेतु निर्देश देने की मांग करता हूँ।]

जवाहर शीत गृह बिन्दकी फतेहपुर में आलू भण्डारण में बरती गयी अनियमितताओं पर कानूनी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र सिंह पटेल—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी जनपद–फतेहपुर में जवाहर शीत गृह बिन्दकी में स्थापित है जिसमें किसानों की आलू 56000 बोरा रखी गयी थी तथा उसमें किसानों से किराया के नाम से लगभग रु० 25 लाख वसूल किया गया है जिससे उस शीत गृह में किसानों की रखा गया आलू बिना लाइसेन्स के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भण्डारण करा दिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि किसानों का रखा हुआ आलू व कर के रूप में जमा किया गया धन वापस कराया जाए तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों एवं शीत गृह मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।]

जनपद देवरिया के पास कुर्ना नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जय प्रकाश निषाद—

[महोदय, मैं आपके आज्ञा से सदन के संज्ञान में अति लोक महत्व की सूचना देवरिया जनपद में कुर्ना नदी बहती है, देवरियों से होकर रुद्रपुर के विधान सभा क्षेत्र ग्राम खोराराम से होकर देवरिया जनपद व गोरखपुर जनपद के वार्डर सरयूनदी में ग्राम मदनपुर केवटलीया के पास जाकर मिल गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त कुर्ना नदी में देवरिया के गन्ना मिल व पेपर मिल का पानी गिराया जा रहा है जिससे उक्त नदी में आने वाली सैकड़ों कुन्टल मछलियाँ मर गई है तथा सैकड़ों पशु उक्त पानी में जाने से विषैला पानी होने के नाते मर चुके हैं और प्रतिदिन मर रहे हैं, गन्दा सड़ा पानी होने के नाते मच्छर भारी मात्रा में पैदा हो गये है सड़े पानी के बदबू एवं मच्छरों का अड्डा होने के नाते उक्त नदी के किनारे बसने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। जन-जीवन अस्तव्यस्त है। उक्त नदी में पहले खेतों की सिंचाई होती थी परन्तु अब सिंचाई से किसान वंचित हो गया है, आये दिन उक्त क्षेत्र की जनता संक्रामक रोग का शिकार होते जा रहे हैं। अतः मै आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जनहित में तत्काल उक्त मिलों के गंदे एवं प्रदूषित पानी को उक्त नदी में गिरने से रोका जाएं जिससे सभी प्रकार के प्रदूषण से उक्त क्षेत्र के जनता एवं पशुओं के जनजीवन को बचाया जा सके।]

देहरादून नगर के बीचो-बीच बहने वाले नाले की मरम्मत एवं सफाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरबन्श कपूर—

[महोदय, देहरादून नगर के बीचों बीच गन्दे पानी का एक नाला बहता है जो कि नगर के घनी आबादी वाले क्षेत्र चुक्खुवाला, अंसारी मार्ग, मनूगंज, डालीपुर इन्द्रेशनगर भण्डारी बाग आदि क्षेत्रों से पटेलनगर से होते हुए विन्दाल नदी में मिल जाता है। यह नाला सैकड़ों वर्ष पुराना है तथा जीर्णशीर्ण अवस्था में है। मरम्मत न होने के कारण जगह-जगह से टूट गया है। बरसात के दिनों में नाले के बांध कई जगह से टूट चुके है तथा बरसाती पानी से क्षति पहुंची है। इसके अतिरिक्त नालों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अन्य अवसरों पर नाला गन्दगी से भर जाता है। जिससे क्षेत्रवासियों को महामारी का शिकार होना पड़ता है। लोकमहत्व के इस अवलिम्बनीय प्रश्न की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।]

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय विकास खण्डों का भूगर्भ जल स्रोत गिरने से सिंचन कार्य में हो रही बाधा दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[मान्यवर, फिरोजाबाद जिले के विकास खण्ड फिरोजाबाद, नारखी, टूण्डला में भूगर्भ जल का स्रोत निरन्तर गिरता जा रहा हैं इस कारण लघु काश्तकारों को अपनी सिंचाई हेतु डीजल पम्प सेट और बोरिंग हेतु दिया जाने वाला अनुदान बन्द हो गया हैं इस कारण लघु और सीमान्त कृषक सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिए गए है। तीनों विकास खण्ड नहरों के आखरी छोर पर हैं। क्षेत्र असिंचित रहते हैं और सिंचाई नलकूप गिरते भूगर्भ जल स्तर से सिंचन क्षमता खो चुके है। निजी नलकूप सूखे में खड़े है। पेयजल के हैण्डपम्प 70 प्रतिशत सूखे में खड़े हैं और यह क्षेत्र खारे पानी के क्षेत्र हैं। फिरोजाबाद टूण्डला यमुना नदी के क्षेत्र में भूमि कटाव और बढ़ते खारों से ग्रसित हैं। बढ़ते खार और भूमि कटाव आबादी के लिये हानिप्रद बन गया है। भूगर्भ जल का गिरता स्तर बढ़ते खार चिन्ता के कारण हैं। अस्तु भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण की विशेष योजना बन्दीकरण खारों को बांध बनाकर एक साथ मेड़ बन्दी की योजना एवं जलाशयों के जल संरक्षण के आधुनिकतम कार्य योजनाएं तत्काल प्रारम्भ किए जाने की मांग करता हूँ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रीमती मीना अस्थाना एडवोकेट लखनऊ के मकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रमोद कुमार—

[महोदय, श्रीमती मीना अस्थाना, एडवोकेट लखनऊ के निवास में रात्रि के अंधेरे में लगभग 8.30 बजे दिनांक 7–8–97 को सरकार के इशारे पर एवं सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था जबकि मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश लागू था। इस घटना के विरोध में श्री सतीश मिश्रा के नेतृत्व में श्री रमाशंकर सिंह अध्यक्ष सेण्ट्रल बार ऐसोसिएशन, श्री अमलेश अस्थाना, सचिव–सेण्ट्रल बार ऐसोसिएशन, श्री बोध लाल शुक्ल, अध्यक्ष–लखनऊ वार एसोसिएशन, श्री ए० पी० सिंह, अध्यक्ष–पब्लिक सर्विस ट्रिबुर्नल बार ऐसोसिएशन तथा श्री योगेन्द्र मिश्र, अध्यक्ष–सेण्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल बार एसोसिएशन लखनऊ के नेतृत्व में इस अमाननीय, अवैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध फुलजोर आवाज उठाई गयी तथा मा० उच्च न्यायालय की शरण ली गयी। मा० उच्च न्यायालय ने ऐसी घटना को गम्भीरता से लेते हुए 24 घण्टे के अन्दर श्रीमती अस्थाना को पुनः कब्जा दिलाने का निर्देश दिया। जिसकी अवहेलना करते हुए समय सीमा बीतने के बाद 9/10–8–97 की रात्रि लगभग 12.00 बजे उस समय कब्जा दिलाया गया जब अधिवक्ताओं ने लोकतांत्रिक ढंग से पुनः आन्दोलन चलाया। इसका दुःखद पहलू यह है कि पुलिस की मौजूदगी में भी सत्तारुढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने अनाधिकृत असलहों के साथ सभ्यता की सभी सीमायें लांघकर अमानवीय हरकतें की तथा सत्ता में मदांध होकर नग्न ताण्डव किया यही नहीं पुलिस ने एक बार पुनः मूकदर्शक बन कर प्रत्यक्ष रूप से समाज विरोधी इस कार्यवाही में मदद की। यथपि मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में तथा प्रेस व अधिवक्ताओं के दबाव में कब्जा तो दिला दिया गया परन्तु श्री रमा शंकर सिंह, अध्यक्ष–सेण्ट्रल बार एसोसिएशन, श्री अमलेश अस्थाना, सचिव, सेण्ट्रल बार ऐसोसिएशन श्री बोधलाल शुक्ला, अध्यक्ष–लखनऊ बार ऐसोसिएशन, श्री ए० पी० सिंह अध्यक्ष–पब्लिक सर्विस ट्रिबुनल, बार ऐसोसिएशन को जान से मारने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने एवं रासुका लगाने की धमकियां दी जा रही है। प्रदेश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे सत्ता का यह ताण्डव दुःखद, निन्दनीय तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त सभी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार सुनिश्चित करे तथा किसी तरह के झूठे मुकदमें में न फंसाने का समुचित निर्देश दे और दोषी कर्मचारियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे और सरकार इस घटना पर खेद व्यक्त करें।]

जनपद हरदोई से मल्लावां जाने वाली रोड पर पुलों का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री धर्मज्ञ मिश्र—

[महोदय, जनपद हरदोई, 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण काफी वर्षों पूर्व हो चुका है परन्तु अभी इन सड़कों पर पुल व पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया है जिससे आम जनता के लिए रास्ते बन्द हैं। जनपद में शीघ्र ही पुल पुलियों का निर्माण कराया जाए।

1—ग्राम परौली बाण के बीच में सई नदी पर पुल का निर्माण।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2—इस्लामपुर जगाई मटियामऊ के बीच डिपरी के तालाव पर पुल का निर्माण।

3—रहुला रोड पर कबीरा नदी पर पुलिया का निर्माण।

4—सदनपुर लालपुर रोड पर पुलिया का निर्माण।

5—बेरिया नजीरपुर रोड से शाहपुर पवार रोड पर सोने लाल सिंह के बाग के पास रोड पर पुलिया का निर्माण।

6—कुरसठ में मिर्जागंज रोड पर पुलिया का निर्माण।

7—कुरसठ से देवियापुर जाने वाली रोड पर पुलिया का निर्माण।

8—माधौगंज बघौली रोड से कुरसठ जाने वाली रोड पर ग्राम पंचायत सोनहार के पास नाले पर पुलिया का निर्माण।

9—सराय सुल्तान से भजनपुरवा को जाने वाली रोड पर पुलिया का निर्माण।

10—गुजरई बिरौरी मार्ग पर पुलिया का निर्माण।

11—समरखा व ठकुरी खेड़ा के बीच में पुलिया का निर्माण।

12—लालपुर कन्हरी जाने वाली रोड पर पुलिया का निर्माण सड़क तो बनायी गयी पर वह इतनी पुरानी हो गयी है जिन पर जनता का निकलना दूभर है और अभी तक पुलियों और पुलों का निर्माण नहीं मिल सका है। आजादी की 50 वीं स्वर्ण जयन्ती के इस वर्ष पर जनहित में पुल व पुलियों का निर्माण कराने हेतु सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा कराकर पुल व पुलिया का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्ड योजना में आरक्षण दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नवाब सिंह नागर—

[महोदय, जनपद गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत नोएडा प्राधिकरण ने अभी पिछले माह एक आवासीय भू-खण्ड योजना निकाली थी जिसमें पहली बार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 23 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। जबकि प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति में पिछड़े वर्गों के लिए भी 27 प्रतिशत का आरक्षण है, पिछड़े वर्गों के साथ सरासर अन्याय है, तमाम पिछड़े वर्गों में इस मुद्दे को लेकर मांग हैं कि यह आरक्षण पूर्व की भांति हो ही नहीं और हो तो सरकार की आरक्षण नीति के तहत सभी अर्ह वर्गों के लिए हो, उक्त मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता में नोएडा प्राधिकरण व शासन के प्रति भारी रोष व असंतोष व्याप्त है।

मै नियम 301 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं निश्चित मत के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फर्रुखाबाद के थाना कन्नौज के सियाराम गिरोह द्वारा किये गये आतंक के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बनवारी लाल दोहरे—

[महोदय, जनपद फर्रुखाबाद में थाना कन्नौज के क्षेत्राधिकार में मिश्रीपुर गांव में सियाराम का गिरोह विगत 10 वर्ष से अपराधों में सक्रीय है। गिरोह के सरगना सियाराम पर लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमा विचाराधीन है। सियाराम का आपराधिक इतिहास है। ग्राम मिश्रीपुर के पूर्वा अकोड़ा पूर्वा में मनीराम का गिरोह चल रहा है। उक्त दोनों गिरोह में आज से लगभग 4 माह पहले तनाजा हुआ। मनीराम गिरोह ने सियाराम के भाई रामपाल को पकड़कर मार डाला। तबसे सियाराम के यहां पी० ए० सी० लगायी गयी है। सियाराम पुलिस के भय से मुक्त काली नदी के पार कटरी क्षेत्र के एक दर्जन गांव में लोधी राजपूतों को पकड़ कर जबरिया रुपये, धन की वसूली कर रहा है और यही नहीं इन गांवों की महिलाओं का भी शीलभंग किया है। यह कि जून के अन्तिम सप्ताह में पी० ए० सी० के साथ में तीन व्यक्तियों की हत्या की है राम सेवक जाटव पुत्र पुतई नि० रामपुर मझियारा थाना–बिलग्राम जनपद हरदोई और, रामकुमार जाटव पुत्र बच्चन नि०-बहसुइया, थाना-ठठिया, जनपद–फर्रुखाबाद गंगा और भरी नदी के दो मुहाने पर दोनों को पकड़ लाये थे। दोनों को गोली से मार डाला फिर उनके अंग-अंग को काट कर गंगा जी में बहा दिया। राम सेवक व राम कुमार जाटव की मां ने थाना बिलग्राम में रिपोर्ट लिखाना चाही, रिपोर्ट हरदोई के एस० पी० के कहने के बावजूद नहीं लिखी गयी। टीकाराम किसान लोधी नि० अकोड़ापूर्वा थाना कन्नौज को सियाराम व उसके गिरोह में शामिल लगभग 25 बदमाशों ने पकड़ कर मार डाला थाना कन्नौज की पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी और थाना कन्नौज की पुलिस व पी० ए० सी० इस क्षेत्र को बदमाशों द्वारा बरबाद कराये दे रही है। सियाराम गिरोह को हर प्रकार संरक्षण थाना कन्नौज का इंस्पेक्टर दे रहा है। विभिन्न प्रकार के अपराध कराकर धन पैदा कर रहा है। ग्राम अकौड़ापूर्वा मिश्रीपुर, चुरहिया, मामाभोले, सढ़ियापुर, गैगूपुरवा कटरी फीरोजपुर, टीका पुरवा, भिम्मापुरवा दर्जनों गांव के लोग सशंकित होकर गांव छोड़कर भाग गये है। इंस्पेक्टर कन्नौज क्षेत्रीय जनता की गुहार को नहीं सुन रहा है, मैने भी एस० एस० पी० फतेहगढ़ से कहां पर कोई सियाराम व उनके गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई है। सियाराम को जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा जिला बदर का आदेश मौजूदा समय में हुआ है, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सियाराम से क्षेत्र की जनता को जान-माल का बराबर खतरा बना है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मांग कर रहा हूँ कि सियाराम गिरोह के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करके जेल भेजा जाय एवं इन्सपेक्टर कन्नौज को तत्काल निलम्बित कर किसी ईमानदार इन्सपेक्टर को थाना कन्नौज में भेजा जाए और सियाराम व उसके साथियों द्वारा की गयी हत्याओं का मुकदमा दर्ज किया जाए।]

जनपद आजमगढ़ में बाढ़ से हुई क्षति का मुआवजा एवं उसकी रोकथाम किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम प्यारे—

[महोदय, उ० प्र० के विभिन्न नदियों में इस समय बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनपद आजमगढ़ के सगड़ी देवारा अंचल में घाघरा नदी में बाड़ खतरे के निशान से ऊपर चल रही है, दर्जनों गांव तेजी से कट रहे हैं, जिससे यहां के क्षेत्रीय जनता का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गया है। राज्य सरकार द्वारा कोई संतोषजनक कदम न उठाने से गम्भीर असंतोष व्याप्त है। गृह भूमि की क्षतिपूर्ति आवश्यक है, आवास हेतु जमीन व घर की सुरक्षा हेतु मिट्टी डलवाने की आवश्कता है। अतः इस सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें।]

जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में मार्गों पर जल निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बाबूराम यादव–

[मान्यवर, कस्बा करहल मैनपुरी जनपद का तहसील एवं विकास खण्ड मुख्यालय है इसके चारों तरफ लगभग 30 कि०मी० की परिधि में कोई अन्य कस्बा इस स्तर का नहीं है। इसलिए ग्रामीण अंचल के लोग भारी संख्या में दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं क्रय विक्रय करने के लिए यहां पर एकत्र होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस कस्बे की मुख्य मार्ग इटावा मैनपुरी मार्ग तथा किशनी सिरसागंज मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में बदल गया है और इसमें पानी भरा हुआ है वाहनों के आवागमन से यह पानी कीचड़ व बदबू के रूप में परिवर्तित हो गया है सड़क के किनारे लोग दुकानदारों के पटरों पर होकर गुजरते हैं कि कीचड़ और सड़ान से बीमारी फैल रही है और तमाम लोग ज्वर से पीड़ित हैं इतनी खराब हालत उ० प्र० की किसी भी बाजार की नहीं होगी। गत तीन वर्ष से इन मार्गों की मरम्मत हेतु शासन द्वारा एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है इसलिए इन मार्गों की दुर्दशा हो रही है साथ ही इन मुख्य मार्गों के जल निकास का भी कोई रास्ता नहीं है इसलिए बरसात का एवं नाली का पूरा पानी इन सड़कों पर भरा रहता है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूँ कि तत्काल जल निकासी की व्यवस्था एवं सड़कों की मरम्मत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।]

श्री मुरली पासी निवासी भमई, फूलपुर इलाहाबाद के विरुद्ध कथित फर्जी मुकदमे के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विक्रमाजीत मौर्य–

[मान्यवर, मुरली पासी निवासी ग्राम भमई हुसामगंज थाना फूलपुर, इलाहाबाद का रहने वाला है। इसके भाई राजेन्द्र को इसके ही ग्राम के मो० गुलाम व मो० कादिर पुत्रगण अहमद अली ने लाठी डन्डों से मारा पीटा तथा दिनांक 30.7.97 को लगभग 8 बजे शाम को मारा पीटा लेकिन इन्सपेक्टर फूलपुर ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया और थाना में प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.97 को दिया जिसमें मुरली पासी की रिपोर्ट नहीं दर्ज की और कहा कि तुम अब भी सुलह करके जाओं नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इस पर मुरली पासी ने कहा कि सुलह नहीं होंगे तो इन्सपेक्टर ने फूलपुर ने 12000 रुपया लेकर मुरली पासी के विरुद्ध धारा 452, 377, 511, 323, 504, 506 एवं फर्जी मुकदमा दर्ज कर धमकी दे रहे हैं। इन्सपेक्टर के इस घृणित कार्य से क्षेत्र की जनता में व्यापक असंतोष व्याप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः आप कृपया इस लोक महत्व की सूचना को शासन के संज्ञान में लाकर इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

जनपद प्रतापगढ़ की पुलिस लाइन में म्यूजिक स्टोर लाइट का आयोजन एवं धन उगाही करके प्रोग्राम स्थगित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र नाथ सिंह –

[महोदय, प्रतापगढ़ जनपद के पुलिस लाइन में निखिल म्यूजिक स्टोर लाइन द्वारा 8 अगस्त 97 को रंगारंग कार्यक्रम आयोजित था जिसमें प्रचार किया गया था कि भारत के जाने माने फिल्म अभिनेता तथा अभिनेत्री आ रहे हैं इस कार्यक्रम में अनेक अभिनेत्री तथा अभिनेताओं के नाम भी प्रचारित थे जगह-जगह पर पोस्टर तथा बैनर लगे थे पुलिस अधीक्षक को स्वागताध्यक्ष भी बनाया गया था। टिकट रुपया 500 से लेकर 50 रुपया रखा गया, बहुत चन्दा भी उगाही हुई अचानक आयोजक 8 तारीख को गायब हो गये। कृपया इस धोखाधड़ी की जांच अविलम्ब विजलेन्स विभाग से कराई जाय।]

जनपद फैजाबाद के कुमारगंज में अर्द्धनिर्मित 132 के० वी० विद्युत सब-स्टेशन को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मित्रसेन यादव –

[मान्यवर, 132 के०वी० सब स्टेशन कुमारगंज फैजाबाद की स्थापना विगत वर्ष 1985-86 में की गई थी जो आज भी करोड़ों रुपया खर्च किये जाने के बाद अर्धनिर्मित पड़ी है उक्त योजना के उद्देश्य पूर्वांचल में स्थित नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शोध कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति करना था। और जनपद फैजाबाद एवं सुल्तानपुर के ग्रामीण अंचल के हजारों गांव को विद्युत सुविधा प्रदान कर कृषि एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग को लोगों को विद्युत आपूर्ति कर कृषि उत्पादन बढ़ाना एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उद्देश्य था जो इस परियोजना के निष्पादित न होने के कारण विकास की संभावनायें धूल धुसरित हो गई दिनांक 16 जनवरी, 1995 को तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनायत नगर मिल्कीपुर फैजाबाद के शिलान्यास के अवसर पर उक्त योजना हेतु 9 करोड़ अपेक्षित धनराशि की स्वीकृति व घोषणा की थी। उक्त घोषणा के बाद भी अधूरी परियोजना पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जबकि पूर्व में उक्त योजना पर करोड़ों रुपया की लागत बरबाद हो रही है। किसी भी सरकार की घोषणा को पूर्ण कराना आने वाली सरकार का संवैधानिक प्रतिबद्धता होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना के पूर्ण कराने हेतु की गई घोषणाओं के अनुरूप स्वीकृत धनराशि उपलब्ध कराकर समयवद्ध कार्यवाही सुनिश्चत की जाय।]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैसड़ी के मजरगवाँ बांध का फीटर चैनल ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बिन्दू लाल –

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मजगवां बांध जो कि विकास खंड गैसड़ी, जनपद बलरामपुर में है इस बांध से बीसों गांवों की हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी। लेकिन

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

इस बांध का फिटर चैनल जिसके द्वारा बांध में पानी आता था, जिसके टूट जाने के गत कई वर्षों से बांध में पानी न आने से बीसों गांवों की हजारों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हो गई है। इन गांवों में सिंचाई का कोई अन्य साधन न होने के कारण इन गांवों में अक्सर सूखा पड़ जाता है, सूखे के कारण इन गांवों के लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि इस बांध के फीटर चैनल को ठीक कराने की तुरन्त व्यवस्था की जाय, ताकि हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके।]

जनपद राय बरेली स्थित सलोन के शीत गृहों में आलू सड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दल बहादुर कोरी –

[महोदय, मेरी विधान सभा 113 सलोन रायबरेली में शीत गृहों में आलू सड़ने से हैजा जैसी बीमारी का प्रकोप हो गया तथा यात्रियों को आने जाने में उक्त कोल्ड स्टोरों के पास अत्यन्त बदबू का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्रीय जनता तथा पास के ग्रामों में रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।]

जनपद कौशाम्बी के ग्राम पहाड़पुर में फर्जी पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० कौशल किशोर –

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान केन्द्रित करता हूँ।

ग्राम–पहाड़पुर, पोस्ट–सांखा, तहसील–सिराथू, जनपद–कौसाम्बी में अनुसूचित जाति के उपजाति (चमारों-हरिजनों) जहां अपने मृतकों को आदिकाल से दाह संस्कार करते आ रहे हैं उक्त भूमि पर गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अधिकारियों से मिल कर पट्टा करा कर उक्त भूमि को फर्जी रूप से अन्य को पट्टे दे दिये हैं जो कि नियम के विरुद्ध है तथा ग्राम सभा की भूमि पर भी प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा कर पट्टा करा लिये हैं जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं।

अतः आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये पट्टे निरस्तीकरण के साथ-साथ अनुसूचितों की दाह संस्कार की भूमि को सुरक्षित किये जाने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करना शासन से चाहता हूँ।]

श्री के० डी० सिंह बाबू स्टेडियम में कनुप्रिया बाजपेई की हुई मृत्यु पर आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा –

[महोदय, दिनांक 11-7-97 के के०डी सिंह स्टेडियम में 9 वर्षीय कनुप्रिया बाजपेई की दुखद मृत्यु तैराकी के दौरान डूबने से हो गयी। उक्त मामले में कोच श्री आशुतोष अग्निहोत्री की पूरी गल्ती थी किन्तु विभाग ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यही नहीं उसके विरुद्ध थाना हजरतगंज में प्रथम सूचना की रिपोर्ट भी लिखाई गयी किन्तु संज्ञेय अपराध होने के उपरान्त भी पुलिस ने अब तक उसे

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

गिरफ्तार नहीं किया जबकि गिरफ्तार न किये जाने के कोई भी उच्चादेश नहीं हैं। निदेशक खेलकूद ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की कि तैराकी के दौरान वहां पर लाइप गार्ड क्यों न था? अंदर गये बच्चों की कोच ने गिनती क्यों नहीं की तथा उनको आइडेंटीफाइ क्यों नहीं किया? जब उसे मृतक बालिका के पानी में डूबने की सूचना मिली तो उसने स्वयं पानी में उतरकर क्यों नहीं ढूँढ़ा? बाद में जब डूबी बच्ची को निकाला गया तो उसे प्राथमिक चिकित्सा तक नहीं दी क्योंकि वहां पर प्राथमिक चिकित्सा थी ही नहीं।

उक्त तथ्य सदन के संज्ञान में लाकर त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के रुड़की विधान सभा क्षेत्र में बरसाती नालों पर आवागमन ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम सिंह सैनी–

[महोदय, इस वर्ष अत्यधिक वर्षा होने के कारण तथा 5-5 गांव बरसाती पानी के बहाव से मेरे विधान सभा क्षेत्र रुड़की में स्थित ग्राम–मीरपुर (गढ़) के सार्वजनिक रास्ते में भारी कटाव हुआ है तथा सार्वजनिक रास्ते ने एक नाले का रूप धारण कर लिया है जिसमें गांव की आबादी में ही एक दूसरे से सम्पर्क टूट गया है तथा लोग अपने खेतों में जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है। क्योंकि वह उस नाले को पार कर विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। मैंने गांव वालों के साथ जाकर जिलाधिकारी से सम्पर्क किया परन्तु उन्होंने धन अभाव के कारण असमर्थता जताई। यह जनहित से जुड़ी हुई लोक महत्व की अत्यन्त महत्वपूर्ण अविलम्बनीय घटना है।

अतः सरकार अपने स्तर से धन आवंटित कर उक्त समस्या का समाधान करे।]

जनपद सीतापुर के सिधौली में चल रहे शराब के अवैध ठेके को बन्द कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

* श्री श्यामलाल रावत–

[महोदय, सीतापुर जनपद में सिधौली तहसील के अन्तर्गत कुछ देशी शराब के ठेके वर्ष 1997-98 के लिए सरकार द्वारा निलाम किये गये थे। इन वैध ठेकों के अतिरिक्त आबकारी विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों की सांठ-गांठ से गांव-गांव अनेक अवैध ठेके चलाये जा रहे हैं बहुत घटिया किस्म की शराब बिक्री कराई जा रही है। प्रतिदिन लाखों रुपया की शराब बिकती है। ऐसे अवैध शराब ठेके सीतापुर-लखनऊ राजमार्ग पर स्थित ग्राम अटरिया, खेसरौरा, छावन, जानकीपुर, कोड़रिया, परेवाजाल,खजुरिया, सिंहपुर, दुधरा, मास्टरबाग, आदि आदि। ऐसे अवैध शराब के ठेकों पर घटिया किस्म की शराब बेचने से ग्रामीण अंचलों का वातावरण खराब हो रहा है छात्र जीवन पर बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। गांवों में दुराचार और अपराध बढ़ रहे हैं। आम जनता का स्वास्थ्य भी गिर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ और तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भीम प्रसाद सोनकर –

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान उ० प्र० इन्दिरा नगर लखनऊ के वर्तमान निदेशक के द्वारा किये जा रहे घोर अनियमितताओं के तरफ दिलाना चाहता हूँ। वर्तमान निदेशक डा० श्रीवास्तव जो लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं की गम्भीर शिकायतों एवं अनियमितताओं को देखते हुए कुलाधिपति के पत्र संख्या 3324 / जी० एस० दिनांक 30 सितम्बर, 1996 द्वारा स्पष्ट आदेश किया गया है कि डा० वी० के० श्रीवास्तव को विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त करने को ही अनियमित करार दिया है और निरस्त कर दिया है। परन्तु खेद है कि कुलाधिपति के आपत्ति के बावजूद श्री श्रीवास्तव को पूल विभाग विश्वविद्यालय में वापस नहीं भेजा गया है और निदेशक के पद पर बनाया रखा गया है। संस्थान में काफी वित्तीय अनियमिततायें हो रही है और उच्च अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है। तथा प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर षष्टम् भारत जनसंख्या परियोजना उ० प्र० इन्दिरा नगर लखनऊ के पत्र संख्या 8/97/प्रो०को० / आई० पी० पी०–6/4/96/15 नवम्बर, 1996 द्वारा चिकित्सा अनुभाग–12 उ० प्र० शासन को शासन के द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया गया था। परन्तु उक्त सारे तथ्यों को छिपा दिया गया है और पत्र का पता तक नहीं चला। इसके अलावा तमाम शिकायतें इनके विरुद्ध संस्थान में है लाखों का घोटाला है परन्तु पद पर रहते हुए जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इनको मूल स्थान पर भेज कर सारे तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराकर निदेशक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराने की मांग करता हूँ।]

पांचवीं गली, निशात गंज, लखनऊ में सफाई व्यवस्था सुनिश्चत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश सोनकर –

[महोदय, मैं आपके माध्यम से निम्न तथ्य सदन के संज्ञान में लाते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ। पांचवीं गली, निशातगंज, लखनऊ स्थित सब्जी मण्डी में कूड़ा घर, मैला घर, नालियों एवं नाले में मिट्टी भरी होने के कारण बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पाती है। जिसके कारण बरसात के पानी में कूड़ा एवं मैला सड़ता रहता है। निशातगंज निवासी बरसात के समय में घर से बाहर नही निकल पाते हैं और बदबू भरे वातावरण में रहना पड़ता है। सब्जी मण्डी में एक भव्य मंदिर बना हुआ है बदबू एवं सड़ान्ध के कारण निशातगंज वासियों को पूजा अर्चना करने में भी अत्यधिक कठिनाई होती है।

अतः सदन के माध्यम से नगर विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि कूड़ाघर, मैलाघर हटाने एवं नालों तथा नालियों की सफाई कराकर निशातगंज वासियों को सुखमय जीवन प्रदान करने का कष्ट करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री ए० पी० ढिमरी, चकबन्दी अधिकारी, हसनपुर, जनपद ज्योतिबा फुलेनगर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती गुलाब देवी–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूँ। जिला मुरादाबाद वर्तमान जिला ज्योतिबा फुलेनगर तहसील हसनपुर के ग्राम करनपुर खादर में खाता 41 अ एवं 41-ब से सम्बन्धित वाद सं० 2409-2411 एवं 2412-2413 में चकबन्दी अधिकारी हसनपुर ए० पी० ढिमरी द्वारा दिनांक 9-9-92 का आदेश पारित कर दिये जाने के बाद पुनः इन्हीं खातों के सम्बन्ध में वाद संख्या 333 में दिनांक 5-12-92 को आदेश पारित करने का अधिकार उक्त चकबन्दी अधिकारी को नहीं था फिर भी उन्होंने अनाधिकृत तरीके से लालचवश यह कार्य किया है।

उपरोक्त ग्राम करनपुर खाद में फर्जी एवं अधिकार क्षेत्र में से बाहर किये गये आदेशों के विरुद्ध तेजराम पुत्र मोती व लखपत पुत्र तेजराम द्वारा विभिन्न अधिकारियों को प्रेषित वर्ष 1993 से 1995 तक के शिकायती पत्रों पर जांच की गयी है तथा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः उक्त अधिकारी की धांधली के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर भुक्तभोगियों को न्याय दिलाने की कृपा करें।]

जनपद बरेली के कुंवर कृपा शंकर इण्टर कालेज के अवैध कब्जे हजाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*मास्टर छोटे लाल गंगवार–

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की सूचना 301 के अन्तर्गत देते हुये शासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद बरेली के कुँवर कृपा शंकर ई० एम० एड० इण्टर कालेज के बरेली-पीलीभीत रोड कर स्थित विद्यालय के हास्टल की भूमि पर कतिपय अराजक तत्वों द्वारा किये जा रहे जबरन कब्जे से उत्पन्न समस्या एवं छात्रों तथा गुंडा तत्वों के मध्य संघर्ष की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ।

मान्यवर, इस जमीन को स्थानीय लोगों, जिनमें लगभग तीन सम्भ्रान्त लोगों ने हास्टल निर्माण हेतु अपनी जमीन विद्यालय को दान में दी है और राजस्व अभिलेखों में भी यह भूमि विद्यालय के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर अवैध कब्जा होने से हास्टल निर्माण के कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही छात्रों की आवासीय समस्या अति विकराल हो गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाते हुये उचित कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री प्रेम बहादुर सक्सेना अवर अभियन्ता विद्युत बांदा के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिव शंकर –

। महोदय, मैं आपके संज्ञान में जनपद बांदा के अन्तर्गत बांदा नगर में दिनांक 23-7-97 को नगर में विद्युत न आने के कारण बांदा नगर के सम्भ्रान्त नागरिक संतोष कुमार गुप्ता निवासी बलखण्डी नाका बांदा के नेतृत्व में स्थानीय विद्युत विभाग के चिल्ला रोड स्थित विद्युत भण्डार में एक सप्ताह से जले हुए ट्रान्सफार्मर को बदले जाने के उद्देश्य से वहां पर गये थे। वहां पर उपस्थित प्रेम बहादुर सक्सेना अवर अभियंता विद्युत जो शराब के नसे में धुत थे, अपने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए अकारण बांदा नगर के सम्भ्रान्त नागरिकों के ऊपर मार-पीट शुरू कर दिया जिसमें कि कई लोग वहां पर घायल हुए। इस बात को लेकर संतोष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में सभी लोग स्थानीय कोतवाली नगर बांदा में रिपोर्ट दर्ज कराने के उद्देश्य से पहुंचे लेकिन वहां पर रिपोर्ट न लिख कर संतोष कुमार गुप्ता एवं साथ में दो अन्य लोगों को विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा दी गयी धमकी के कारण निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजवा दिया गया और जो प्राथमिकी रिपोर्ट घायल लड़कों की तरफ से दर्ज करायी गयी थी। उस पर कोई कार्यवाही पुलिस प्रशासन के द्वारा आज तक नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में आपके संज्ञान में यह भी लाना है, कि उक्त अवर अभियंता, बांदा नगर में लगभग 12 वर्षों से कार्यरत है। जब कि उसके खिलाफ कई शिकायतें एवं जांचें शासन स्तर पर लम्बित हैं। इस घटना से समूचा बांदा नगर बहुत आक्रोशित और दुखी है।

अस्तु आपसे अनुरोध है, कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति तथा रोकथाम किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाखी राम जोशी—

[महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल में अतिवृष्टि से जिले में भारी नुकसान हुआ है ग्राम खुरेत, ज्वारना, काशाताल, उनियाल गाँव, पुजाल्डी आदि गाँवों में पनगोला (बादल) फटने से हजारों एकड़ भूमि फसल बगीचे, मकान एवं आम रास्ते पूरी तरह समाप्त हो गये हैं, 13 व्यक्तियों की मौतें हो चुकी हैं, कई परिवार अपने घर में तबाही के कारण दूसरे स्थानों पर शरण लिये हैं, हेवल घाटी में बाढ़ से गढ़वाल जल संस्थान का पम्पिंग स्टेशन खुरेत स्थान पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण फल पट्टी के गाँवों में पेय जल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। खुरेतगाँव के लिए आम रास्ता आवागमन के योग्य बिल्कुल भी नहीं रह गया है अनेक आवासीय मकान आदि ध्वस्त होने के कगार पर है, गाँव में खाद्यान संकट की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है, कई परिवारों की पूरी-पूरी जमीन बह कर समाप्त हो गयी है, हजारों-हजार हरे भरे पेड़ भूस्खलन के साथ बाढ़ की भेंट चढ़ जाने के कारण पर्यावरण की भारी क्षति हुई है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस गम्भीर व अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न के द्वारा आपसे निवेदन है कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जाये तथा जिन लोगों के बगीचे, नगदी फसलें अन्य वस्त्र मकान समाप्त हुए हैं उन्हें उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी जाय। पैदल रास्ता विशेषकर खुरेत, काणाताल पुनः निर्माण किया जाय। कृषि भूमि, आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु खुरेत खाले में भूमि संरक्षण कार्य व वनीकरण किया जाय। काणाताल पम्पिंग योजना को तत्काल चालू करने हेतु 10 लाख रुपये तत्काल दिये जायें व सम्पूर्ण टिहरी जनपद में व्यापक क्षति को देखते हुए सरकार से कम से कम 10 करोड़ रुपये तत्काल उपलब्ध कराकर राहत कार्य करवाये जाये।।

डा० आर०पी० सिंह, प्रबंध निदेशक, पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशलिस्ट लि० लखनऊ की अनियमितता के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पारसनाथ यादव—

[महोदय, मैं आपका ध्यान डा० आर०पी० सिंह प्रबन्धक निदेशक यू०पी० पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशलिटिज लि० लखनऊ के भ्रष्टाचार के तरफ दिलाना चाहता हूँ श्री सिंह इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में प्रबन्ध निदेशकों के पद पर कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन (कैफको) में भी तैनात हैं। दो-दो निगमों का एक साथ प्रबन्ध निदेशक बना रहना एक अपने आप में मिशाल है। श्री सिंह की जांच शासन स्तर से व महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां से भी कराई जा रही है, परन्तु पद पर रह कर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। श्री सिंह कार्यकाल अपलिस में रहते हुए करीब 4 बार बढ़ाया गया है, अन्त में 11-8-96 को कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी बिना कार्यकाल बढ़ाये ही काफी दिनों तक बने रहे हैं, और अपलिस में काफी वित्तीय अनियमितता किये हैं। दवा खरीद में काफी गोलमाल करने की शिकायत है। 14 जून, 96 को दवा खरीद करने पर निदेशक पशुपालन द्वारा रोक लगाई गई, जो शिकायत के आधार पर की गई है, और भारी सौदा हुआ। डा० सिंह द्वारा मेसर्स बी०एण्ड बी०काम एवं गोविन्दपुर फार्म को 20 लाख रुपये चूजे खरीदने के लिए धन दिया गया। जिसमें से 7 लाख रुपये के चूजे (कैफको) विभाग जिसका खुद प्रबन्ध निदेशक हैं से ही खरीद लिया। जिसमें काफी गोलमाल किया। श्री सिंह के विरुद्ध सचिव के पत्र संख्या 2842/एस०ए०एच०/1992 द्वारा पत्र लिख कर प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पोल्ट्री एण्ड लाईव स्टाफ स्पेसेलिटिज लि० लखनऊ से जांच कराने हेतु 24 जुलाई, 1992 को लिखा। परन्तु जांच आयुक्त लखनऊ मंडल से कराने हेतु था और स्पष्ट अनुशासनिक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था परन्तु श्री सिंह द्वारा पद पर रहते हुए जांच को दबवा दिया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद भदोही के औराई विधान सभा क्षेत्र में खड़ंजा हेतु स्वीकृत धनराशि की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रंगनाथ मिश्र—

[महोदय, भदोही जनपद के औराई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना के 95-96 के जिला अधिकारण अंश भदोही द्वारा लगभग 10 लाख रुपया सड़कों पर खड़ंजा निर्माण हेतु

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला जल निगम निर्माण प्रकल्प को उपलब्ध कराया गया था। इसमें रामपुर में 400 मी० सिखडी में 400 मी०, लोहराडीज में 300 मी० पुरासातों में 400 मी०, नटवा में 300 मी० आदि अन्य स्थानों पर खडंजा निर्माण हेतु पैसा दिया गया किन्तु अभी तक उपरोक्त गांवों में कहीं 100 मी० कहीं 50 मी० और कहीं कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। सारा का सारा पैसा जल निगम निर्माण प्रकल्प के प्रबन्धक द्वारा कागज पर फर्जी निर्माण दिखाकर पैसा हड़प लिया गया जिससे ग्रामवासियों की जनता में बहुत निराशा एवं आक्रोश की स्थिति व्याप्त है।

अतः मा० अध्यक्ष जी से आग्रह है कि उपरोक्त मामले की गम्भीरता को देखते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की जांच हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें। ।

जनपद मुजफ्फर नगर में पात्र व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स देने में की गयी कोताही की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकुम सिंह—

। महोदय, मुजफ्फर नगर जनपद में शस्त्र लाइसेन्स प्रदान करने हेतु लगभग 25 हजार आवेदन पत्र लम्बित हैं। जिला स्तर के शीर्षस्थ अधिकारियों की अदूरदर्शिता एवं अकर्मण्यता के कारण सामान्य नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। एक ओर तो दिन रात लूटपाट, अपहरण, डकैती तथा हत्याओं की घटना बढ़ रही है दूसरी ओर सामान्य नागरिकों को अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्र प्राप्त करने से वंचित रखा जा रहा है। चार-चार वर्ष के ऐसे भी आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनको पुलिस एवं अन्य अधिकारियों द्वारा संस्तुत किया हुआ है। बजाय निस्तारण करने के इन्हीं आवेदन पत्रों को किसी न किसी बहाने कई-कई बार पुलिस जाँच के लिये वापस भेज दिया जाता है। जिससे हर बार नागरिकों को मोटी रकम खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अल्प बचत योजना के नाम पर भी लाइसेंस देने का प्रलोभन देकर भारी धनराशि जमा कराई हुयी है। सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं शासन से मांग करता हूं कि जिन-2 अधिकारियों की गल्ती के कारण सामान्य नागरिकों को शस्त्र प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों को वंचित रखा गया उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा सभी पात्र व्यक्यिों को अविलम्ब लाइसेंस प्रदान किया जाय। ।

जनपद सहारनपुर में वुड कार्विंग में लगे दस्तकारों को कच्चा माल (लकड़ी) उपलब्ध करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री संजय गर्ग—

[महोदय, प्रदेश के अल्पसंख्यकों के कुटीर उद्योग ही मुख्यतः उनकी आजीविका का आधार है। छोटे-छोटे दस्तकारी का धन्धा करके रोजी रोटी कमाने वालों पर इस समय सहारनपुर में दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर तो लकड़ी की दस्तकारी के अलावा कोई धन्धा न जानना तथा दूसरी ओर उन्हें वन विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा तंग किए जाने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भूखे की आवाज को दबाना मुश्किल होता है। अतः विश्व प्रसिद्ध इन दस्तकारों, जिनकी संख्या लाखों में है, को संरक्षण दिया जाना न केवल प्रदेश हित बल्कि राष्ट्र हित में आवश्यक है क्योंकि इनके द्वारा प्रदेश में करोड़ों की विदेशी मुद्रा लायी जाती है। अतः आप कृपया शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें

]] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि वह सहारनपुर के वुडकार्विंग में लगे लाखों लोगों की रोजी-रोटी की मांगों को ध्यान रखते हुए उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराने में बाधा पैदा करने वाले वन कर्मियों तथा अन्य लोगों पर रोक लगाने का कष्ट करें।]

जनपद जौनपुर सिटी में पानी का अभाव दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अफजाल अहमद—

[महोदय, जनपद जौनपुर के सिटी बोर्ड में पानी की भारी किल्लत है इससे पूरे नगर की जनता में भारी असंतोष एवं रोष व्याप्त है। पेयजल के नाम पर जल कल की टंकियों से पूरे नगर में पानी सप्लाई किया जाता है। दो टंकियों व 5 नलकूप कई माह से खराब पड़े हुए हैं बार-बार माँग किए जाने के बाद भी उनको ठीक नहीं कराया गया। सिटी बोर्ड नगरपालिका परिषद् जौनपुर, में पानी का घोर अभाव है। और पालिका परिषद् को ओवर हेड टैंक की व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु आज तक यह योजना नहीं लागू की गई है। जनता मे भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूँ कि ओवर हेड टैंक की व्यवस्था तत्काल कराई जाय।]

जनपद सुल्तानपुर में बनी ड्रेनों के लिए अधिग्रहण की गयी भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तेजभान सिंह—

[महोदय, निवेदन है की जनपद सुल्तानपुर में भसियावताल, अहुरीताल, हरकरनपुर, गौरीपुर, कमालपुर, गुलालपुर तथा सरैयां बड़गांव ड्रेन और गौरीगंज सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कालोनी की भूमि का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है जबकि उक्त ड्रेनों की खुदाई हुए लगभग 15 वर्ष हो रहे हैं। किसानों द्वारा लगातार उक्त मुआवजे की माँग की जा रही है परन्तु सिंचाई विभाग के अधिकारी रोज नई-नई अड़चने लगाकर मुआवजा देने में आनाकानी करते आ रहे हैं जिससे किसानों में भारी असंतोष है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए किसानों को शीघ्र मुआवजा भुगतान करने की मांग करता हूँ।]

जनपद देहरादून के राजस्व ग्राम बिन्हार को खण्डित करके छः राजस्व ग्रामों के निर्माण पर निर्णय लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुन्ना चौहान—

[मान्यवर, जिला देहरादून के तहसील देहरादून के अन्तर्गत राजस्व ग्राम बिन्हार को खण्डित कर छः राजस्व ग्रामों के निर्माण व तहसील चकराता के अन्तर्गत टुंगरोली व गड़सार मजरों का राजस्व ग्रामों के रूप में निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला प्रशासन, मण्डलायुक्त एवं राजस्व परिषद् के माध्यम से

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रेषित किये गये हैं। 7-8 वर्षों की अवधि में भी उपरोक्त ग्रामों के निर्माण पर शासन के राजस्व विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। स्थानीय जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि निर्णय तत्काल नहीं किया जाता है तो स्थानीय ग्रामीण आन्दोलन करने को विवश है। राजस्व ग्रामों का गठन का निर्णय न होने के कारण इन क्षेत्रों का विकास बाधित हो रहा है। विन्हार गांव की स्थित तो बहुत ही विसंगतिपूर्ण है, इस गांव के अन्तर्गत लगभग 26 मजरे हैं और तमाम भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ आती हैं। विकास के लिए भी बहुत बाधा है। सभी 26 मजरे एक ही राजस्व ग्राम में होने के कारण एक ही ग्राम पंचायत है जिससे इस सुदूर, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास कार्यों को करना भी बहुत मुश्किल है। यदि ग्राम विन्हार को छः राजस्व ग्रामों में खण्डित करने के प्रस्ताव पर शासन का निर्णय हो जाता तो जिले में गत वर्ष सम्पन्न पंचायतों के चुनाव से पहले ही अधिक ग्राम पंचायतों का निर्माण करके ग्राम विन्हार क्षेत्रान्तर्गत सभी 26 मजरे के समग्र विकास का रास्ता प्रशस्त होता। परन्तु अभी भी शासन द्वारा निर्णय न करने से ग्रामीणों में भारी रोष है। तत्काल निर्णय की आवश्यकता है। इसी प्रकार चकराता तहसील में टुंगरोली व गड़सार के राजस्व ग्राम गठित करने के प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय की आवश्यकता है।

विषयक अविलम्बनीय व निश्चित लोक महत्व का है अतः सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा जरूरी है।।

वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"—

। महोदय, वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम 1972 तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने पूरे पहाड़ पर कहर ढा रखा है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत मोटर मार्ग, पेयजल जैसी अत्यन्त लोक महत्व की योजनाएँ विगत 15–18 वर्षों से ठप्प पड़ी हैं। अनेक मोटर मार्ग अधूरे दम तोड़ रहे हैं इन पर सरकार की करोड़ों रुपये व्यय की गई धनराशि भी बर्बाद हो रही है, पेयजल जैसे जीवन ढा देने वाली योजनाएँ अधम में लटकी है लोग बूँद-बूँद पानी के लिए तरस रहे हैं क्षेत्रों में त्राहि-त्राहि मची है किन्तु वन भूमि हस्तान्तरण ने होने के फलस्वरूप न सड़कों का निर्माण हो रहा है न पेयजल योजनाएं बन रही हैं परिणामस्वरूप लोग गांव छोड़ने तक को मजबूर हो गये।

इस अधिनियम से हपहाड़ के मूलभूत अधिकारों का भी हनन हुआ है या लकड़ी का दोहन करने की इजाजत नहीं, ग्रामवासियों को जो प्राचीन काल से हक हकूक की लकड़ी मिलती थी वह भी बंद हो जाने से लोग चौराहे पर खड़े हो गये हैं। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं।

जहाँ वन अधिनियम ने कहर ढाया है वहाँ वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम ने तो अघोषित जनता को गांव छोड़ने को मजबूर कर दिया है आदमखोर बाघों के आतंक से पहाड़ की जनता भयाक्रांत है अभी तक सैकड़ों लोगों को आदमखोर बाघ मार चुके हैं। अकेले मेरे विधान सभा कर्णप्रयाग के पावौ विकास खण्ड में 36 लोग मारे जा चुके हैं। बूढ़ों और बच्चों को मार गिराये हर क्षण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आशंका बनी रहती है। अभी तक शासन स्तर पर कोई ठोस रणनीति इन आदमखोर बाघों को मारने व पकड़ने की नहीं बन पायी है स्थायी रूप में कोई टास्क फोर्स भी गढ़वाल में तैनात नहीं हुई है।

इधर ईंधन के अभाव में गांवों के लोग सड़क से दूर जंगल के बीच भी भोजन बनाने तक के संकट से जूझ रहे हैं, घास के अभाव में डंगरों को लगातार बेचने का क्रम जारी है क्योंकि चारागाह तक वन विभाग द्वारा बंद करा दिए गये।

पूरा पहाड़ जीवन मरण के संकट में जूझ रहा है आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उ०प्र० सरकार को पहाड़ के दूरस्थ गांवों में गैस उपलब्ध कराने, हकूक की लकड़ी देने तथा आदमखोर बाघों को युद्ध स्तर पर मारने के निर्देश देते हुए उपरोक्त दोनों अधिनियमों में शिथिलीकरण करवाने की कृपा करें। ताकि पहाड़ के गांव और लोग बचाये जा सकें। ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोइनहा, आजमगढ़ के भवन निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[माननीय अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर आजमगढ़ में 1997-98 के योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोइनहा ब्लाक–तहबरपुर में स्वीकृत हुआ। इसका बजट भी मुख्य चिकित्साधिकारी–आजमगढ़ के कार्यालय में स्वीकृत होकर आया है परन्तु अभी तक उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से स्वीकृत था और भवन निर्माण हेतु भी धनराशि स्वीकृत है। इस क्षेत्र में दूर-दूर तक कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। वहाँ के मरीजों को इलाज हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ जाना पड़ता है जो कि बहुत ही दूर पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के द्वारा आपसे मांग करता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोइनहा ब्लाक तहबरपुर का भवन निर्माण जो स्वीकृत हुआ है उसको तत्काल बनवाया जाय ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।]

जनपद पौड़ी में पेयजल समस्या का निदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

[मान्यवर, पौड़ी जिले में पेयजल की भयंकर समस्या हो गयी है। गांवों में पेयजल के श्रोत प्राकृतिक परिवर्तनों से सूख गये हैं। इसलिये नई पेयजल योजनाओं का बनना अत्यन्त आवश्यक है। विकास क्षेत्र कोट की कांडा देहलचौरी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, विकास क्षेत्र पौड़ी में कण्डारा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना विकास क्षेत्र, कलजीखाल में मुण्डनेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, विकास क्षेत्रद्वारीपाल में, पावों में घण्डियाल ग्राम समूह एकेश्वर ज्वालया ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, विकास क्षेत्र द्वारीपाल में काण्डाजाल हैंवल नदी पम्पिंग पेयजल योजना, विकास क्षेत्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

द्वारीपाल में चूलूसैंण पम्पिंग पेयजल योजना विकास क्षेत्र द्वारी जाल में सिलोगी पम्पिंग पेयजल योजना विकास क्षेत्र द्वारी जाल में गूलपाल ग्राम समूह पेयजल योजना विकास क्षेत्र द्वारीपाल में उतिण्डा पेयजल योजना, विकास क्षेत्र, द्वारी जाल में सतुपुली पेयजल योजना, विकास क्षेत्र कोट में अम्बेडकर गांव गोरथ-कडोल गांव पेयजल योजना आदि को शीघ्र बनाना अत्यावश्यक है।

मान्यवर, उक्त पेयजल योजनाओं को बनाने से ही जनता को पेयजल की समस्या के समाधान से राहत मिल सकती है।

अतः जनता में जीवन को सुरक्षित रखने के लिये पेयजल ने भयंकर समस्या से मुक्त करने के लिये शासन का ध्यान आकर्षित करने उक्त पेयजल योजनाओं को शीघ्र बनाने का निर्देश देने का कष्ट करें।]

हरिद्वार से सहदेवपुर मार्ग पर परिवहन निगम की बसें चलाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार—

[मान्यवर, हरिद्वार से उ०प्र०रा०स०प०नि० की बसें सीधी लक्सर जाती हैं। परन्तु गंगा के दूसरी ओर पड़ने वाले गांव भोगपुर फतवा, बाड़ी टीप, भिक्कमपुर, रामपुर रायघटी, अलावलपुर, कबूलपुरी राघरी वाक्करपुर, जसपुर रणजीन्पुर, भगतनपुर प्रतापपुर, खानपुर निरंजनपुर, महाराजपुर कलां, महाराजपुर खुर्द, गंगदासपुर, डंगरपुर, दरगाहपुर, बहालपुरी आदि गांव बस सेवा से अछूते हैं। अतः बसें वाया भोगपुर–रायसी लक्सर चलायी जायें।

इसी प्रकार हरिद्वार से आजाद हिन्द फौज के जनरल आदरणीय श्री शाहनवाज खाँ साहब के गांव तथा उसके साथ पूर्व फौजियों के गांव भी आजादी के 50वें वर्ष में, सराय दिनारपुर, सुभाषगण, बुक्कनंपुर बस चलने से लाभान्वित हो सकें।

पूरे देश को ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी चावल के बल पर अपनी पहचान बनाने वाला क्षेत्र भी बस सेवा से अछूता है। अतएव हरिद्वार-बहादराबाद-रोहालकी-अहमदपुर सहदेवपुर बस सेवा प्रारम्भ की जाये।

यदि इन मार्गों पर बस सेवा प्रारम्भ की गयी तो लाभकारी होंगी और उ०प्र० रा०स०प०नि० को घाटा नहीं होगा।

आपसे अनुरोध है कि शासन को उपर्युक्त विषय में आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।।

विधान सभा क्षेत्र बेहटा, सीतापुर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र कुमार (सीतापुर)—

[महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र बेहटा सीतापुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ पूर्व में भी मैंने नियम 301 के अन्तर्गत आपका ध्यान अपने क्षेत्र में शारदा, घाघरा, चौका नदी में बाढ़ आने से गांव तथा जमीनों को कटने की तरफ आकर्षित कराया था, आज की तारीख में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हरखी बेहड़ चहलुअ (समोदीडीह) भवानीपुर (रतनगंज) भीषण तरीके से बाढ़ की चपेट में है काफी घर तथा फसल लगी जमीनें नदी में कट गये हैं तथा पानी का कटान जारी है एवं विकास खण्ड रउसा के अन्तर्गत मल्लापुर चहलारी एवं उसके आसपास पूरा जलमग्न है गांवों में महामारी की स्थिति फैली हुई है लोग अपनी जान तथा जानवरों को बचाने हेतु ऊँची जगहों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं ऐसे में भूखों मरने की नौबत आ रही है तथा तरह-तरह की बीमारियों से औरतें बच्चे बीमार हो रहे हैं। अतः आपके द्वारा शासन से बाढ़-पीड़ितों के लिए सहायता हेतु समुचित राहत एवं इलाज व्यवस्था की मांग करता हूँ बाढ़ की विभीषिका इतनी व्यापक है कि यदि तत्काल कोई राहत बाढ़ पीड़ितों को नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो जानमाल का खतरा उत्पन्न हो रहा है।

अतः इस लोक महत्व सुनिश्चित प्रकरण पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह सूचना सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।।

सरदार पटेल सेकेन्ड्री स्कूल सम्बोर (सीतापुर) के शिक्षकों को अवशेष वेतन के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामपाल राजवंशी—

।मान्यवर, सरदार पटेल सेकेन्डरी स्कूल सम्बोर (सीतापुर) के शिक्षकों का जुलाई, 74 से जनवरी 78 तक की अवधि का अवशेष वेतन का भुगतान बिल विद्यालय प्रबन्ध तन्त्र द्वारा पत्रांक वि०प्र० परियर/154/87-88, दिनांक 11-3-88 को समस्त आवश्यक पत्राजातों सहित, लेखाधिकारी सीतापुर को प्रेषित किया गया था। लेखाधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति के साथ उक्त बिल को अनुदान हेतु शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद को प्रेषित कर दिया गया। तब से लेकर अब तक संबंधित विद्यालय द्वारा बार-बार माँग-पत्र प्रेषित किये जाने के बावजूद निदेशालय द्वारा उक्त बिल के भुगतान हेतु आवश्यक अनुदान अवमुक्त नहीं किया गया है।

अवशेषों के भुगतानों में लगभग 9 वर्ष का विलम्ब हो चुका है, इतना अधिक समय विलम्ब हो जाने के कारण विद्यालय के शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

अस्तु लोक महत्व सुनिश्चित प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल भुगतान की अपेक्षा में मैं यह सूचना सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ।

जनपद लखनऊ की सीतापुर रोड योजना सेक्टर-सी में रिक्त पड़े पार्क के निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री छब्बू पटेल—

। महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए शासन से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

लखनऊ के सीतापुर रोड योजना सेक्टर-सी में रिक्त पड़े पार्क स्थल में पार्क के निर्माण हेतु क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनेकों बार प्रार्थना की गई है। पार्क का निर्माण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

न होने से रिक्त स्थान पर अनधिकृत कब्जे एवं कूड़े के ढेर आये दिन लगा दिये जाते हैं जिससे गन्दगी बनी रहती है। भवन संख्या एम० (सी–137) से 156 तक वर्षों में डेढ़ दो फिट पानी भर जाता है जिससे आने जाने में लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सेक्टर-सी में अन्य सड़कों की मरम्मत का कार्य हो रहा है किन्तु उक्त सड़क के बारे में ठेकेदार का कहना है कि इस सड़क को मरम्मत का कार्य हेतु शामिल नहीं किया गया है।

इन असुविधाओं के चलते क्षेत्र के लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं मांग करता हूँ कि उक्त रिक्त स्थल पर यथाशीघ्र पार्क बनाया जाय एवं उल्लिखित सड़क की भी तुरन्त मरम्मत कराई जाय।]

लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में मंगलवार को लगने वाली बाजार का स्थान स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*मेजर जगतपाल सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि लखनऊ स्थित आलमबाग चौराहा से चन्दरनगर गेट तक प्रत्येक मंगलवार को एक बाजार लगती है जिसमें दूर दराज के व्यक्ति सामान खरीदने आते हैं । उक्त बाजार इतनी बड़ी लगती है कि पूरा आलमबाग चौराहा टेढ़ी पुलिया तक भीड़ से तथा दुकानों से भरा रहता है और कानपुर रोड जो कि एक मुक्त मार्ग है पर अत्यधिक भीड़ एकत्र रहती है जिसके कारण टेढ़ी पुलिया से आलमबाग चौराहे तक पूरा कानपुर रोड चार-चार घंटे जाम रहता है। चूँकि वहां पर बाजार की दुकानों की संख्या तथा बाजार की भीड़ को देखते हुए स्थान अत्यन्त कम है इसलिए कानपुर रोड का जाम रहना स्वाभाविक है और इस जाम के कारण आवागमन में जनता को काफी असुविधा होती है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त बाजार को आलमबाग नगर के समीप एल० डी० ए० द्वारा सेक्टर०-बी में बनाई गई मार्केट के समीप स्थानान्तरित कर दिया जाय तो कदाचित आवागमन का अवरोध समाप्त हो सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त मार्केट के पास काफी भूमि रिक्त पड़ी है तथा 18 मीटर चौड़ी सड़क भी चारों ओर बनी है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि सड़क जाम की समस्या को देखते हुए उक्त बाजार को एल० डी० ए० की सेक्टर बी में बनी मार्केट के पास रिक्त भूमि एवं 18 मीटर चौड़ी भूमि पर स्थानान्तरित करने हेतु अपने स्तर से सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

उ० प्र० के विभिन्न जिलों में रहने वाले कोल जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम कृपाल—

। महोदय, उ० प्र० के अन्दर विभिन्न जिलों में कोल जाति के लोग निवास करते हैं, वह जिले हैं–इलाहाबाद, झांसी, बांदा, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी आदि जिलों में कोल जाति के लोग निवास करते हैं, जिनकी आबादी एक करोड़ से ऊपर है, इनकी आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। भारत के अन्य प्रान्तों में कोल को जनजाति घोषित किया गया था। वह प्रान्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हैं–मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, बंगाल और राजस्थान तथा उ० प्र० के अन्दर निवास करने वाली कोल जाति को भी शासन ने दिनांक 21–8–80 को शासनादेश संख्या 2296/26/3/80–4(51)/80 द्वारा कोल जाति को जनजाति की सुविधा दिलाने का आदेश हुआ था।

अतः निवेदन है कि जो आदेश हुआ था दिनांक 26–3–80 को तथा 21–8–80 के अनुसार कोल जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिलाने का निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट को जारी कराने का कष्ट करें।]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम बेलभद्रपुर में अनुसूचित जाति के लोगों पर किये गए हमले के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामजग एवं श्री राम स्वरूप—

[महोदय, 3 अगस्त को करीब 6 बजे शाम को ग्राम–बेलभद्रपुर थाना मेंहनगर जिला आजमगढ़ में अनुसूचित जाति की आबादी में मुर्गा न देने के कारण धरनीपुर गांव के तथा अन्य गांव के सामन्ती परिवार के लोगों ने हथियारों से लैस होकर बर्बर हमला किया। धुँआधार गोलियां चलायीं तथा लाठियों से भी हमला किया। काफी लोगों को गम्भीर चोटें आयी। गम्भीर रूप से घायलों का आजमगढ़ में अस्पताल में भरती कराया गया। अस्पताल के एक डाक्टर द्वारा 10 हजार रुपया मांगा गया। घायल परिवार के लोग मुहमांगा पैसा न दे सके। घायलों को परेशान किया गया और डाक्टर ने अस्पताल से निकाल दिया पूरे क्षेत्र में भय आतंक छाया हुआ है। अपराधी घूम रहे हैं। पुलिस भी संदेह के घेरे में है। लोगों को भय है कि दूसरी बड़ी घटना हो सकती है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में अनुसूचित व्यक्तियों पर अत्याचार बढ़ा है।

मान्यवर, यह अविलम्बनीय, लोक महत्व का प्रश्न है ऐसी स्थिति में नियमों का निलम्बन करके चर्चा करायी जाये।]

स्व० सुमन तिवारी, किदवई नगर, कानपुर को आत्महत्या हेतु बाध्य करने संबंधी मुकदमे पर उचित न्याय की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बाल चन्द्र मिश्र—

[महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत एक अत्यन्त ही लोक महत्व का विषय सम्मानित सदन में उठाना चाहता हूँ जिसका संक्षिप्त उल्लेख नीचे कर रहा हूँ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर, कानपुर के किदवई नगर थानान्तर्गत जूही लाल कालोनी के 56 चौराहे के पास एक सुमन तिवारी नाम की होमगार्ड अपना छोटा सा आवास बना कर रह रही थी, उसी के दीवार से सटा हुआ एक अनुसूचित परिवार छेदी लाल का रहता है।

विगत 14–6–97 को छेदी लाल अपने आवास के सामने की खाली भूमि पर टट्टर लगाते समय होमगार्ड सुमन तिवारी के आवास के सामने के खाली भूमि का भी कुछ हिस्सा कब्जा करने लगे। परिणामस्वरूप सुमन तिवारी व छेदी लाल में विवाद हो गया और छेदी लाल ने होमगार्ड श्रीमती सुमन तिवारी के सिर पर डन्डे से चोट कर दिया जिससे श्रीमती सुमन तिवारी का सिर फट गया। परिणामस्वरूप होमगार्ड सुमन तिवारी छेदी लाल के विरुद्ध किदवई नगर थाना में एन० सी० आर० संख्या 60/ 14–6–97 को प्राथमिकी दर्ज करा दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पुलिस के एन० सी० आर० पर कोई कार्यवाही न करने के कारण दोनों पड़ोसियों में वाद-विवाद का क्रम बढ़ता गया परिणाम स्वरूप 25–6–97 को पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 की कार्यवाही कर दी। इससे चिढ़ कर छेदी लाल ने अपनी पत्नी बुधाना देवी की तरफ से मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट की अदालत से 4–8–97 को पौने दो माह पुरानी उसी 14–6–97 की घटना को तोड़ मरोड़ कर और अन्य तथ्यों को छिपाकर होमगार्ड श्रीमती सुमन तिवारी के विरुद्ध अनुसूचित जाति जन जाति अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत करने का आदेश करा दिया। परिणामस्वरूप थाना किदवई नगर में विगत 5–8–97 को मुकदमा अपराध संख्या–235/97 धारा 323, 504, 506 व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 3/1 (00) कायम हो गया। तत्पश्चात् थाना पुलिस ने लगातार तीन दिनों तक 5 अगस्त से 8 अगस्त तक होमगार्ड श्रीमती सुमन तिवारी को उक्त मुकदमें में किसी भी प्रकार का समझौता कर लेने अन्यथा उसे जेल भेजने का दबाव बनाया।

होमगार्ड श्रीमती सुमन तिवारी के अपनी पड़ोसिन अनु० जाति के छेदी लाल की पत्नी श्रीमती रुझाना देवी के समझौते के लिए आग्रह करने पर बुधाना देवी ने बार-बार यही कहा कि होमगार्ड सुमन तिवारी सार्वजनिक स्थान पर सबके सामने उसके पति छेदी लाल के पैर पर अपना मस्तक रख कर माफी मांगे तभी समझौता हो सकता है। नहीं तो जेल जाय या जहर खाकर मुंह काला करे।

इससे मानसिक रूप से उत्पीड़ित व तनावग्रस्त होकर होमगार्ड श्रीमती सुमन तिवारी ने जहर खा कर 8 अगस्त को आत्महत्या कर लिया। होमगार्ड सुमन तिवारी के पति की भी लगभग 10 वर्ष पूर्व हत्या कर दी कई थी। अपने दोनों अनाथ बच्चों कु० क्षमा उप नाम गोल्डी नाम की लड़की उम्र लगभग 13 वर्ष व अमित उपनाम बन्टी नाम का बेटा लगभग 8 वर्ष का अनाथ विलाप कर रहे हैं। धनाभाव में मृतका होमगार्ड श्रीमती सुमन तिवारी का दाह संस्कार का व्ययभार दो मुसलमान वर्ग के व एक हिन्दू ने उठाया है। वहां का वातावरण जहां एक तरफ गमगीन है, वहीं आस-पास के जनता में व्यापक उत्तेजना व रोष भी है।]

सदन में उठाने का कारण—

मृतका होमगार्ड श्रीमती सुमन तिवारी के आत्महत्या के कारणों की जानकारी से अनु० जाति जन जाति के अधिनियम के तहत फर्जी मुकदमा लगाकर श्रीमती बुधाना देवी व उनके पति छेदी लाल द्वारा दुर्भावनाग्रस्त होकर श्रीमती सुमन तिवारी का मानसिक उत्पीड़न करके आत्महत्या करने को बाध्य करना व मृतक के दोनों अनाथ बच्चे बेटी कु० क्षमा व बेटा अमित के भविष्य को लेकर वर्तमान समय में शासन के प्रति जनता में उत्पन्न हो रहे क्षोभ एवं असंतोष को समाप्त कराने व मृतका श्रीमती सुमन तिवारी व उनके बच्चों को न्याय प्रदान कर अशान्त हो रहे वातावरण को शान्त करने के उद्देश्य से इस विषय को सदन में उठाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि सामाजिक समरसता को प्रभावी बनाये रखने हेतु जहां अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के शासन प्रभावी कदम उठाये वहीं इस विशेष प्रकरण में झूठी प्राथमिकी व आत्महत्या के बाध्य करने के अपराध में धारा 182 व भा० द० स० की धारा 306 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कर उचित दण्ड प्रदान कर न्याय दिलाने का शासनादेश पारित करे व अनाथ बच्चों के परवरिश हेतु समुचित व्यवस्था करे। यही निवेदन है।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ए० डी० ओ० पंचायत कबरई, महोबा के विरुद्ध शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अरिमर्दन सिंह—

[महोदय, दिनांक 9–6–97 को प्रातः 10 बजे विकास खण्ड कबरई, जनपद महोबा के कार्यालय में 2 कार्यकर्ताओं के साथ गया। उस समय कार्यालय में बी० डी० ओ० नहीं थे व कार्यालय भी बन्द था। एक चपरासी से पूछने पर मालूम हुआ कि बी० डी० ओ० बाहर गये हैं और ए० डी०ओ० पंचायत बाहर होटल में बैठे हैं मैंने साथ के एक कार्यकर्ता को होटल भेजकर ए० डी० ओ० को बुलाया। उसने बुलाने गये व्यक्ति से कहा कि अभी कार्यालय का समय नहीं हुआ। कार्यालय खुलने पर आऊंगा यह भी कहा कि ऐसे विधायक तमाम घूमते रहते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ए० डी० ओ० आये और कहा कि आज सेकेन्ड सटरडे है और कार्यालय में छुट्टी है मैंने उससे कहा कि कल बी० डी० ओ० ने मुझे समय दिया था कि आज मैं आपके साथ चलूंगा चूँकि बी० डी० ओ० ने मुझे समय दिया था और आज है नहीं इसलिए आप ही मेरे साथ चले उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बहुत कहने पर वह मेरी जीप में बैठ गये। थोड़ी दूर चलने पर जब गाड़ी धीमी हुई तो वे उतरकर भाग गये।

मुझे पता चला कि ए०डी० ओ० के भागने के बाद एक सरकारी कर्मचारी द्वारा ए० डी० एम० के आदेश के बावजूद मेरे साथ न जाना एवं गलत कार्यों की पोल खुलने के डर से मेरे विरुद्ध रपट दर्ज कराना बहुत ही गम्भीर मामला है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सदन में उठाने की मांग करता हूँ। चूँकि ए० डी० ओ० पंचायत अनुसूचित जाति का है, इसलिए रपट लिखाकर मुझे हरिजन ऐक्ट में फंसाने का कुचक्र रचा है।]

नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं को पुनः सदन में उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी। मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मेरी सूचना है उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों की अवहेलना करके उनके निर्णयों के विपरीत सरकार कार्य कर रही है। एक मीना अस्थाना नामक वकील का मकान पर जबरदस्ती कब्जा किया.....

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नं० 50 पर स्वीकार हो गई है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, शासन को दो निर्देश दे दें। एक तो सुरक्षा सुनिश्चित करवा दें और दूसरा दोबारा कब्जा न कराया जाय । मान्यवर, जो अधिवक्ता हैं जिसमें अवध बार एसोसिएशन, सेन्ट्रल बार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एसोसिएशन तथा अन्य सभी उत्तर प्रदेश के बार एसोसिएशन के सदस्यों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पढ़ी हुई मान ली गई है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

उनकी सुरक्षा के आदेशों का पालन करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है वह बात आ गई है।

(व्यवधान)

श्री राम जग–

मान्यवर, मेरी एक महत्वपूर्ण सूचना है। आजमगढ़ का मामला है जो बहुत ही गम्भीर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शासन का ध्यान उस पर आकर्षित कर दिया है।

श्री बालचन्द्र मिश्र—

मान्यवर, एक सूचना मेरी है, एक विधवा होमगार्ड सुमन तिवारी दो मासूम बच्चे को जिसको छोड़कर इस दुनिया से चली गई है, जिसके विरुद्ध 5 तारीख को अनु०जाति/अनु० जनजाति के फर्जी मुकदमे कायम किये गये हैं। उसने तंग आकर 8 अगस्त को आत्महत्या कर ली है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

मैंने आपकी सूचना स्वीकार कर ली है और शासन के संज्ञान में बात आ गई है।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

सदन के माध्यम से न्याय मिलना चाहिए। जिसने अनु०जाति/अनु० जनजाति का फर्जी मुकदमा कायम कराया है। उसके खिलाफ धारा 182 व 306 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय क्योंकि फर्जी रिपोर्ट लिखाने के कारण (व्यवधान) मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायें आपकी सूचना आ गई है। शासन के संज्ञान में वह बात आ गई है। (व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों की सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं । उस पर समुचित कार्यवाही शासन करेगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनाएं ले रहा हूं। आज दिनांक 12-8-97 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। जिसमें पहले नम्बर पर श्री अम्बिका चौधरी की है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर 25 सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत आ जाती है। इसे जिनका प्राग दर्शन में दूर-दूर से भी संबंध नहीं रहता। नियम 300 के अन्दर सूचनाओं को लेने में काफी समय सदन का लग जाता है और उस पर चर्चा भी होने लगती है। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि ऐसी सूचनाएं जिनका 300 के अन्तर्गत कहीं से संबंध नहीं है उन्हें आप अपने स्तर पर अपने कक्ष में ही निरस्त कर दें। और जिनका कहीं थोड़ा बहुत संबंध बनता है, उस पर एक माननीय सदस्य को ग्राह्यता पर सुन लें

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो मेरी जानकारी है उसमें पूरे प्रदेश के विधायकों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें अभी आपको कैसे पता कि वह सूचना निरस्त हुई है या नहीं।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, गीडा और बबराला के संबंध में सूचना आनी थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री उस पर सूचना दे देंगे। इस पर मैंने निर्देश दे दिया है कि सत्र समाप्ति के पहले सूचना दे दें।

कुंवर रेवतीरमण सिंह–

पहले उसको दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आज ही माननीय मंत्री जी सूचना दे देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा विनम्र निवेदन है कि 17 जुलाई को जो प्रकरण उठा था और संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपके निर्देश पर आश्वासन दिया था, इस संबंध में 2 मामलें हैं एक तो आपके निर्देशों की स्पष्ट अवमानना हुई है और उसकी रिपोर्ट नहीं रखी गयी है और दूसरे जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने

आश्वासन दिया था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया है यह दूसरा मामला है। इन दोनों को मिलकर जो स्थिति बनती है वह यह है कि आश्वासन की पूर्ति न होने पर यह औचित्य के प्रश्न की परिधि में आ जाता है और औचित्य का प्रश्न बन जाता है।

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी की सूचना आज आ जायेगी तब देखेंगे।

संविधान के प्राविधानों के अन्तर्गत विकलांगों को आरक्षण दिये जाने के संबंध में उठाया गया औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस सूचना की ग्राह्यता पर बोलने के लिये अवसर दिया। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1997 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। इस अधिनियम संख्या 6. 1997 के (दो) में कहा गया है कि ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात कर, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिये :–

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, ख–श्रवगह्रास, ग– चलन क्रिया संवंधी निःशक्तता या प्रपस्तिष्टीय अंगघात, इन तीनों कोटि के विकलांग लोगों के लिये एक-एक प्रतिशत का आरक्षण देने की व्यवस्था वर्तमान अधिनियम में की गयी है। मैं जो मूल अधिनियम है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अधिनियम संख्या 4. 1993 की उपधारा–3 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अधीनस्थ आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायगा जिनसे वे संबंधित हैं। यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति की श्रेणी का है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटि में रखा जायगा। यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायगा और यदि कोई व्यक्ति खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है तो आवश्यक समायोजन करके संबंधित श्रेणी में रखा जायगा। अब मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस संबंध में जो केन्द्रीय अधिनियम, 1995 है, उस ओर दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश सरकार के किसी अधिनियम का या केन्द्र सरकार के किसी अधिनियम का पालन यदि नहीं हो रहा है तो यह कैसे सदन की कार्यवाही से संबंधित है।

(समय 12 बजकर 35 मिनट)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह जो केन्द्रीय अधिनियम है।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन उससे इस सदन की कार्यवाही तो नहीं चलती है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 251के अन्तर्गत मैं केन्द्रीय अधिनियम की बात बता रहा हूं। इस केन्द्रीय अधिनियम में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है जो विकलांगों से संबंधित है।

दि परसन्स विथ डिसएबिलिटीज इक्वल अपारचुनिटीज प्रोटेक्शन आफ राइट एण्ड फुल पार्टीसिपेशन ऐक्ट 1905।

मान्यवर, यह जो अधिनियम है उसकी धारा 33 में कहा गया है कि विकलांगता की जो 3 कैटेगरी हैं जिसमें पहली कोटि में दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले, दूसरी में बधिर और तीसरी में शारीरिक रूप से विकलांग। इन तीनों कैटेगिरियों के जो विकलांग लोग हैं उनका लोक सेवा में एक-एक प्रतिशत आरक्षण पृथक-पृथक दिया जायेगा। इन्हें आरक्षण कोटे में प्राप्त सुविधा में समायोजित नहीं किया जायेगा।

मान्यवर, मैं संविधान के अनुच्छेद 251 की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अनुच्छेद 251 में यह .....

श्री अध्यक्ष–

मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। यही कि विधायिका उत्तर प्रदेश का इस विषय में कानून बनाने के लिये सक्षम नहीं थी ?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार सक्षम नहीं थी जिस विषय पर राज्य सरकार ने आज से कुछ दिनों पूर्व अधिनियम बनाया है उसी विषय पर केन्द्रीय अधिनियम भी है, संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची (3) की प्रविष्टि संख्या 23 के अनुसार यदि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों के द्वारा बनाये गये अधिनियम में विरोधाभास है यदि स्टेट का ऐक्ट सेन्ट्रेल ऐक्ट को वायलेट करता है तो ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय अधिनियम ही प्रभावी होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गयी है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

संविधान के अनुच्छेद 251 में लिखा है कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 की कोई बात किसी राज्य के विधान मण्डल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसको है, निर्बधित नहीं करेगी किन्तु यदि किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबन्ध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे उक्त अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति संसद को है, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो। मान्यवर, यह व्यवस्था अनुच्छेद 251 में है और इस विषय पर राज्य सरकार ने जो अधिनियम बनाया है। वह केन्द्रीय अधिनियम के मूल भावनाओं एवं उपबन्धों के विरुद्ध है, इसके लिये इस अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मेरा कहना है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने विकलांगों को जो 3 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की है वह आरक्षण के संबंधित कोटे अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग में समायोजित कर दिया गया है जो केन्द्रीय अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत है क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम में प्रत्येक कोटि के विकलांग व्यक्तियों के लिए एक-एक प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराई गई है और उनको संबंधित कोटे में समायोजित नहीं किया गया है। एक तरफ तो राज्य सरकार यह दर्शा दिया कि विकलांगों को उसने 3% आरक्षण दे दिया है जबकि वास्तविकता यह है कि उन्हें कुछ नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात आ गई। अब आप समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम केवल भारतीय संविधान की व्यवस्था के विपरीत ही नहीं है बल्कि केन्द्रीय अधिनियम की मूल भावना के भी विपरीत है और उस पर आघात करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 300 में अग्राह्य है और यह नियम 300 के उप नियम (2) से भी बाधित है इसलिये अग्राह्य की जाती है। अगली सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही जी की है। शाही जी यह कैसे 300 में आती है।

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम के अन्तर्गत वर्षों बाद विधान मण्डल के समक्ष प्रशासनिक आख्या प्रस्तुत किये जाने पर उठाया गया औचित्य का प्रश्न

* श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कल 11 अगस्त को मद संख्या 10 पर राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रशासनिक आख्या अधिनियम, 1983 की धारा 37 की उपधारा (2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सदन के पटल पर रखी गई। मान्यवर, जो मूल अधिनियम बनाया गया है उसकी धारा 37 (1) में दिया गया है कि न्यास प्रति वर्ष अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगा।

श्री अध्यक्ष–

कल जब प्रारम्भिक आपत्ति उठा रहे थे तो मैंने व्यवस्था दी थी धारा 37 (2) से वह बाधित नहीं है सदन के पटल पर रखने के लिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, धारा 37 (2) में लिखा है कि पूरी रिपोर्ट को राज्य सरकार सदन के पटल पर यथाशीघ्र रखेगी लेकिन 89-90, 90-91, 91-92, 92-93 लगभग 6-7 साल के बाद यह रखी गई। मान्यवर, यह न्यास की स्थिति है। सावन का महीना चल रहा है लाखों धर्मावलम्बी, दर्शनार्थी वहां पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दर्शन के लिये पहुंच रहे हैं। जो रिपोर्ट दी गई है उसमें लिखा है कि 91 में मंदिर की सफाई पर 7,902 रुपये खर्च हुए, प्रकाश व्यवस्था पर 384 रुपये, कर्मचारी कल्याण पर 340 रुपये खर्च हुए और आमदनी 10 करोड़ से अधिक की दर्शा दी गई है। मान्यवर, जो न्यास परिषद् है वह काशी विश्वनाथ मंदिर की उपेक्षा कर रहा है। जिसका नतीजा है कि शिवलिंग के नीचे स्वर्ण अरघा खंडित हो गया है और उसका सोना गायब होता चला जा रहा है अभी तक वह अरघा नहीं बदला गया है और उसके बारे में रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और उसके कार्यों की समीक्षा होगी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है समाप्त करें। रिपोर्ट सदन के पटल रखने का उद्देश्य यह है कि सदन के संज्ञान में आ जाए।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए तो उसमें चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा के लिए मांग करेंगे तो चर्चा के लिए आ जाएगी। नियमों के अनुसार लिया जाएगा जिस दिन पटल पर रखा जाए उस दिन चर्चा थोड़े ही होगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इतनी देर में सदन के पटल पर रखी जाएगी तो चर्चा कैसे होगी। पुजारियों को वस्त्र नहीं मिल रहे हैं सावन का महीना है वहां की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

सूर्य प्रताप शाही जी को सुनने के पश्चात् प्रथम दृष्टया यह रचना नियम 200 में नहीं आती है। इसलिए इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं। रेवती रमण सिंह जी आपकी सूचना कैसे नियम 300 में आएगी।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)––

इन्होंने जो सूचना दी है इसमें अन्त में लिखा है अतः इसको महत्वपूर्ण मामला कोई कार्य स्थगन का दूसरा नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 56 में भी दी है मैंने इसे परिवर्तित कर दिया है माननीय सदस्य ने आग्रह किया था कि नियम 300 में ले लिया जाए इसलिए नियम 56 में इसको काट दिया है।

भर जाति को अनुसूचित जाति न माने जाने के संबंध में उठाया गया औचित्य का प्रश्न

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है यह जो है उसका विरोध कर रहे हैं यह राजभर जातियों से संबंधित मामला है।

---

* सदस्य ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० आर० वर्मा)--

आप जैसे वरिष्ठ सदस्य नोटिस लगावें वह नियमों के अन्तर्गत न हो तो फिर नये सदस्य क्या सीखेंगे, मेरा मतलब सिर्फ इतना था।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खास तौर से राजभर जाति के लिए यह मामला है।

श्री प्रमोद कुमार--

माइक पर दीजिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

दरख्वू राम जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वह नियम 340 में लगा है आप देख लें।

श्री अध्यक्ष--

अब छोड़िए उसे, आपने आग्रह किया मैंने ले लिया।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

ऐसी टिप्पणी इनको शोभा नहीं देती है। मान्यवर, राजभर जाति के समाज लोग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निवास करते हैं। अंग्रेजों और राजभर जाति से लड़ाई होती रही थी इन्होंने राजभर जाति के लोगों को पूरे प्रदेश में क्रिमिनल ट्राइब्स में घोषित कर दिया। मान्यवर 1972 में हाउस आफ कामन्स में एक बिल लाया गया उसमें राजभर जाति को क्रिमिनल ट्राइब्स से [illegible]। इसके बाद मुकुट बिहारी लाल की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया उस आयोग ने [illegible] किसी जाति को क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं कहा जा सकता है.....

और यह संविधान में कहीं भी इस बात के लिए व्यवस्था नहीं थी इसीलिए मुकुट [illegible] इसे डिनोटीफाइड ट्राइब दर्जा दिया था। उसी के अनुसार महाराष्ट्र में उन्होंने राजभर मंत्री जी [illegible] घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो राजभर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं अनुसूचित जाति का दर्जा उनको देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समय समय पर जो अधिसूचना जारी किए हैं उसको आप देखने का कष्ट करें। इस अधिसूचना में भी उनको अनुसूचित जाति को जितनी सुविधाएं हैं वह देने की बात कही गई है। [illegible] 110-26/700, 26 मार्च, 1962 जितनी अधिसूचना सरकार ने जारी की है इन सभी अधिसूचनाओं में उनको अनुसूचित जाति की सुविधाएं दिए जाने की बात कही है। उनको दर्जा तो [illegible] लोगों को न तो दर्जा की सुविधा मिली न ही उनको अनुसूचित [illegible] संविधान के अनुच्छेद 341 को देखने का कष्ट करें। इनमें साफ [illegible]

दी प्रेसिडेन्ट में [illegible] ऑफ रिजर्वेशन [illegible] ऑफ ट्रिबेज एण्ड पार्ट्स [illegible] ऑफ दिस कान्स्टीट्यूशन [illegible] कान्स्टीट्यूशन इन [illegible] इन दी वाज में दी।

श्री अध्यक्ष–

यह राष्ट्रपति महोदय से संबंधित है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचनाओं के माध्यम से राजभर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सुविधाएं दिए जाने की बात कही लेकिन उनको यह सुविधाएं नहीं मिल सकी। उनको बजट भी आवंटित किया गया लेकिन उसको उनके ऊपर खर्च नहीं किया गया। अभी गाजीपुर के सी० जे० एम० कोर्ट ने फैसला दिया है चार तारीख को जिसमें राजभर जाति को उन्होंने अनुसूचित जाति का दर्जा उन्होंने माना है जब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब दें तो साफ तौर पर यह बता दें कि उनको जो संविधान द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की बात की गई है तथा जिसके बारे में तीन जी० ओ० भी निकाले गए हैं वह आप देने के लिए तैयार हैं कि नहीं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कुंवर रेवती रमण सिंह जो वरिष्ठ सदस्य हैं। नियम 300 में लिखा हुआ है कि जानकारी मांगने के लिए औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इससे सदन की कार्यवाही भी बाधित नहीं होती है। नियम 300 के उप नियम (2) के अनुसार औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा। इसलिए यह नियम 300 में नहीं आता है। इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्, संसदीय कार्यमंत्री जी और यह सरकार राजभर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिये तैयार नहीं है इसलिये मैं यह कहता हूं कि आप उनको स्पष्ट निर्देश दें और यहां सुखदेव राजभर जी जो मंत्री हैं वह भी बैठे हैं वह बतायें दें कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति में घोषित करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

कुंवर रेवती रमण सिंह जी और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं पर मुझे विश्वास है कि इस पर यथोचित निर्णय लेकर कार्यवाही की जायेगी। इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

श्री धनी राम वर्मा–

श्रीमन्, संविधान के तहत स्पष्ट है कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाये, इसके बाद भी यह अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने के लिये तैयार नहीं है इसके विरोध में मैं और मेरा दल समाजवादी पार्टी सदन से वाक आउट कर रहा है।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन का त्याग किये)

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया

श्री बी० आर० वर्मा---

मान्यवर, इसलिये वाक आउट कर रहे हैं क्योंकि पहले यह जाति अनुसूचित जाति में थी, इन्हीं के समय में इसको अनुसूचित जाति से हटायी गयी है। हम तो गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और जो तथ्य आयेंगे उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

उत्तराखण्ड के गठन के बारे में पारित प्रस्ताव के बावजूद अभी तक कार्यवाही न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बरीष कुमार---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी नये राज्य का गठन होता है तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत पूर्व राज्य की विधान सभा नये राज्य के गठन पर विचार करती है और विचारोपरान्त अपना निर्णय से राष्ट्रपति को अभिसूचित करती है। दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को इसी विधान सभा में उत्तरांचल के विषय में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें 9 जिलों को रखने का प्रविधान किया गया। मेरी निश्चित जानकारी है कि 17 अगस्त, 1997 को माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून जा रही हैं और वहां पर जो हरिद्वार जनपद है उसको विभाजित करके नगर क्षेत्र हरिद्वार को ऋषिकेश में मिलाकर एक नया जिला सृजित कर उत्तरांचल में मिलाने की घोषणा करने जा रही हैं। इस संबंध में मैंने आपको भी लिखा है उसमें कहा है कि नये जनपद के सृजन का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है लेकिन जब उत्तरांचल को एक पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव इस सदन से पारित हो चुका है तब एक नया जिला सृजित कर उसकी सीमाओं में बदोलतरी करना या घटाने का काम करना या कुछ भी करना हो तो पहले इस पर विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए। यह विधान सभा की नियमावली से संबंधित प्रश्न है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है और इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करके शासन को निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

श्री अम्बरीष कुमार जी को सुनने के पश्चात् चूंकि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य कर रहा हूं। अगली सूचना श्री मित्रसेन यादव जी की है।

* श्री मित्रसेन यादव---

मान्यवर, मैंने जो सूचना नियम 300 के अन्तर्गत दी है वह औचित्य के परिधि में आती है और ग्राह्यता में भी आती है इसलिये कि सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्रि परिषद् या सरकार का कोई माननीय सदस्य कोई मंत्री जो शपथ ग्रहण कर चुका है, वैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध काम करता है तो निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही विनियमित होने में बाधित होता है, इसीलिये इस औचित्य के प्रश्न को आपको स्वीकार करना चाहिए। मान्यवर, माननीय पंचायती राज मंत्री जी 9-8-97 को अकबरपुर जनपद के अम्बेडकर नगर गये थे। .....

उन्होंने जिले के पंचायत कार्यालय का उद्घाटन एक निजी सम्पत्ति पर कर दिया। जाहिर है कि सरकार का कोई भी भवन या कोई भी संस्था की स्थापना ऐसी जगह होनी चाहिये जो जमीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सरकार की हो या सार्वजनिक उपयोग की हो। किसी निजी सम्पत्ति पर शिलान्यास नहीं हो सकता। निजी सम्पत्ति पर शिलान्यास करने के दौर में यहां की महिलाओं ने बड़ा विरोध किया और विरोधस्वरूप धरना दिया। .....

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना नियम 300 में कहां से आ गई। कौन सा अनुच्छेद है, जिसने वैधानिकता को तोड़ा है?

श्री मित्रसेन यादव—

एक मंत्री स्वयं कानून का उल्लंघन करेगा तो क्या यह गलत नहीं है, जमीन भी विवादित है।

श्री अध्यक्ष—

जमीन विवादित है अथवा नहीं, यह सदन तो निश्चय नहीं करेगा। आपकी सूचना नियम 300 में कहीं से नहीं आती, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है।

माननीय मित्रसेन यादव को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद, उनकी सूचना नियम 300 में नहीं आती, इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना विधान सभा सचिवालय से संबंधित है, मैं इसको दिखवा लेता हूं। इस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय तिवारी जी ने कहा है कि वह इस सूचना को वापस ले रहे हैं। अगली सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की है, डंग जी यह बतायें, यह नियम 300 में कैसे आती है?

डा० सरजीत सिंह डंग—

इस सदन में पीठ से बार-बार निदेश दिये गये हैं कि जिले में रिक्तियों की सूचना माननीय सांसदों और विधायकों को दी जायेगी। .....

श्री अध्यक्ष—

कौन सा निदेश है, जिसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी माननीय विधायकों को रिक्तियों की सूचना दें।

डा० सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, मैं उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। जिले में रिक्तियां रिश्वत लेकर भरी जा रही है, स्थानीय प्रतिभाओं को कुंठित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना नियम 300 में नहीं आती। आप वह शासनादेश दिखाइये या अध्यक्ष पीठ का निदेश दिखाइये, जिसमें ऐसा कहा गया हो।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)—

मान्यवर, माननीय सदस्य अपनी सूचना में लिखते हैं कि कृपया लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने का कष्ट करें। यही गलत है।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना अग्राह्य की जाती है।

डा० सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी रिक्तियों की सूचना माननीय सांसदों और विधायकों को देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

किस अधिनियम में ऐसा कहा गया है और रही बात भ्रष्टाचार की, उसका उपचार दूसरा है।

अगली सूचना श्री सत्य प्रकाश सोनकर, श्री भोनू राम सोनकर की है, यह भी नियम में नहीं आती। अगली सूचना श्री सत्य प्रकाश सोनकर की प्रश्न के रूप में है, यह भी नियम 300 में नहीं आती। श्री धर्मज्ञ मिश्र की सूचना भी जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर में चकबन्दी आदेशों का उल्लंघन से संबंधित है, यह भी नियमों में न आने के कारण अग्राह्य की जाती है। श्री अजय कुमार पोइया की सूचना भी 300 में नहीं आती। अगली सूचना श्री चन्द्र नाथ सिंह है, यह भी नियमों में नहीं आती।

श्री चन्द्र नाथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने औचित्य के प्रश्न पर सूचना दी है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 को.....

श्री अध्यक्ष—

नहीं यह सूचना नियम 300 में नहीं आती। अगली सूचना श्री किशन लाल बघेल की है, यह भी 300 में नहीं आती। अगली सूचना डा० कौशल किशोर की इसका भी विधान सभा कार्यवाही संचालन से कोई संबंध नहीं है, यह भी नियम 300 में नहीं आती। श्री गरबर अली की सूचना भी नियम 300 में नहीं आती। अगली सूचना श्री अमर मणि की दो विषयों से संबंधित है, यह भी नियम 300 में नहीं आती।

* श्री अमर मणि—

मान्यवर, यह मंत्रियों के आचरण से संबंधित मामला है। प्रश्न कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। मैंने आर० ई० एस० मंत्री से जानना चाहा था कि अधिनियम के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, मुझे इस नोटिस पर आब्जेक्शन है। किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के संबंध में एक प्रक्रिया है, इस तरह आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री अमर मणि—

मान्यवर, नियमावली का सहारा लेकर मंत्री जी बचने का प्रयास कर रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती। भ्रष्टाचार के संबंध में प्रक्रिया अलग है, आप जब सुसंगत नियमों में देगें तब कार्यवाही की जायेगी।

अगली सूचना श्री छब्बू पटेल की है, वह अनुपस्थित हैं, इसलिए सूचना अग्राह्य की जाती है।

विधान सभा सदस्यों के अधिकारों के हनन के संबंध में उठाया गया औचित्य के प्रश्न

*डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"--

मान्यवर, जो एस० आर० वाई० के तहत जिला अधिकारियों को जो करोड़ों रुपया आवंटित करने का अधिकार है उससे विधायकों के अधिकारों का हनन होता है जिला अधिकारी इस रुपये को रेवड़ी की तरह बांटते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है कि इस क्षेत्र में कौन सा विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है, यह तो विधायक को मालूम होता है। जिलाधिकारी तो महीने में चार बदल जाते हैं इसलिए ब्यूरोक्रेट के हाथों में यह व्यवस्था देना माननीय सदस्यों और सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। एक विकास खण्ड में कम से कम 50 लाख रुपये का प्राविधान है यदि उस जिले में 20 विकास खण्ड में हैं तो 10 करोड़ रुपये बांटा जायेगा जिसका कोई सदुपयोग नहीं है। इसलिए यह प्रश्न सदन से जुड़ा है कि क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के बारे में विधायक अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभा पायेगा तो उसे तनाव बना रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर आप सदन में चर्चा कराने की व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष---

आपकी सूचना नियम 300 में नहीं आती है, इसलिए इसे मैं आग्रह्य करता हूं।

अगली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेई की है। इसमें संसदीय कार्यमंत्री को मैं समुचित निर्देश दे रहा हूं इसके साथ मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 के विधान परिषद् से वापसी की सूचना

[illegible] विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन [illegible], 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) [illegible], 1997 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 1997 को पारित किया गया तथा [illegible] द्वारा [illegible] प्रमाणित किया गया था और दिनांक 4 अगस्त, 1997 को विधान परिषद् सचिवालय में [illegible] उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 [illegible], 1997 को [illegible]

* [illegible] न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 के विधान परिषद् से वापसी की सूचना

सचिव, विधान सभा—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 140 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 1997 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 1997 को वापस प्राप्त हो गया।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 12-8-97 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किया उनमें पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, और श्री गिरीश चन्द्र अग्रवाल की है। दूसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, अब्दुल कलाम, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री वीरेन्द्र सिंह, चौधरी लक्ष्मी नरायन और श्री समर पाल सिंह की है। तीसरी सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट की है। चौथी सूचना श्री राजधारी, श्री गौरी शंकर एडवोकेट की है। पांचवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह, श्री ओम प्रकाश, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री सरवर अली खां और श्री अफजाल अहमद की है। इन्हें नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है।

छठीं सूचना श्री अम्बिका चौधरी और श्री चन्द्र नाथ सिंह की है। सातवीं सूचना श्री संजय गर्ग और कुंवर पाल सिंह की है।

आठवीं सूचना नियम 311 में प्राप्त हुई थी जिसे नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया। यह सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री रामर पाल सिंह और श्री कौकब हमीद की है।

नवीं सूचना नियम 311 में प्राप्त हुई जो श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि श्री राम तेज यादव एडवोकेट और श्री धर्मेश मिश्र की प्रदेश के स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में है।

(श्री प्रमोद कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम विशुन आजाद—

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

शलाका में आयेगी तो उस पर भी सुनी जायेगी। (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण—

मान्यवर, मेरी बात को सुन लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

पहले जो शलाका में आई है उनको सुन लेने दीजिए।

* श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण और एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा करा ली जाय। यह सर्वविदित है कि आज देश जब आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है और भारत के संसद में महिलाओं का आरक्षण विधान सभा और लोक सभा में 33 प्रतिशत हो इस पर चर्चा हो रही है और विधेयक लाने की तैयारी हो रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति इसके ठीक विपरीत है आज यहां महिलाओं का अनुपात सरकारी नौकरियों में लगभग नगण्य है उनका कोई प्रतिनिधित्व नही है जबकि सच्चाई यह है कि आज शिक्षित महिलाएं हर क्षेत्र में, हर जाति में, हर वर्ग में विद्यमान हैं और ऐसी-ऐसी महिलाएं हैं जो केवल न्यूनतम अर्हता ही नहीं रखती हैं क्षमता भी रखती हैं दक्षता भी रखती हैं लेकिन उनका समायोजन नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, यह एक ऐसा देश है जिसका एक इतिहास रहा है यहां रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी महान महिलाएं हुई हैं। मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि महिलाओं को जो भी कार्य सौंपा गया हैं उस दायित्व का उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ, निश्चितता के साथ, योग्यता के साथ निर्वाह किया है। मैं इस लिए आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि यह जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हो।

मान्यवर, मैं इसको बहुत ही गम्भीरता पूर्वक दोहराना चाहता हूं कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं या सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं उनमें 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह प्रश्न उठा सकते हैं कि 50 प्रतिशत का आरक्षण है अब इससे ज्यादा बढ़ाने में सुप्रीम कोर्ट के उस उद्धरण का हवाला देंगे कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, जनजाति का वर्ग हो इनमें जो आरक्षित है जैसे 21 प्रतिशत में 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए इसी तरह से पिछड़े वर्ग का है उसमें जो आरक्षण है उसमें 33 प्रतिशत आरक्षण दे दीजिए तो इस तरह से 50 प्रतिशत में ही यह व्यवस्था हो जायेगी। मान्यवर, इससे प्रदेश की जो आधी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है वह होगा और इसके लिए आजादी के स्वर्ण जयन्ती से बेहतर अवसर नहीं होगा।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री 15 अगस्त से पूर्व इसको स्वीकार कर लें। जितनी भी सरकारी सेवायें है उनमें 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करायें। मान्यवर, हम किसी का भी आरक्षण कम करने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन जो आरक्षित वर्ग हैं उनमें 33 प्रतिशत महिलाओं का कर दिया जाय। और जो 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग का बचता है उसमें 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी भारत की इस संस्कृति व परम्परा से स्वयं भिज्ञ हैं कि यत्र नारियेत् पूज्यते तत्र देवता रमते। मान्यवर चाहे यूरोप हो अमरीका हो जितनी भी प्रगतिशील मुल्क हैं उस राष्ट्र की प्रगति के पीछे उस देश की महिलाओं की सहभागिता है। मान्यवर, लोक सभा और विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात चल रही है। स्वनामधन्य राजीव गांधी जी के प्रयासों से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित हो सकता। मान्यवर, आज हमारी महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में आ रही हैं, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० हो रही है, हवाई जहाज उड़ाने की क्षमता रखती हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का जो प्रश्न हमने रखा है वह अत्यंत लोक महत्व का है।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)—

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी और जगदम्बिका पाल जी की जो चिन्ता है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं जो इनके नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, जिनके सहयोग से सरकार चल रही है, अगर वे लोग भी इसी तरह से चिन्तित हैं। तो जिस तरीके से 33 प्रतिशत आरक्षण की बात हो रही है उसमें 50 प्रतिशत की बात हो। केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन लाकर संविधान में संशोधन कर 33 प्रतिशत ही नहीं 50 प्रतिशत के आरक्षण करने की बात हो।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यहां प्रश्न केन्द्र सरकार का नहीं है। हमने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है। यह प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि राजकीय सेवाओं में 33 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं के लिये सुनिश्चित कर लें उसमें कहीं केन्द्र की अनुमति की जरूरत नहीं है। मान्यवर, इसको गंभीरता से लिया जाय, वहां की केन्द्र की सरकार क्या कर रही है, वहां के सांसद जाने हम यहां विधायक हैं, सदन में इस प्रश्न को रख रहे हैं। मैं बधाई दूंगा और इस प्रश्न को वापस ले लूंगा यदि आप अभी 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव ले आयें। दलों के बंधन को तोड़कर आपके प्रस्ताव का हम समर्थन करेंगे।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, माननीय श्री तिवारी जी ने जो बात यहां पर उठायी है, सभी माननीय सदस्यगण इस बात से विज्ञ हैं और आपको भी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत का बैरियर लगाया है, जिसके आधार पर 50 प्रतिशत का आरक्षण हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का यह कहना है कि जो 50 प्रतिशत आरक्षण है, उसमें 33 परसेन्ट कर दीजिए।

नेता विरोधी दल–(श्री धनीराम वर्मा)—

मैं मान्यवर, जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह 23 परसेन्ट अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिए जो आरक्षण है, उसमें क्या वह 33 परसेन्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आरक्षण अनुसूचित जाति की महिलाओं व 27 परसेन्ट पिछड़ी जाति के आरक्षण में से 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए करने को तैयार हैं कि नहीं, इसे बता दें?

श्री वी० आर० वर्मा—

मान्यवर, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। इसी सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि के आधार पर ही काका कालेलकर व मण्डल कमीशन बना था। उन्हीं की संस्तुतियों के आधार पर आरक्षण लागू हुआ।

श्री धनीराम वर्मा —

पहले आरक्षण दे दिया जाय फिर परीक्षण कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल व माननीय श्री तिवारी जी का कहना यह है कि 27 परसेन्ट पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है, उसी में से 33 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाय। ऐसा नहीं है कि पिछड़ी जाति के पुरुष ही पिछड़े हैं और महिलायें नहीं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के आरक्षण जाति के आरक्षण में से 33 परसेन्ट अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया जाय।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, मैं बता रहा था कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वह सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिये हैं। माननीय सदस्य तो केवल 33 प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम तो कहते हैं कि 50 प्रतिशत होना चाहिये। पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण है, उसमें पिछड़ी जाति की महिलायें भी आच्छादित हो जाती है इसी प्रकार अनुसूचित जाति व जन जाति का जो आरक्षण है, उसमें अनुसूचित जाति व जन जाति की महिलायें भी आच्छादित हो जाती हैं परन्तु ऊँची जाति की जो महिलायें हैं, वह सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी श्रेणी में नहीं आती हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है जब तक कि संविधान में संशोधन न हो। माननीय श्री तिवारी जी व माननीय नेता विरोधी दल, यदि इतने ही संवेदनशील हैं तो बिना नेताओं से यही बात कहें और संविधान में संशोधन करवायें। क्योंकि बिना संविधान में संशोधित के, सभी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहना चाहता हूँ कि मैं उनके जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने बार-बार यह दोहराया है कि मैंने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण करने की बात नहीं की है। मैं यह नहीं मानता हूँ कि उसी वर्ग का पुरुष जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो लेकिन महिला न हो। यह कोई तर्क नहीं है, यह उनकी जिद हो सकती है। यह गलत बात कर रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इसको गम्भीरता पूर्वक ले और इस पर विचार करे। मैंने तो 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण की बात कही है अगर यह 50 प्रतिशत कर रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन यह कहना कि 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जायेगा तो यह कहना उचित नहीं है। कदाचित् वह मेरी बात को समझ नहीं पाये हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 33 प्रतिशत आरक्षण उसी वर्ग में महिलाओं के लिए नौकरियों में हैं जिससे महिलाओं का उन्नयन हो सके और उनको लाभ मिल सके।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, शायद प्रमोद कुमार जी मेरी बात को समझ नहीं पाये हैं। मान्यवर, जहां तक अनुसूचित जाति और जन-जाति की महिलाओं का सवाल है, ओ० बी० सी० की महिलाओं का सवाल है जो आरक्षण व्यवस्था है उससे वह आच्छादित होती हैं। परन्तु जो सवर्ण जाति की महिलायें हैं वह इस आरक्षण की परिधि में नहीं आती हैं। उन्हें इस आरक्षण की परिधि में तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं होता है। अभी संविधान में यह व्यवस्था है कि जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिये आरक्षण की व्यवस्था है।

(श्रीमती गौरी देवी सदन के फ्लोर पर आ गयी और कहने लगी कि यह महिलाओं का मामला है।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्या, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूँ।

श्रीमती गौरी देवी—श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर अपने स्थान पर वापस चली गयीं।

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अब्दुल कलाम और श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह जी की है। मैं चाहूँगा कि एक सदस्य इसमें अपना विचार व्यक्त करें क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस ज्वलंत समस्या और महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। इस प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग का बजट पारित हो चुका है और पूरे सम्मानित सदन ने देखा है कि शिक्षा विभाग के बजट में चाहे वह माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे बेसिक शिक्षा का बजट पारित हो, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार ने चाहे सीनियर बेसिक विद्यालय हो चाहे असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं जो अनुदान सूची में है, उन्हें ग्रान्ट इन एड नहीं दी जा रही है। अध्यापक पिछले 10, 15 वर्षों से 50 रुपया मात्र पर काम कर रहे हैं।.....

इसी तरह से इस बजट से साबित हो गया है कि सरकार जो बसपा और भाजपा के गठबन्धन से बनी है, पूरी तरह से अल्प संख्यक विरोधी है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पांच सौ अरबी-फारसी मदरसे चल रहे है और पिछले दिनों 1,35 मदरसों को अनुदान सूची में लिया गया था उनमें से 68 मदरसों की अनुदान सूची निर्गत हो गयी है और 67 को लेने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस सरकार ने निर्णय लिया है और उस अनुदान सूची को निरस्त कर दिया है जिससे इन मदरसों के हजारों शिक्षकों ने धरना दिया है और वह इसकी मांग कर रहे हैं। मान्यवर, हजारों शिक्षकों के समक्ष भुखमरी की समस्या खड़ी हो गयी है, मान्यवर, यह हजारों शिक्षकों की रोजी-रोटी का सवाल है इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मेरी सूचना बड़ी महत्वपूर्ण है.....

श्री अध्यक्ष—

अगर शलाका में नहीं होगी तो नहीं होगी। व्यवधान डालने की कुछ आदत सी हो गयी है। कृपया आप बैठिये।

(श्री अमर मणि के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सदस्य को सुनूंगा। मैंने पाल जी को सुन लिया है।

श्री अमर मणि—

मान्यवर, इसके महत्व को समझते हुए मुझे एक मिनट का समय दे दें।

मान्यवर, अरबी और फारसी मदरसों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इन शिक्षकों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। उसी सूची के तमाम विद्यालयों को सुविधायें दी जा रही है लेकिन अरबी और फारसी मदरसों को सुविधायें नहीं दी जा रही है।

* श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार की वादा खिलाफी के कारण आज हजारों शिक्षक भुखमरी की कगार पर है। इसका कारण यह है कि उनकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सरकार ने घोषणा किया था कि जो 68 मदरसे रह गये हैं उनको अनुदान सूची पर लाया जायेगा। मान्यवर, उन अध्यापकों की स्थिति यह है कि वह 50-50 रुपये पर बढ़ा रहे हैं तो वह कैसे खर्च चलायेंगे। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनकी सरकार संवेदनशील है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह सरकार संवेदनहीन सरकार है। सीनियर बेसिक विद्यालयों की समस्यायें हैं।

हजारों शिक्षक मारे-मारे फिर रहे हैं। उच्च न्यायालय का आदेश है कि इनको अनुदान दिया जाये, लेकिन उन आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है यह बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, मेरे जनपद का सवाल है, एक मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष—

आज आप देख रहे हैं कि समय का अभाव है। कृपया बैठ जायें। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थिति है तो कुल स्थायी मान्यता प्राप्त 553 विद्यालय है और कुल अस्थायी मान्यता प्राप्त 23 है। कुल 476 है, जिसमें से दो उन्चास को पहले ही अनुदान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूची में लिया जा चुका है और 68 मदरसों को 1996-97 में अनुदान सूची में लिया जा चुका है परन्तु इधर यह सरकार 21 मार्च को बनी और यह कोशिश की गयी, अनुदान देने की जो प्रक्रिया है वह बहुत लम्बी है, तो जो 67 मदरसे थे उनसे सूचना मांगी गयी थी कि जो औपचारिकतायें है वह पूरी है या नहीं, तो सूचना जब आयी थी, उस समय समयाभाव के कारण, 31 मार्च हो गया था फिर समय नहीं मिल पाया कि कोई व्यवस्था की जा सकें।

(समय 1 बजकर 35 मिनट)

मान्यवर, अब वही कार्यवाही जो 1996-97 में नहीं लिये जा सके थे 1997-98 के लिए हम तीव्र गति से करा रहे हैं। इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने के लिए गंभीरता से ले रहे हैं। जो शेष 79 विद्यालय बचे हैं उन्हें अनुदान सूची में लेने पर निदेशक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। और उसके लिए जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, वह कार्यवाही की जा रही है। उनके आवेदन-पत्रों पर मान्यता देने का काम निदेशक अरबी, फारसी मदरसा की तरफ से हो रहा है। हमारी चाहत है जो भी अरबी, फारसी मदरसे हैं उनको हम अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखकर अनुदान सूची पर लाना चाहते हैं। इन मदरसों की मान्यता के लिये भी जो सिस्टम बना है उसके अनुसार मान्यता दे रहे हैं। जहां तक संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों के बराबर वेतन देने का मामला है, वह शासन स्तर पर विचाराधीन है।

नवीन पाठ्यक्रम के लिए भी अरबी, फारसी मदरसा बोर्ड है, वह विचार कर रहा है। इसमें पूर्णकालिक रजिस्ट्रार नियुक्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। जो माननीय सदस्यों की चिन्ता है उसको बहुत गम्भीरता और संवेदनशीलता से लिया है। ताकि इन मदरसों को भी इसका लाभ मिल सके। और मदरसों में लोग जो शिक्षा लेते हैं उनको भी लाभ प्राप्त हो। और जो इनके अध्यापकों की दुर्गति की बात कही है, उसका भी निवारण हो सके। मान्यवर, यह तात्कालिक विषय तो है नहीं हां लोक महत्व का प्रश्न है इस लोक महत्व के प्रश्न को सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। चूंकि इसकी तात्कालिकता नहीं है इसलिए नियम-56 में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं उसे अग्राह्य करता हूँ। तीसरी सूचना माननीय गौरीशंकर एडवोकेट जी की है। आप कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

मान्यवर, शहरी क्षेत्र में जो अकृषि भूमि है उसमें कुछ जमींदारों द्वारा लोगों का शोषण हो रहा है। मनमाने तरीके से अत्याचार हो रहा है। और उनकी सामन्तवादी व्यवस्था में ताण्डव नृत्य हो रहा है। इसको समाप्त करने के लिये 6 मई, 1986 को विधेयक लाने की बात कही गई थी कि इस संबंध में एक विधेयक प्राविधानित किया जायेगा। लेकिन मैं बहुत ही गंभीरता पूर्वक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसके बाद कोई विधेयक नहीं बनाया गया। और जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन ऐक्ट, 56 था वह शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं हो सका। और शहरी क्षेत्रों की भूमि सीमा समाप्त नहीं की

गई। आज स्थिति यह बन गई है कि उन लोगों के जिनके मकान हैं उनके नाम वह जमीन नहीं है और उनके घरों में कोई पेड़ खड़ा है तो उसकी वह एक टहनी भी नहीं काट सकते। बहुत सारे लोग गो बंजर, तालाब, और कब्रिस्तान हैं, उसका मनमाने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह बात कई वर्षों से चली आ रही है।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

ऐसी जमीनों पर कई लोग तहबाजारी, हाटबाजारी आदि की उगाही कर रहे हैं। इस पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। इस पर कोई विधेयक शासन की तरफ से आये इसके लिये आप कृपा कर निर्देश करें। इस सारी कार्यवाही पर विचार करना अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना महत्वपूर्ण लोक महत्व की हो सकती है लेकिन अविलंबनीय नहीं है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

* श्री राजधारी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमन कायम करने की होती है। हमारी सरकार रोज ही भयमुक्त राज का वादा कर रही है लेकिन खेद है कि भदोही जनपद में आये दिन हत्यायें, लूट, डकैतियां बढ़ती चली जा रही है। पिछले 2-3 महीनों में बैंक डकैती, पेट्रोल पम्प की लूट हो रही है। यह घटनायें थाने के बगल में हुयी हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस किसी को पकड़ नहीं सकी है और लूट की घटना में बहादुरी दिखाने वाले लोग आज भी काशी विश्वविद्यालय में भर्ती हैं। यह अविलंबनीय लोक महत्व का सवाल है मैं चाहूँगा कि इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें और सरकार को निर्देशित करें कि भदोही जनपद में जो अराजकता का माहौल बना हुआ है और वहां की पुलिस जो असहाय बनी है जिसके कारण अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगे। लूट की घटना में जो मृतक के आश्रित हैं उनको 2-2 लाख रुपयों का मुआवजा दिलवायें और इस पर चर्चा करायें।

श्री रंगनाथ मिश्र –

मान्यवर, मेरे जनपद का मामला है मुझे 2 मिनट मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब समय नहीं दिया जा सकता।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह 8 अगस्त को 8 बजे रात की घटना है। यह घटना औराई थाने में अंबा पेट्रोल पंप पर हुई है। वहां बदमाशों ने आक्रमण करके वहां नियुक्त गार्ड अमरनाथ की राइफल छीन कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लूटपाट किया और औराई के चकापुर गांव के दया शंकर तिवारी और बुद्धि विष्णु तिवारी वहां उपस्थित थे। उनके द्वारा बदमाशों को पहचान लेने पर बदमाशों द्वारा गोली मारी गयी जिससे मृत्यु हो गयी। मान्यवर, यह काफी गंभीर घटना है। इसको प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसमें 4 लोगों के, प्रमोद सेठ, मुन्नू सिंह, माता प्रसाद, राजेश पाण्डेय के नाम प्रकाश में आये हैं, और उनकी गिरफ्तारी के लिये दबिश दी गयी और इसमें तत्परता के साथ प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही की जा रही है।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

एस० ओ० गोपीगंज को वहां से हटाकर जांच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष –

आप कृपया बैठें।

श्री बी० आर० वर्मा –

इसमें मान्यवर, गंभीरता से और तत्परता से कार्यवाही कराई जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह जो, सूचना है इसकी अन्तिम 4 पंक्तियों पर विशेष ध्यान दे दीजियेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है और मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री राजधारी –

जिन आदमियों ने डकैतों का मुकाबला किया और मारे गये हैं उनको मुआवजा देने के बारे में घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर भी विचार कर लें।

श्री रंगनाथ मिश्र –

मान्यवर, इस घटना में घायल एक आदमी बी० एच० यू० में भर्ती है, उसके पास इलाज के लिये पैसे नहीं हैं। चन्द्रभान सिंह नाम का व्यक्ति है। उसको मुआवजा दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री अवधेश प्रसाद –

मान्यवर, दो घटनायें हैं। एक उन्नाव जनपद की और दूसरी गोरखपुर की है।

श्री अध्यक्ष–

उन्नाव की नहीं इसमें गोरखपुर की घटना का जिक्र है। उस विषय में कुछ कहना हो तो कहें।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, गोरखपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है। गोरखपुर में जनता की इस समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्य कर्ता गोलघर में शांतिपूर्वक ढंग से धरना दे रहे थे। धरना देते समय अचानक अकारण उन पर लाठी चार्ज पुलिस द्वारा किया गया जिससे 10-10 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घायल हो गये। श्री वशीर अहमद जो कि समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के हैं श्री लक्ष्मण यादव सहित 16-16 कार्यकर्ताओं को गम्भीर चोटें आईं। यही नहीं लाठी चार्ज से पुलिस का मन नहीं भरा फायरिंग भी हुई है और आंसू गैस भी छोड़ी गई। कार्यकर्ताओं को तरह तरह के आरोप लगाकर दफा 7, 147, 148, 353 के अन्तर्गत जेल के अन्दर ठूँसने का कार्य किया है। गोरखपुर में जन मानस में भय और आक्रोश व्याप्त है। वहां पर बाजार बन्द हैं काफी हद तक स्कूल बन्द हैं। श्रीमन्, यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और यह सरकार जिस तरीके से दमन के बल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने और उन पर फर्जी मुकदमे कायम करने का काम कर रही है इसकी लोकतंत्र में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। मैं उन्नाव जनपद गया था। बिजली की समस्या को लेकर वहां पर 7 तारीख को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मात्र धरना दिया था। एक सप्ताह से बिजली नहीं आ रही थी। शांतिपूर्वक ढंग से धरना खत्म हो गया था। धरना खत्म होने के बाद रास्ते में 7 बजे पुलिस आकर 5-5 कार्यकर्ताओं, शैलेश कुमार शुक्ल जो कि पार्टी का मंत्री है, सोनकर को भी पुलिस ने.....

श्री अध्यक्ष–

मैं केवल गोरखपुर की घटना पर सुन रहा था आप उन्नाव की घटना बताने लगे।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, कार्यकर्ताओं को जेल में बन्द कर दिया गया। मैं पार्टी की तरफ से जेल में उनसे मिलने गया था। उनको लोहे की सलाखें गरम कर शरीर पर छुवाई गई हैं। मान्यवर, आजाद हिन्दुस्तान में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, जिस तरह का व्यवहार यह सरकार कर रही है। विरोधी पार्टी को विरोधी पार्टी मान कर नहीं बल्कि दुश्मन मानकर कार्य कर रही है। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिये मेरा निवेदन है कि जो लोग शराब पी-पीकर कार्यकर्ताओं को मारा है उनके बदन पर स्वेलिंग आई है मैं आपसे निवेदन करूँगा और आपके माध्यम से शासन से चाहूँगा कि इस मामले की जांच की जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय। एस० ओ० और जो पुलिस अधिकारी है उसको निलम्बित किया जाय। इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये आज की कार्यवाही रोक कर इस गम्भीर मुद्दे पर चर्चा कराई जाय ताकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बन्द किया जाय। यह बहुत ही गम्भीर और लोक-महत्व का विषय है।

(एक सदस्य के बोलने पर)

मान्यवर, इनको भी बोलने का अवसर दिया जाय इनके क्षेत्र का मामला है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष –

कितना कितना समय किस-किस सदस्य को दिया जाय, बता दें। आप जानते हैं कि समय कम है। विनियोग विधेयक पेश होना है। 4 बजे से पहले 4 विभाग के अनुदान हैं उन पर बहस होनी है और चर्चा भी होगी। ठीक है एक मिनट में अपनी बात कह दें। वैसे आपके सूचना पर हस्ताक्षर भी नहीं हैं।

श्री उदयराज यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आज जिस तरह से.....

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी को फिर नहीं सुनुँगा।

श्री उदयराज यादव–

यह सरकार न्याय देने की बात करती है।

श्री अध्यक्ष –

आप कह रहे हैं यादव जी को सुन लें, फिर मैं बाजपेयी को नहीं सुनुँगा।

श्री उदयराज यादव –

मान्यवर 7 तारीख को बिजली की समस्या को लेकर उन्नाव जनपद में...

श्री अध्यक्ष–

उन्नाव जनपद की सूचना नहीं है यह गोरखपुर की सूचना है। उन्नाव का नाम नहीं है माननीय नेता विपक्ष ने कहा था गोरखपुर के बारे में सुन लें।

श्री धनीराम वर्मा–

एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं यह सूचना गोरखपुर के बारे में हैं।

* डा० अशोक बाजपेयी –

मान्यवर, गोरखपुर में दो दिन पहले यह घटना घटी यह सिर्फ गोरखपुर को अकेले घटना नहीं है पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनायें हो रही है। इस प्रदेश में जब से यह सरकार आई है समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न पुलिस द्वारा करवाये जाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, 13 तारीख से समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी आन्दोलन चलने वाला है। इसीलिये समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ पुलिस द्वारा दमनात्मक कार्यवाही की जा रही है यह दमनात्मक कार्यवाही सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा कराई जा रही है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के लोग बिजली की समस्या को लेकर आन्दोलन करते हैं शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं और उन पर पुलिस द्वारा बर्बरता से लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस का काम है लोगों की रक्षा करना, लेकिन पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा के बजाए उत्पीड़न किया जा रहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। पुलिस राजनीतिज्ञों का हथियार बनती जा रही है। इस सरकार द्वारा, पुलिस के द्वारा समाजवादी पार्टी के राजनीतिक व्यक्तियों का उत्पीड़न और दमन का कार्य कराया जा रहा है।

जनतंत्र में इस तरह से लोगों की विचारधारा को दबाने का षडयंत्र किया जा रहा है। जगह-जगह समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। यह सरकार सत्ता के मद में मदान्ध होकर समाजवादी पार्टी के लोगों की आजादी को कुचलना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी संघर्ष करना जानती है वह झुकना नहीं जानती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ यदि समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ हो रही दमनात्मक कार्यवाही नहीं रुकी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता रहा तो प्रदेश में अव्यवस्था पैदा हो जायेगी। समाजवादी पार्टी 13 तारीख से प्रदेश व्यापी आन्दोलन चला रही है, प्रदेश भर में आन्दोलन होगा इसलिए जगह-जगह समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है इसलिए इस सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराएं।

श्री धनीराम वर्मा –

जब से भाजपा-बसपा की सरकार आई है लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं का, समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है यह मुख्यमंत्री जी की साजिश है यह दमनात्मक कार्यवाही चल रही है। गोरखपुर में 10 तारीख को यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता बिजली देने की समस्या को लेकर धरना दिये हुये थे, शान्तिमय धरना देने पर पुलिस ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया। जिले में 16 घंटे तक बन्द रहा। जनता में आक्रोश फैल गया बाजार बन्द हुये। उसके बाद लोगों ने मीटिंग शुरू की और सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया तो पचास-साठ लोगों को पकड़ा गया। मेरे पास कल टेलीग्राम आया था उसमें बताया गया है कि 50-60 लोगों को सरकार ने पकड़वा रखा है कई लोगों को जेल में डाल दिया गया है। कई लोगों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज कराये गये हैं। यह अकेले गोरखपुर की बात ही नहीं है उन्नाव में भी इसी तरह की घटना घटित हुई। बिजली पानी की समस्या को लेकर वहां भी मांग कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ कर आपराधिक मुकदमों में चालान कर दिया गया। उसके बाद उनको हवालात से निकालकर उनकी लोहे की सलाखों से गरम करके पीटा गया जिससे उनको चोटें आई हैं। मैंने श्री अवधेश प्रसाद को भेजा था उन्होंने देखा कि उनके स्वेलिंग थी। लड़के रो रहे थे इस तरह से दमन चक्र इस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।

यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। चाहे बलिया का मामला हो, देवरिया का मामला हो, बरेली का मामला हो सब जगह दमन चक्र चल रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रस्तावित जेल भरो आन्दोलन को शिथिल कर दिया जाए। इसलिए उनको डराया धमकाया जा रहा है। मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह का दमन चक्र चलता रहा तो निश्चित रूप से सड़कों पर आन्दोलन शुरू होगा जिसकी आशा भी नहीं की जा सकती है। समाजवादी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। यह संघर्ष से ही जन्मी है और संघर्ष से ही आगे बढ़ी है। जब तक हमारे लोगों के एक एक बूंद रहेगी हम संघर्ष करते रहेंगे। हम दमन चक्र से डरने वाले नहीं है। मैं मांग करता हूँ कि सारे आपराधिक मामले जो हमारी पार्टी के लोगों पर लगाये गये हैं उनको वापस लिया जाये। इससे ज्यादा लोक महत्व का मामला और कोई नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष –

माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

श्री ओम प्रकाश –

मान्यवर, जब मुख्यमंत्री जी सदन में बैठीं हैं तो उन्हीं से उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष –

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है।

श्री वी० आर० वर्मा—

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। अभी जिस घटना का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे थे यह गोरखपुर के घन्टाघर चौराहे पर 10 तारीख को 12 बजे दिन में ही घटित हुई। चाहे छोटा से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो किसी एक व्यक्ति के हाथ में कानून व्यवस्था की हानि नहीं होने दी जाएगी। यहां पर कुछ लोग रास्ता रोक कर वहां पर जाम किए और निर्दोष जनता के ऊपर जो प्रहार किया गया जो पत्थर फेंके गए, जो लाठी डंडे चलाए गए। इस तरह से जनतंत्र में किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों के अधिकारों का हनन करें। रास्ता रोककर सड़क जाम कर कोई कार्य किया जाएगा तो यह उचित नहीं है। इस तरह से हवालात तोड़ कर , लोगों का सामान लूट लेंगे, लोगों के ऊपर प्रहार करेंगे। .....

(संसदीय कार्यमंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गए)

श्री बी० आर० वर्मा—

इस तरह से चाहे कोई पार्टी हो चाहे किसी जाति का कोई व्यक्ति हो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपनी-अपनी सीट पर चलें। सदन को व्यवस्थित बनायें।

(फ्लोर में आये सभी सदस्य वापस चले गये।)

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। कानून-व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है सीतापुर में एक दरोगा मार दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

मिश्रा जी आप बैठ जाए पहले संसदीय कार्यमंत्री जी की बात सुन लें।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, जो 16 व्यक्ति इस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ संगत नियमों में कार्यवाही की गयी है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया है।

श्री ओम प्रकाश—

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री हमेशा सदन में उत्तेजना फैलाकर सदन को गुमराह करने का काम करते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, हम लोग आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करने के लिये तैयार हैं और करते भी हैं। सदन यह बात अच्छी तरह से देख रहा है कि आप जिस सवाल का जवाब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को देने के लिये कहते हैं तो पता नहीं क्यों वह इन सारे सवालों से भागना चाहते हैं, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते और जानबूझकर उत्तेजना फैलाने का काम करते हैं कि यह कभी भी न सदन में सम्मान प्रदर्शित करते हैं, और न आपकी पीठ पर न सदन की गरिमा पर आदर भाव रखते हैं। सदन के संचालन की जिम्मेदारी संसदीय कार्यमंत्री होने के नाते इनकी साधारण सदस्यों से ज्यादा है लेकिन इनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि कैसे यह सदन सुचारु रूप से न चले। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं तो इनके इस आचरण की भर्त्सना करने की कृपा करें, इनकों यह निर्देशित करें कि ऐसी कोई हरकत न करें जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो। मान्यवर, आपने सुबह ही कहा था कि सदन को समयबद्ध ढंग से चलाना है क्योंकि 4 बजे विनियोग विधेयक है हम तो आपके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मान्यवर, जब तक संसदीय कार्यमंत्री जी मर्यादित नहीं होंगे तो यह सदन कैसे चलेगा? इनका सदन में जो आचरण है उसको सारे प्रदेश की जनता देख रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जो सत्ता का दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। मंत्री जी के पास जो सूचना है उसके आधार पर अपनी बात कह रहे थे, हो सकता है कि आप उससे सहमत न हों। आपने सरकार पर आरोप लगाया उसका संसदीय कार्यमंत्री जी ने खण्डन कर दिया।

श्री ओम प्रकाश—

मान्यवर, धरना, प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

पहले धैर्य पूर्वक इनकी बात सुन लें, यह कोई आवश्यक नहीं है कि आप इनकी बात से सहमत हों, हो सकता है कि आप उनकी किसी बात से सहमत न हो लेकिन जो परम्परा है, स्थापित नियम हैं उसके अनुसार चलें।

श्री ओम प्रकाश—

मान्यवर, संविधान में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है हम धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन संसदीय कार्यमंत्री जी का यह कहना कि लूट कर रहे थे यह घटिया आरोप है।

श्री अध्यक्ष—

इन्होंने कहा कि लोगों पर ईंट-पत्थर चला रहे थे हो सकता है कि आप सहमत न हों लेकिन पूरी बात सुन लें।

श्री बी०आर०वर्मा—

मान्यवर, मेरा सभी सदस्यों से अर्ज है कि जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो उनको मैं धैर्य-पूर्वक सुनता हूँ, बड़ी कृपा होगी यदि माननीय सदस्य कम से कम मेरी भी बात को धैर्य-पूर्वक सुनने की कृपा करेगें।

श्री बाबू राम यादव—

घटना की वास्तविकता क्या है, हम वह सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनकी दृष्टि में जो वास्तविकता है, वह बयान कर रहे हैं।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, जो लोग रास्ता जाम कर रहे हैं, पुलिस द्वारा रास्ता साफ कराया गया। गुलरेज अहमद, वसीम अहमद, शकील अहमद, लक्ष्मण यादव, राजकुमार, आनन्द शर्मा, इस तरह कुल 16 लोग हैं, उन 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा अपराध संख्या—780/97 अन्तर्गत 143, 331, 336 धारा में कायम किया गया। मान्यवर, जो तथ्य हैं, मैं उनको छिपाना नहीं चाहता। यह ठीक है कि स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता जब स्वच्छन्दता में बदल जाती है तो कानून को सामने आना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, दूसरों के अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं है, इसलिये यदि ऐसी बात होती है तो प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सामने आना पड़ता है।

जिस तरह लोगों को मौलिक अधिकार मिला है, उसी के अनुसार यदि लोग मर्यादित आचरण करें तो कहीं पर इस तरह की आवश्यकता न पड़े। जो भी आरोप लगाये गये हैं, मैं उनका खन्डन करता हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, उनको यह जानकर नहीं किया गया है कि उनकी जाति, धर्म, मजहब या पार्टी क्या है। अपराधी को अपराधी मानकर गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया है और कार्यवाही करने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में जंगलराज समाप्त करके कानून का राज कायम हो, इसके लिये कार्यवाही की गई है। गोरखपुर के बारे में कहना चाहूंगा कि अपराधी के अपराध के तहत एफ०आई०आर० हुई है। यह कहीं से लोक महत्व का विषय नर्नहीं है, न ही इसमें तात्कालिकता है, इसलिये यह नियम 56 में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत ही संयमित भाषा में अपनी बात कह दी है।

श्री धनी राम वर्मा—

धरना, प्रदर्शन, रास्ता जाम जो शान्तिमय ढंग से किया जा रहा था, उसके लिये कहा गया कि अशान्तिमय था। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर धरना, प्रदर्शन, रास्ता जाम करना अपराध है तो कानून यह बनना चाहिये कि भविष्य में कभी कोई धरना, प्रदर्शन, नहीं करेगा, रास्ता जाम नहीं करेगा, मैं इसके लिये तैयार हूँ। लेकिन अगर धरना, प्रदर्शन, रास्ता जाम करने पर झूठे मुकदमों में फंसाया जायेगा तो समाजवादी पार्टी यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। झूठे मुकदमों में फंसा लीजिये, आप भी उस दिन के लिये तैयार रहिये, आपका भी समय आयेगा। यह मनमानी नहीं चलेगी, इस तरह सदन नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को आग्रह्य घोषित कर रहा हूँ।

अगली सूचना डा० वकार अहमद शाह, श्री ओम प्रकाश, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री सरवर अली खाँ, श्री अफजाल अहमद की है। मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई एक माननीय सदस्य बोल लें।

डा० वकार अहमद शाह—

मान्यवर, दो सदस्य बोलेगें।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मेरे जनपद बहराइच में तहसील नानपारा में एक जिला पंचायत सदस्य श्री मतलूब अहमद हैं जिनके घर की ४ तारीख को वहां के पुलिस इंसपेक्टर श्री लल्लूराम दिवाकर ने कुर्की की कार्यवाही शुरू करने गये। घर पर कोई मर्द नहीं था। घर पर श्री मतलूब अहमद की पत्नी थी जिससे पुलिस ने पूछा की घर में कौन-कौन है। पत्नी के पूछने पर कि आप लोग यहां क्यों आये हैं? इस पर पुलिस इंसपेक्टर ने उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दीं और छोटे बच्चों को पुलिस ने परेशान किया तथा उनकी कुर्की के दौरान कुरान की पवित्र किताब को उठाकर फेंक दिया। उनके एक विकलांग नौकर मुस्तफा को पुलिस ने लात मारी। इस संबंध में नानपारा में दो दिनों से हड़ताल है अखबार में यह कथा रोज निकली है। पुलिस वहां मुसलमानों में आतंक फैलाये हुये है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इसलिये इस पर आप तत्काल बहस करायें और जो अधिकारी उसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की जाय। मैं चाहता हूँ कि इस सदन को सर्वदलीय समिति बनाकर इस घटना की जांच के लिये वहां भेजे। ऐसे महत्वपूर्ण घटना की सी० बी० आई० से जांच की मैं मांग करता हूँ।

मान्यवर, बसपा और भाजपा की गठबन्धन की यह सरकार है। एक पार्टी धार्मिक स्थानों को तोड़ती है और दूसरी पार्टी कुरान का अपमान कर रही है। पुलिस ने जो कुर्की की कार्यवाही किया तो उसमे महिला सिपाही नहीं थी। मैं जब रात में 10 बजे वहां पहुंचा तो इस सम्बन्ध में डी० एम०, एस० पी० को फोन किया तो उन्होंने कहा कि सी० ओ० को भेज देंगे लेकिन वह नैपालगंज में काला जादू देख रहे थे और मौके पर नहीं आये। इसलिये बहराइच जिले में मुसलमानों में भी बहुत आक्रोश है। इसलिए निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के साथ यह सरकार जो अत्याचार कर रही है और मुसलमानों का जो अपमान कर रही है उसके लिये आप सरकार को निर्देशित करें कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन्हें तत्काल निलम्बित किया जाय।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, दिनांक 8-8-97 को नानपारा की पुलिस ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना मतलूब अहमद के घर में जाती है और कुर्की की कार्यवाही शुरू करती है जिस पर घर की औरतों ने कहा कि इस समय घर में कोई पुरुष नहीं है इसलिए कुछ समय के लिये इंतजार कर लें लेकिन पुलिस नहीं मानी और घर के सामान को इधर उधर फेंकने लगी। श्री मतलूब अहमद की पत्नी नमाज

पढ़ रहीं थीं जिसको पुलिस ने नमाज पढ़ने से अलग किया और पुलिस कोतवाल ने उनकी कुरान की किताब को उठाकर फेंक दिया। नेता सदन यहां बैठी हैं वह मुसलमानों की हितैषी होने का। × × ×।

श्री अध्यक्ष –

इसे कार्यवाही से हटा दें।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट –

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह सरकार कोई कानूनी कार्यवाही करने से पहले जो कानूनी तरीके होते हैं उसके हिसाब से कार्यवाही नहीं करती है। पुलिस कुर्की करने गई लेकिन कोई महिला सिपाही नहीं ले गयी थी और पुलिस जबरदस्ती उनके घर में घुस गई थी। जब औरतों ने कहा मर्द नहीं हैं तो भी पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सामान को इधर-उधर फेंकने लगी। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि श्री मतलूब अहमद का पहले बसपा पार्टी से सम्बन्ध था लेकिन जब वह इस पार्टी से समाजवादी पार्टी में चला गया तो।.....

लेकिन मान्यवर, यह इनकी हाथी वाली पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया तो वह मारा जायेगा। जेल में बन्द किया जायेगा। मान्यवर उनकी गाड़ी, एल पी गाड़ी है लम्बी तो उसके कितने कागजात थे पुलिस ने उनको ले लिया और पुलिस कप्तान उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, सी० ओ० कोई जवाब नहीं दे पाते। मान्यवर वहां 5-6 समाजवादी पार्टी के विधायक और सब लोग गये हैं वहां की जनता काफी उद्वेलित है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें सरकार का जो पक्ष आयेगा सो आयेगा, इसमें मान्यवर, चर्चा का अवसर दें ताकि तथ्य सामने आ जायें। मान्यवर नेता सदन ने जो रवैया पूरे प्रदेश में मुसलमानों के प्रति अपना रखा है उन्हें जेल भेजना, रासुका लगाना, गुन्डागर्दी में बन्द कराना, यह अच्छी बात नहीं है। मैं आप से चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके मकान और सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिये आप सख्त से सख्त निर्देश इस सरकार को देने की कृपा करें और इसकी कोई उच्चस्तरीय जांच हो जिससे मौजूदा सरकार का जो रवैया है समाजवादी पार्टी के लोगों को घेर कर मारने, कत्ल करने आदि को वह रोक सकें। अगर यह बात नेता सदन सुश्री मायावती के संज्ञान में आ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

* श्री ओम प्रकाश (गार्जीपुर) –

श्रीमन्, जब से सदन चल रहा है तब से यह सरकार हर कार्य बदले की भावना से कर रही है और समाजवादी पार्टी के लोग उनके हर कुकृत्यों, जालिम हरकतों का विरोध कर रहे हैं, सड़क से लेकर विधान सभा तक। इससे सरकार बौखलाहट में है।

मान्यवर, नानपारा में जो घटना हुई है उससे यह साफ जाहिर है कि सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। यह सरकार अल्पसंख्यकों को जेल भेजने का काम कर रही है और × × ×। होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उत्पीड़न कर रही है इससे पूरा जनमानस उद्वेलित है।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, कोतवाली के इन्चार्ज और लोगों ने जो जुल्म किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें और जहां तक सरकार के कुकृत्यों का प्रश्न है यह सरकार [× × ×] सरकार ही नहीं है यह [× × ×] की कुतुबमीनार सरकार है। यह सरकार ऐसे जुल्म कर रही है उससे ऐसा लगता है कि यह प्रदेश की अन्तिम सरकार है। यह जितना चाहे जुल्म करती रहे इसको कोई रोक नहीं सकता है।

[शोर]

श्री दल बहादुर कोरी –

मान्यवर, यह असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष –

जितना असंसदीय है उसको मैं निकलवा दूंगा।

[व्यवधान]

श्री बी० आर० वर्मा –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूँ जिन माननीय सदस्यों की बातों को मैंने ध्यान से सुना है, गम्भीरता से सुना है वह कृपा करके मेरी पूरी बात को सुन लेंगे यह उनकी मेरे ऊपर कृपा होगी।

मान्यवर, यह नानपारा की 8.8.7 की थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत श्री मतलूब अहमद पुत्र श्री मकबूल अहमद निवासी करतानिया रोड कस्बा नानपारा बहराइच की चल सम्पत्ति की कुर्की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर के आदेशानुसार मु०सं० 288/93, मुकदमा अपराध संख्या 30/93 धारा 279/411 भारतीय दण्ड विधान 11 पशु निर्दयता अधिनियम 5 (क) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर के अभियोग में की गई है। मान्यवर, ये वहां के सी०जी०एम० के आदेश थे। कुर्की करने के और आदेश के अनुपालन में वहां कुर्की की गई। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां महिला आरक्षी नहीं थी, तो वहां पर उर्मिला अवस्थी व रामदुलारी को भेजा गया था तथा श्री साकिर हुसैन, श्री वहीदुल हसन निवासी कस्बा नानपारा व दो अन्य गवाहों के समक्ष धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के वारंट तथा इस्ताहार की जानकारी प्रदान करते हुए पढ़कर सुनाया गया। मकान के अन्दर जो चल सम्पत्ति थी उसको गवाहों के समक्ष, जो माननीय सदस्य का आरोप है कि कुरान को अपवित्र किया गया तो उस समय मान्यवर उपनिरीक्षक श्री अनवारूल हक थे।

डा० वकार अहमद शाह –

मान्यवर, यह झूठ बोल रहे हैं अनवारूल हक नहीं था।

श्री अध्यक्ष –

बिना व्यवधान के आपकी बात को सुना गया है आप भी बिना व्यवधान के सुने।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

कोई सूची भी नहीं दी गई। 25 लाख की सम्पत्ति उठा ली गई।

श्री बी० आर० वर्मा–

इस एस० आई० के द्वारा यह कुर्की कार्यवाही की गई है और मान्यवर जिस व्यक्ति की कुर्की की गई है वे मान्यवर मतलूब अहमद पर नानपारा थाने में मात्र 10 मुकदमें हैं। थाना नवाबगंज में 2, मोतीपुर में 1, तथा पांच मुकदमें फारेस्ट अधिनियम के अन्तर्गत हैं। मान्यवर नानपारा में जो हिस्ट्रीशीट है वह 57ए हैं। वह समाजवादी पार्टी का हो या किसी का हो, हमारे लिये अपराधी है।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, सदन की एक समिति भेज दें, मुकदमों के बारे में जानकारी कर ले, यदि मेरी बात गलत हो तो जो कहें मैं सजा के लिये तैयार हूँ। यह पुलिस के बल पर सरकार चल रही है।

श्री अध्यक्ष –

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

श्री धनी राम वर्मा –

श्रीमन्, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी बयान दिया है, पार्टी बंदी पर आधारित है। इस तरह का बयान संसदीय कार्य मंत्री जी को शोभा नहीं देता था। मैं यहां यह कहना चाहता हूँ, मान्यवर आप भी भिज्ञ हैं और सारा सदन इस बात का जानकार है कि कहीं कुर्की के लिये जब जाते हैं तो सामान्य तौर पर कोई महिला सिपाही नहीं जाती हैं और आज क्या हो रहा है कि जब देख लिया कि फंस गये तो महिला सिपाही का नाम जोड़ दिया, चूंकि पुरुष वहां था नहीं । यह सब झूठ पर आधारित बयान है और यह अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित करने का और पार्टी बन्दी के आधार पर साजिश कर सब किया गया है। इसके विरोध में मैं अपने दल सहित सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री धनी राम वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के उपरान्त मैं सूचना को निरस्त करता हूँ।

श्री बी० आर० वर्मा –

मान्यवर, यह मुकदमें आज के नहीं हैं, पहले के हैं।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी –

मान्यवर, दो मिनट सुन लें।

मान्यवर, आपने मुझे लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण प्रश्नपर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।.....

*श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग यहां पर जनता के हितों से संबंधित विषयों पर अपनी आवाज उठाते हैं लेकिन बार-बार यह देखा जा रहा है कि विरोधी दल के साथी जब आवाज उठाते हैं तो बड़े हिस्ट्रीशीटर व बदमाशों के नाम इनके आते हैं। इसलिए पहले यह स्पष्ट कर दें कि प्रत्येक जिले में जो हिस्ट्रीशीटर्स हैं। इसमे कौन बदमाश इनके दल का है

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस प्रश्न पर सरकार को विवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान्यवर, गंगा नदी इस सूबे से निकलती है। बलिया जनपद इस प्रदेश का आखिरी जनपद है उसके बाद बिहार शुरु हो जाता है। बलिया जिले में जहां से गंगा बहती है, वहां पर एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। वहां पर गंगा नदी अपनी धारा परिवर्तित कर रही है। स्थिति यह है कि कम से कम 6 हजार एकड़ जमीन व दो गांव पिछले साल गंगा की धारा में विलीन हो गये। मेरे पास इसकी रिपोर्ट है। मैं इसकी प्रति आपको व माननीय सिंचाई मंत्री जी को दे दूंगा। 14 गांव इस साल गंगा की धारा में विलीन हो जायेंगे। गाजीपुर और हाजीपुर के लिए जो नेशनल हाइ-वे प्रस्तावित है, वहां तक गंगा की यह परिवर्तित धारा के पहुंचने का खतरा है। इससे यह सड़क पूरी तरह से कट जायेगी। इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि बेरिया थमनपुरा बांध इस गंगा नदी में बह जायेगा और लाखों लोग तबाह हो जायेंगे।

मान्यवर, 85 लाख रुपये की एक योजना टी० ए० सी० व जी० एफ० सी० सी० ने स्वीकार कर ली थी और सरकारी अधिकारियों ने भी उस योजना को स्वीकार कर लिया था और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई थी, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस 85 लाख रुपए को देकर इस परियोजना को अविलम्ब पूरा किया जाय ताकि जो लाखों लोग तबाही के मुंह में जा रहे हैं उनको बचाया जा सके। यह एक गम्भीर विषय है यदि समय रहते इस क्षेत्र को नहीं बचाया गया तो हमारे पास फिर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रह जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर, सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष

माननीय सदस्य को सुनने के बाद, मैं इस सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य करता हूं परन्तु इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। अगली सूचना श्री संजय गर्ग जी की है।

आप लोग बैठ जायें। जब क्रम आयेगा तब मैं बुलवा लूंगा। अगर शलाका में आयी होगी तो जरुर सुनूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र का मामला है। आज गंगा की कटान से कई गांव डूब गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप सत्ता पक्ष के सदस्य होकर नियम 56 में बोल रहे है। आप बैठ जायें। अगली सूचना श्री संजय गर्ग और कुंवर पाल सिंह जी की है मैं उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं अगली सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री समर पाल सिंह व श्री कौकब हमीद जी की है, मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष

माननीय वर्मा जी कृपया बैठ जायें। मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय समर पाल जी आप पहले भी एक सूचना पर बोल चुके हैं। एक सदस्य को दो सूचना पर नहीं सुना जाता है। मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। अभी ढाई बजे हैं और बहुत सी अनुदान की मांगे अभी ली जानी है। आप कृपया बैठ जायें। यदि आप नहीं मान रहे हैं तो मैं अनुदान की मांगों में समय की इसमें कटौती कर दूंगा। ठीक है आप बोलें लेकिन दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इस पूरे सदन के संज्ञान में है, जो बजट इस सदन ने पास किया है उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वांचल विकास निधि, उत्तरांचल के विकास के लिए उत्तराखंड विकास निधि और बुन्देलखंड के विकास के लिए बुन्देल खण्ड विकास निधि बनायी गयी है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, उसके विकास के लिए किसी निधि का प्राविधान नहीं किया गया है। क्या यह सरकार की मंशा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यह सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने विकास किया है कृषि के क्षेत्र में देश को खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी बनाया लेकिन किसी के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपनी कर्मठता के बल पर। सिर्फ कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ तो इसका मतलब यह नहीं है कि आज वहां पर सड़कों की आवश्यकता नहीं है, पेयजल की आवश्यकता नहीं है बिजली की आवश्यकता नहीं है स्वास्थ्य और चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के लिए तरस रहा है। मेरठ मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं सहारनपुर से चुनकर आयी हैं, आज वहां पर सड़कों की क्या हालत हो गयी है, पेयजल की समस्या कितनी खराब हो गयी है, बिजली वहां पर केवल एक दो घंटे आती है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। दो मिनट हो गये हैं।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आपने दो मिनट की पाबन्दी लगा रखी है। मैं यह मांग करता हूं कि जिस तरह से पूर्वांचल विकास निधि बनायी गयी, बुन्देलखंड विकास निधि बनायी गयी, उत्तरांचल विकास निधि बनायी गयी है उसी तरह से पश्चिमांचल विकास निधि की भी स्थापना की जाय। मान्यवर माननीय मुख्य मंत्री जी पश्चिम से चुनकर आयीं हैं और अगर उसके लिए यह सौतेलापन होगा तो इससे बुरी बात और नहीं हो सकती है। वह इस सदन में मौजूद हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि वे पश्चिमांचल विकास निधि की घोषणा करें।

(समय 2 बजकर 35 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

इन सूचना पर तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। मैं कितने लोगों को सुनूं?

* श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, पश्चिमी अंचल का सवाल है। एक मिनट सुन लें।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड के विकास के लिये, बुन्देलखण्ड विकास निधि और उत्तराखण्ड के विकास के लिये एक अलग विकास निधि निर्धारित की गयी है लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये किसी विकास निधि का निर्धारण नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आतीं हैं, लेकिन उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये किसी विकास निधि का निर्धारण नहीं किया है। श्रीमान हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वहाँ पर कोई सम्पर्क मार्ग के लिये धन नहीं है, जलाशय बनाने के लिये धन नहीं हैं और उद्योग धन्धों को लगाने के लिये धन नहीं है। इस कारण हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के विकास के लिये विकास निधि की घोषणा होनी चाहिए। आप इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर माननीय सदस्यों को सुनने के बाद अग्राह्य करता हूँ, लेकिन शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

ठीक हैं, आप बोल लें। अनुदान पर बहस के समय में कटौती होगी। उस समय आप न कहें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कृपया आप बैंठ जायें।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय श्री समरपाल सिंह जी आप बैठ जायें। आपकी बात हो गयी है। माननीय वर्मा जी, आपकी बात हो गयी है।

(श्री समरपाल सिंह व श्री कौकब हमीद सदन के वेल में आ गये)

आप कृपया अपने स्थान पर चलें।

(श्री समरपाल सिंह व श्री कौकब हमीद सदन के वेल से वापस गये)

श्री समर पाल सिंह–

चूंकि आप कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूँ।

(श्री समरपाल सिंह व श्री कौकब हमीद सदन त्याग कर चले गये)

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

आज पूरे प्रदेश में एक लाख सफाई कर्मचारी है और उनको दो माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के सवाल को लेकर उन्होंने धरने और प्रदर्शन किये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस दिन बजट भाषण पढ़ा था उस दिन भी मैंने इसको नियम 56 में दिया था। उन पर लाठी चार्ज हो रहा है।

उन पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की बड़ी खराब हालत है। जितनी दयनीय स्थिति उनकी है उतनी किसी अन्य कर्मचारियों की नहीं है। आज हम स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और हमारा देश 21वीं सदी में जाने की बात कर रहा है। लेकिन प्रदेश का जो सबसे निर्बल है, जो सफाई पेशे में लगा हुआ है उनके वेतन की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रंगनाथ मिश्र पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षेप करें।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मैंने पहले भी इस सदन को अवगत कराया था आजादी के बाद बराबर सफाई कर्मचारी की उपेक्षा हो रही है। उनके वेतन व्यवस्था को लेकर यहां सवाल उठाये गये लेकिन इन सफाई कर्मचारियों की वेतन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री अपने को दलित समाज की कहती हैं। और उनकी बड़ी दुहाई देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन दलितों की आज तक हालत नहीं सुधर सकी। और दलितों में भी महा दलित यह सफाई कर्मचारी हैं उनके वेतन को व्यवस्था नहीं हो पाई है। अपने को दलितों का हिमायती कहने वाली यह सरकार उन सफाई कर्मचारियों के बारे में बिल्कुल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिन्तित नहीं है। उनके बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, फीस के अभाव में उनके नाम कट गये हैं और बच्चों के लिए किताब और कपड़ों की व्यवस्था वह नहीं कर पा रहे हैं। वह भूख से मर रहे है, उनके घरों की तबाही हो रही है, उनके जी० पी० एफ० में जो करोड़ों रुपया जमा होना था वह भी जमा नहीं हुआ है। (व्यवधान)

अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें और बैठें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय नेता सदन बैठी हैं जो दलितों की हिमायती अपने को कहती हैं। अगर उनमें नैतिकता है अपने को दलित समाज से बताती हैं और दलितों से हमदर्दी रखती हैं तो घोषणा करें कि उनके वेतन की व्यवस्था कर दी जाएगी। व्यवधान।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें। मैं अब इजाजत नहीं देता।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

वह एक विशेष जाति की बात करती हैं। आज प्रदेश में दलितों की स्थिति बहुत दयनीय है, सफाई कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था की बात नहीं की गई है जो एक लाख से ऊपर सफाई कर्मचारी हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है, अतः अस्वीकार की गईं। जिनके नाम इस प्रकार हैं।

श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती गौरी देवी, श्रीगोपालकृष्ण, श्री अवधेश प्रसाद, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्री छोटेलाल गंगवार, श्री राम सिंह सैनी, श्री अम्बरीष कुमार, श्री रामनक्षत्र, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री समरपाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री राजाराम पाण्डेय, श्री सीताराम निषाद, श्री सुबाषचन्द्र श्रीवास्तव, श्री अमरमणि, श्री रामप्यारे, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री मुन्ना चौहान, श्री विक्रमजीत मौर्य, श्री रामनक्षत्र, डा० अशोक बाजपेई, श्री रामपाल राजवंशी, श्री श्यामसुन्दर शर्मा, श्री रामपाल राजवंशी, कुंवर रेवतीरमण सिंह, श्री गौरीशंकर एडवोकेट, श्री अमरमणि, श्री महाराजसिंह यादव, श्री रामवीर सिंह, श्री रामविशुन आजाद, श्री रामपाल सिंह, श्री श्यामलाल रावत, डा० अशोक बाजपेई, श्री धनीराम वर्मा, डा० अशोक बाजपेई, श्री अवधेश प्रसाद, श्री उदयराज यादव, श्री अवधेश प्रसाद और श्री सीताराम निषाद।

(मद सं० 10 पुकारे जाने पर।)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह कैसे होगा ?

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मेरी सूचना बड़ी महत्त्वपूर्ण है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं० 86 सूचना विभाग, अनुदान सं० 26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान सं० 27 गृह विभाग तथा अनुदान सं० 84 सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86 सूचना विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11, 02, 62, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26 गृह विभाग (पुलिस) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5, 13, 69, 65, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, आप समय नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती गौरी देवी सदन के वेल में आ गयीं और एक कागज फाड़कर फेंका।

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मेरे क्षेत्र का महत्वपूर्ण मामला है। प्रदूषण फैल रहा है आप समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम 51 में स्वीकार हो गयी है। जब स्वीकार हो गयी है तो अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आपने कहा था कि मुझे सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम 51 लेंगे तो सुन लेंगे।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 28, 46, 85, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84 सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया विचार रखें।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, प्रस्तुत इसी समय हो जायं।

श्री अध्यक्ष–

जिन पर विवाद नहीं है उनको बाद में करवा लें

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आपके इंगित करने के बाद भी नेता सदन को जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या करना है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

जिन मांगों के बारे में यहां विचार विमर्श होना है उनको एक साथ प्रस्तुत करवा दिया है। जिन पर विवाद नहीं होगा उनको अलग से प्रस्तुत करा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10(4) तक की मदों को प्रस्तुत कर दिया है अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचार प्रस्तुत करें जिन मदों पर विवाद नहीं है वह बाद में आ जायंगी।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मद संख्या 10 के अन्तर्गत जो मैंने अनुदान मांगें प्रस्तुत की हैं इनके बारे में मैं लम्बी चौड़ी बात न रखते हुए बहुत थोड़े लफ्जों में आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने लॉ एण्ड आर्डर के मामले में अपराधों को रोकने के मामले में काफी कठोर कदम उठाये हैं। हमने सरकार बनने से पहले की परिस्थितियों को भी उत्तर प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश में जब प्रेसीडेंट रूल था तो गुन्डागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म ज्यादती, हर प्रकार का अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहा था। प्रदेश के कोने-कोने से एक ही आवाज सुनने को आ रही थी कि प्रेसीडेंट रूल में इन डायरेक्टली एक ही पार्टी का राज चल रहा था। ऐसा जनता के द्वारा सुनने के लिये मिल रहा था और जिस पार्टी का राज चल रहा था वह पार्टी समाजवादी पार्टी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें।

सुश्री मायावती–

समाजवादी पार्टी प्रेसीडेंट रूल में अप्रत्यक्ष रूप से अपना राज चला रही थी और नतीजा क्या हुआ। यह प्रेसीडेंट रूल में हर प्रकार की गुण्डागर्दी, माफियागर्दी, जुर्म ज्यादती बड़े पैमाने पर हो रही थी। तब हम लोगों ने यह फैसला लिया।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई व्यवस्था नहीं। मुख्य मंत्री जी अपने विचार रख रही हैं बजट पर। आप कृपया बैठ जायं।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, तब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फैसला लिया कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखकर, गरीबों, मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर विचार धारा अलग-अलग होने के बावजूद भी मिली-जुली सरकार बना लेनी चाहिए। 21 मार्च, 1997 को उत्तर प्रदेश में कोलीशन गवर्नमेंट बनी और जब कोलीशन गवर्नमेंट बनीं तो हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर यह फैसला लिया कि सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर को बढ़िया बनाना होगा। हर प्रकार के अपराधों को रोकना होगा। इसलिये हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उटाये और आपके माध्यम से मैं सदन को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि 8 अप्रैल से लेकर 23 मई तक हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया और इस अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई।

..... और लगभग इस पीरिएड के अन्दर 98 हजार अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार ने कार्यवाही की और हमने जो विशेष अभियान चलाया इस अभियान के तहत गुंडा ऐक्ट, गैंगस्टर ऐक्ट, एन० एस० ए० और दूसरे ऐक्टों के तहत हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके उत्तर प्रदेश में अमन-चैन का वातावरण पैदा किया।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

कानून व्यवस्था जो प्रेसीडेन्ट रूल में बिगड़ी, उसको बढ़िया बनाया। मान्यवर जी, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार ने कठोर कदम उठाए तो उस पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जिस पार्टी में इस किस्म के एलीमेंट थे, तो जिस पार्टी में इस किस्म के एलीमेंट थे उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। हकीकत तो यह है कि हमने जब अपराधियों

के खिलाफ कार्यवाही की तो हमारी सरकार ने यह नहीं देखा कि अपराधी किस पार्टी का है, किस जाति का है हमारी सरकार ने जाति, धर्म और पार्टी के चक्कर में न पड़कर अप्रराधी को अपराधी माना और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की, लेकिन हमारी सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं कि यह सरकार केवल समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम एक पार्टी के खिलाफ कार्यवाही करें।

हम तो अपराधी को अपराधी मानकर चलते हैं लेकिन हमें नहीं मालुम होता है जब हमारी सरकार अपराधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करती है तब हमें नहीं मालुम होता है कि अपराधी किस जाति, किस धर्म, किस पार्टी का है हमें पता जब लगता है जब हम पेपरों में, अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते हैं समाजवादी पार्टी के नेता यह कहते हैं कि हमारी पार्टी का फलाना आदमी इस ऐक्ट में पकड़ा गया। तब हमें पता चलता है कि यह अपराधी समाजवादी पार्टी का प्रोडेक्ट है। हमारी सरकार तो अपराधी को अपराधी मानकर चलती है। यह कठोर कदम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए, अपराधियों का खात्मा करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। तो लोग चिल्लाए। अपराधियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोडेक्ट करने के लिए चाहे वह प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, चाहे गृह मंत्री को चिट्ठी लिखें, चाहे जेल भरें और चाहे धमकी दें हमारी सरकार इनसे घबराने वाली नहीं है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में अमन-चैन का वातावरण देगी। हमारी सरकार माफियागर्दी को, हर प्रकार के अपराधी को खत्म करके अपराधीमुक्त वातावरण पैदा करेगी इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमने कानून व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए, प्रशासन को अच्छा चलाने के लिए कुछ जिलों में कुछ नये डिस्ट्रिक्ट मंडल बनाए हैं। आठ डिस्ट्रिक्ट बनाये हैं तीन मंडल बनाए हैं कुछ रेंन्ज बनाए हैं दो विशेष पुलिस जोन्स, दो पुलिस रेन्ज का गठन हमारी सरकार ने किया है।

जब हमारी सरकार ने नये डिस्ट्रिक्ट नये रेन्ज, नये मंडल बनाए तो विरोधी पार्टी के लोगों ने इसका उल्टा अर्थ निकाला, लेकिन हकीकत तो यह है कि जब बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो बड़े डिस्ट्रिक में डी० एम०- तो एक ही होता है, एस०एस०पी० तो एक ही होता तो बड़ा डिस्ट्रिक होने के कारण वह उसे संभाल नहीं पाता है जितना बड़ा जिला होगा वहाँ पर अपराध उतने ही ज्यादा होंगे। हमने नए जिले बनाकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। इतना ही नहीं हमारी सरकार ने यह भी निर्देश हर जिले के एस० एस० पी० और डी० एम० को, डी० आई० जी०, आई० जी० को दिए हैं कि वह आम लोगों से सम्पर्क बढ़ाए। कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ ही साथ हमारी सरकार ने डेवलपमेंट की तरफ भी पूरा ध्यान दिया है। हर क्षेत्र की तरफ हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। हमने ला एण्ड आर्डर को सुधारने के लिए केवल निर्देश ही नहीं दिए बल्कि मैंने खुद 6 जून से लेकर 2 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में मण्डलीय समीक्षा बैठकें बुलाकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह गृह विभाग का है और सुश्री मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन पर बोलना शुरू कर दिया। जिलों का सृजन यह सामान्य प्रशासन में आता है या गृह विभाग में।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल मद संख्या 10 की उप संख्या 4 को देखें उसको प्रस्तुत कर दिया गया है। मद संख्या 10(4) सामान्य प्रशासन पर तथा मद संख्या 10(2) गृह विभाग से संबंधित है।

सुश्री मायावती–

कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में विफल रहने पर मैंने अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की है। जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है हमारी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ला एण्ड आर्डर के मामले में तथा डेवलपमेंट के मामले में भी प्रातः 11 बजे से लेकर 12 बजे तक उत्तर प्रदेश के अन्दर हर डिस्ट्रिक में वहाँ का जिलाधिकारी और एस० एस० पी० 11 बजे से 12 बजे तक लोगों की दुख तकलीफों को सुनेगा तथा उन दुख तकलीफों को सुनकर उनका निराकरण करेगा।

मान्यवर, जो मैंने जिलों का जिक्र किया है वह लॉ एण्ड आर्डर को ध्यान में रखकर किया है और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाये हैं। जहां तक अधिकारियों को भेजने का सवाल है हमारी सरकार ने चाहे बड़े ओहदे या छोटे ओहदे पर अधिकारियों को भेजा हो या ट्रांसफर किया हो हमने सीनियारिटी और कार्यक्षमता के आधार पर तबादले किये हैं लेकिन विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं और उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जोकि अपने शासन काल में तबादलों के माध्यम से पैसा कमाते थे, धन्धा करते थे, फैक्टरियां चलाते थे।

मैं पुनः कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने जितने भी तबादले किये वह कार्यक्षमता और सीनियॉरिटी को ध्यान में रखकर किये, इतना ही नहीं हमने अधिकारियों के ऊपर यह भी अंकुश लगाया है कि आपको पूरी सुविधायें मिलेगी लेकिन आपको ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना होगा। मैंने यह भी कहा है कि जो भी जनता की प्राब्लम्स हैं उनका तो आप समाधान करेंगे ही लेकिन जो जनता के द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनके साथ आपका बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए जैसा कि पूर्व में नहीं रहा है। पूर्व की सरकारों में खासतौर से जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही अधिकारियों को कितना आदर-सम्मान दिया जाता था, यह इनको मालूम है। लॉ-एण्ड-आर्डर के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में जो बढ़िया सरकार की जिम्मेदारी होती है उसी तरीके से हमने कदम उठाये हैं और मैं समझती हूँ कि मैंने आपके माध्यम से जो बातें सदन में रखी है उससे विरोधी पक्षों के जो नेता या माननीय सदस्यगण हैं उनको हमारी बात से जरूर तसल्ली हुई होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष कटौती का प्रस्ताव रखें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अमरमणि–

माननीय अध्यक्ष जी, सूचना विभाग के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा ही नहीं है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 299-क देखें इसमें श्रीमन यह है कि कतिपय परिस्थितियों में सदस्य को निलम्बित समझा जाये। श्रीमन्, इसमें जो प्राविजन दिया गया है कि यदि कोई सदस्य सदन के किसी उपवेशन में सभा मण्डप के मध्य रिक्त स्थान में आकर सदन के सेवकों की मेज पर रखें पत्रादि को छीनता है अथवा कोई कागज फाड़ता है और उसे अध्यक्ष पीठ की तरफ फेंकने का प्रयास करता है। मान्यवर, आपसे पूर्व अधिष्ठाता के रूप में श्री रंगनाथ मिश्र जी बैंठे थे उस समय गौरी देवी वेल में आयी थी और उन्होनें कागज फाड़कर फेकने का प्रयास किया। माननीय अधिष्ठाता ने श्रीमती गौरी देवी का नाम भी पुकारा था।

श्री अध्यक्ष–

बाल चन्द्र जी आप बैठ जायें, इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं पीठ पर आया तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और वह वापस चली गयी थी।

(श्री अरिमर्दन सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

अरिमर्दन सिंह जी आप बैठ जायं आपके नेता खड़े हुये हैं, आप अपने नेता को भी अवसर नहीं देना चाहते।

(माननीय मुख्यमंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय मुख्यमंत्री जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप उत्तर भाषण में अपनी बात कह दीजिएगा।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत डिटेल में अपनी बात कहना चाह रही थी लेकिन विपक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते इसलिये मैंने सोचा कि कहीं मैंदान छोड़कर न भाग जाय, संक्षेप में अपनी बात को रखा है।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय 12 बजे रात तक कर दिया जाये, विपक्ष शांतिपूर्वक सुनेगा।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष कृपया आप अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलेचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन् सबसे पहले कमी करने का उद्देश्य का मूल कारण जो है, उसकी तह में जाना चाहता हूँ। जब कोई भी पैसा खर्च किया जाय और उसका कोई सार्थक स्वरूप सामने आये, तब तो कमी करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब पैसा के व्यय का सार्थक रूप सामने नहीं आता है, उसका सदुपयोग सामने नहीं आता है तो निश्चित रूप से कटौती करने के लिये कहना आवश्यक हो जाता है। श्रीमन् जहाँ तक सूचना विभाग की बात है, माननीया मुख्यमंत्री जी ने यद्यपि उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला है, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि सूचना विभाग माननीया मुख्यमंत्री जी की जेब का एक विभाग है, इसे यह अपने मनमाने तरीके से चला रही हैं। सत्ता पक्ष के विधायक जब कहीं जाते हैं तो भले ही उनका नाम, उनका कार्यक्रम निकल जाता हो, लेकिन मेरा प्रोग्राम शायद ही कभी एक-आध दफे निकाल दिया हो। सूचना विभाग कभी भी मेरा प्रोग्राम प्रसारित नहीं करता है। न वह नोटिस लेते हैं, न उल्लेख करते हैं। इसीलिये मैंने ऐसे भ्रष्ट विभाग की अनुदान में कटौती करने के लिये प्रस्ताव किया है और मैं उस पर पूरी तरह से अडिग हूँ।

अब मैं गृह विभाग की ओर आता हूँ। गृह विभाग भी आज पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने में अक्षम है। अक्षम क्यों है? ऐसा नहीं है कि गृह विभाग के अधिकारी सक्षम नहीं है, कुछ लोग तो हर जगह खराब होते हैं, लेकिन जब गृह विभाग को संचालित करने वाला व्यक्ति ही यानि मुख्यमंत्री अक्षम हैं तो फिर गृह विभाग का अक्षम होना स्वाभाविक है। श्रीमन् कोई इन्जन है और इन्जन में टाइट चूड़ी को और कसा जायेगा और लूज को टाइट नहीं किया जायेगा तो इंजन ठीक नहीं चलेगा। आफ लूज को कसिये, टाइट को और कसते जायेगें तो इंजन बर्स्ट हो जायेगा। जो ईमानदार अधिकारी है, उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है और अक्षम अधिकारियों को जानबूझकर, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये अच्छी जगहों पर तैनात किया जा रहा है, जिसके कारण अक्षमता सारे प्रदेश मैं फैल गई है, सारी कानून व्यवस्था पंगु हो गई है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि शासन दो बातों पर चलता है। एक किसी के प्रति श्रद्धा और दूसरा भय हो। श्रद्धा तो आपकी किसी पर है नहीं चूंकि आप ऐसे कार्य कर रही हैं जिससे समाज को आप विकृत कर देना चाहती हैं और समरसता को नष्ट कर रही हैं। इसलिए श्रद्धा तो है नहीं और मनमाने ढ़ग से लूट खसोट चल रही है। अक्षम अधिकारियों को आप शय देकर सारे प्रदेश के विकास कार्यों को चौपट कर रही हैं।

मान्यवर, जहां तक भय की बात है तो अपराधियों और माफिया में जो भय होना चाहिए वह नहीं है और उनको नहीं पकड़ा जा रहा है बल्कि सीधे साधे लोगों को पकड़ा जा रहा है जिससे प्रदेश में अशांति की स्थिति है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के संबंध में कहना चाहता हूँ कि कुछ चीजों के नामर्स होते हैं। राजधानी लखनऊ में देंखे तो इधर एक दर्जन हत्यायें हुई हैं, जैसे श्री शाही की हत्या, अभियन्ता की हत्या, और उनके बाद होटल में सरे आम ए० के० 47 से हत्या की जा रही है जिससे राजधानी में आतंक और भय का वातावरण व्याप्त है तो प्रदेश के बारे में क्या हालत होती उसके बारें में क्या कहें।

मान्यवर, प्रदेश से आये हुये यहां बैठे हमारे साथी महसूस तो करते हैं लेकिन सत्तापक्ष के लोग किसी कारण से मुंह से नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वह जो कानून की व्यवस्था खराब थी उसके संबंध में यहां अपना मुंह खोलें वरना उनके ऊपर उंगली उठेगी। यदि शासन के लोग, भाजपा और बसपा के लोग अपराधियों को सह नहीं देते तो अपराधों में इस तरह बढ़ोत्तरी न होती। श्रीमन् शासन की ओर से कहा जाता है कि अपराध कम हुये हैं लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि अपराधों की यदि रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे तो अपराध कम होगे ही।

श्रीमन् थाना बिल्होर जनपद इटावा में बेला गांव में श्री चतुर्वेदी के यहां डकैती पड़ी जिसकी पहले तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई लेकिन जब लोगों ने घेराव किया तो दूसरे दिन चोरी की रिपोर्ट जो दर्ज किया था उसे डकैती में परिवर्तित करके लिखा गया। इतना ही नहीं और भी उदाहरण हैं जिसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि श्री गेंदा लाल, गांव तिरपों, थाना बेला में एक लड़का ससुराल गया था जिसकी वहां लाठियों से मार-मार कर हत्या कर दी गई लेकिन थाना रसूलाबाद में उसकी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की गई।.....

मान्यवर, झूठे मुकदमें की बात बता दें। श्रीमन् अभी पिछले दिनों 22 तारीख को लखनऊ शहर की बात बता रहा हूँ यह सारे अधिकारियों की जानकारी में भी है। शन्नी फराद नामक व्यक्ति को जो बी-पार्क रोड हजरतगंज, लखनऊ का है को पुलिस पकड़ कर ले गयी घर से साढ़े सात वजे। उनके पिता और घर वालों ने उसी दिन टेलीग्राम कर दिया डी० जी० पी० और गृह सचिव को और उसके बाद 23 तारीख को क्या होता है कि उस दिन मुठभेड़ दिखाई जाती है और उसको अरेस्ट किया जाता है गुण्डा एक्ट और जाने कितनी-कितनी धाराओं में उसको जेल भेज दिया जाता है। इसे मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ, सदन के पटल पर रखता हूँ इसमें टेलीग्राम की कापी भी है इसकी आप इन्क्वायरी करवा लीजिएगा।

इसके अलावा आप देखेंगे कि किस तरीके से हरिजन एक्ट में, शिड्यूल कास्ट एक्ट में गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि अरिमर्दन सिंह विधायक को एस० सी० एक्ट में फसाये जाने की कार्यवाई की जा रही है। ददु प्रसाद विधायक बी० एस० पी० द्वारा तहसीलदार मऊ को उनके घर पर पीटा गया और उल्टे इसके खिलाफ मुकदमा भी इसी ऐक्ट में कायम करा दिया है। इसी तरह से राजेन्द्र पाल वर्मा तहसील कटरा छिबरामऊ से बसपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने धन की वसूली के लिए उनसे कहा गया कि पैसा दो, क्यों पैसा दे दे, पैसा नहीं दिया तो उनको भी एस० सी० एक्ट मैं फंसा दिया समय के अभाव में मैं इतना ही बता रहा हूँ इसकी आप जांच करा लीजिए।

श्रीमन्, इसी तरीके से सारे प्रदेश में गुण्डाराज कायम कर रखा गया है और जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है समाजवादी पार्टी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देखें किस तरह से जाति बिरादरी का नंगा नाच खेला जा रहा है। हमारी तहसील में केशोराम जी पाल हैं जिस कालेज में मैं प्रिंसिपल था उसी में वह वाइस प्रिंसिपल थे वह हमारी पार्टी के जिले के मंत्री हैं और जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। श्रीमन् उनके घर पर बदमाशों ने धावा बोला लूटने के लिए और जान से मारने के लिए, शोरगुल हुआ ग्रामीण आ गये। उसमें से दो बदमाश पकड़ लिये गये तीसरा मारा गया और चौथा फरार हो गया और जब रिपोर्ट हुई तो पकड़े गये लोग जेल में है 4 महीने से और जो फरार हैं वह फरार हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 दिन के बाद श्री केशोराम जी पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें और लोग भी इस पर बोलना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, उसके मामा ने रिपोर्ट दर्ज कराई अपने भांजे के लिए कि उसका अपहरण केशोराम पाल ने कर दिया, पहले कहा कि भट्ठें में झोका गया, फिर कहा नहर में डाला गया और फिर कहा कि अपहरण कर लिया गया। मान्यवर, आप रिपोर्ट मंगा लीजिए एक ही घटना की झूठी रिपोर्ट 4 तरह की कर रखी गयी है। आपके पास इसे सी० बी० सी० आई० डी० से सम्पर्ण प्रकरण की जाँच के लिए भिजवा रहा हूँ इसकी जांच करवा लीजिए ताकि सारे तथ्य सामने आ जाय। जो दोषी हो, उनको सजा मिलें।

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्या सुनयोजित ढंग से की गयी है मैं एक दो नाम पढ़ देता हूँ सूची आप के पास भेज दूंगा गोरखपुर में 22-5-97 को थाना पिपरी गंज बेल घाट में स्वर्गीय बधाई की पत्नी शान्ती यादव की बासपा के लोगों ने हत्या कर दी। इस तरह से अन्य जिलों में भी हत्यायें हुई 100-150 लोगों की सूची है इसके साथ-साथ झूठे मुकदमें में पैसा देने का कार्य किया गया है, मैं इन सैकड़ो लोगों की सूची आप के पास भेजवा दे रहा हूँ आप इनकी जांच करवा/लीजिए और जांच करने के बाद जो दोषी व्यक्ति होगें उनकों सजा मिल जायेगी। मान्यवर इस तरह से जो अनावश्यक जेलों में लोग सड़ रहे हैं और पार्टी बन्दी में डाल रखा है उनको इससे राहत मिलेगी। मुख्य मंत्री जी जानबूझ कर कार्य कर रही हैं केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। समाजवादी पार्टी के एक नहीं, 200-300 लोगों की हत्याएं करवा दी गयी, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि एक भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है डिगने वाला नहीं हैं। यह नंगा नांच जो समाजवादी पार्टी के साथ किया जा रहा है लोगों को फसाने का झूठा आरोपों में उसको बन्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें कुल 32 मिनट का समय है।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जहां कास्टेबिल के पद पहले से स्वीकृत है उन थानों में नियुक्ति कर दी जाय अधिकारियों से काम नहीं चलेगा कास्टेबिलों की हर चौकी में संख्या पूरी की जाय। थाने

में अच्छी जीपें दी जाय। चौकीदारों का वेतन जो 15 रुपये था उसे माननीय मुलायम सिंह जी ने 100 रुपये कर दिया था, आप 200 रुपये कर दीजिए वे जनता की सेवा करते हैं। चौकियों में वायरलेस सेट दिया जाये ताकि थाने में और जिले में सूचना का आदान-प्रदान हो सके। जहां उपलब्ध हो, टेलीफोन व्यवस्था भी थानों में कर दी जाय, इससे प्रशासन चुस्त-दुरूस्त हो जायेगा।

इसी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ प्रशासन के नाम पर केवल ट्रांस्फर पोस्टिंग के अलावा और कोई चीज शेष नहीं है। जिलों में अपने चहेतों को जो चार-चार-बार रह चुके हैं, उसको पांचवी बार भी उसी जिलें में भिजवा रहें हैं।

(समय 3 बजकर 35 मिनट)

इटावा में एक अधिकारी तीन बार रह चुका है, चौथी बार भी उसे वहीं तैनात कर दिया गया। पिछड़ी जाति की बहुत दोहाई देती है यह सरकार। विधूना तहसील का एक कानूनगो निलम्बित था, मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था, परन्तु एक जाति विशेष का होने के कारण उसे बहाल कर दिया गया और उसे वहीं तैनात कर दिया गया जबकि कहार जाति का जो व्यक्ति था उसे हटा दिया गया। इस लिए माननीय मुख्य मंत्री जी पूरी तरह से अक्षम हैं। यह सब क्यों हो रहा है। क्योंकि आज जिले बिक रहे हैं, तहसीलें बिक रही हैं और थाने बिक रहे हैं। इस तरह से कहीं शासन व प्रशासन चलता है। अरबों रुपये ट्रांसफर/पोस्टिंग के नाम पर लिये जा रहे हैं, लाटरी के नाम पर करोड़ो रुपये ऐंठे जा रहे हैं।

ऐसे में कैसे प्रशासन चलेगा। ईमानदार आई०ए०एस० अधिकारियों से काम नहीं लिया जा रहा है उन्हें सही जगह पर नहीं भेजा जा रहा है। अक्षम अधिकारियों को भेजा जा रहा है। आज प्रशासन बिल्कुल लुँज-पुँज हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही जाति विशेष के आई०ए०एस० व आई०पी०एस० लोगों को जिलों में भेजा जा रहा है, इससे प्रशासन चलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि सबको कान्फिडेन्स में लीजिए। दूसरे लोगों पर अविश्वास मत कीजिए, नहीं तो वह सक्षम अधिकारी आपकी बात मानने को तैयार नहीं होगा। अगर बात मानेगा भी तो टालने का काम करेगा। टालने से प्रशासन चलने वाला नहीं है। आज पूरे प्रदेश में लूट की जा रही है। लूट में साझीदार और लोग भी हैं। मुझे बिहारी जी का एक दोहा याद आ गया है, उसे मैं कहना चाहता हूँ ---

दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े अतिद्वन्द,
अधिक अंधेरा जब करो, मिल मावसि रति चन्द।

आज बी०जे०पी० व बी०एस०पी० मिलकर इस प्रदेश पर कहर बरपा रही हैं। जिस तरह से अंग्रेज प्रजा का शोषण करते थे, उसी तरह से बी०जे०पी० व बी०एस०पी० भी इस प्रदेश का शोषण कर रही हैं। आज प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कब ये लोग कुर्सी से दूर हों और जनता चैन की सांस ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार---

चूँकि समय कम है, इसलिए मेरे दल के अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का आप अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष---

एक ही माननीय सदस्य बोलें। 3 मिनट में वह अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सूचना, गृह व सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। . . . . .

. . . . श्रीमन् आज इस सरकार को पाँच माह हो गया है . . . .

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, यह जो सूचियां मैने भिजवायी हैं इसे कार्यवाही का अंग मान लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष—

यह चिट्ठियां तो गृह सचिव को सम्बोधित है यह कार्यवाही का अंग कैसे बन सकती हैं? आपके भाषण में तो इसका उल्लेख आ गया है। यह हमारे यहां से गृह सचिव को प्रेषित कर दी जायेंगी।

श्री जगदम्बिका पाल—

श्रीमन्, वर्तमान सरकार के सत्तारुढ़ होने के बाद जो सबसे पहली प्राथमिकता थी और आज भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका उल्लेख किया, वह थी प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरूस्त करना और उस दिशा में प्रयास किये हैं, जो उपाय किये हैं, जो प्रदेश में अपराध विरोधी अभियान चलाया उस अभियान के अन्तर्गत हजारों हजार लोगों को जेल में गुण्डा, माफिया लोगों को बन्द किया। इन सारी चीजों का उल्लेख यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि आज यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, कदाचित् वह उनके आंकड़े हो सकते हैं लेकिन आज चाहे लखनऊ प्रदेश की राजधानी हो या उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता है वह इन आंकड़ों से नहीं बल्कि उसके परिणामों से संतुष्ट होना चाहती है। लगभग एक माह से सत्र चल रहा है। इस माह के सत्र में, सम्मानित सदस्य स्वयं गवाह हैं, प्रदेश की राजधानी में इस तरह की घटनायें हुई जिससे प्रदेश का जनमानस आक्रोशित हुआ।

चाहे वह निर्माण निगम का सहायक अभियन्ता हो, जिसका समाज में किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, दुराग्रह नहीं थी और वह प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क के निर्माण में लगा हुआ था, उस सहायक अभियन्ता की हत्या हो गयी और कई लोगों के निलम्बन के बावजूद भी वह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। चाहे मैफेयर के मैनेजर (श्री राजेश खत्री) की हत्या का भी मामला सुलझ नहीं पाया। प्रदेश की राजधानी में जिस तरह से पहली बार ए०के० 47 से फायर हुए उससे सब ही लोग थर्रा उठे थे। तो इस तरह से घटनायें हुई। यह सही है कि घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है लेकिन जो घटना में दोषी है, जिन्होंने हत्यायें की हैं, जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। आज इस तरह का वातावरण बना हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कोई राजा नहीं राज्य करता बल्कि उसका इकबाल राज्य करता है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जिस समय हम सरकार बनायेंगे उस समय अपराधी या तो जेल के सीकचों के अन्दर होंगे या प्रदेश को छोड़कर बाहर भाग जायेंगे और इस लिए उत्तर प्रदेश में एक अपराध विरोधी अभियान चलाया जिसके अन्तर्गत 52 हजार की संख्या में अपराधी बन्द हुए . . . . .

. . . इसके बावजूद अपराध बढ़ते जा रहे हैं । इसका क्या कारण है । बनारस में ए०के० 47 से हत्यायें हुई, उन अपराधियों को पकड़ा गया और इन्काउन्टर किया गया, अगर इस तरह के अधिकारी का स्थानान्तरण हो तो बड़ी चिन्ता जनक बात है । कानपुर के अरूण कुमार, जिन्होंने लाटरी को बन्द कराया, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है, तो मान्यवर, क्या होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

* श्री कौकब हमीद—

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ । मान्यवर, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है यह तो आप लोगों के आपस के समझौते की बात है । यह कहां की कानून व्यवस्था ठीक है, बड़ी अजीब बात है । मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिन्दू-मुस्लिम राइट्स का काम बन्द हो गया था वह फिर से चालू हो गया । लखनऊ शिया और शुन्नी का मसला आठ साल बाद उठा है और उसमें जो कुछ हुआ उसके बारे में पूरा सदन जानता है । इदुल मिलाद का जलूस जो दुनियाभर में निकलता है, लेकिन यहां लखनऊ में उसे रोक दिया गया है । आगरा में हुआ और यही मथुरा में हुआ । आपने अपराधियों को पकड़ने का अभियान चलाया, बहुत अच्छी बात है लेकिन वह कौन लोग है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया । मान्यवर, अब रही एस०सी० और एस०टी० की बात, आप इसकी इन्क्वायरी करा लें तो आपको पता चल जायेगा कि इस अधिनियम का दुरूपयोग हो रहा है । मैं इन शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

समय बहुत कम है, इसीलिए मैंने नियम 56 के समय कह दिया था कि समय का अभाव है । 4 बजे विनियोग विधेयक पारित होना है । उसके समय में परिवर्तन नहीं होगा ।

श्री धनीराम वर्मा—

श्रीमान् सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बल दिया । कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। . .

. . . . .

. . . जब तक इस सरकार का उत्पीड़न और दमन चक्र चलता रहेगा और जब तक मुख्य मंत्री जी एक ही राग अलापती रहेंगी कि सारे प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए लोगों को मरवा देंगी और जेल भेजवायेंगी, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों को जेल में भेजा जाएगा और हमारी पार्टी के लोगों को मरवाया जाएगा तो कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी और वास्तविकता पर पर्दा पड़ा हुआ है । इस स्थिति के रहते हुए कैसे कटौती का प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें । (व्यवधान) 14 मांगों को पास होना है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री धनीराम वर्मा—

कानपुर की जो घटना है जिसमें सुवाषचन्द्र बोस, महात्मा गांधी, इन्दिरा गांधी की मूर्तियों को जलूस में ले जाकर, एक हजूम बनाकर, पुलिस के सामने तोड़ा जाएगा तो कैसे कानून व्यवस्था की बात होगी। जब तक सह स्थिति रहेगी तब तक इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। चूंकि समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहता हूँ, आप तानाशाह बनने की कोशिश मत करिए। तानाशाह बनने की कोशिश में दुनिया में बहुत से तानाशाह आये, हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाह चले गए। किसी का पता नहीं इसलिए आपसे कहूँगा कि तानाशाह मत बनिए। यह काम बन्द करिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(माननीय मुख्यमंत्री को पुकारने पर) संक्षेप में अपनी बात कह दें।

(व्यवधान)

श्री रामजग—

मान्यवर, हमें भी अपनी बात कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं समय नहीं है। (व्यवधान) अब जो बोलेंगे लिखा नहीं जाएगा। थोड़ा समय का ध्यान दें।

श्री सुवाषचन्द्र श्रीवास्तव—

[× × ×] इसके विरोध में हम सदन त्याग करते हैं। (श्री रामजग और सुवाषचन्द्र श्रीवास्तव सदन त्याग कर चले गये।)

सुश्री मायावती—

मान्यवर, मा० विरोधीदल के नेता तथा कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टी के नेताओं ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में आप कह दें अभी मुझे 14 अनुदानों को प्रस्तुत करना है। तो एक-एक मिनट सबमें लगेगा। इसलिए समय का ध्यान रखें।

सुश्री मायावती—

मान्यवर, मैं उनकी बातों का थोड़े लफ्जों में उत्तर देना चाहूँगी। मान्यवर जी माननीय नेता विरोधी दल ने बताया कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां हो रहीं हैं और

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनकी हत्यायें हो रही हैं, लेकिन मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने जो भी अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की है वह जाति, धर्म या पार्टी को ध्यान में रखकर नहीं की है। अपराधी को अपराधी मानकर कार्यवाही की है और जो भी हत्यायें हुई हैं वह आपसी रंजिश के कारण हुई हैं। तो उसके पीछे कोई राजनीतिक रंजिश हमें नजर नहीं आई।

जहां तक यह कहना है कि हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमने उत्तर प्रदेश के हर जिले के एस०एस०पी० और एस० पी० को लिखित निर्देश भिजवाये हैं, चाहे कोई भी थाना हो छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो यदि कोई दुखी व्यक्ति आकर रिपोर्ट लिखवाता है तो उसकी रिपोर्ट तुरन्त लिखी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अभी मतदान भी करवाना है।

सुश्री मायावती—

बाकी बातों के बारे में जो उन्होंने कही उनका काफी उत्तर दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष—

माननीया मुख्यमंत्री जी। × × ×। आपकी बात आ गयी।

सुश्री मायावती—

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपने विचार रखे और सुझाव दिये। मैं इन सभी पर गंभीरता पूर्वक विचार करूँगी। अब मैं माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करती हूँ कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल क्या आप अनुदान संख्या 86 पर अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री धनीराम वर्मा—

मैं वापस नहीं लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

---

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 11,02,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल क्या आप अनुदान संख्या 26 पर अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री धनीराम वर्मा—

मैं वापस नहीं लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 5,13,69,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल क्या आप अनुदान संख्या 27 पर अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री धनीराम वर्मा—

मैं वापस नहीं लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,46,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल क्या आप अनुदान संख्या 84 पर अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री धनीराम वर्मा—

मैं वापस नहीं लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84--सामान्य प्रशासन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर मतदान अनुदान संख्या-30 (गोपन), अनुदान संख्या-38 (नागरिक उड्डयन), अनुदान संख्या-53 (राष्ट्रीय एकीकरण), अनुदान संख्या-61, 62, 63, 64, 65, 66 (वित्त विभाग) तथा अनुदान संख्या-82 (सतर्कता विभाग)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्यमंत्री जी मद संख्या 10(5) से 10(14) तक अनुदान की मांगों को एक साथ रख दें ।

मुख्यमंत्री (सुश्री मायावती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30---गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38---नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,43,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53---राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61---वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,70,00,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62---वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,65,39,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(माननीया मुख्यमंत्री द्वारा धनराशि के अंक अंग्रेजी में कहने पर व्यवधान)

मैं जानबूझकर बोल रही हूँ । आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भी आती है ताकि आप अंग्रेजी भी सीख लें ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 को प्रस्तुत किये जाने हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि विनियोग विधेयक को 4.15 बजे प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने के लिये 4.15 बजे का समय निर्धारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

माननीया मुख्यमंत्री जी कृपया अब आगे की मदें लें ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर मतदान अनुदान संख्या–30 (गोपन विभाग), अनुदान संख्या–38 (नागरिक उड्डयन), अनुदान संख्या–53 (राष्ट्रीय एकीकरण), अनुदान संख्या–61, 62, 63, 64, 65, 66 (वित्त विभाग) तथा अनुदान संख्या–82 (सतर्कता विभाग)

(क्रमागत)

मुख्यमंत्री (सुश्री मायावती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,83,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,15,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,64,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(माननीया मुख्यमंत्री द्वारा धनराशि के अंक अंग्रेजी में बोलने पर)

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)—

सदन की भाषा हिन्दी है श्रीमन्, पूरा अंग्रेजी में प्रस्तुत करवा लीजिये।

सुश्री मायावती—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,90,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,80,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष—

इन मांगों पर विवाद नहीं होना है अतः मैं इन अनुदान मांगों पर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रंगनाथ मिश्र—

मान्यवर, आज नेता विरोधी दल बहुत प्रसन्न हैं लगता है नेता सदन ने इनको बुलाकर अलग से कोई बात कर ली है।

श्री अम्बिका चौधरी—

रंगनाथ जी की शंका का समाधान कर दूँ। नेता सदन आज हैं हमारी हसरत बहुत दिन से थी कि वह हमारे साथ रहें।

सुश्री मायावती—

मैं खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ यह रोजाना मैदान छोड़कर भाग जाते थे आज डटे रहे।

श्री अम्बिका चौधरी—

जब यह सामने होते हैं तो भी खोये रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुदान को रख रहा हूँ कृपया बैठें। चौधरी जी बैठें देखिये आपको देखकर गौरीशंकर जी भी खड़े हो रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी—

यादों के दरीचों से हम देखते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वालें परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,43,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,70,00,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,65,39,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,83,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,15,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65- वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,64,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66- वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82- सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,80,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्नोत्तर काल में नकली नोटों के प्रकरण पर शासन द्वारा जांच की प्रगति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने संबंधी दिये गये आश्वासन की पूर्ति संबंधी सूचना

श्री अध्यक्ष—

सदन को मुझे एक सूचना देनी है–

दिनांक 4 अगस्त, 1997 की विधान सभा की कार्यसूची की नत्थी "ग" के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–1, जो माननीय श्री जगदम्बिका पाल द्वारा पूछा गया था और जिसका विषय प्रदेश में सुनियोजित तरीके से नकली नोटों के चलन से संबंधित था, पर कुछ हुए वाद-विवाद के उपरान्त माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने सदन में यह कहा था कि "माननीय सदस्य अलीगढ़, इस घटना को संज्ञान में लाये हैं, उसकी जॉच करायें, यदि जॉच पूरी हो जाती है और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। यदि इसकी जानकारी 12 तारीख तक शासन को प्राप्त हो गयी, तो हम उसे सदन के पटल पर भी रख देगें"। माननीय संसदीय कार्यमंत्री के इस कथन के उपरान्त मैंने वह प्रकरण वहीं पर समाप्त करने की बात कहीं थी। उक्त मामले में दिनांक 11 अगस्त, 1997 को माननीय संसदीय कार्यमंत्री का पत्र प्राप्त हो गया है जिसमें सूचित किया गया है कि–

दिनांक 4-8-97 को प्रश्नकाल में चर्चा के दौरान माननीय सदस्य सर्वश्री दलवीर सिंह, राम नरेश यादव व डा० अशोक बाजपेयी द्वारा दिनांक 13 मई, 97 को जनपद अलीगढ़ में ट्रेविलिंग चेक और जाली नोट पकड़े जाने की सूचना दी थी।

उक्त के संबंध में जाँच कराई गयी। जाँच में 13-5-97 को जनपद अलीगढ़ में ट्रेविलिंग चेक व जाली नोट पकड़े जाने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी, बल्कि दिनांक 14/15-4-97 को श्री प्रभात शर्मा, 3/12 मथुरानगर, अलीगढ़ के मकान पर दबिश देने पर उनके घर से साढ़े पांच करोड़

रुपये के स्टेट बैंक आफ इण्डिया के फर्जी ट्रेवल चेक प्रिंट किए हुए बरामद किये गये। इस घटना के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर मु०आ०सं० 165/97 धारा 467/468/439 क, ख, ग, घ, ङ, व 120 बी भ०दं०वि० पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में शामिल सभी 8 अभियुक्तों को दिनांक 15-4-97 को जेल भेजा गया। दिनांक 15-4-97 को ही अभियुक्त प्रभात शर्मा व उनके तीन अन्य साथियों का पुलिस कस्टडी रिमान्ड लिया गया तथा उनकी निशानदेही पर लगभग 6 करोड़ रुपये मूल्य के और फर्जी यात्री चेक बरामद किये।

सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र 7-7-97 को निर्गत किये गये हैं यह सूचना माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने दी थी।

माननीय अरिमर्दन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे अब आप अपनी बात कहें।

श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति देना या न देना आपका अधिकार है आपकी अनुमति न मिलने पर सदस्य को बैठ जाना चाहिए और आपके निर्णय पर किसी प्रकार की आपत्ति उठाना सदन की अवमानना है। अभी आपने माननीय राम जग जी बोलने के लिए खड़े हुये थे, उनको आपने अनुमति नहीं दी तो वह आपकी पीठ पर आरोप लगाते हुये सदन का त्याग कर गये यह निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था के ऊपर आपत्ति उठाना हुआ और एक तरह से सदन का अपमान है। इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, श्री राम जग जी और सुबाषचन्द्र श्रीवास्तव जी ने आपकी पीठ के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला इसलिये वह पीड़ा में सदन त्यागकर चले गये। लालजी वर्मा तो सरकारी गवाह हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम जग जी बड़े ही अनुशासित सदस्य हैं और जब मैं कहता हूँ तो वह बैठ जाते हैं, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने के संबंध में उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

डा० सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, कल आपकी पीठ से फिरोजाबाद की घटना के बारे में जो माननीय सदन के एक सदस्य के साथ घटना घटित हुई थी आपने संसदीय कार्यमंत्री जी को निर्देश दिया था और संसदीय कार्यमंत्री ने इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही कर सूचित करने का आश्वासन दिया था। मैं इस प्रतीक्षा में था कि उस कार्यवाही के बारे में सदन को सूचित करेंगे, हमने प्रतीक्षा की सारा दिन कि क्या कार्यवाही हुई है, वह सदन के सामने आ जाये। आपके निर्देश का अनुपालन कब होगा? मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आज 11.00 बजे मैंने कहा था कि आज सूचना मिल जायेगी। मेरे पास जो लिखित आया है वह सही नहीं है। यह कहा गया है कि कल दिनांक 10-8-97 को नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी

सूचना जिसमें डी०एम० फिरोजाबाद का मामला है जिसमें उन्होंने माननीय सदस्य का राजनैतिक कैरियर बरबाद करने की धमकी दी गयी थी और आपने कहा था कि उनके खिलाफ कठोरतम निर्णय अवश्य दिलवाऊंगा, यह बात मैंने नहीं कही है। यह सूचना सही कथन पर आधारित नहीं है मैंने केवल इतना कहा था कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, सख्त से सख्त को मैं रेखांकित कर रहा हूँ। दिलवाऊँगा यह बात नहीं कही थी। आज के दिन का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की इस पर जो सूचना देनी होगी दे देंगे।

उ० प्र० विनियोग विधेयक, 1997

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सुश्री मायावती--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रतियाँ वितरित की जायें।

(प्रतियाँ वितरित की गई)

(समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान हो गया।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जायें, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

सुश्री मायावती—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दिनांक 1-9-97 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

खण्डशः विचार

खण्ड–2 व खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997

31 मार्च, 1998 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1997-98 के लिए 3,41,05,75,44,000 रुपये का निकाला जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1998 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या-12 सन् 1997) की अनुसूची के स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 3,41,05,75,44,000 रुपये केवल (तीन सौ इकतालिस अरब, पांच करोड़, पचहत्तर लाख और चौवालिस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग	राजस्व	18,15,59	*10*	18,15,69
		पूंजी	...	...	...
2	आवास विभाग	राजस्व	83,06,44	*36,75,00*	1,19,81,44
		पूंजी	97,08,75	*17,85,00*	1,14,93,75
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	5,19,76	...	5,19,76
		पूंजी	13,11,00	...	13,11,00
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	6,52,28	*50*	6,52,78
		पूंजी	5,24,06	...	5,24,06
5	उद्योग विभाग	राजस्व	47,67,83	*2,00*	47,69,83
	(ग्राम एवं लघु उद्योग)	पूंजी	20,03,53	*1*	20,03,54
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	40,88,15	*6,00*	40,94,15
		पूंजी	7,99,76	*5,72*	8,05,48
7	उद्योग विभाग	राजस्व	38,01	*58,00*	96,01
	(भारी एवं मध्यम उद्योग)	पूंजी	1,34,50,41	*1,28,01*	1,35,78,42
8	उद्योग विभाग	राजस्व	43,07,40	...	43,07,40
	(लेखन-सामग्री और मुद्रण)	पूंजी	13,50	...	13,50
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	5,40,88	...	5,40,88
		पूंजी	9,31,95,00	...	9,31,95,00
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	59,99,41	*35,16*	60,34,57
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	5,90,00	...	5,90,00
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	5,97,08,97	*3,12*	5,97,12,09
	(कृषि)	पूंजी	57,43,46	*50*	57,43,96
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	59,32,34	...	59,32,34
	(क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	50,00	...	50,00

अनुसूची–(क्रमशः)

1	2	3			
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	10,91,41,18	*4,00*	10,91,45,18
		पूंजी	23,45,80	...	23,45,80
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचाायती राज)	राजस्व	3,70,59,41	*21*	3,70,59,62
		पूंजी	20,00	...	20,00
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	1,41,85,90	*1,00*	1,41,86,90
		पूंजी	5,59,34	...	5,59,34
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	8,48,78	*3*	8,48,81
		पूंजी	5,26,87	...	5,26,87
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	16,41,19	*5*	16,41,24
		पूंजी	6,43	...	6,43
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	25,90,46	*17,22,25*	43,12,71
		पूंजी	2,92,58,67	*20,35,00*	3,12,93,67
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	राजस्व	4,21,18	...	4,21,18
		पूंजी	...	...	...
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	1,74,78	*7,54,22*	9,29,00
		पूंजी	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	79,53,99	*5,00,85*	84,54,84
		पूंजी	18,72,39,40	*70,00,50*	19,42,39,90
22	खेल विभाग	राजस्व	12,79,24	...	12,79,24
		पूंजी	8,22,91	...	8,22,91
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	55,36,51	*9,61*	55,46,12
		पूंजी	...	*5,13*	5,13
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	27,62,87	*29,75,47*	57,38,34
		पूंजी	1,62,75,01	*11,02,60*	1,73,77,61
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	92,33,74	*3*	92,33,77
		पूंजी	22,24,59	...	22,24,59

अनुसूची–(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	14,35,97,79	*92,74*	14,36,90,53
		पूंजी	54,32,05	*66,13*	54,98,18
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	84,36,30	...	84,36,30
		पूंजी	57,40	...	57,40
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	42,40,44	...	42,40,44
		पूंजी	...	...	...
* 29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	...	*2,36,60*	2,36,60
		पूंजी	...	...	...
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	88,79	...	88,79
		पूंजी	...	...	...
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	1,23,14,55	*25*	1,23,14,80
		पूंजी	10,02	...	10,02
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	5,61,31,40	*1,00*	5,61,32,40
		पूंजी	59,70,53	...	59,70,53
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	1,01,93,35	*3*	1,01,93,38
		पूंजी	1,65,14	...	1,65,14
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	31,64,01	*20*	31,64,21
		पूंजी	3,00,02	...	3,00,02
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	2,60,00,18	*39*	2,60,00,57
		पूंजी	2	...	2
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	2,23,69,43	*2,00*	2,23,71,43
		पूंजी	3,96,02	...	3,96,02

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची–(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	6,82,37,40	...	6,82,37,40
		पूंजी	40,50,02	...	40,50,02
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	8,62,14	...	8,62,14
		पूंजी	17,44,21	...	17,44,21
39	भाषा विभाग	राजस्व	3,83,16	*5,81*	3,88,97
		पूंजी	...	...	...
40	नियोजन विभाग	राजस्व	1,38,68,42	...	1,38,68,42
		पूंजी	1,15,00,04	...	1,15,00,04
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1,02,80,35	...	1,02,80,35
		पूंजी	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व	1,64,32,75	*30,09,55*	1,94,42,30
		पूंजी	20,99,16	*76,77*	21,75,93
43	परिवहन विभाग	राजस्व	20,66,83	*12*	20,66,95
		पूंजी	5,47,77	...	5,47,77
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	9,00,75	...	9,00,75
		पूंजी	52,28,26	...	52,28,26
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	1,53,32,70	...	1,53,32,70
		पूंजी	62,24	...	62,24
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	88,14	...	88,14
		पूंजी	...	...	...
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1,07,26,87	*5,58,02*	1,12,76,89
		पूंजी	14,92,35	...	14,92,35
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1,82,09,54	*2,73*	1,82,12,27
		पूंजी	6,37,45	...	6,37,45
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	2,25,13,19	...	2,25,13,19
		पूंजी	1,13,80	...	1,13,80

अनुसूची–(क्रमश:)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	1,33,55,56	*35*	1,33,55,91
		पूंजी	31,86,37	...	31,86,37
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व	1,28,17,35	*1,32,03,58*	2,60,20,93
		पूंजी	1,41,23	*7,45*	1,48,68
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	4,49,15,18	*1,37,32*	4,50,52,50
		पूंजी	75,62	*10,52*	86,14
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	4,30	...	4,30
		पूंजी	...	...	...
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	3,02,19,88	*4,57*	3,02,24,45
		पूंजी	...	...	...
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	10,79,52	*93,58*	11,73,10
		पूंजी	14,22,25	*1,00*	14,23,25
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	9,34,60	*36,22*	9,70,82
		पूंजी	10,68,11	*6*	10,68,17
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	...	*4*	4
		पूंजी	7,07,48	*47*	7,07,95
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	2,28,51,07	*1,00*	2,28,52,07
		पूंजी	5,90,87,18	*5,50,00*	5,96,37,18
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	26,39,15	*5*	26,39,20
		पूंजी	8,51,08	...	8,51,08
60	वन विभाग	राजस्व	1,64,57,12	*1,01,48*	1,65,58,60
		पूंजी	1,61,20	...	1,61,20
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	28,01,16,37	*49,57,77,75*	77,58,94,12
		पूंजी	38,75,41	*19,70,49,85*	20,09,25,26
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शन)	राजस्व	9,13,52,92	*1,15,37*	9,14,68,29
		पूंजी	...	...	...

अनुसूची–(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
63	वित्त विभाग	राजस्व	36,71,26	*10,00*	36,81,26
	(कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी	2,12,33	...	2,12,33
64	वित्त विभाग	राजस्व	4,30,92	...	4,30,92
	(राज्य लाटरी)	पूंजी	...	...	...
65	वित्त विभाग	राजस्व	53,27,02	*3*	53,27,05
	(लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	पूंजी	1,71,99	...	1,71,99
66	वित्त विभाग	राजस्व	53,80	*78,64,79*	79,18,59
	(सामूहिक बीमा)	पूंजी	...	...	...
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	5,19,02	*15,72*	5,34,74
		पूंजी	...	...	...
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	15,98,79	*36,30*	16,35,09
		पूंजी	...	...	...
69	विधायी एवं संसदीय कार्य	राजस्व	...	...	...
	विभाग (विधान मण्डल)	पूंजी	2,15,00	...	2,15,00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	28,49,74	...	28,49,74
		पूंजी	...	...	...
71	शिक्षा विभाग	राजस्व	25,06,02,47	*2,21,61,84*	27,27,64,31
	(प्राथमिक शिक्षा)	पूंजी	1,57,39	...	1,57,39
72	शिक्षा विभाग	राजस्व	13,72,03,08	*1,10,07,68*	14,82,10,76
	(माध्यमिक शिक्षा)	पूंजी	22,14,47	...	22,14,47
73	शिक्षा विभाग	राजस्व	3,55,41,37	*5,50,01*	3,60,91,38
	(उच्च शिक्षा)	पूंजी	20,96,40	...	20,96,40
74	शिक्षा विभाग	राजस्व	13,95,84	...	13,95,84
	(प्रौढ़ शिक्षा)	पूंजी	...	...	...

अनुसूची–(क्रमशः)

1	2	3			
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
75	शिक्षा विभाग	राजस्व	46,73,32	...	46,73,32
	(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	पूंजी	49,50	...	49,50
76	श्रम विभाग	राजस्व	55,31,90	3	55,31,93
	(श्रम कल्याण)	पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग	राजस्व	87,98,82	20	87,99,02
	(सेवायोजन)	पूंजी	4,81,89	...	4,81,89
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	80,15,47	4	80,15,51
		पूंजी	...	...	...
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	1,76,66,23	1,50	1,76,67,73
	(समाज कल्याण)	पूंजी	1,03	...	1,03
80	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	6,18,54,36	3,75	6,18,58,11
	(अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	पूंजी	29,22,42	...	29,22,42
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	8,51,56	2	8,51,58
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी	2,19,20	...	2,19,20
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	7,61,73	51,95	8,13,68
		पूंजी	...	...	...
83	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	29,84	2	29,86
		पूंजी	...	...	...
84	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	94,84	...	94,84
		पूंजी	...	...	...
85	सूचना विभाग	राजस्व	25,64,76	...	25,64,76
		पूंजी	...	...	...
86	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	13,91,85	5	13,91,90
		पूंजी	...	...	...

अनुसूची–(समाप्त)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
87	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	1,14,89	*2*	1,14,91
	(निदेशालय)	पूंजी	29,91,22	...	29,91,22
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	1,13,76,83	*2,15*	1,13,78,98
	(व्यापार-कर)	पूंजी	5,24,94	...	5,24,94
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	4,43,40	...	4,43,40
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी	...	...	...
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व	17,21,73	*4*	17,21,77
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी	1	...	1
91	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	18,66,47	*3*	18,66,50
		पूंजी	4,60,90	...	4,60,90
92	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5,70.20,95	*1,00*	5,70,21,95
		पूंजी	1,23,60,62	...	1,23,60,62
93	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	9,04,78,37	*3*	9,04,78,40
		पूंजी	7,93,33,10	*1,00*	7,93,34,10
94	उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	4,57,74,55	*11,02*	4,57,85,57
		पूंजी	2,15,15,85	*19,00*	2,15,34,85
	योग	राजस्व	2,03,29,12,97	*56,48,38,57*	2,59,77,51,54
		पूंजी	60,29,79,18	*20,98,44,72*	81,28,23,90
	कुल योग		2,63,58,92,15	*77,46,83,29*	3,41,05,75,44

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड-3, अनुसूची, खण्ड -1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सुश्री मायावती–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब मैं सदन की कार्यवाही 4.45 बजे (अपरान्ह) तक के लिए स्थगित करता हूं।

(4 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित हुई, 4 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है, 5 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष–

माननीया मुख्यमंत्री जी कोई सूचना देना चाहती हैं ।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करती हूं कि प्रदेश में ऐसे हजारों अल्प वेतन भोगी कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं जो दैनिक वेतन पर अथवा वर्कचार्ज के आधार पर नियुक्त हैं। इनमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल है जो 15 वर्षों से भी अधिक अवधि से दैनिक वेतन अथवा वर्कचार्ज पर चल रहे हैं इन कर्मचारियों द्वारा नियमित करने की मांग निरंतर कई वर्षों से की जा रही है। शासन ने इन कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1991 में जब दैनिक वेतन/वर्क चार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाया गया तब से पूर्व के वर्कचार्ज कर्मचारी, जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा कर ली है और दैनिक वेतन के कर्मचारी, जिन्होने दस वर्ष की सेवा कर ली है उन्हें नियमित कर दिया जाए। शासन के इस निर्णय से अल्पवेतनभोगी कर्मचारी जो अपनी आयु सीमा पार कर चुके हैं उन्हें लाभ होगा और वे अब निश्चिन्त होकर सरकारी सेवा में योगदान कर सकेंगे।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(मद संख्या-15 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर एक दलित एम०एल०ए० का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, मैं भी दलित हूं मुख्यमंत्री जी भी दलित हैं। एक विधायक के साथ फिरोजाबाद के डी०एम० ने उनके साथ बदतमीजी की है।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर वे सदन के सदस्य हैं।

श्री राम विशुन आजाद–

यह सरकार दलितों की दुहाई देती है।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन के अन्दर सभी विधायक हैं न कोई दलित है और न कोई गैर दलित है।

राम विशुन आजाद–

[× × ×] –

श्री अध्यक्ष–

ये लिखा नहीं जाएगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, वे सदस्य रो रहे हैं। दलित मुख्यमंत्री जी ने उनको न्याय नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय आजाद जी कृपया बैठ जायं।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री–(श्री बी०आर० वर्मा)–

मान्यवर, कल इस बाबत पीठ से निर्देश हुए हैं। अभी सदन की कार्यवाही चल रही है, तो सदन के उठने से पहले के निर्देश है, उस निर्देश का हम अनुपालन करेंगे।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे [× × ×] बेटी हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस सदन में न तो कोई दलित है और न गैर दलित है इस सदन में सभी विधायक हैं और सबको बराबर का अधिकार है।

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

यह लिखा नहीं जायेगा। क्या कार्यवाही हो रही है मैंने इसकी जानकारी मांगी है, वह जानकारी आयेगी।

श्री धनी राम वर्मा

मान्यवर, अल्प संख्यक दलित का मामला है।

(श्री राम विशुन आजाद के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं जो आप कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जा रहा है।

(तत्पश्चात् श्री रामविशुन आजाद, श्रीमती उर्मिला यादव, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री धर्मज्ञ मिश्र तथा श्री कौशल किशोर सदन छोड़कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

कितने दिन आप सदन में रहे और कितने लोगों को आपने रोते हुए देखा? अनावश्यक आरोप नहीं लगाने चाहिए।

(व्यवधान के मध्य)

उ०प्र० आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक लोक कल्याणकारी विधेयक है। इससे लोगों का हित ही होने वाला है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे जनता का अहित हो। यही मुझे इसके बारे में कहना है।

(श्री धर्मज्ञ मिश्र के पुनः खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं। एक दिन सत्र का शेष रह गया है। मुझे आप कठोर कार्यवाही करने के लिए विवश न करें यदि आपको भी सदन छोड़कर जाना है तो जायें ताकि आगे की कार्यवाही सम्पन्न हो सके।

मद संख्या 15 को माननीय मंत्री जी ने विचार के लिए रख दिया है और अपने विचार भी रख दिये हैं। यदि किसी माननीय सदस्य को अपने विचार रखने हैं तो रखें। चूंकि कोई माननीय सदस्य अपने विचार नहीं रख रहा है इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से खण्ड-8 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 3 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 3 में, खण्ड (3-क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(4)''विनिर्माणशाला'' का तात्पर्य आसवनी से भिन्न किसी ऐसी इकाई से है जहां भारत में निर्मित विदेशी शराब का निर्माण किया जाता हो और बोतल में बन्द किया जाता हो।''

धारा 17 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, शब्द ''अथवा यवासवनी'' के स्थान पर शब्द ''यवासवनी अथवा विनिर्माणशाला'' रख दिये जायेंगें।

धारा 18 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 18 में, खण्ड (ग) में, शब्द ''अथवा यवासवनी'' के स्थान पर शब्द ''यवासवनी अथवा विनिर्माणशाला'' बढ़ा दिये जायेंगें।

धारा 19 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 19 में, शब्द ''यवासवनी'' के स्थान पर शब्द ''यवासवनी विनिर्माणशाला'' रख दिये जायेंगें।

धारा 29 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 29 में, खण्ड (ङ) में, शब्द ''या यवासवनी'' जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द ''यवासवनी या विनिर्माणशाला'' रख दिये जायेंगें।

धारा 41 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 41 में, खण्ड (ख) में, शब्द ''या यवासवनी'' के स्थान पर शब्द ''यवासवनी या विनिर्माणशाला'' रख दिये जायेंगें।

धारा 60 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 60 में, उपधारा (1) में खण्ड (घ) और (च) में, शब्द ''यवासवनी'' जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द ''यवासवनी विनिर्माणशाला'' रख दिये जायेंगें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड 8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या 17 पुकारे जाने पर और माननीय बाल चन्द्र मिश्र जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अरिमर्दन सिंह, सदस्य, विधान सभा के ऊपर हरिजन ऐक्ट लगाये जाने पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग

कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पहले आप अरिमर्दन सिंह जी को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाल चन्द्र जी एक मिनट पहले मैं माननीय अरिमर्दन सिंह जी को सुन लें फिर आप अपनी बात रखियेगा।

(माईक ठीक न होने के कारण भाषण ठीक से सुनायी नहीं दिया)

* श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, यह 9 तारीख की घटना है। हमारे क्षेत्र महोबा में जब मैं वहां पर गया तो विकास खण्ड अधिकारी गाँव में नहीं थे। जब हमने वहाँ पता लगाया तो पता चला कि बी० डी० ओ० साहब कहीं गये हुए हैं। जब हमने पूछा कि यहाँ पर कौन है तो हमें बताया गया कि ए० डी० ओ० साहब हैं। तो हमने पूछा कि ए० डी० ओ० साहब कहाँ पर हैं तो पता लगा कि वह होटल में सामने बैठे हुए हैं। मैं बाहर आया और मैंने ए० डी० ओ० साहब से कहा कि चलो हमें गांव का दौरा करना है। मैंने एक दिन पहले एस० डी० एम० साहब को लिखकर भी दे दिया था। जो भी आदमी होता है वह काम से मेरे पास ही आता है। यहाँ पर हमारे बुन्देलखंड के मंत्री बैठे हुए हैं लेकिन यह [× × ×] मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कहिये इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं।

श्री अरिमर्दन सिंह–

तो मान्यवर, मैंने उनसे यह कहा कि काम दिखाओ कहाँ पर इन्दिरा आवास बने हुए हैं। मान्यवर, यह सरकार अपने को संवेदनशील कहती है मगर यह सरकार संवेदनशील है नहीं। यह तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

खाली अपना कागज का पेट भर रही है। तो मान्यवर, मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ गाड़ी में बैठकर चलो। तो उन्होंने यह कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आप कौन हो? जब मैंने उनसे पूछा कि आप यहॉ पर कितने साल से हो तो उसने बताया कि मैं अभी नया आया हूॅ और एक साल से हूँ। तो मैंने उससे कहा कि एक साल से तुम यहॉ पर हो और हमको नहीं जानते हो। तो मान्यवर, यह लोग मीटिंग में हमको नहीं बुलाते हैं। मैंने उनसे फिर कहा कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। जब गाड़ी धीमी हुई तो वह उतर गये क्योंकि वह समझ गये थे कि विधायक जी नाराज हैं। मेरे जिले के एस० पी० श्री गिरधारी लाल जी हैं, मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगा दिया। आप इसकी जॉच करवा लें और एक कमेटी बनवा दें। अगर मैं इसमें दोषी पाऊं तो जो सजा आप चाहें मैं भुगतने को तैयार हूँ। मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है, करीब पांच महीने से, तब से इतना अपमान कभी नहीं हुआ है। और भी हमारे जनपद के विधायक हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर यही हालत होगी तो क्या होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एस० पी०, महोबा और डी० एम०, महोबा से कहलवा दें कि यह केस न लगाया जाय और इसकी जॉच करवा लें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हरिजन ऐक्ट का दुरूपयोग हो रहा है और माननीय सदस्यों के अधिकारों की अवहेलना भी हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्य की बात सुन ली है आप बैंठ जायें।

श्री अवधेश प्रसाद–

....अपनी जो व्यथा सुनायी, खण्ड विकास अधिकारी, जो माननीय सदस्य के क्षेत्र का है, वह जनता के कामों को दिखाने के लिये तैयार नहीं था, क्योंकि उन कामों में भ्रष्टाचार था और वह जानता था कि अगर माननीय सदस्य उसके उन कामों को देख लेंगे तो उसका परदा-फास हो जायेगा। बी० डी० ओ० अनुसूचित जाति का है, और माननीय सदस्य के विरुद्ध हरिजन एक्ट में रिपोर्ट लिखवा दी और स्थिति यह आ गयी है कि जैसे ही माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जायेगें, उनको गिरफ्तार कर लिया जायेगा। तो मान्यवर, आज इस प्रकार से हरिजन एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इससे बड़ी मिसाल और नहीं हो सकती है। इसलिये आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इसको गम्भीरता से लेकर कार्यवाही करें।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मैं इसकी जांच की मांग करता हूँ और जो दोषी पाया जाये उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कुछ दिन पहले मैंने यह कहा था कि यदि किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध इस तरह की शिकायतें हैं, तो डी० आई० जी० स्तर के अधिकारी से जांच करा ली जाये।

(व्यवधान)

कृपया आप बैठें। माननीय मिश्र जी आप बैठें। मैं इसीलिये यह प्रयास करता हूँ कि नियमों के अन्तर्गत ही बात करें और अधिक से अधिक आप को सुनने का मौका देता हूँ।

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

पूर्व में कमिश्नर स्तर के अधिकारी से जांच करायी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मामले में कमिश्नर से जांच करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष–

आपकी शिकायत तो बी० डी० ओ० स्तर के अधिकारी से है।

श्री धनीराम वर्मा–

कमिश्नर से जांच करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष–

किसी ऐसे अधिकारी से प्राथमिक परीक्षण करवा लें। अगर तथ्य सही प्रतीत हों, तो कार्यवाही हो और जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाये इनका उत्पीड़न न हो।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

जो आपकी इच्छा है, वह हमारे लिये आदेश हुआ करता है। इस पीठ से मैं श्रद्धानत रहता हूँ। मान्यवर, यह बड़ा गरिमामय सदन है, कहीं कोई ऐसी परिपाटी न पड़ जाये, कि वह आगे आने वाले दिनों में एक उदाहरण बने। मान्यवर, आपकी पीठ से जो निर्देश होगा उसका पालन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब बात समाप्त हो गयी। माननीय सदस्य माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात कर लेंगे, अधिकारी को इंगित करना आवश्यक नहीं है। यह सदन की एक प्रतिष्ठा है, गरिमा है, प्रशासन के दिन प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। हम सबको अपनी सीमा समझनी चाहिए। यदि उस सीमा का अतिक्रमण करेंगे तो दिक्कत हो जायेगी। (व्यवधान)

जब मैं नियम 51 की सूचना लूंगा। माननीय सक्सेना जी, उस वक्त अपनी बात कर लें। अब मैं मद संख्या–17 ले रहा हूँ।

प्रदेश के समस्त नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं के अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों के ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रभावी योजनाएं बनाते हुए एतदर्थ पृथक से धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 52 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया।

श्रीमान् मुझे एक शेर याद आ गया–

"कहाँ से छेड़ूँ तराना
कहाँ तमाम करूँ" ?

मान्यवर, समय बहुत कम है इसलिए मैं बिन्दुवार अपने विचार रखूंगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ।। नगर निगम है और बाकी नगर पालिकायें है, इन संस्थाओं में हजारों गांव ऐसे हैं जो आज भी आजादी के बाद विकास के नाम पर सूरज की एक किरण भी नहीं देख पाये हैं। वहाँ आजादी की किरण अभी नहीं पहुँच पायी है। विकास चाहे किसी योजना के अन्तर्गत हो चाहे जिला विकास योजना के अन्तर्गत हो, चाहे जनपदीय ग्राम विकास अधिकरण के अन्तर्गत हो, चाहे अम्बेदकर विकास योजना के अन्तर्गत हो वहाँ पर अभी भी विकास की कोई किरण नहीं पहुँच पाई है न इसमें भारत सरकार की योजनाएं है न इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं है। वह गांव अभी भी अभागे और विकास के नाम से अछूते हैं। किसी भी योजना में आच्छादित नहीं है। नगर निगमों की स्थिति यह है कि जैसे ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कम्पनी यहां आयी थी, अपनी दवाओं की बिक्री करने के लिये और थोड़ा सा स्थान मिलने पर तम्बू बढ़ाते-बढ़ाते पूरा कब्जा कर लिया, उसी तरह से ।

(श्री बालचन्द्र मिश्र के भाषण के मध्य 5 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

इन निगमों ने देहाती इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें अपना क्षेत्र बढ़ा दिया है और घोषणा कर दी है कि यह गाँव नगर निगम के क्षेत्र में है। जब यह घोषणा हो जाती है तो ग्रामीण विकास की सारी योजनाएं बन्द हो जाती है। वहाँ किसी भी विकास की योजना पर अमल नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि नगर निगमों में विकास के धन का जब आवंटन होता है तो सभी कक्षों में बराबर-बराबर धन आवंटित कर दिया जाता है, और जो बिलकुल विकसित नहीं है उनके लिये अलग से धन नहीं दिया जाता है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर, कानपुर में है, वह उत्तर प्रदेश में क्या एशिया में सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है, चाहें जनसंख्या की दृष्टि से ले लें, चाहे व्यास की दृष्टि से देख लें। कानपुर नगर निगम में कुल 110 कक्ष है उनमें से 35 कक्ष मेरे क्षेत्र में है और इनमें 80 गांव है। जैसे खलार, त्रिलोकपुर, अटवा, टिकरिया, खजुरिया, कुलगांव, रूमा, कल्याणपुर, नर्वल, चकेरी, छितपुरा, टिकरिया, टिकरा, पैगम्बरपुर, उपटी, दीपपुर, गौरिया, सजारी, गणेशपुर, सनिगवाँ, मथुरापुरवा, लोधनपुरवा, जुइयापुरवा, सिमरा, करमपुर, सतवरी, दुबौली, गड़रियनपुर, बूढ़पुर, मझरिया, चंदीपुरवा, तिरवा, लालपुर, हंसपुर, तौधकपुर, बिनगवाँ, पहाड़पुर, करही, गवाँ, गुजैनी, बर्रा,अर्रा, बश्रौलीपुरवा, खाड़ेपुर, टीकापुरवा, जरौली, वली का पुरवा, पहाड़पुर छेदी सिंह का पुरवा, चंदारी टटिया सिंह टटियाभगंवत, टटियाबला, सहदुलपुर, छेदी की टटिया इत्यादि। यह 80 गांव हैं जहां आज भी विकास का कार्य नहीं हो पाया है और वहां पर लाखों की संख्या में ग्रामीण निवास कर रहे है। उनकी दशा बड़ी खराब है उनमें खड़ंजा तक नहीं है नाले नहीं हैं, सीवर का कोई सिस्टम नहीं है बिजली के तार एवं खम्भे दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं वहां की स्थिति यह है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें भी इसकी व्यवस्था नहीं है।

मा० मुख्य मंत्री जी ने अपने सामान्य बजट में कहा है कि हर विधान सभा क्षेत्र में 10-10 ऐसे ग्राम अम्बेदकर विकास योजना में लिये जायेंगे और उनका पूरा विकास किया जायगा, लेकिन उसमें भी यह उल्लेख है कि शहरी क्षेत्र को छोड़कर। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अब तक शासन स्तर पर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। मुझे याद आ रहा है, मैं किसी की आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी के समय में रेलवे से तृतीय श्रेणी को हटा दिया गया। जो तृतीय श्रेणी के डिब्बे थे जिन पर तीन पाइयां लगी रहती थीं उनमें से एक पाई मिटा दी गयी और वह तृतीय श्रेणी का डिब्बा सेकेंड क्लास का डिब्बा हो गया। तो आज कुछ इसी तरह से काम किया जा रहा है। नगरीय सीमा में गांव लेने की घोषणा कर देने से यह मान लिया जाता है कि उन गांवों का आकार और प्रकार शहर में सम्मिलित क्षेत्र जैसा हो गया है लेकिन वास्तविकता दूसरी रहती है। उन गांवों का विकास नहीं हो पाता है। मैं आज भी जब गांव जाता हूँ तो 70-80 साल के बुड्ढे जिनके गाल पिचक गये हैं, आंखें आस लगाये धंस गयी है और अतड़ियां चिपक गयी हैं और जब वह सुनते हैं कि विधायक जी आये हैं तो वह आते हैं।

आजादी को आये 50 साल हो गये हैं लेकिन विकास अपने हिसाब से चल रहा है। वह लोग टकटकी लगाए आजादी की स्वर्णिम प्रभात की प्रतीक्षा कर रहे हैं और देखते हैं कि आजादी नाम की चीज है क्या है? वह उनके गांव तक कब पहुंचेगी। उनकी जिंदगी में आजादी उनके गांव आयेगी या नहीं। जब यह लोग 20-25 साल के नौजवान थे तो देश आजाद हुआ था। उनका स्वप्न था कि जब देश आजाद होगा तो उनकी दशा सुधरेगी लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि विकास जैसी कोई चीज नहीं हुई। मैं अपनी बात को बल प्रदान करने के लिये कुछ आंकड़े दूंगा। आठवीं योजना में देश के विकास की दर 6 प्रतिशत थी और उत्तर प्रदेश के अनुमानित विकास दर 2.9% दिखायी गयी है। मैं बड़े शर्म के साथ कहना चाहूंगा कि यदि इन गांवों का सर्वे किया जाय तो आजादी के बाद विकास की स्थिति 0% है। इसी तरह से आय की स्थिति को देख लें। सम्पूर्ण देश के प्रति व्यक्ति की आय 9321 रुपये वार्षिक है और इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 5983 रुपये वार्षिक है। हमारे क्षेत्र में 80 गांव हैं अगर इन गांवों के प्रति व्यक्ति की आय का सर्वे किया जाय तो मैं कह सकता हूँ कि जहां देश की आय 9321 है और प्रदेश की 5983 रुपये है वहीं पर इन गांवों के प्रति व्यक्ति की आय 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1950-51 में देश और प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय का अंतर 3 प्रतिशत था जो 1995-96 में बढ़कर 35.8% हो गया। यदि मेरे क्षेत्र के गांवों में यह तुलना की जाय तो यह अंतर 90 प्रतिशत से कुछ ऊपर पहुंच जायगा। अब मैं विद्युत उत्पादन के संबंध में कहना चाहूंगा। 1994 में प्रति व्यक्ति देश में 319 कि० वाट विद्युत उपयोग था और प्रदेश में यह 197 कि० वाट था जबकि मेरे क्षेत्र में जहां पर न तार हैं, न खंभे हैं, इसमें शून्य प्रतिशत उपयोग।

जहां अनेक राज्यों के सभी गांवों में श्रीमन् शत प्रतिशत विद्युत की आपूर्ति हुई है वहीं उत्तर प्रदेश के 75.8 प्रतिशत गांवों में और शेष में नहीं हुई है। श्रीमन् पिछले माह गांव की एक बैठक में मैं गया था । आपको जानकर आश्चर्य होगा मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ इस पर। मान्यवर, वहां गांव में एक महिला ने अपने बच्चे का नाम बिजलिया कहकर पुकारा। उसने बिजलिया नाम रखा होगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह आधे घंटे की चर्चा है। अब आप समाप्त करें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

श्रीमन् अपनी बात को रखेंगे नहीं तो फिर इस चर्चा का क्या औचित्य है? श्रीमन् जब वहां पर बिजलिया नाम सुना तो मैं सोचने लगा कि वहां पर न बिजली का खम्भा है न तार यहां बिजली कहां से आई। पता चला कि उस महिला ने शौक में पुकारने के लिये अपने बच्चे का नाम बिजलिया रखा है।

कहां तो तय था चरागां हरेक घर के लिये,
अब मयस्सर नहीं चराग इक शहर के लिये।

मान्यवर, इसी तरह से एक लाख आबादी पर 5 अस्पताल का राष्ट्रीय औसत है। प्रदेश में प्रति लाख दो अस्पताल का औसत है। उस हिसाब से 15 लाख की आबादी में मेरे क्षेत्र में एक भी राजकीय अस्पताल नहीं है। जबकि प्रदेश स्तर पर औसत के हिसाब से 30 अस्पताल होता है। अम्बेदकर गांव के बारे में जानकारी मिली थी कि अप्रैल से 15 जून तक 1500 गांव संपृक्त कर लिये गए और वित्तीय वर्ष के अन्त तक और 2500 गांव संपृक्त कर दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता...

अब आप समाप्त करें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूँ भारत सरकार का गरीबी हटाओ "क्विट पावर्टी" का नारा दिया था जैसे कि कोई आदेश दे दिया और जादू से गरीबी हट गई उसी तरह से यह लगता है कि देहाती क्षेत्र की खराब स्थिति को शहरी नाम देकर कोई कला, कोई जादू का ईजाद किया जा रहा है। गांवों में विकास की क्या स्थिति है। इन गांवों में विकास की यात्रा प्रारम्भ ही नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अब आप समाप्त करें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

मान्यवर, बस एक मिनट और। मान्यवर, भारत की आजादी और विकास यात्रा का मूल्यांकन इन गांवों से यदि हो तो श्रीमन् मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत में विकास यात्रा प्रारम्भ ही नहीं हुई है अभी तक।

ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से,
ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से।

श्रीमन्, हमारे माननीय राज्य मंत्री नगर विकास बैठे हुए हैं। मैं इनको निमंत्रित करता हूँ लेकिन यह वहां गांवों में पहुंच नहीं पायेंगे। मान्यवर, मुझे पीड़ा है इसलिये कह रहा हूँ । अगर नगर विकास मंत्री जी चलें वहां गांवों की दशा देखने के लिये तो मैं उनको अपने कंधों पर बैठाकर ले चलने के लिये तैयार हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। कृपया आसन ग्रहण करें। मैं श्री केशो मेहरा जी को बुला रहा हूँ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इन गांवों की नियति ही यह हो गयी है कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र के विशाल संग्रहालय में यह 80 गांव इसलिये दुर्दशा में सुरक्षित रखे जायेंगे कि जब कभी इतिहास में चर्चा होगी कि जब देश गुलाम था तो भारत कैसा था और देश आजाद हुआ है तो भारत कहां पहुंच गया है। यह अन्तर दिखाने के लिये इन गांवों की हालत ऐसी रखी गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

आधे घंटे की चर्चा में आपने 15 मिनट का समय ले लिया बाकी सदस्य क्या बोलेंगे? आप कृपया आसन ग्रहण करें।

(समय 5 बजकर 35 मिनट)

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री केशो मेहरा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है बालचन्द्र मिश्र जी ने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। एक विज्ञप्ति प्रकाशित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है उनकी स्थिति न तो नगर की रहती है और न शहर की रहती है। नगर निगम अधिनियम में सड़क के लिए जो अनुदान मिलेगा मात्र 10 प्रतिशत की राशि उनके विकास के लिए होगी "ऊँट के मुँह में जीरा"। आजादी के पचास वर्ष हो गये लेकिन सड़कें नहीं बनी हैं खड़ंजा नहीं है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली, जलापूर्ति नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान 74वें संविधान संशोधन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, 1997 में संशोधन हुआ। 1994 में उ० प्र० सरकार का 12 वाँ अधिनियम बना, उसमें व्यवस्था थी एक वित्त आयोग गठित होगा, वित्त आयोग जितनी उत्तर प्रदेश की आय होगी, चाहे वह पथकर से हो चाहे शुल्क से हो उसमें प्रत्येक स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत एवं प्रदेश के संचित धन कोष में से इनका हिस्सा प्रत्येक स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए दिया जाएगा। वर्ष 1997 है आज तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ इससे स्थिति सुधरेगी।

* श्री चन्द्र नाथ सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं जनपद प्रतापगढ़ के शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ मेरे क्षेत्र में दस ग्राम सभायें ऐसी हैं जहां आजादी के पचास साल बाद भी उनका विकास नहीं हुआ है गांव में जब वह थीं तो थोड़ा बहुत मिल जाता था जबसे शहरी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकारी पैसा कई बार गया लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन ग्राम सभाओं को नहीं मिला है मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो धन आवंटित हुआ उसमें इन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

ग्राम सभाओं को प्राथमिकता देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

* श्री अमरमणि—

सर्वप्रथम मैं बालचन्द्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इन्होंने बहुत ही सार्थक विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, नौतनवां नगरपालिका भारत नेपाल सीमा से आठ किलोमीटर पर है, सुनौली बाजार है आठ किलोमीटर में पड़ने वाले 10 गांव लगभग हैं, विनियमित क्षेत्रों में आते हैं, विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जहां किसी की झोपड़ी बनती है तो उसे पैसा देना पड़ता है और अपना नक्शा पास कराना पड़ता है, तमाम सुविधा शुल्क नगर पालिका को देना पड़ता है।

जैसा कि श्री बाल चन्द्र मिश्र जी ने कहा आजादी के 50 साल बाद भी ऐसे गांव हैं जहां पर एक भी खम्भा नहीं है, न ही बिजली की कोई व्यवस्था है न ही खड़ंजा की कोई व्यवस्था है, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके अम्बेदकर गांबों में भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं कराई जा सकी है। यह विषम परिस्थिति है। जो नगर क्षेत्र में गांव आते हैं उन गांवों में कोई सुविधा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नौतनवां के जुगाली, सुक्रौली श्यामघाट नौनियां आदि गांवों की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो गांव विनियमित क्षेत्र में आते हैं। उन गांवों के विकास के लिए अलग से धन आवंटित करने की व्यवस्था की जाए ताकि वह विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

*श्री सतीश महाना—

मान्यवर, जैसा कि हमारे साथी बालचन्द्र मिश्र जी ने अपनी बातें रखी हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। माननीय मिश्र जी ने जो बातें कहीं हैं उनमें सच्चाई है। मेरा विधान सभा क्षेत्र कानपुर महानगर में पड़ता है। वहां पर अनेक गांवों में किस प्रकार की दुर्दशा है इसका विस्तार से श्री मिश्र जी ने वर्णन किया है। उनको न तो शहर में रहने वालों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं न ही गांव वालों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के गांवों को जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं उसके लिए अलग से योजना बनाई जाए। जो सिंचाई का गन्दा पानी जाता है मेरे विधान सभा क्षेत्र में वहीं पानी पीना पड़ता है। मवैया, शेखपुर, मदारपुर आदि गांवों की यही स्थिति है। उन गांवों में कर बढ़ा दिया गया है इस बढ़े हुए कर को देने की स्थिति में गांववासी नहीं हैं। वहां पर छोटे-छोटे किसान हैं अतः इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाय।

*श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। तथा आपका ध्यान जनपद गोरखपुर के अपने निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरा क्षेत्र शहर से सटा हुआ क्षेत्र है हमारे क्षेत्र के अधिकांश गांव नगर निगम क्षेत्र में पड़ते हैं। वहां पर कोई सुविधा नहीं मिलती है। चाहे ब्लाक से, चाहे तहसील से, चाहे जिले से। उन गांवों में कोई सुविधा नहीं मिलती है। मान्यवर, आजाद चौक से कजाकपुर एक क्षेत्र पड़ता है वहां पर नगर पालिका की जो दो कि० मी० सड़क आती है वह बहुत चालू सड़क है वहां एक-एक दो दो घंटे रोड बन्द रहती

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है। इतना बड़ा गड्ढा बन गया है कि वहां पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। सवारी उलट जाती है। लोगों को चोट आती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती गौरी देवी—

वहां पर पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। इसी तरह से पानी के निकासी की कोई सुविधा नहीं है। मैं आपका ध्यान आमी नदी की तरफ ले जाना चाहती हूँ। संजय पेपर मिल जो खलीलाबाद में है उसका पानी नदी में गिरता है जिससे आमी नदी का पानी प्रदूषित हो चुका है। और पानी एकदम काला हो गया है, उसमें से बदबू आ रही है, कीड़े निकल रहे हैं और सारी मछलियाँ मर गयी हैं। जो जानवर उस पानी को पीते हैं वह बीमार हो जाते हैं जो लोग लाश लेकर जाते हैं, लाश को जलाने के बाद नहाते हैं तो बदन पर फफोले पड़ जाते हैं और महामारी फैलने की आशंका है।...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्या अब आप समाप्त करें। आधे घण्टे की चर्चा थी और इस पर काफी समय हो गया है।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मछुवारे भुखमरी के कगार पर हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो संजय पेपर मिल का पानी आ रहा है उसको रोकने की कोशिश सरकार करे। मान्यवर, यहां भा० ज० पा० के श्री टी० पी० शुक्ल जी बैठे होंगे उनके क्षेत्र का भी मामला है। यह दो क्षेत्रों को जोड़ता है, बहुत गम्भीर सवाल है। मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी उस दिन बड़े चिन्तित हो रहे थे कि प्रदूषण चाहे किसी प्रकार का हो उसे बन्द कर दूँगा, उस पर सख्त कार्यवाही करूंगा, मैं सुन रही थी मान्यवर, मैं इनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जो संजय पेपर मिल का गन्दा पानी बहता है उसको रोका जाये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गौरी देवी जी अब आप समाप्त करें।

श्रीमती गौरी देवी—

माननीय अधिष्ठाता जी, संजय पेपर मिल का पानी बन्द न होने से भयंकर महामारी फैल सकती है। मिल मालिक पैसा देकर मुँह बन्द कर देता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार कर लें।

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्थानीय निकायों में जब वृद्धि की जाती है तो सीमा विस्तार के परिणामस्वरूप ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र आ जाते हैं जिनमें तत्काल नगरीय सुविधाओं की व्यवस्था

सम्भव नहीं हो पाती है लेकिन नगर निगम के क्षेत्र में ऐसे आने वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर यह बात जो माननीय सदस्य ने उठायी है कि वह ग्रामीण सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं उनकी सही पीड़ा को रखा है लेकिन यह घटना भी पूर्णतया सत्य नहीं है। नगर निगम में था नगर पालिका क्षेत्र में जो भी ग्राम सीमा क्षेत्र में आते हैं उनमें नगरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भेदभाव किया जाता है, ऐसा कदापि नहीं है। यह स्वायत्तशासी संस्था है हम नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों को अनुदान देते हैं लेकिन उनके अपने स्थानीय संसाधन के स्थान पर उनको ये सुविधायें मुहैया करानी होती हैं, पूरी तरह से वे शासन के अन्तर्गत न होकर एक स्वायत्तशासी संस्था है।.....

श्री जगदम्बिका पाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी अपने भाषण में कृपा पूर्वक बता देंगे कि जो शहरी क्षेत्र के निर्धन लोग हैं और उनके पास आवास नहीं है क्या उनके लिये इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास देने का कोई प्राविधान है।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय—

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में जो सीमा विस्तार के परिणामस्वरूप जो भी ग्राम आ जाते हैं उनको एक दम से नगरीय स्वरूप देने में सीमित संसाधनों के कारण कठिनाई है। इसमें एक, कठिनाई और है जब जो गांव लिये जाते हैं और जब नगरीय सीमा में लिये जाते हैं या मौजे तो निश्चित रूप से उनका विकास अनियंत्रित हो जाता है, नगर की देखा देखी नीचे इलाकों में नगरीय स्वरूप देने का प्रयत्न करते हैं उसके कारण थोड़ी कठिनाई आती है।

माननीय सदस्य ने कानपुर नगर की बस्तियों का उल्लेख किया है। माननीय मिश्र जी हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने अपने कन्धे पर बैठाकर ले चलने की बात कही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर वहां जाने की जरूरत होगी तो उन्हें हम अपने कन्धे पर बैठाकर ले चलेंगे। मैं जानकारी के लिये यह भी बताना चाहूँगा कि जिन गांवों का नाम उन्होंने लिया है, करीब 80 मौजों का उल्लेख किया है, उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नगरीय रोजगार योजना लागू की है, जिसमें मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत 44 लाख की लागत से 68 मलिन बस्तियां कानपुर नगर की हैं, को लिया गया है और यह बहुत जल्दी लाभन्वित होने वाली हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जिन मौजों का उल्लेख उन्होंने किया है, उसमें गड़रियनपुरवा, कत्यापुरखुर्द, मथुरापुरवा, सिसम्भी, कुम्हारनटोला, मौजा चदारी, टिकरा, बर्रा, दरिया कल्ला, कत्यापुर कलां आदि अनेक बस्तियां हैं, जिन्हें हम जल्दी ही नगरीय रोजगार योजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं से युक्त करने जा रहे हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्व-रोजगार हेतु ऋण देना, पुष्टाहार आदि लिया जायेगा।

इसी प्रकार मलिन बस्तियों में अवस्थापना संबंधी सुविधायें जैसे पेयजल, खड़न्जा, नाला निर्माण, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक केन्द्र, नगरीय रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं। इससे उस क्षेत्र का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। माननीय श्री केशो मेहरा, जी ने संविधान के 74 वें आर्टीकिल के उल्लेख में राज्य वित्त आयोग की बात कही है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैं बताना चाहूंगा कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर जो नगर पंचायत, नगर निगम आदि के जो आर्थिक संसाधन की स्थिति है, उसमें सुधार होगा। माननीय सदस्यों ने जो अपेक्षायें की हैं, हमारी सरकार उन्हें पूरा करने में सक्षम साबित होगी। श्रीमती गौरी देवी, श्री सतीश महाना, श्री अमित अग्रवाल आदि माननीय सदस्यों ने अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं, उसके संबंध में बताना चाहूँगा

कि पहले भी इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि नगर निगम और नगरपालिकाओं के अन्तर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनको मूलभूत सुविधायें दी जायें, उनका विकास किया जाय, लेकिन अलग से धन आवंटन की पृथक व्यवस्था करना सम्भव नहीं है, हम उन्हें धन देते हैं, अनुदान के रूप में और वह अपने स्तर पर समान रूप से योजनायें बनाते हैं। माननीय सदस्यों के विचारों का मूल्य और महत्व समझते हुये इस बात के पुनः विशेष निर्देश दिये जायेंगे कि इन क्षेत्रों का विशेष ध्यान दिया जाय और यहां के जीवन को बेहतर बनाया जाय, हमारा नगर विकास विभाग पूरी तत्परता से इस काम को करेगा और जन जीवन को सुधारेगा।

श्री बालचन्द्र मिश्र—

मान्यवर अभी मंत्री जी के भाषण से दो तीन चीजें सामने आई, जिनका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मंत्री जी ने कहा कि जो नगरीय क्षेत्र सीमा के भीतर ग्राम हैं उनकी तुलना नगर के विकसित क्षेत्र से करने से मा० सदस्य को ऐसा लगा होगा किन्तु जो ग्रामीण अंचल में गांव हैं वे ज्यादा विकसित हैं नगरीय क्षेत्र के ग्रामों में बताना चाहता हूँ कि स्थिति बिल्कुल भिन्न है। सरसौल विधान सभा के गांव अधिक विकसित हैं। लेकिन ठीक उसके बगल में जो गांव हैं वह न तो डी० आर० डी० ए० से कर्वड होते हैं और न अम्बेदकर विकास योजनाओं से ही आच्छादित होते हैं। इसलिये जिन गांवों का मैंने नाम लिया था उनमें और मलिन बस्तियों के लिए विकास के कार्य करायें जायें। गांवों के नाम की सूची मैं आपको बाद में उपलब्ध भी करवा दूंगा जिनका आप निरीक्षण करालें तो वहां की स्थिति मालूम हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जायें और मंत्री जी का जवाव सुन लें।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने अपनी चर्चा के उत्तर में सारे बिन्दुओं को स्पष्ट कर दिया है । मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूँ कि नगर सीमा में जो गांव लिये गये हैं उनके बेहतरी की सुविधा की बात कर रहे हैं उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि उनके विकास के संबंध में हमारा नगर विकास विभाग उनकी देख-रेख करता हैं और उनका विकास उसमें किया जायेगा। अन्य बातों के संबंध में जो माननीय सदस्य ने सदन में कहा है उसको हम दिखवा लेंगे इस संबंध में उपेक्षा की भावना नहीं रखी जायेगी।

जनपद गौतम बुद्ध नगर के कतिपय ग्रामों में कुछ भू-माफियाओं द्वारा किसानों की भूमि को बैनामे कराकर ऊंचे मूल्य पर बेचने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मुझे आपने नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बोलने का जो समय दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में ग्राम नगला–नगली, रामपुर असगरपुर, रसूलपुरराय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तहसील दादरी के संबंध में मैने पहले भी यहां प्रश्न काल के माध्यम से जानना चाहा था और आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि वहां भू–माफियाओं का आतंक फैला हुआ है नगला–नगली, तहसील दादरी, के कुछ भू-माफियाओं जिनका कार्यालय दिल्ली में है, वे लोग गलत तरीके से किसानों की जमीनों की फर्जी बैनामे द्वारा हड़प कर रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा इस कार्य में लिप्त हैं। इसके साथ ही साथ इसके बराबर में असगरपुर ग्राम के मामले में कुछ भू-माफियाओं ने जिनके नाम इस सदन में प्रश्न के माध्यम से बता चुके हैं। महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के मालिक श्री धर्मपाल हैं, जो बहुत बड़े भू-माफिया हैं, इनके अलावा श्री सुरेन्द्र पुत्र काशीराम फर्जी बैनामें के आधार पर एग्रीमेन्ट कर रहे हैं।

जनवरी, 1995 से लेकर अब तक यह लगातार किसानों के शोषण का काम कर रहे हैं, किसानों की जमीन हड़पने का काम कर रहें हैं और सरकार निष्क्रिय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे पास सारे रिकार्ड हैं पूरी फाइल है बैनामे की। मान्यवर, असगरपुर में अमर सिंह व निहाल सिंह पुत्र खचेड़ू तहसील दादरी थे। अमर सिंह की मृत्यु स्वाभाविक तौर पर हो चुकी थी 1991 में और इसकी जानकारी होने पर बंशी राम पुत्र राम दयाल और सुरेन्द्र सिंह पुत्र जुल्फी राम ने एक सादे कागज पर अमर सिंह की फर्जी वसीहत लिख दी और उसकी जमीन हथिया ली जब कि उसके भाई को हक जाता था। मान्यवर, इतना ही नहीं अमर सिंह की जमीन की वसीहत लिखकर उसको तो बेच ही दिया उसके साथ ही उसके भाई निहाल सिंह की जमीन को भी बेच दिया और तहसीलदार दादरी ने निहाल सिंह की जमीन पर बंशीराम भू-माफिया का नाम दर्ज कर दिया जिसे उसने दूसरे लोगों को बेच दिया। इसी तरह से ग्राम असगरपुर में अंगूरी देवी और जसवन्ती से पावर आफ एटार्नी लिखाई मान सिंह पुत्र कासी राम ने जिसका खाता नं० 35, खसरा नं० 37,462, और 131 तथा रकबा है 9 बीघा 6 बिस्वा पुख्ता और डाकूमेन्ट नं० 11000 सौ और इस डाकूमेन्ट नं० 11000 सौ से बेच दिया खसरा नं० 467 जो 15 बीघा पुख्ता जमीन थी उसको बेच दिया।

इस तरह से पावर आप एटार्नी ली 9 बीघा की और बेच दिया 15 बीघा और दूसरा नम्बर बेच दिया। इस प्रकार से कई लोगों की जमीन जनवरी, 1995 से लेकर अब तक लगातार फर्जी बैनामे नोएडा तहसील ने बिना किसी गवाही सहादत के ऐसे लोगों को दाखिल खारिज कर दिया और जमीन बेचने का दाखिल खारिज कर दिया। इस प्रकार रोहताष पुत्र कर्म सिंह की खसरा नं० 476 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा की पावर आफ एटार्नी करवाई सुरेन्द्र पुत्र जुल्फीराम ने। इसका डाकूमेन्ट नं० 1610 दिनांक 20–1–90 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में करायी गयी और जब जमीन डाकूमेन्ट नं० 1610 से बेची गयी तो खसरा नं० 479 बेच दिया 27–5–95 को जगवीर व सुखवीर पुत्र झरिया के नाम थी।

मान्यवर, दो एक मामले मैने बताये ऐसे पचासों मामले हैं जो इन लोगों ने बेच दिये हैं रकबा लिया कुछ और बेच दिया कुछ और पावर आफ एटार्नी कराई कुछ और बेच दिया कुछ और मैं मांग करता हूँ कि जनवरी, 1995 से लेकर अब तक सब रजिस्ट्रार नोएडा दादरी तहसील में इसकी जांच कराई जाये और इन दोषी लोगों को दंडित करने का काम किया जाय।

इसी तरह से मोती पुर तिलवाडा यह सिकन्दरा बाद तहसील में है जिसमें एक समिति 1959 में संयुक्त सहकारी खेती लिमिटेड के नाम से पंजीकृत हुयी। 44 पट्टे पहले हो चुके समिति बाद में रजिस्टर्ड हुई 272 एकड़ जमीन थी जिसको एक ने सुरेन्द्र गुप्ता ने जो सेना के लोगों को ठग रहा है, डेढ़ दो लाख में एकड़ के हिसाब से बेच रहा है, जब की दीक्षित एवार्ड में डिस्प्युट था उस को बेचा नहीं जा सकता था। सुरेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली में आफिस खोला हैं। ताज पैलेस में इसके लिये उसने मीटिंग की कार्ड बटवायें। सिद्धार्थ एग्रों के नाम से सोसाइटी बनायी जब कि मौके पर स्थिति दूसरी है। एक-एक एकड़ का बैनामा कराया जा रहा है। लोनी और देहात में भी तीन हजार बीघा ग्राम समाज

की भूमि ली गयी। लोनी की पुलिस और प्रशासन भू-माफियों के साथ मिला हुआ हैं। मान्यवर, इन्हीं भू-माफ़ियों के नाते कार्यक्रम भी बड़ा है। इसी तरह से रसुल पुर गांव है दादरी में। खसरा नं० 378.365, मान्यवर, जो पात्र भी नहीं था, 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि के पट्टे किये गये।

(व्यवधान)

मान्यवर, इसमें तहसीलदार ने 4 एफ० का लाभ दे दिया जब कि उन्हें इसका अधिकार नहीं है। तहसीलदार दादरी ने गलत पट्टे दिये हैं अब मुआवजा उठाने की कोशिश की जा रही हैं ग्राम समाज की भूमि खुर्जबुर्द की जा रही है। मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। 24 जुलाई को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की कि किसानों को 160 रु० गज का मुआवजा देंगे जो आज तक लागू नहीं हुआ है।

मान्यवर, हमारे यहां इसको लेकर जेल भरो आन्दोलन किया गया लाठी चार्ज हुआ। मान्यवर, हलदोना ग्रेटर नोएडा में 50 रु० गज का मुआवजा देना तय किया है 17 जुलाई को सरकार का जवाब आता है 50 रु० की दर से मुआवजा देंगे। 24 जुलाई को इसी सदन में यह किया जाता है कि 160 रु० गज का मुआवजा देंगे।

किसानों की जमीन चली गयी। किसान जेल जा रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए मांग करना चाहता हूँ कि जितने बिन्दुओं को मैंने उठाया है, उन पर सिलसिलेवार जांच करायी जाय ताकि गांव वालों को न्याय मिल सके। जिन-जिन गांवों की जमीन ली जा रही है, उन्हें आप 160 रुपये गज के हिसाब से, जैसा कि सरकार ने स्वयं घोषणा की थी, मुआवजा दिया जाय। कलेक्टर जो 20 परसेन्ट रिश्वत लेकर मुआवजा देने की बात करता है, उस पर अंकुश लगाया जाय और सभी बिन्दुओं की जांच करायी जाय।

* डाक्टर अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, भाटी जी ने जो यह प्रश्न उठाया है और उसके संबंध में जो-जो बिन्दु रखे हैं, उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूँ। यह एक गम्भीर प्रकरण है। आज बड़े पैमाने पर दिल्ली के आस-पास के सटे जिलों में भू-माफिया धोखा-धड़ी का काम कर रहे हैं। भोले-भाले किसानों की जमीन को औने-पौने दाम पर तथा फर्जी बयनामा कराकर फार्म हाउस के नाम पर दूसरे लोगों को महंगे दामों पर बेच रहे हैं। ऐसी घटनाओं से दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भू-माफिया जुड़े हुए हैं जो गरीबों का शोषण करके तथा नियमों को धत्ता बताकर फर्जी बयनामा कराकर, फार्म हाउस के नाम पर वील्डर्स को या दूसरे लोगों को बेचने का काम रहे हैं। इससे पूर्व में भी यह मामला प्रश्न के माध्यम से सदन में आया था। सरकार इस गम्भीर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेगी। माननीय नेता सदन हमेशा यहां पर कहती रहती है कि माफियागर्दी को समाप्त कर दिया जायेगा। ऐसा लगता है कि उन्हें यह शब्द याद हो गया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे भू-माफिया हो या मसल माफिया हों, उन्होंने गरीब किसानों का जीवन दूभर कर दिया है। इन फर्जी बयनामों को कराने में आपके प्रशासन के अधिकारी रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी अभिलेखों में फेरबदल करके जमीन का घोटाला कर रहे हैं। कभी फार्म हाउस के नाम पर, कभी ग्रीन-बेल्ट के नाम पर और कभी प्लान्टेशन के नाम पर जमीनों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

बेचने का काम कर रहे हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर धोखा–धड़ी का काम किया जा रहा है। इसलिए में चाहूँगा कि इस प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच करायी जाय और जो अधिकारी इसमें दोषी पाये जायं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय और भू–माफियाओं के खिलाफ भी कार्यवाही की जाय ताकि किसानों का शोषण होने से बच सके। ग्राम पंचायत की जमीन जो गांव की सुविधा के लिये होती थी, अभिलेखों में हेरा-फेरी करके जो फर्जी बयनामें किये जा रहे हैं, जो भी लोग इस काम में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मान्यवर, यह चर्चा केवल चर्चा, बनके न रह जाय बल्कि इस प्रकरण पर आपकी पीठ से कोई ऐसा सख्त निर्देश शासन को दिया जाना चाहिये जिससे भविष्य में इस प्रकार की अनियमिततायें न होने पाये।

(श्री नन्द राम जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुन्ना चौहान—

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अधिष्ठाता—

मैने नन्द राम जी को पुकार लिया है। मैं आपको बाद में सुन लूँगा।

श्री नन्द राम—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने पहले भी एक प्रश्न के माध्यम से भू-माफियाओं के बारे में कहा था। मान्यवर, मेरे क्षेत्र बरेली जो कि गंगा का किनारा है, वहां पर एक ग्राम नगरिया कला है जहां की हजारों बीघा जमीन हथिया ली गयी है.....

श्री अधिष्ठाता—

यह सूचना एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है। आप अपने क्षेत्र की बात बता रहे हैं। यदि आप गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं तो बतायें कि अपने क्षेत्र की चर्चा यहां पर न करें? इसमें पूरे प्रदेश की समस्या को लेकर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूँगा।

श्री अधिष्ठाता—

समय का अभाव है इसलिए दो मिनट में अपनी बात कहें। मैं इसके बाद रंग नाथ मिश्र जी को और उसके बाद माननीय मंत्री जी को फिर मुन्ना चौहान जी को अवसर दूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय भाटी जी ने किसानों की समस्या आपके समक्ष रखी। मुझे प्रसन्नता है कि भाटी जी किसान हैं और हमारे मंत्री जी सिरोही जी भी काश्तकार हैं। मान्यवर, यहां पर दो बाते आयीं एक तो ग्राम सभा की जमीन को भू-माफियाओं ने बेचा है, यह सिद्ध हो गया है। जो पत्र सदन के समक्ष दिखाया गया है उसमें जमीन को जिस प्रकार से बेचा गया है, जो नीति बनायी गयी है यह अत्यन्त ही दुखदायी है। मै निवेदन करना चाहूँगा कि किसान अपनी जमीन बेचे लेकिन वह जमीन खेती के लिए बिके। जो ग्राम सभा का पट्टा हो वह खेती के लिए हो। मान्यवर, इसमें सारी जमीन ले

ली गयी। मान्यवर, एक बात कहना चाहूँगा कि खेती की जमीन किसानों की और ग्राम पंचायतों की जमीन आवास के लिए ले ली जाती हैं और 143 में उसकी नवैयत बदल जाती है। जो खेती के लिए बैनामा हो उसमें खेती होनी चाहिए, आवास नहीं बनने चाहिए। माननीय मंत्री जी संशोधन कानून लेकर यहां आये कि खेती की जमीन का बैनामा खेती के लिए हो उसे आवास में परिवर्तित न किया जाय। आज दिल्ली में बड़े-बड़े महल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसे नीतिगत मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और जो किसानों की खेती की जमीन है उसकी रक्षा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

जो मुआवजा उनको नहीं मिला है यह भी लाया जाय। मेरा बस इतना ही निवेदन है।

श्री रंग नाथ मिश्र—

मान्यवर, यह विषय जिस पर चर्चा हो रही है, वह निश्चित रूप से किसी क्षेत्र विशेष का है, लेकिन यह समस्या पूरे प्रदेश की है, चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो और चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। भू-माफिया तो जमीन को हड़प ही रहे हैं, कुछ विभाग भी हैं, जो किसानों की जमीन को हड़प रहे हैं।

* श्री दल बहादुर कोरी—

मान्यवर, माफिया शब्द की व्याख्या करवा दीजिए।

श्री रंग नाथ मिश्र—

कुछ विभाग हैं, जैसे नहर विभाग है और तमाम विभाग हैं, जो किसानों की जमीन तो ले लेते हैं, परन्तु उनको मुआवजा नहीं देते हैं। इसी प्रकार से फर्जी बैनामा करा लिया जाता है और किसान को पैसा नहीं मिल पाता है, किसी की फोटो लगा दी जाती है और बैनामा कर दिया जाता है, दूसरे की जमीन बेंच दी जाती है। अधिष्ठाता महोदय आपके क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ है। पथवैया गांव के काशीनाथ की जमीन पर बैनामा करवा लिया गया और उसमें मुकदमेबाजी हो रही है। दूसरे का फोटो लगाकर बैनामा कर दे रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप मंत्री जी को निर्देश दें और जो फर्जी बैनामें हैं उनकी जांच करायी जाये और दोषी व्यक्तियों को रासुका में बन्द किया जाये और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

*श्री महेन्द्र सिंह यादव—

मान्यवर, नोएडा क्षेत्र से लगी हुई एक समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने 1988 में किसानों की जमीन ली थी, जो चांदपुर और नयागांव की सीमा में आते हैं, उनकी जमीन अधिग्रहीत की थी और 9 साल हो गये हैं, लेकिन उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। 50 रुपये का मुआवजा तय किया गया था और उसमें से 40 रुपये दिया गया है। किसान इस बारें में कोर्ट चले गये और कोर्ट ने 350 रुपया मुआवजा तय किया है, जिसके लिए वह लड़ रहे हैं। विकास प्राधिकरण उसी जमीन को एक हजार और डेढ़ हजार की दर से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

बेच रहा है। उनके अधिकारी कहते हैं कि जज साहब ने बेईमानी से यह रेट तय कर दिया है, उसकी अपील की जायेगी, लेकिन वह किसानों को नहीं दे रहे हैं। इसके लिए किसान आन्दोलन कर रहे हैं और वह भुखमरी की कगार पर हैं।

श्री दल बहादुर कोरी—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की समस्या है, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता—

यह केवल दादरी तहसील से संबंधित है, आप बैठें।

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)—

यह चर्चा का विषय गौतम बुद्ध नगर के बारे में है अन्य जनपदों के बारे में नहीं है। माननीय भाटी जी से कुछ फर्जी बैनामों का जिक्र किया है। उनसे मेरी बात कुछ समय पहले हुई थी, मैने उनसे कहा तथा कि पूरे डिटेल दे दें लेकिन उन्होंने दिया नहीं, अगर दे दिया होता तो उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाती। गौतमबुद्ध नगर में चार फर्जी बैनामें किये हैं, जब यह विषय जानकारी में आया है, दो केसेज रजिस्टर्ड हुए है। एक केस नम्बर-602/97 अन्तर्गत धारा-420 आई० पी० सी, 22-7-97 को दर्ज हुआ है, इसको श्री विष्णु सिंह, सचिव, नोएडा ने दर्ज कराया है। इसके दो मुल्जिम है, एक तो मेसर्स रीवर ब्रिज फार्म इण्डिया लि०, बी-10, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली और दूसरे मेसर्स महेन्द्रा फार्म, 509/5, सेक्टर 29, नोएडा, के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका केस नम्बर-626/97 अन्तर्गत धारा 420/511 आई० पी० सी० है। यह भी 22-7-97 को दर्ज किया गया है। इसके अभियुक्त मेसर्स एडवान्टेज ग्रुप, ई-197, कालकाजी, नई दिल्ली है। चारों गांव के बारे में बात कही है, किसी पट्टीकुलर मामले का नाम नहीं लिया है, इसलिये दिक्कत आती है, मेरी आपसे अपील है कि जितने मामले आपके संज्ञान में हो उसकी सूचना दे दें।

किसानों के ऊपर जो भी गड़बड़ी करेगा घुमाफिरा कर अगर किसानों की जमीन लेगा तो आप लिख कर दे दें उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी अगर की हैं तो उनसे जमीन निकाली जायेगी।

यह जो आपने असगरपुर, रोहतास बगैरह के बारे में कहा है मैं अनुरोध करूंगा कि आप लिख कर दे दें, सब पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। भू-माफिया कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो वह बच नहीं पायेगा।

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो आरक्षित भूमि के बारे में कहा है हालांकि वह इससे संबंधित नहीं है। आरक्षित भूमि के बारे में मैने पहले ही कहा, हमने प्रयास शुरू कर दिया है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अगर चकबन्दी की कोई भूमि इस प्रकार की है तो उसमें भविष्य में पट्टे न किये जायें। लिखत-पढ़त शुरू कर दी है।

माननीय नरेन्द्र सिंह भाटी जी ने चांद पुर के बारे में कुछ कहा है, हालांकि इससे संबंधित नहीं है, अगर भुगतान नहीं हुआ है तो प्रयास करेंगे कि भुगतान हो जायें।

माननीय भाटी जी ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बारे में कहा, यह मामला बहुत समय से चला आ रहा है। राज्यपाल शासन के समय में भी भाटी जी को मालुम होगा कि प्रयास होता रहा है और

उससे पहले भी माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में यह बात आयी और बैठक भी की गयी और प्रतिनिधि मण्डल भी मिलते रहे हैं लेकिन रेट के बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब जब से यह सरकार आयी है, हमने प्रयास किया है और बैठके की हैं और एक बात तय हुई है कि 150 रुपये के हिसाब से किसानों को दिया जायेगा खास कर ग्रेटर नोएडा में 150 रुपये के रेट पर देने के लिए किसान तैयार है चूँकि कई विभागों से यह मामला संबंधित है जो विभाग भी इसमें आता है वह सबसे कन्सल्ट करना पड़ता है, वह फाइल चल रही है। यह मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है। अब किसानों ने मान लिया है, तो सरकार प्रयास कर रही है, बहुत शीघ्र ही अध्यादेश जारी कर दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री मुन्ना चौहान का नाम पुकारने पर) समय का ध्यान रखते हुए केवल स्पष्टीकरण पूछें।

श्री मुन्ना चौहान—

श्रीमान् एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा सदन में हो रही है। आज पूरे प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनती चली जा रही है, सब जगह भूमि माफियों द्वारा एक रैकेट तैयार किया गया है जिससे किसानों की जमीन और ग्राम समाज की जमीन को किसी न किसी तरह हड़प लिया जाये। श्रीमान्, अभी श्री भाटी साहब ने गौतमबुद्ध नगर की परिस्थितियों का जिक्र किया। यह परिस्थितियाँ वहीं की नहीं हैं बल्कि पूरे प्रदेश के अन्दर पैदा हो गयी है। इन परिस्थितियों के लिये कुछ हद तक हमने जो कायदे कानून बनाये हैं ग्राम समाज की जमीनों के पट्टे करने के संबंध में, वह भी जिम्मेदार है। इस तरीके से 1991 तक के ग्राम समाज के पट्टे किये गये उसमें भूमि धारी का अधिकार देने का कार्य किया और फिर 1995 तक भूमि धरी का अधिकार देने का काम किया।

(समय 6 बजकर 35 मिनट)

इसकी पृष्ठभूमि में यह भी है । मैं किसी को भूमिधरी का अधिकार देने के विरोधी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि गरीब आदमी को संक्रमणीय अधिकार दिया जाय। लेकिन आज यह हो रहा है जिन लोगों को पट्टे दिये गये हैं उनको बेचने का अधिकार दिया गया है जिससे उनकी जमीन को भूमाफियां औने-पौने दामों पर खरीद ले रहे हैं। इसके लिए सरकार को एक नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। आज गांवों का गरीब जमीन बेचकर भूमिहीन होता जा रहा है और गांव से पलायन करके शहर में आ रहा है और नगरीय क्षेत्रों में ऐसे लोगों के आने से सिविक प्राब्लम्स उत्पन्न हो रही है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। यह जो भू-माफियां हैं इनको सरकार संरक्षण दे रही है यह मेरा स्पष्ट आरोप है।

श्री अधिष्ठाता—

यह आप जो बोल रहे हैं यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

श्री मुन्ना चौहान—

[× × ×]

नोटः– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गोलमोल जवाब दिया है। मैंने अपनी नोटिस में स्पष्ट मुद्दे दिये हैं। मैंने नोटिस में स्पष्ट मुद्दे दिये हैं। मैने नाम दिये हैं, ग्रामों के नाम दिये हैं, खसरा नम्बर, खेत नम्बर दिये हैं उस पर भी मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मैने नोटिस में लिखा है कि ग्राम मोतीनगर तिलवारा में फर्जी सोसाइटी के जरिये सुरेन्द्र गुप्ता नाम के व्यक्ति ने जो दिल्ली का निवासी है, गलत तरीके से 272 एकड़ जमीनें एक आदमी से खरीद कर बेच दिया है। इस खरीद पर 272 एकड़ की खरीद पर कितने लाख रुपये की स्टाम्प चोरी की गयी है इसकी जांच होनी चाहिए। इस जमीन को दिल्ली में सेना के अधिकारियों को एक-एक एकड़ के फार्म हाउस बनाने के लिये आम के दो-दो पेड़ रखकर वह व्यक्ति बेच रहा है। यह जमीन डिस्प्यूटेड है। अभी दीक्षित एवार्ड नहीं दिया गया है लेकिन जमीन बेची जा रही है। इसका उल्लेख मंत्री जी ने अपने उत्तर में नहीं किया है। इसी तरह से रसूलपुर राय तहसील दादरी में तहसीलदार दादरी ने तमाम पट्टे करके धारा 4 एक का लाभ दे दिया है जब यह तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तमाम जमीन पट्टेदारों को दे दी गयी है और तहसीलदार ने आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है फाइल को एस० डी० एम० के यहां नहीं भेजा गया है। तहसीलदार दादरी ने स्मूव कर दिया है और वादों का निस्तारण कर दिया है और इस जमीन का करोड़ों रुपया मुआवजा उठाया जा रहा है। मेरा आरोप है कि तहसीलदार दादरी इसमें स्वयं हिस्सेदार है और मुआवजा उठेगा तो यह इसमें हिस्सा लेगा। इस संबंध में भी मंत्री जी ने कोई जानकारी नहीं दी है जबकि नोटिस में मैंने तमाम बातें स्पष्ट रूप से दी हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

मान्यवर, भाटी जी से मेरी बात हुयी थी वह संतुष्ट हो गये थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

जहां तक मुआवजे का प्रश्न है अभी 24 जुलाई को जो मेरा सवाल था उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा किया है। मैं उस उत्तर को आपको सुनाना चाहता हूं।

मान्यवर, आप सब भिज्ञ होंगे। सदन में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि किसान की जमीन लेने का एक प्रोसेस है उसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये लैंड एक्वायर की कार्यवाही की जाती है और उसके बाद भुगतान होता है। ग्रेटर नोएडा के सभी गांवों को 160 रुपये गज के हिसाब से मुआवजा हम देंगे। मान्यवर, यह 24 जुलाई का उत्तर है। अब तक कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। यह इसमें समय लगाया जा रहा है। मुझे इसलिये कहना पड़ रहा है कि जब मुलायम सिंह यादव थे 91-90 में किसानों को 110 रुपये गज का मुआवजा दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

किसी भी नोएडा क्षेत्र में 110 रुपये गज मुआवजा नहीं दिया गया है। कहीं भी किसी भी गांव में नहीं दिया गया है अगर दिया गया है तो आप लिख कर दे दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

रामपुर में दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

रामपुर में 50 रुपये प्रति गज दिया गया है।

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

बड़ा अफसोस है मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है। मेरे भाई स्वर्गीय महेन्द्र सिंह भाटी जी की जमीन गई थी हमने करोड़ों रुपये मुआवजा उठाया है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं दिया गया है। मेरे भाई महेन्द्र जी का रामपुर में पूरा फार्म एक्वायर हुआ था और 110 रुपये के हिसाब से मुआवजा मिला है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

50 रुपये 50 पैसे के हिसाव से तमाम जगह दिया गया है। आप रिकार्ड देख लें।

श्री अधिष्ठाता—

भाटी जी, मेरा निवेदन सुन लें। यह चर्चा आधे घंटे की है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, मैं उस समय भी इस सदन का सदस्य था। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 110 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिलाया था।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। यह अनन्त काल तक नहीं चलेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

मान्यवर, मेरे जिन बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उन पर जवाब दे दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं और जो 160 रुपये की बात कही गई है उससे हम सहमत हैं। एक शासनादेश जाना है। फाइल डिपार्टमेंट में घूम कर आती है इसलिये विलम्ब जरूर हो रहा है इसको अतिशीघ्र कर देंगे। आपने 5-5 साल इन्तजार किया है हम सात साल नहीं महीनों में कर रहे हैं आप इन्तजार करें। किसानों के बारे में भाटी जी ने सवाल उठाया है इनके मन में तकलीफ है मेरे भी मन में तकलीफ है। आपके पड़ोस का रहने वाला हूँ। जो बातें उठाई हैं वह सही हैं उस क्षेत्र के बारे में शीघ्र निस्तारण किया जायेगा। आप लिखित मुझे दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट पर रोक लगाये जाने के संबंध में श्री रंगनाथ मिश्र का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

* श्री रंग नाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय।

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार विधान मंडल में किसी भी राज्य की समस्त प्राप्तियों और उसके व्ययों का लेखा जोखा रखा जाता है। उसको हम बजट की संज्ञा देते हैं। बजट के नाम से जानते हैं। यही बजट प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च के लिये होता है और मान्यवर उसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 और 206 में ऐसा बजट प्रस्तुत होने के बाद विभागों को जो धन प्राप्त होता है तो उसको व्यय करने का प्राविधान है मान्यवर इस आय व्यय का जो प्रारूप हैं उसको इस सदन में कैसे रखा जाए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 में लिखा है इसके अनुसार ही हमारे उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 1958 में नियम 183 से 198 तक प्राविधान किया गया है उसी का नमूना है जिसके अनुसार देख सकते हैं मद संख्या-10 में, यह स्पष्ट है माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है कि माननीय राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगी कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में यानि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए राज्य सरकार द्वारा विभागों को धन दिया जाता है और यह धन विभिन्न विभागों द्वारा खर्चा होता है राज्य सरकार को जो धन अवमुक्त किया जाता है 31 मार्च तक खर्चा नहीं होता है तो संविधान के अनुसार समर्पित करना चाहिए कि विभाग पैसा खर्चा नहीं कर पाया तो दूसरे विकासशील योजनाओं में खर्चा उस धन को किया जा सके। विभाग के लोग 31 मार्च को 12 बजे रात तक पैसा रखे रहते हैं सौदेबाजी होती रहती है। अप्रैल से 31 मार्च तक अपने पास पैसा रखे रहते हैं ताकि सौदेबाजी होती रहे 31 मार्च की आधी रात तक विभाग के प्रमुख पैसा रखे रहते हैं।

मान्यवर एक पर्सनल लेजर एकाउन्ट होता है उसमें जनता की गाढ़ी कमाई को डाल दिया जाता है जो पी० एल० ए० में पैसा रखते हैं उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। पी० एल० ए० में पैसा चला गया तो वह समझते हैं कि हमारी बपौती हो गया इसी प्रकार जिला स्तर पर कुछ जिलों में होता है यदि 31 मार्च के पहले पैसा जिले में चला जाता है तो जिले के अधिकारी रखे रहते हैं क्षेत्रीय विकास के लिए पैसा नहीं देते हैं। कार्यदायी संस्थाओं से तालमेल नहीं बैठ पाता है 31 मार्च तक तालमेल नहीं बैठ पाता है तो पी० एल० ए० में डाल देते हैं। लाल बत्ती न जलाएं। वरना पूरे प्रदेश की लाल बत्ती जल जाएगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ध्यान रखें आधे घंटे से अधिक चर्चा नहीं होनी है आठ मिनट आप बोल चुके हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रंगनाथ—

मान्यवर, जो एकाउन्ट्स है, जो पी०एल०ए० है इसमें पैसा डालकर धन को फंसाए रहते हैं। विधान सभा पैसा देती है तो एक साल के लिए देती है अगर यह एक साल के लिए न होता तो मद संख्या 10 में जो धनराशि मांगी गई है यह आगे के लिए भी मांग सकती थी।

लेकिन भारत का संविधान इन्हें इजाजत नहीं देता। विधान सभा भी 31 मार्च तक के लिए पैसा देती है। इसलिए इस प्रकार से इस विधान सभा की अवहेलना हो रही है। और इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस प्रकार पी०एल०ए० में 4 अरब रुपये से ज्यादा इकट्ठा हुआ है। विधायक एक हैण्ड पम्प के लिए परेशान हैं। मैं विधायन समिति का चेयरमैन हूं। मैंने एक गाड़ी खरीदने के लिए प्रस्ताव विल विभाग को भेजा था विल सचिव ने उसको वापस कर दिया कि पैसा नहीं है। आज अरबों रुपया पी०एल०ए० में रखा हुआ है उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसको रोकने के लिए विधान सभा की कोई निगरानी समिति बने या लोक लेखा समिति द्वारा 31 मार्च को उसके निरीक्षण का अधिकार हो। कितना धन किस विभाग में पी०एल०ए० में जमा रहा नौकरशाही द्वारा पी०एल०ए० के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई समिति बनाई जाए। इससे निश्चित रूप से दुरुपयोग रोका जा सकेगा। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, पूरे सदन के सदस्य यहां बैठे हुए हैं मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने जिले का आँकलन कराएं उससे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि इस लोक तांत्रिक देश में जनता के पैसे का नौकरशाही किस प्रकार दुरुपयोग करती है।

केन्द्र सरकार से भी जो पैसा मिलता है जिसका इस राशि के आय-व्ययक से कोई मतलब नहीं रहता है जैसे कि जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना व अन्य योजनाएं हैं उससे सीधे पैसा जिले में जाता है उस पर भी अंकुश रखना चाहिए। उस धन को पी०एल०ए० में डाल लेते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते। ऐसे में केन्द्र सरकार को भी लिखा जाए कि यह पैसा राज्य सरकार के विभाग के द्वारा आए ताकि इस पर निगरानी रखी जा सके तथा प्राक्कलन समिति इस पर निगरानी रख सके तो बेहतर होगा। इतना ही नहीं है शिक्षकों के भविष्य निधि का पैसा 2 हजार करोड़ रुपये पी०एल०ए० में जमा है। उसका लेखा-जोखा नहीं है इसका ब्याज आता है इसका भी कहां उपयोग होता है यह भी पता नहीं चलता। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैंने रखा है मैं सभी माननीय सदस्यों का आहवान करना चाहता हूं कि इस सामयिक प्रस्ताव को पारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

* श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, श्री मिश्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि वह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज सदन में आया है। श्री रंगनाथ जी ने 400 करोड़ रुपये की बात की है। मैं तो उससे भी अधिक जानता हूं। प्रदेश में जितने भी जनहितकारी कार्य हैं उनके अगेन्स्ट में यह पैसा पी०एल०ए० में जमा हो गया है। मैं अपने जनपद के दो उदाहरण देना चाहता हूं स्वर्गीय बीर बहादुर सिंह जी ने अपने गांव पर विटनरी जींस के लिए योजना बनाई थी उसमें एक करोड़ रुपये उन्होंने जमा कराए। एक करोड़ रुपये को पी०एल०ए० में जमा कराया गया। फिर हम लोगों ने जब मांग की तो राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री बोरा जी ने एक करोड़ रुपया उन्होंने दिया उस रुपये को पी०एल०ए० में जमा करा दिया गया। वह काम आज तक नहीं हुआ है। उस रुपये को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया गया है हमारे विधान सभा क्षेत्र में पशुधन विभाग से अस्पताल बनना था, उस पैसे को पी०एल०ए० में जमा कर दिया गया। जो भी जिलाधिकारी रहे हैं वह बराबर डी०ओ० लेटर भेजते रहे हैं लेकिन पशुधन विभाग के सचिव ने आज तक मांग नहीं मानी इस प्रकार पी०एल०ए० में पैसा डालने से एक तो जनहित के काम नहीं हो पाते हैं दूसरे योजनाओं के अगेंस्ट पैसा एलाट होता है। इससे अधिभार बढ़ जाता है पी०एल०ए० में पैसा जाने से काम अधूरा रह जाता है तथा तमाम जनहित कारी काम नहीं हो पाते इससे सदन की भी अवहेलना होती है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, लाल बत्ती बुझा दें, केवल एक मिनट का समय और लूंगा। आज तमाम इस तरह के जनहित के काम नहीं होते हैं और उनका पैसा पी०एल०ए० में जमा कर दिया जाता है। माननीय श्री रंगनाथ मिश्र जी जो प्रस्ताव लाये हैं उसका समर्थन करते हुये आपसे अपेक्षा करता हूं कि मांग करता हूं कि ऐसी योजनाओं का पैसा जो पी०एल०ए० में जमा है उसकी सी०बी०आई० से जांच करायें। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी योजनायें हों उनको समय से पूरा किया जाये और ताकि उनका पैसा पी०एल०ए० एकाउण्ट में न जमा हो सके लेकिन अगर कोई अधिकारी जिसकी वजह से पैसा पी०एल०ए० एकाउण्ट में जाता है तो उसको दण्डित करें और यदि उस पैसे का दुरुपयोग करते हुये अधिकारी पाये जायं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और उनसे उसकी वसूली की जाये। शायद ही कोई जनपद और विधान सभा क्षेत्र बचा हो जिसका पी०एल०ए० खाते में पैसा न जमा हो। पी०एल०ए० खाते में जो पैसा जमा हो जाता है उसका उपयोग नहीं हो पाता है और जब योजना आयोग हमें धन आवंटित करता है तो उतना पैसा कम करके देता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसकी सी०बी०आई० से जांच करायें तथा इस आदरणीय सदन की एक कमेटी बना दें जो विस्तृत जांच करके इस सदन में ब्यौरा प्रस्तुत करे।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता जी, पी०एल०ए० खाते के बारे में जो बातें माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने रखा है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह पी०एल०ए० किसके आदेश से संचालित होता है। इतने पूरे प्रदेश में आज विकास के सारे कार्य धन के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं वहां पर इस खाते के माध्यम से उस धन को रोके रखकर अधिकारियों द्वारा जो मनमानी की जा रही है, जो करोड़ों, अरबों रुपया जिसको मनमाने तरीके से खर्च कर रहे हैं और किसी तरह से जुगाड़ बनाकर जहां कमीशन मिलता है या सौदेबाजी होती है अन्तिम समय तक अपने खाने पीने के जुगाड़ में रखते हैं रखने का प्रयास करते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो इस तरह से मनमाना किया जा रहा है उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये, सी०बी०आई० से जांच करायी जाय। मैं चाहूंगा कि जहां विकास के सारे काम धन के अभाव में अधूरे पड़े हैं वहां इस खाते का दुरुपयोग करते हुये पूरे प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर रोक लगायी जाये और ऐसे अधिकारियों को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री दल बहादुर कोरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं मेरे जनपद रायबरेली में पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने 1 करोड़ 75 लाख रुपया पी०एल०ए० खाते में जमा कर दिया जबकि सैकड़ों सड़कें पास थीं, धनराशि उपलब्ध थी लेकिन काम न करने की वजह से एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपया जमा कर दिया गया है। इसी तरह की स्थिति सारे विभागों की है। मान्यवर, मेरा तो यह कहना है कि पी०एल०ए० खाते को ही खत्म कर दिया जाये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री रंगनाथ मिश्र जी ने बड़े लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। दो मुख्य बातें हैं पी०एल०ए० एकाउण्ट का उदय कहां से हुआ, यह देखना है। हमारे साथ बजट देख लीजिये मान्यवर, एक तरफ बजट प्रस्तुत है और दूसरी तरफ कार्य पूर्ति दिग्दर्शक प्रस्तुत है। आप दोनों को देख लें। कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, इसके लिये है, जब वह कार्य पूरे हो जायें। मान्यवर, जब कार्य पूरे हो जायें, तभी दिग्दर्शक आता है तो फिर पी०एल०ए० की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये। यह दिग्दर्शक जो प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार से वह झूठा है। आज पी०एल०ए० एकाउंट में अरबों की रकम पड़ी है, इस प्रथा को बंद होना चाहिये। दिनांक 31 मार्च के आखिर में जो बजट प्रदान किया जाता है, वह काम कभी पूरा नहीं होता, इसीलिये कार्यपूर्ति दिग्दर्शक ऐसा दस्तावेज है, जिसकी कोई सार्थकता नहीं है। इसी कारण से पी०एल०ए० एकाउंट पैदा हुआ। पी०एल०ए० एकाउंट की व्यवस्था कैसे हो, जो पैसा 31 के बाद दिया जाता है, वह कैसे खर्च हो इसकी विस्तार से व्याख्या होनी चाहिये जो आज पी०एल०ए० एकाउंट में पैसा है, उसको निकालकर विधायक निधि में दे दें तो बहुत अच्छा होगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

* श्री अमर मणि—

मान्यवर, माननीय रंगनाथ जी जो विषय लाये हैं, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। पहले भी वह जितने विषय लाये हैं, वह भी काफी महत्व के थे, इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। यह बहुत ही आवश्यक चीज थी कि इसको सदन के संज्ञान में लाया जाय और इस पर कार्यवाही सुनिश्चित हो, इसके लिये आपकी पीठ से सरकार को निर्देश भी होना चाहिये, आज आप उस पीठ की गरिमा को बढ़ायें और निर्देश दें कि पी०एल०ए० पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाय अन्यथा दल बहादुर कोरी जी की तरह मुझे भी कहना पड़ेगा कि यह विभाग ही खत्म कर दिया जाय। मान्यवर, इसके पहले जब आपकी सरकार बनी थी, उस समय आप भी मंत्री थे, उस समय 6 महीने का समय निर्धारित किया गया था कि अमुक धन जो अवमुक्त किया जा रहा है, वह 6 महीने में खर्च सुनिश्चित हो जाना चाहिये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इसको त्रैमासिक कर दें। यदि अवमुक्त धन 3 माह में 1/3 खर्च हो जाय, तभी आगे का पैसा अवमुक्त करा जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अमर मणि—

मान्यवर, पी०एल०ए० का होना भ्रष्टाचार की जननी है, इस पर नियंत्रण रखने के लिये 3-3 महीने पर मानीटरिंग होनी चाहिये और जब पहले का पैसा खर्च हो जाय, तभी आगे धन अवमुक्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान ग्रहण करें, मैंने मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री अमर मणि—

ठीक है, मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(समाजवादी पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र—

श्रीमन् आज नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल में कुछ तालमेल हो गया है। तभी सदन में आज बहुत अच्छा माहौल रहा। आज इस खुशी में प्रमुख विरोधी दल की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा तो बड़ी बदनामी होगी।

श्री अधिष्ठाता—

आपके सुझाव के लिये धन्यवाद, लेकिन घड़ी की सुईयां किसी की प्रतीक्षा नहीं करतीं।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)—

मान्यवर, पी०एल०ए० के बारे में काफी गंभीर चर्चा के दौरान मा० सदस्यों ने कई बिन्दुओं की ओर इंगित किया है। जहां तक मैंने मा० सदस्यों की भावना को समझा है उसमें कुछ बिन्दु बहुत उभर कर सामने आये हैं जिसमें मा० सदस्यों को पी०एल०ए० क्या है? पी०एल०ए० कैसे खोला जाता है और इसका आपरेशन कैसे होता है? इन विन्दुओं पर थोड़ा मैं मा० सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं।

मान्यवर, यह पी०एल०ए०, जिसका पूरा अर्थ पर्सनल लेजर एकाउंट है। हिन्दी में वैयक्तिक लेखा कहते हैं। यह वैयक्तिक लेखा कोषागार में रखा गया है। और इसकी व्यवस्था वित्तीय संग्रह 340 बी–2/2 के प्रस्तर संख्या 363 में की गई है। इस व्यवस्था के तहत यह पी०एल०ए० खोला जाता है। मान्यवर, पी०एल०ए० खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि यह जो पैसा, बजट पास करते हैं, जैसे आज उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक पास कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जितना पैसा पास किया है वह खजाने में उपलब्ध है। यह सतत् प्रक्रिया है कि पैसा एक तरफ आता है और दूसरी तरफ वह खर्च होता है। इस तरह 31 मार्च के पहले तक पैसा आता है और जिसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो भारत सरकार की योजनायें हैं, जो सेन्ट्रली स्पान्सरड योजनायें हैं, वाह्य सहायतित योजनायें हैं उसके लिए भारत सरकार से हमको पैसा कभी-कभी एक मार्च से 31 मार्च तक मिलता है। अब मार्च में जो पैसा मिला, प्लान का पैसा है, जो सेन्ट्रली स्पान्सरड योजनाओं का पैसा मार्च में मिलता है और वह कई सौ करोड़ों में होता है उसको यदि खर्च करने की अनुमति दे दी जाय तो जब हमें एक से 31 मार्च के बीच में पैसा मिला है तो उसे

31 मार्च तक खर्च करना असंभव होता है और गम्भीर अनिमिततायें होने की संभावना रहती है। इसलिए इतने समय में खर्च करना संभव नहीं होता है। इसी को ध्यान में रखकर यदि पैसा नहीं खर्च करते हैं तो उसको सरेन्डर भारत सरकार को करना पड़ता है। इसलिए प्रदेश के विकास में वह भारत सरकार का पैसा खर्च हो इसलिए आवश्यकता होती है कि पी०एल०ए० में उस पैसे को रख लें और आवश्यकतानुसार आने वाले दिनों में धीरे धीरे खर्च करें।

मान्यवर, जो पैसा रखते हैं उस पर जब तक ए० जी० और सरकार की सहमति नहीं मिल जाती है तब तक वह पैसा नहीं निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए भी व्यवस्था है कि जो पैसा मार्च में पी०एल०ए० में डाला गया है उसे 30 जून तक खर्च किया जा सकता है और यदि 30 जून तक खर्च नहीं करते हैं तो सरकार से अनुमति लेना पड़ता है और सरकार इस नियम को शिथिल कर सकती है यह शासन का अधिकार है यह उस विभाग का अधिकार नहीं है कि वह अपने मनमाने ढंग से खर्च कर ले इनके लिए अंकुश लगा रखा गया है। इसमें यह भी है कि अगर 3 साल तक किसी पी०एल०ए० से कोई पैसा नहीं निकाला गया तो उस पी०एल०ए० को बन्द कर दिया जाता है तो इस तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की गयी है कि पी०एल०ए० में जो पैसा जाय उस पैसे का कहीं दुरुपयोग न हो जाय। कुछ माननीय सदस्यों को यह भी कंफ्यूजन था कि इस पर ब्याज आता है और ब्याज कहां खर्च होता है इसका पता नहीं चलता तो ऐसी बात नहीं है पी०एल०ए० में जो भी पैसा रखा जाता है उस पर कोई ब्याज नहीं आता है।

बैंक में पैसा रखेंगे तो ब्याज लेंगे और उस ब्याज का कोई हिसाब-किताब रखेंगे कि नहीं रखेंगे और इसमें गड़बड़ी की सम्भावना है। इसीलिए पी०एल०ए० में रखने में कोई ब्याज नहीं देय होता है। यह भी निर्धारित कर रखा गया है कि एक बार में पी०एल०ए० से आहरण 25 लाख से ज्यादा न हो ताकि जितना पैसा आहरण करें उसका सदुपयोग कर सके। इसके लिए सीमाएं निर्धारित कर दी गयी हैं कुछ मद ऐसी हैं जिसमें 25 लाख से ज्यादा निकाल सकते हैं जैसे कर्मचारियों के वेतन का पेमेन्ट है, स्थानीय निकायों का सड़क अनुदान मंडी परिषद, मंडी समितियां हैं, मेडिकल कालेज के चिकित्सा उपकरण क्रय करना है इस तरह से यह दिया गया है इन्हीं मदों में 25 लाख से ज्यादा निकाल सकते हैं। मैं संक्षेप में अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पी०एल०ए० में पैसा रहता है हर महीने के शुरू में पी०एल०ए० में विभाग वाइज कितना एमाउन्ट है वित्त विभाग इसका हिसाब किताब रखता है और हर महीने के अन्त में हर विभाग का जो पैसा होता है जैसे ग्राम्य विकास विभाग है एक जून को इसकी क्या स्थिति थी और 30 जून को क्या स्थिति हुई यह कम्प्यूटर में फीड रहता है। माह का प्रारम्भिक अवशेष था 2503.95 लाख और माह में प्राप्ति हुई 29.70 लाख की और माह में भुगतान हुआ 6.22 लाख और माह के अन्त में बचा 1911.21 लाख एक तो पी०एल०ए० में आया कितना और खर्च कितना हुआ और अन्त में कितना बचा यह सब रहता है। टोटल जो विभाग हैं उसमें जून 1997 में जो पैसा बचा है वह है 907 करोड़ 12 लाख रुपये यह 30 जून को पी०एल०ए० में रहा है इसके अतिरिक्त विकास कार्यों या विभागों का पैसा है इसके अतिरिक्त तमाम ऐसा पैसा जो दूसरी संस्थाएं हैं। जैसे मान्यवर एजूकेशन.....

श्री अधिष्ठाता—

विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बी० आर० वर्मा—

पैसा रहता है तमाम ऐसे विभाग है जिनके पैसे को उसे रखने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें सरकार 12 प्रतिशत ब्याज देती है तमाम संस्थाओं के जी०पी०एफ० हैं। वेज एण्ड मीन्स पोजीशन है सरकार की, अर्थोपाय स्थिति है, पी०एल०ए० हमें बचाती है। इसकी उपयोगिता और आवश्यकता भी है। इससे प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है। इसका दुरुपयोग न होने पाये इसकी व्यवस्था आडिट करने की है। महालेखाकार आडिट करते हैं जो स्थानीय निधि के हैं, निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक करते हैं यह नियमों में व्यवस्था है। वित्त विभाग का शासनादेश 21 जुलाई, 1988 द्वारा विभिन्न कोषागारों में खोले गये पी०एल०ए० का आडिट निदेशक विभागीय लेखा उ० प्र० द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। वित्त विभाग हर महीने रिपोर्ट भी रखती है। मान्यवर, इस सदन की प्राक्कलन समिति वह इस पर विचार कर रही है वे विचारोपरान्त जो भी सुझाव देगी उन सुझावों को हम अंगीकार करेंगे इसे व्यवस्था को और बेहतर करने के लिये जो भी सुझाव होगा, शिरोधार्य होगा। कृपया मिश्र जी इसे वापस ले लें।

श्री रंगनाथ मिश्र—

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि बाहर से भी केन्द्र सरकार से भी आता है जो मान्यवर 20 मार्च तक मिलता है जो 31 मार्च तक खर्च होना मुश्किल है उसे पी०एल०ए० में डालना पड़ता है। लेकिन जो 31 मई, जून जुलाई तक मिल रहा है ऐसे धन को पी०एल०ए० में डालने की आवश्यकता क्या है। इसलिये डाल दिया जाता है कि बीच में मौका मिल जाय दारगेनिंग करने का तीन-तीन महीने में इसकी जांच करने के लिये कमेटी बना दें, माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें जिलों में कोई समिति बना दी जाय वह समीक्षा कर ले 3-3 महीने में कि जो पैसा आया है खर्च हो रहा है कि नहीं, पैसे के अभाव में बहुत जगह विकास कार्य अवरुद्ध रहता है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस सदन की एक महत्वपूर्ण कमेटी प्राक्कलन समिति इसके हर बिन्दु पर विचार कर रही है।

उनके जो भी सुझाव आयेंगे, उन्हें हम अंगीकार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

श्री रंगनाथ मिश्र जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विस्तार से इस संबंध में बताया है। उन्होंने बताया कि विधान सभा की इस्टीमेट कमेटी इसकी जांच कर रही है, मैं चाहूंगा कि उसे और अधिकार दिये जायं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि श्री रंगनाथ मिश्र जी ने जो प्रस्ताव रखा था, उसे वापस लेने की अनुमति चाही है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम 103 का प्रस्ताव

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, नियम 103 के अन्तर्गत आपने मुझे प्रस्ताव रखने की अनुमति दी है। मैं प्रस्ताव रख रहा हूं।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराया जाय।"

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि नियम 103 के अन्तर्गत जो यह सूचना है, इस पर चर्चा केवल आधे घण्टे की होनी है। मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को इस पर बुलवा सकूं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, आज देश को स्वाधीन हुए 50 वर्ष हो गये हैं और इस समय देश में स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती मनायी जा रही है। जब हम पराधीन थे और अपना आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास अपनी योजनाओं के हिसाब से नहीं कर सकते थे तो इस पराधीनता के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो योगदान दिया, उसी का परिणाम है कि 50 साल पहले हम स्वाधीन हुए परन्तु 50 साल के बीत जाने के बाद भी जो आधारभूत न्यूनतम आवश्यकतायें हैं चाहे वह ग्रामीण अंचलों की हो या शहरी अंचलों की हों, वह अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो पर कैपिटा व्यय हो रहा था सोशियल सर्विसेज को प्रदान करने के लिए वह पूरे देश के हिसाब से अपने प्रदेश में सबसे कम था। यह 16/- प्रति व्यक्ति धन व्यय हो रहा था मिनिमम सर्विस देने के लिए जबकि पूरे देश का औसत 24/- था तमिलनाडु में 36 था, पंजाब में 30 था, महाराष्ट्र में 41 था, हरियाणा में 33 था। इन सारी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह बेसिक मिनिमम नीड्स पर आधारित विकास की पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की ।। वह पंचवर्षीय जो योजना बनी उससे ही यह योजना प्रारम्भ होती है। उत्तर प्रदेश में भी बेसिक मिनिमम नीड्स के आधार पर भी पंचवर्षीय योजना बनी है और यह वहीं से प्रारम्भ होती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की जो विकास की स्थिति थी और जो विकास का व्यय था जो आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए था। जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, पेयजल हुआ, न्यूट्रीशन हुआ या आवास की समस्या हुई, स्वच्छता की समस्या हुई इसको पूरा करने के लिए जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई वहाँ पर कैपिटा 51 से लेकर 69 तक 182/- रुपया थी और अन्य राज्यों को मिलाकर औसत 242 रुपया थी। गुजरात में 326, पंजाब में 407, आंध्र प्रदेश में 233, केरल में 254, महाराष्ट्र में 280, मैसूर में 277 और राजस्थान में 245 हो गयी। तो थोड़ी सी प्रगति महसूस हुई।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी अब आप उप संहार करें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, जब यह विषय ही नहीं आयेगा तो चर्चा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आधे घंटे की चर्चा है तो उसमें आधा समय तो मैं आपको दे नहीं दूंगा। मुझे और भी माननीय सदस्यों को सुनना है।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि किसी भी तरह से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। अभी मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य चर्चा में कहा कि भारत सरकार के सहायता से 1573/- करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है इस योजना के तहत लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इसमें शहरी क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीण अंचलों को छोड़कर है। इसमें कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया है कि शहरी क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण अंचलों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। तो मान्यवर, किसी भी क्षेत्र में चाहे वह सड़क हो, पेयजल हो या स्वास्थ्य हो इसकी आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पायी। यह मैं जो हमारे क्षेत्र के 80 गांव हैं उसके आधार पर बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

आज हम इस देश में स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं तो इस अवसर पर पूरी बात कहने का अवसर तो दे दें।

मान्यवर, आजादी का स्वाद सबको मिल रहा है लेकिन इन गांवों के लिये कोई विकास कार्यक्रम नहीं है, इन गांवों में विकास का कोई चिन्ह नहीं है और विकास की कोई रूप रेखा नहीं है। इन गांवों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गयी है। यह गांव अतीत के पन्नों में तो जीवित रहेंगे, जब स्वाधीन नहीं हुये थे और जब पराधीन थे, तो ऐसी स्थिति थी। आजकल बड़े बड़े महल हैं, अट्टालिकायें हैं और एअर कन्डीशनर लगे हैं, कारें हैं और हर तरह की सुख सुविधा है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठें। समय सीमा का ध्यान रखें। आप तो पहले भी इस विषय पर कह चुके हैं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

मैं निर्देश दे रहा हूं कि इसको कार्यवाही में न लिखा जाये।

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

| × × × |

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। अब आप बैठिये।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय बाल चन्द्र मिश्र ने जो प्रस्ताव किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जिन शहरी ग्रामों के बारे में यह समस्या उठायी गयी है, ऐसे ग्रामवासियों को सुविधा देने के बजाय उनसे पैसा लिया जाता है। मान्यवर केन सोसाइटी भुगतान के समय एक प्रतिशत अंशदान काटती हैं और फिर केन विभाग द्वारा मैचिंग ग्रान्ट मिलायी जाती है और उससे फिर सड़कें बनायी जाती है। शहरी ग्रामों का जो क्षेत्र हैं, उनमें सड़कें नहीं बनायी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की शहरी टैरिफ नहीं लगती है, लेकिन इन शहरी गांवों में शहरी टैरिफ लगती है न तो खुदा ही मिला न बिसाले सनम, ना इधर के रहे और न उधर के जिला योजना के अन्तर्गत जो धन दिया जाता है, उसका पैसा इन शहरी गांवों में नहीं लगाया जाता है और दूसरी ओर नगर निगम से नगरपालिका से इनको पैसा नहीं दिया जाता है, वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं हैं तालाब भरे हैं, पानी निकासी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और बहुत सी समस्यायें हैं, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन गांवों को वापिस ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया जाये, जिससे जिला योजना में पैसा इन को भी मिल सके मेरठ में ऐसे 138 ग्राम हैं। 70 में 27 वार्ड ऐसे गांवों के हैं।

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में नगर पंचायतें नगर परिषदें हैं नगर पंचायतों व उनके अन्दर अनेक गांव आते हैं। इन नगर पंचायतों व नगर परिषदों के उनकी बाजारों के अन्दर तो विभिन्न प्रकार के काम हो जाते हैं, परन्तु नगर परिषदों के अन्दर जो गांव हैं उनका क्षेत्रफल भी अधिक है, वहां पर न सड़कें बन रही हैं और न बिजली की व्यवस्था है नाली नहीं है पेयजल आदि सुविधाएं नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से उन गांवों को सुविधायें मिलनी चाहिये और इंदिरा आवास योजना में जो भवन बनते हैं, उनका लाभ उनको दिया जाना चाहिये।

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, माननीय बाल चन्द्र मिश्र जी ने जो शहरों से सटे हुये गांव हैं, उनकी समस्या को उठाया है। यह ऐसे गांव हैं, जो नगर निगम की सीमा के बाहर थे और बढ़ती हुई आबादी के कारण नगर निगम में आ गये। वास्तव में जो सुविधा उनको डी० आर० डी० ए० की योजना में अपना कुछ न कुछ अंशदान पा रहे थे, कहीं पेय जल की व्यवस्था हो जा रही थी आज वह भी नहीं हो रही है। उनके लिये पीड़ा का विषय यह हो गया है कि नगर निगमों द्वारा जो टैक्स लगाये जा रहे हैं उसमें नगर सीमा से जुड़े हुये जो गांव हैं उनको भी यह टैक्स देना पड़ रहा है। जो पहले थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाती थी उसके बाद से आज शहरीकरण के कारण उनको मकानों का टैक्स देना पड़ रहा है। उन गांवों की स्थिति यह है कि वह सड़कों की आज कोई सुविधा नहीं है, उनके पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन विकास प्राधिकरण के अंदर आ जाने के कारण क्योंकि 3.4 कि० मी० आगे तक विकास प्राधिकरण में आ जाते हैं जिससे उनको टैक्स तो देना पड़ता है लेकिन सुविधा कोई नहीं मिलती है। विकास प्राधिकरण का जे० ई० अगर वहां कोई कहीं बाउंडरी भी बना रहा होता है तो जैसे चौथ वसूल होती है उसकी वसूली के लिये पहुंच जाता है। परिणाम यह हो रहा है कि एक कोठरी बनाना भी लोगों को कठिन हो गया है। (व्यवधान) इसमें ताली बजाने की बात नहीं है इस समस्या का मिल जुलकर समाधान करने की जरुरत है और उनके दुख को दूर करने की जरुरत है। जहां हम आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे है। इनके दुख को दूर करने के लिये वहां सड़क, बिजली, पेयजल आदि की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। तभी उनको नम्बर दो की नागरिकता से नम्बर एक की नागरिकता पर ला सकेंगे।

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मिश्रा जी ने नियम-52 के अन्तर्गत इसी तरह की एक चर्चा में विषय उठाया था उस पर काफी विस्तार से बात आयी है। माननीय सदस्य ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनमम सर्विस का लाभ नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराया जायें। मान्यवर, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र नगरीय अंचलों में लिये गये है उनको लाभ देने के लिए कई योजनाएं चल रही है। जैसे नेहरु रोजगार योजना, प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी उप शमन कार्यक्रम, अरबन बेसिक सर्विसेज फार दि पुअर, राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, और स्वच्छकार विमुक्ति योजनायें है। उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय कम है। माननीय सदस्य ने जो भावनायें रखी है उनको ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहता हूं, माननीय मिश्र जी के कानपुर के बारे में ही उल्लेख करना चाहता हूं। केवल कानपुर में 25 अगस्त, 96 में मलिन बस्ती सुधार योजना तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जो स्वीकार की है उसके अन्तर्गत नेहरू रोजगार योजना में 61.38 लाख, यू० बी० एस० पी० योजना में 82.925 लाख और राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम में 518.70 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। और इसमें बहुत विस्तार से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम लिये हैं। इसमें पूरे प्रदेश के 34 शहरों को लिया गया है और मान्यवर, इसमें आपका मिर्जापुर जिला भी है आप प्रसन्नतापूर्वक इस सूचना को ग्रहण करें। माननीय सदस्यों ने नगरीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात उठायी। माननीय अमित अग्रवाल जी ने डी०आर०डी०ए० में एक प्रतिशत की बात कही। यह नगर विकास विभाग में नहीं आता है। जिस विभाग से संबंधित विषय है उसको अवगत करा दिया जायेगा। माननीय मोहन सिंह गांववासी ने पर्वतीय क्षेत्र की बात कही। यह योजना भारत सरकार की है इसमें 80 प्रतिशत भारत सरकार और 20 प्रतिशत राज्य का अंश होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां आवश्यकता होगी, तो इन 34 नगरों के अतिरिक्त, जोड़ने के लिये भारत सरकार से आग्रह करेगें। सभी माननीय सदस्यों के विचारों के मूल्यवान विन्दु जो उपयोगी होंगे उन तथ्यों का संज्ञान लेकर, नगरीय रोजगार की दृष्टि से इस कार्यक्रम को कैसे समर्थ, सक्षम बनाया जाय इसमें सरकार सचेष्ट है। माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं उसमें सरकार पहले से काम कर रही है और सरकार बेहतर तरीके से काम करेगें इसलिये मैं अनुरोध करुँगा कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

(समय 7 बजकर 35 मिनट)

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नगरीय रोजगार का जिक्र किया लेकिन जो नगरीय क्षेत्र के गांव हैं उनमें मैंने सुविधा प्रदान करने के लिये निवेदन किया था। यह जो 1573 करोड़ रुपया भारत सरकार के सहयोग से न्यूनतम आधारभूत सुविधायें प्रदान करने के लिये सुनिश्चित हुआ है उससे वह गांव लाभांवित हों, माननीय मंत्री जी इस धनराशि में से कुछ प्रतिशत इसके लिये सुनिश्चित करेगें, यह मैं जानकारी चाहता हूँ।

डा० महेन्द्र नाथ पांडेय—

मान्यवर, इसके पूर्व मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये कुछ गांवों का उल्लेख किया है। आप कहें तो विस्तार से बता दूँ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मिश्र जी आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

श्रीमन्, मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से बार-बार यह आश्वासन दिया है कि इन गांवों की दुर्दुशा के बारे में सही तथ्यों की जानकारी उन्हें हो गयी है। मैं उन पर विश्वास करते हुये, भरोसा करते हुये कि वर्तमान सरकार जो पारदर्शी होने की घोषणा बार-बार करती है तो मैं इतना विश्वास करते हुये कि माननीय मंत्री जी इन गांवों की परिस्थिति का संज्ञान लेकर इन गांवों का विकास करेगें इस आश्वासन पर मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि माननीय बाल चन्द्र मिश्र जी को अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 12-8-97 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से अस्वीकृत को छोड़ते हुए शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पहली सूचना श्री सत्य प्रकाश सोनकर को लखनऊ नगर में निशातगंज क्षेत्र की पांचवी गली स्थित सब्जी मंडी में व्याप्त भीषण गन्दगी तथा स्थानीय भुइयां देवी मंदिर से लगे कूड़ाघर एवं मैलाघर के कारण नागरिकों को हो रही भयंकर असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की लखनऊ नगर के आलमबाग क्षेत्र में मुहल्ला पुराना सरदारी खेड़ा (कोरियाना) में कटिया लगाकर की जा रही विद्युत चोरी के कारण आये दिन हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में, तीसरी सूचना श्री संजय गर्ग की सहारनपुर नगर में समुचित विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया, श्री जय प्रकाश निषाद की उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ (सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ) द्वारा चलाये जा रहे क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री नवाब सिह नागर

की जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत नोयडा औद्योगिक क्षेत्र में सीटू मजदूर यूनियन के लोगों द्वारा फैक्ट्रियों में की गयी तोड़-फोड़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, छठी सूचना श्री अम्बरीष कुमार की तहसील मुख्यालय लक्सर, जनपद हरिद्वार में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की अयोध्या एवं फैजाबाद के नालों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न नदियों पर निर्मित छोटे बड़े पुलों की निर्माण लागत से अधिक टैक्स वसूले जाने के बावजूद भी वसूली जारी रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9वीं सूचना श्री डा० लक्ष्मी कांत बाजपेई को मेरठ नगर निगम में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारियों के न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। 10वीं सूचना श्री अमर मणि की महाराजगंज जिले के कतिपय ब्लाकों के विद्युतीकरण में कथित रूप से की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में 11वीं सूचना श्री बाबू लाल की प्रदेश के शीतगृह स्वामियों द्वारा आलू भण्डारण शुल्क की दरें मा० न्यायालय के आदेश के अनुरूप लिये जाने के सम्बन्ध में 12वीं सूचना श्री मुन्ना चौहान की उत्तरांचल क्षेत्र में हिल कैडर की पदोन्नतियों में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। अगली सूचना श्री चन्द्र किशोर की जनपद महाराजगंज में माध्यमिक एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों की नियमावली विरुद्ध प्रोन्नतियों के संबंध में। अगली सूचना श्री विक्रमाजीत मौर्य की जनपद इलाहाबाद में जिला पंचायत अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा शौचालय निर्माण व गरीबों के आवास निर्माण में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में।

अगली सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह की जनपद सीतापुर के बेहटा क्षेत्र की शारदा, घाघरा व चौका नदी में आई बाढ़ के कारण गाँवों की जमीन के कटावे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, अगली सूचना श्री अरिमर्दन सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री गोपाल कृष्ण की जनपद महोबा में पत्रकारों को मान्यता दिलाये जाने के सम्बन्ध में, अगली सूचना श्री चन्द्रनाथ सिंह की इलाहाबाद स्थिति बन्द रोड एडल्फी बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित किये जाने के बावजूद भी खाली न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। अगली सूचना श्री दीप लाल भारती की जनपद महाराजगंज की नगर पंचायत सिसवा बाजार में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जेदारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। अगली सूचना श्री पारस नाथ यादव की राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत कतिपय श्रेणी के पदधारकों की वेतन विसंगति/उच्चीकरण के संबंध में, अगली सूचना श्री अजय भट्ट की उत्तराखण्ड क्षेत्र की लघु लिफ्ट नहरों के अनुरक्षण हेतु राज्य आकस्मिता निधि से धन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। अगली सूचना श्री सीताराम निषाद की प्रदेश में नीलगायों की बढ़ती जनसंख्या से किसानों की फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। अगली सूचना श्री हरवंश कपूर की देहरादून नगर में अतिक्रमण से रिक्त करायी गयी भूमि सुधार कार्य कराये जाने एवं विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में। अगली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ नगर की सीवर लाइनों के पुनरोद्धार एवं ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारे जाने के सम्बन्ध में। अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया की मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील अन्तर्गत चकबन्दी कार्य में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में। अगली सूचना श्री रणधीर सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरखावल में श्री राजेश गर्ग के पुत्र का अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। अगली सूचना डा० रमेश पोखरियाल निशंक की जनपद गढ़वाल के कर्णप्रयाग क्षेत्र के अन्तर्गत गैरीसैण एवं चाकीसैण थैलीसैण में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में अं ि सूचना श्री डा० अशोक बाजपेयी, श्री पारसनाथ यादव, श्री राम तेज यादव की जनपद

मुजफ्फरनगर में निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या और उत्पीड़न के सम्बन्ध में। अगली सूचना श्री राम कृपाल श्री राम सेवक सिंह की उत्तर प्रदेश के अन्दर निवास करने वाली कोल जाति को जनजाति की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

अगली सूचना श्री दलबहादुर कोरी, श्री बनवारी लाल दोहरे, श्री लाल सिंह वर्मा, श्री ओंकार सिंह, श्री नेत राम सिंह, श्री सुशील शाक्य की जनपद फर्रुखाबाद के लाख बहोशी पक्षी बिहार हेतु किसानों की भूमि अधिगृहीत किये जाने के संबंध में। अगली सूचना श्री विजयपाल सिंह की जनपद आगरा के फतेहाबाद विकास खंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत जलालपुर में ग्राम सभा की जमीन के सीमांकन के विवाद से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। अगली सूचना श्री ओम प्रकाश यादव की जनपद एटा में बेवर फीडर की खुदाई में की गयी अनियमितताओं तथा किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में। अगली सूचना श्री डा० राम बाबू हरित की आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र के मालवीय कुन्ज शरणार्थी क्वार्टरों के स्वामित्व का उनके आवंटी निवासियों को स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में। अगली सूचना श्री राजेन्द्र यादव की अपर निदेशक युवा कल्याण द्वारा जनपदों में निर्मित युवा केन्द्रों की साज-सज्जा हेतु अवमुक्त धनराशि का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में अगली सूचना श्री नन्द राम की जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर में शारदा कैनाल ब्रान्च से पटना माइनर पर कटान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। अगली सूचना श्री मेजर जे०पी० सिंह की लखनऊ नगर में कानपुर रोड पर आलमबाग चौराहे से चन्दन नगर गेट तक लगने वाली बाजार से बाधित यातायात के कारण नागरिकों को हो रही असुविधाओं के संबंध में, अगली सूचना श्री मूल चन्द्र की जनपद बिजनौर के धामपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक ट्रक ड्राइवर तथा क्लीनर की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, अगली सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के जहाँगीर निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सरजू नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, अगली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, अगली सूचना श्री अमित अग्रवाल की प्रदेश में भूगर्भ जल के अन्धाधुन्ध दोहन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

अगली सूचना श्री श्याम लाल रावत की जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली अन्तर्गत अम्बेडकर गाँव दाउदपुर में ग्राम पंचायत की भूमि को चीनी मिल मालिकों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, अगली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की जनपद सहारनपुर के थाना नागल के ग्राम सुभरी में स्कूल के अध्यापकों द्वारा कथित रूप से अबोध कन्याओं के साथ दुराचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री विजेन्द्र आर्य की जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री छोटे लाल गंगवार की बरेली के जिला महासचिव (समाजवादी पार्टी) पर हुये प्राणघातक हमले एवं उनके भतीजे की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, अगली सूचना श्री राम बिशुन आजाद, श्री राम पाल सिंह की प्रदेश की जनता की मूल समस्याओं को सरकार द्वारा नजरअंदाज किये जाने तथा सामाजिक सौहार्द के टूटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, अगली सूचना श्रीमती गौरी देवी की गोरखपुर जिले में संजय पेपर मिल्स के गन्दे पानी से आमी नदी के जल में हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। जो सूचनाएं अस्वीकार की गई हैं उनमें श्री अतुल कुमार, श्री धर्मज्ञ मिश्र और श्री राम नक्षत्र की है।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर में अधूरे विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूरा कराने के संबंध में श्री रामनरेश यादव की सूचना पर नियम 51 के अंतर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 22 स्थगित की जाती है।

जनपद फिरोजाबाद के सदस्य श्री शिवसिंह चक के प्रकरण पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को दी गयी प्रगति रिपोर्ट

(मद संख्या-23 पुकारे जाने पर)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी०आर० वर्मा)—

मान्यवर, आपकी पीठ से एक निर्देश हुआ था मैं उसके मुताबिक माननीय सदन को बता दूँ कि फिरोजाबाद के विधायक हैं श्री शिव सिंह चक उनका एक प्रकरण कल उठा था और यह गरिमामय सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनका सम्मान करने के लिये उनका आदर करने के लिये सर्वोपरि है। माननीय सदस्यों का माननीय सदन के अन्दर और सदन के बाहर सम्मान अक्षुण रहे उसके लिये यह सरकार प्रतिबद्ध है। उनके सम्मान और आदर के लिये और इस विधायिका को सम्मान देने के लिये उसका सम्वर्धन करने के लिये जो कुछ भी करना होगा उस काम को करने के लिये हम कदाचित पीछे नहीं हटेगें। हमने उन माननीय विधायक का जो प्रकरण है उस पर नैसर्गिक न्याय का जो तकाजा है उसको पूरा करते हुए किसी के प्रति कार्यवाही करने से पहले कम से कम उससे भी पूछा जाना चाहिए उससे रिपोर्ट मंगा ली जाय हमने रिपोर्ट मांगी है और उनको तलब भी किया है। इस तरह से उस पर कार्यवाही कर रहे हैं और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर सख्त से सख्त यथोचित कार्यवाही करेगें।

(मद संख्या 23 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने मद संख्या 22 स्थगित कर दी है।

प्रदेश में प्रचलित पान मशाला/गुटखों से उत्पन्न बीमारियों के संबंध में डा० राम बाबू हरित की सूचना पर नियम 51 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी०आर० वर्मा)—

पान मसाले का प्रयोग प्रत्येक आयु वर्ग के जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है .....

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

बी० आर० वर्मा–

[इस आशय की वैधानिक चेतावनी, पान मसाले के प्रत्येक ब्रान्ड, गुटखा पर लिखा जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डा० राम बाबू हरित, सदस्य विधान सभा ने गोल्ड मोहर, शंकर पान मसाला तथा गुत्था पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव किये हैं। डा० हरित ने यह उल्लेख किया है कि पान मसाले (गोल्ड मोहर, शंकर पान मसाला और गुत्था) का प्रयोग करने के कारण आज गले, गाल, दांत और जीभ से कैन्सर रोगों का भरमार होता जा रहा है। इन पान मसालों में नशीले पदार्थों की मिलावट की जा रही है। इनमें गैर कानूनी ढंग से, धतूरे के बीज, मार्फीन, पैथीडीन जैसे नशीले पदार्थों की मिलावट की जा रही है, जिसके कारण जन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है तथा वर्तमान पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही है। अतएव जनहित में इन्हें तुरन्त प्रतिबन्धित करने की संस्तुति माननीय सदस्य द्वारा की गयी है।

2—माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित गोल्ड मोहर पान मसाला, शंकर पान मसाला तथा गुत्था ही नहीं बल्कि अन्य ब्रान्ड के पान मसाले भी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनमानस में यह चेतना लाई जा रही है कि पान मसाले तथा खाने के तम्बाकू के सेवन से जानलेवा असाध्य रोग कैन्सर होता है, इसलिये इसका सेवन न करें। पान मसालों के नमूने मिलावट की सूचना प्राप्त होने पर खाद्य निरीक्षकों द्वारा एकत्र करके जांच के लिये जन विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। नमूनों के अपमिश्रित पाये जाने पर खाद्य नैनीताल, लखनऊ, फतेहपुर, इलाहाबाद, देवरिया तथा उन्नाव से विभिन्न ब्रान्ड के पान मसालों का नमूना लिया गया। नमूने जांच के पश्चात अपमिश्रित पाये गये। अपमिश्रित नमूनों में गैम्बीयर, मैगनीशियन कार्बोनेट, वर्जित रंग ऐश पाये गये। जिसके लिये सम्बन्धित निर्माताओं के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

3—यह सही है कि पान मसालों तथा तम्बाकू आदि के सेवन जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना उचित होगा इसके लिये खाद्य अममिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन आवश्यक है। चूंकि यह अधिनियम भारत सरकार का है और इसमें संशोधन हेतु भारत सरकार ही सक्षम है। माननीय सदस्य द्वारा जिन पान मसालों में मिलावट की शिकायत की गई है, उनका नमूना लेकर नमूने के अपमिश्रित पाये जाने पर सम्बन्धित निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।[ ]

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर मद संख्या–22 के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को विद्युत उप केन्द्र के बारे में अपना वक्तव्य देना था। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कई वर्षों से लटका है मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि किस कारण से इसे स्थगित करने की बात कही गई यह जनहित का मामला था।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना में माननीय मंत्री जी का आग्रह था माननीय अध्यक्ष जी ने इसको स्थगित कर दिया है।

श्री बी० आर० वर्मा –

आपकी पीठ का निर्देश है कि मद संख्या–22 स्थगित कर दें तो व्यवस्था आये इसका कोई औचित्य नहीं उठता है।

श्री अमर मणि–

यह नियमों का सहारा लेकर भागना चाहते हैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में स्थगित किया गया?

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बी० आर० वर्मा –

यह अध्यक्ष जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं....

श्री अधिष्ठाता–

आप मद संख्या–24 पर चलें मैं स्थगित कर चुका हूँ।

वाराणसी नगर निगम के कतिपय क्षेत्रों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरीशचन्द्र "हरीश" जी के सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना यह है कि पहली बरसात में ही वाराणसी नगर निगम के अनेक क्षेत्रों में जल भराव, से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

एक सदस्य–

पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री बी० आर० वर्मा–

शिवपुरा, निरालानगर, जयप्रकाशनगर, लहरतारा, शिवदासपुर, महुआडीह, रानीपुर, तुलसीपुर, कालीमहाल, औरंगाबाद, विरदीपुर, विनयका, किरसिया, देवपुखरी, वजरडिहा, नगवा, आदि क्षेत्रों में तो वर्षा और सीवर का गन्दा पानी अनेक लोगों के घरों में प्रवेश कर गया है। आवागमन के अधिकांश मार्गों पर 0-0 इंच तक की ऊँचाई में गन्दा कीचड़ लगा हुआ है। अनेक स्थानों पर कूड़े का अम्बार लगा हुआ है, सीवर का गन्दा पानी पेयजल की पाइप लाइन में प्रवेश कर पेयजल को दूषित बना दिया है। फलतः बड़ी संख्या में लोग डायरिया और ज्वर आदि रोगों से ग्रसित हैं और अन्य संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनायें हैं। लगभग चार लाख की जनसंख्या इस त्रासदी से पीड़ित है। अगस्त मास में अत्यधिक वर्षा सम्भावित है जिसके कारण स्थिति और भयावह और तनावपूर्ण हो जायेगी।

नगर निगम, जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी इस समस्या का सामना करने के लिये सचेष्ट है। परन्तु धनाभाव के कारण जल निकासी सीवर की सफाई और रोगों पर नियंत्रण पाने की कार्यवाही की गति इतनी मंद है कि उत्पन्न समस्या का सफलता पूर्वक निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाकर में मांग करता हूँ कि राज्य सरकार उत्पन्न आपदा का सामना करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर तथा तत्काल नगर निगम वाराणसी को कम से कम 50 लाख रु० की धनराशि निर्गत कर भेजने का प्रबन्ध करें।

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि मा० विधायक जी द्वारा वाराणसी नगर के जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है वह सामान्य क्षेत्रों की अपेक्षा निचले हैं। अतः वर्षा ऋतु के दौरान उक्त क्षेत्रों में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है।

इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम तथा जल निगम द्वारा जल निकासी का कार्य पम्पों के माध्यम से कराया जाता है।

| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर क्षेत्र में कुल 54 स्थानों पर जल निकासी हेतु पम्प लगाने के उद्देश्य से चयन किया गया है। इनमें से 42 स्थानों पर नगर निगम एवं 12 स्थानों पर जल निगम द्वारा पम्प लगाये जाने की योजना बनायी गई है। उक्त क्षेत्रों के जल निकासी के लिए नगर निगम द्वारा कुल 22 स्थानों पर पम्प लगाये जा चुके हैं तथा एक स्थान पर जल निगम द्वारा पम्प लगाया गया है। इन पम्पों द्वारा उक्त क्षेत्र की जल निकासी का कार्य निरन्तर कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी जिन क्षेत्रों में वर्तमान में बरसात होने से पानी लगने की आशंका है वहां भी जल निकासी के लिए आवश्यकतानुसार पम्प लगाकर जल निकासी की व्यवस्था कराई जायेगी।

वाराणसी नगर की जल निकासी की स्थायी समस्या के निराकरण हेतु एक कार्य योजना शासन में प्राप्त हुई है जिस पर विचार किया जा रहा है। योजना के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 8 जुलाई, 1997 द्वारा 50.00 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

माननीय सदस्य द्वारा जहां तक संक्रामक रोगों के फैलने की सम्भावनाओं की सूचना दिये जाने का प्रश्न है, नगर निगम, वाराणसी द्वारा संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु निम्न कार्यवाईयां की गई हैं :–

(1) कुल 2041 कुओं में तीन बार दवा डलवाई गई है।

(2) कटे फटे, सड़े, गले फल 752 किलोग्राम विनष्ट किये गये हैं.

(3) कुल 137 भवनों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया गया है।

(4) कुल 2789 पेयजल की ओ० टी० टेस्ट की गई है जिनमें से 1514 पाजिटिव एवं 1275 निगेटिव प्राप्त हुए हैं।

(5) 367 लीटर फिनायल का वितरण कराया गया है।

(6) 187 बोरी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया है।

(7) 10250 किलोग्राम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया गया है।

(8) 71 बोतल नेलाद का प्रयोग सफाई कार्य में किया गया है।

(9) 150 किलोग्राम मैलाथियान लिक्विड का उपयोग किया गया है।

(10) चूना भरसी 105 टन का छिड़काव कराया गया है।

(11) 28 लीटर फिनीट का छिड़काव कराया गया है।

(12) 105 बोतल नुआन का छिड़काव कराया गया है।

(13) 1,25,000 क्लोरीन टेबलेट्स का वितरण कराया गया है।

(14) मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर में फागिंग मशीनें चलायी जा रही हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बनारस नगर निगम क्षेत्र के 45 नालों की सफाई का कार्य कराया जाना था जिनमें से 40 नालों की सफाई का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा उनकी सिल्ट भी साफ करायी जा चुकी है। शेष 5 नालों पर सफाई का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त सफाई व्यवस्था हेतु सफाई उपकरणों के मद में शासनादेश संख्या–80(1)ए/9-1-97, दिनांक 8-7-97 द्वारा 5 ट्रैक्टर मय ट्राली के तथा एक जे० सी० बी० क्रय करने हेतु रु० 25.00 लाख अवमुक्त किये गये हैं।

नोट–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा० विधायक महोदय द्वारा वाराणसी के जिन क्षेत्रों में सीवर का गन्दा पानी पेयजल की पाइप लाइन में प्रवेश करने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वाराणसी जल संस्थान द्वारा क्लोरीनयुक्त जल की निरन्तर आपूर्ति की जा रही है। जल की शुद्धता बनाये रखने हेतु निरन्तर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा ओ० टी० टेस्ट कराये जा रहे हैं इसके अतिरिक्त समय-समय पर लखनऊ स्थित राज्य स्वास्थ्य संगठन से भी पेयजल की शुद्धता हेतु टेस्टिंग करायी जाती है। मा० विधायक द्वारा संदर्भगत क्षेत्रों में कराये गये विशेष निरीक्षण से भी यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त क्षेत्रों में गन्दे पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है जिसकी पुष्टि उक्त क्षेत्र के क्षेत्रवासियों द्वारा की गई है।

जनपद ज्योतिबा फुले नगर में स्थित आर्गेनिक फैक्ट्री से प्रदूषण युक्त पानी की निकासी से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री अकबाल हुसैन की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री वी० आर० वर्मा)–

मै०. वैम आर्गेनिक कैमिकल्स लि०, आसवनी इकाई वर्ष 1981 वर्ष 1982 में गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की गई थी....

एक सदस्य–

पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री वी० आर० वर्मा–

| मै० वैम आर्गेनिक केमिकल लि० की निम्नलिखित इकाई कार्यरत हैं–

(क) मै० वैम आर्गेनिक केमिकल लि०–डिस्टलरी यूनिट, (ख) मै० वैम आर्गनिक केमिकल्स लि०, केमिकल यूनिट, (ग) मै० वैम आर्गेनिक केमिकल्स लि०, फर्टिलाइजर डिवीजन, (घ) मै० वैम आर्गनिक केमिकल्स लि०–पिकोलीन पिरीडीन डिवीजन, (ङ) मै० वैम आर्गेनिक केमिकल्स लि० वुड फिनिश ट्राई इथाइल फास्फेट एवं कन्स्ट्रक्शन केमिकल यूनिट।

।—उद्योग की उक्त पांच इकाइयों में से 3 इकाइयां क्रमशः पिकोलीन एवं पिरीडीन इकाई, फर्टिलाइजर इकाई, वुड फिनिश डाइ ईथाइल, फास्फेट एवं कांस्ट्रक्शन कैमिकल से उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है। केमिकल इकाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से पूर्ण रूप से शुद्धिकृत करने के पश्चात् मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जाता है। केवल आसवनी इकाई से जनित उत्प्रवाह जो अत्यधिक प्रदूषणकारी प्रकृति का होता है, से मुख्य रूप से जल प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा इस इकाई से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह में रंग की समस्या भी विद्यमान रहती है।

2—उद्योग की आसवनी इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में मोलेसेस का प्रयोग कर लगभग 305 कि०ली०/दिन इण्डस्ट्रियल एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है।

उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से शुद्धिकरण व तनुकरण के पश्चात् मानकों के अनुरूप बगद नदी में निस्तारित किया जाता है। निस्तारित उत्प्रवाह में रंग की समस्या विद्यमान रहती है। इस हेतु यद्यपि वर्तमान में कोई तकनीक भारत में उपलब्ध नहीं है। फिर भी उद्योग को नीरी नागपुर से सम्पर्क कर निस्तारित उत्प्रवाह में से रंग की समस्या को दूर करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

नोट–| | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बोर्ड द्वारा उद्योग के शुद्धिकृत उत्प्रवाह को 9 माह तक स्टोरेज लैगून में एकत्र कर केवल वर्षा ऋतु में जब बगद नदी में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक तनुता रहती है, तब उत्प्रवाह बगद नदी में निस्तारित करने के भी निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुपालन में उद्योग ने स्थल पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

3—बोर्ड द्वारा विभिन्न वर्षों में विभिन्न दिनांक को उद्योग द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह के नमूने की जांच के परिणाम निम्न रहें :–

क्र० सं०	नमूना एकत्रण तिथि	बी० ओ० डी० मिग्रा० / ली०	सी० ओ० डी० मिग्रा० / ली०	निलम्बित ठोस मिग्रा० / ली०	टिप्पणी
1	02-12-93	26.0	208.0	82.0	तनुकरण के पश्चात्
2	18-06-94	28.0	200.0	89.0	–तदैव–
3	18-01-95	27.0	184.0	95.0	–तदैव–
4	22-12-95	26.0	208.0	78.0	–तदैव–
5	19-04-96	26.0	244.0	96.0	–तदैव–
6	27-06-96	28.0	232.0	84.0	–तदैव–
7	22-04-97	28.0	232.0	90.0	–तदैव–
	निर्धारित मानक	30.0	250.0	100.0	–तदैव–

4—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम द्वारा भी समय-समय पर उद्योग का निरीक्षण किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के उद्योग के पिछले निरीक्षण की आख्या के अनुसार उद्योग में वांछित उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था स्थापित है। निरीक्षण के समय एकत्रित अन्तिम निस्तारित उत्प्रवाह के समय एकत्रित अन्तिम निस्तारित उत्प्रवाह के नमूने में बी० ओ० डी० 11 मिग्रा० / ली० की मात्रा बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई थी।

5—गजरौला क्षेत्र में प्रदूषण की समस्याओं के निराकरण हेतु पूर्व में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 15.11.90 एवं 16.11.90 को क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। समिति के सुझावों को गजरौला एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है। उद्योग द्वारा गजरौला एक्शन प्लान की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में समीप के गांव नाइपुरा एवं पट्टी खादर गांव में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प स्थापित किया गया। 20 दिन के रिटेन्शन पीरियड युक्त गार्ड लैगून की स्थापना की गई, अन्तिम उत्प्रवाह बिन्दु पर टी० ओ० सी० एनलाइजर की स्थापना की गई, जी० बी० पन्त विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्प्रवाह के सिंचाई के प्रयोग के लिये उद्योग द्वारा अनुसंधान कराया गया, ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नाइपुरा गांव में सार्वजनिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया गया। समीप के गांव में चिकित्सा कैम्प लगाया गया। सामुदायिक विकास हेतु चलित डिस्पेन्सरी स्थापित की गई, उद्योग परिसर के चारों ओर हरित पट्टी का विकसित की गई।

6—माननीय सर्वोच्च न्यायालय में श्री एम० सी० मेहता द्वारा गंगा नदी के प्रदूषण की रोकथाम की दृष्टि से एक जनहित याचिका संख्या 3727 वर्ष, 85 में दायर की गई थी। उक्त रिट याचिका के अन्तर्गत गंगा नदी में परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों को सम्मिलित किया गया था, ऐसे समस्त उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं था उन्हें मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया तथा जो उद्योग उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करते गये उनके बन्दी आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये। उ० प्र० की

समस्त आसवनी इकाइयों, जिनमें मै० वैम आर्गेनिक कैमिकल्स लि० आसवनी इकाई भी सम्मिलित है, के विरुद्ध वाद मा० सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं० 3727/85 के अन्तर्गत लम्बित है।

7—मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.11.96 द्वारा यह अवगत कराया गया था कि इस क्षेत्र के उद्योगों से प्रदूषण फैलने की कोई घटना नहीं हुई है तथा कुछ बीमारियों की दर में कमी आयी है।

8—जिला कृषि अधिकारी, मुरादाबाद ने अपने पत्र दिनांक 25.10.96 द्वारा सूचित किया कि 'बगद नदी' में मेसर्स केरल न्यूजप्रिन्ट, मेसर्स कामांक्षी पेपर लि०, मै० जे० के० डेरी एण्ड फूड्स लि०, मै० श्री एसिड एण्ड केमिकल्स लि० तथा मै० वाम आर्गेनिक केमिकल्स लि० आदि फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है उक्त फैक्ट्रियों में से किसी एक फैक्ट्री से काला पानी आ रहा है जिसे देखने से स्पष्ट होता है कि पानी में रासायनिक तत्व मिले है जिसकी तुरन्त जांच होना अति आवश्यक है। फैक्ट्रियों के आस-पास के क्षेत्र में निरीक्षण के समय यह भी स्पष्ट हुआ कि फैक्ट्रियों का पानी पाइप लाइनों से बगद नदी में डाला जा रहा है। पाइप लाइन जगह-जगह टूटी हुई पायी गयी तथा रासायनिक मिला पानी खेतों में फैल रहा है जिससे कृषकों की फसलों पर उक्त पानी एवं गैस का कुप्रभाव पड़ रहा है/पड़ता है जिसके लिए तुरन्त तकनीकी एवं रासायनिक जांच की आवश्यकता है।

9—बगद नदी एक सीजनल नदी है तथा इसमें वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य समय में स्वयं का कोई उत्प्रवाह नहीं रहता है। इस नदी में अधिकतर उत्प्रवाह विभिन्न उद्योगों द्वारा निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह तथा बगद नदी के किनारे स्थित गांवों व शहरों के जल मल के कारण रहता है।

10—इस क्षेत्र में यद्यपि सभी प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया है फिर भी बगद नदी में स्वयं का उत्प्रवाह न होने के कारण उद्योगों द्वारा बोर्ड मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह निस्तारित करने के बाद भी प्राकृतिक तनुकरण न होने से बगद नदी का जल पीने, नहाने व मत्स्यपालन हेतु उपयुक्त नहीं रहता है।]

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति विषयक डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

भारत सरकार द्वारा मैदानी क्षेत्र में 30 हजार ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक केन्द्र तथा पर्वतीय क्षेत्रों में .....

एक सदस्य–

पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बी० आर० वर्मा–

[20 हजार ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक केन्द्र की स्थापना का मानक निर्धारित है। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्र में 5 हजार जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र एवं पर्वतीय क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र की स्थापना पर मानक निर्धारित है। वर्ष 1991 की जनसंख्या (ग्रामीण) के आधार

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर उक्त मानक के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में (उत्तराखण्ड) 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के सापेक्ष्य अब तक 233 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर दी गयी है। इसी प्रकार प्रत्येक 3000 ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर मातृ एवं शिशुओं के कल्याण के लिये 1445 उपकेन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। और चालू वित्तीय वर्ष में 336 उपकेन्द्रों की स्थापना मानकानुसार किया जाना प्रस्तावित है। जिससे मानकानुसार 1546 उपकेन्द्रों के सापेक्ष्य 1781 उपकेन्द्र स्थापित हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम स्थलों एवं भौगोलिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण अंचलों में 333 कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अलावा 352 राजकीय एलोपैथिक औषधालयों की भी स्थापना की गयी है तथा यह राजकीय एलोपैथिक औषधालयों मैदानी क्षेत्रों में नहीं है। इसके साथ ही साथ उत्तराखण्ड क्षेत्र में 347 आयुर्वेदिक औषधालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 20 शहरी क्षेत्रों में कार्यशील है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में, क्रमशः 47 एवं 8 होम्योपैथिक औषधालय भी स्थापित हैं। उत्तराखण्ड में जिला स्तर पर जिला पुरुष तथा महिला चिकित्सालयों के अतिरिक्त अल्मोड़ा, हल्द्वानी तथा श्रीनगर में 3 बेस अस्पताल भी स्थापित हैं, जहां पर जनता को विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें एवं विशेषज्ञ व्यवस्था उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 1712 व्यक्तियों पर एक रोगी शैय्या उपलब्ध है जबकि पर्वतीय क्षेत्र में वहां की परिस्थितियों को देखते हुए 864 व्यक्तियों पर एक रोगी शैय्या उपलब्ध है।

उत्तराखण्ड के प्रायः (लगभग) सभी न्याय पंचायतों पर किसी न किसी प्रकार की चिकित्सा इकाई यथा उपकेन्द्र, प्रा० स्वा० केन्द्र, रा० एलो० औषधालय, आयु० औषधालय अथवा होम्यो० औषधालय स्थापित हैं। जिन न्याय पंचायतों पर किसी भी प्रकार की इकाई स्थापित नहीं है उनमें चालू वित्तीय वर्ष में उपकेन्द्रों की स्थापना को प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हेतु निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारियों को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तराखण्ड द्वारा दिये जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में उपलब्ध साधनों से उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मानक से अधिक उपकेन्द्रों, प्रा० स्वा० केन्द्रों, औषधालयों, अस्पतालों आदि की स्थापना किया जा चुका है तथा चिकित्साभाव में या अस्पताल के लिये बहुत दूर चलकर रास्ते में मरीजों के दम तोड़ने के सम्बन्ध में कोई घटना सूचित नहीं हुई है।।

जनपद आगरा की फतेहाबाद तहसील के ग्राम गढ़ी तुरसी निवासी श्री कपूर सिंह का आवास अधिकारियों द्वारा गिराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजयपाल सिंह की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

श्री लाखन सिंह पुत्र घमण्डी लाल निवासी गढ़ी तुरसी मौजा घिमश्री, तहसील फतेहाबाद, जनपद आगरा द्वारा.....

एक सदस्य–

पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बी० आर० वर्मा—

[दिनांक 30-6-97 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि गाटा संख्या 748 पर कपूर सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी ग्रामवासी ने ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करके व दीवार लगाकर

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रास्ता बन्द कर लिया है और ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे को हटवाने का अनुरोध किया। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में मौके पर जांच करायी गयी और राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जांच एवं पैमाइश करने पर यह पाया गया कि कपूर सिंह पुत्र राम सिंह निवासी तुरसी गढ़ी, उपग्राम घिमश्री ने भूखण्ड गाटा संख्या 748 रकवा 0.081 हैक्टेयर जो ग्राम सभा की जमीन है, पर अनाधिकृत कब्जा करके आम रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। अनाधिकृत कब्जे की पुष्टि होने पर कपूर सिंह को मौके पर निर्देश दिये गये कि वे कब्जे को हटायें परन्तु वह विरोध करते हुए झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया और सरकारी कार्य में व्यवधान डाला। पुलिस बल लेकर दिनांक 8-7-97 को अवैध कब्जे को ग्राम सभा की भूमि से हटवा दिया गया और आम रास्ते से अवरोध हटा दिया गया। उल्लेखनीय है कि कपूर सिंह पुत्र राम सिंह का ग्राम में अपना निजी मकान है, जिसमें उसका परिवार रहता है। यह कहना सही नहीं है कि कपूर सिंह का मकान बिना नोटिस दिये, बगैर पैमाइश किये बरसात के मौसम में गिरा दिया है। यह कहना भी सही नहीं है कि बरसात के मौसम में उसके परिवार के रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहा। वास्तविकता यह है कि श्री कपूर सिंह द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को पैमाइश करने एवं उसे सूचना दिये जाने के उपरान्त अवैध कब्जे को हटाया गया है। अवैध कब्जा हटाने से ग्राम के निवासियों में किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं है।]

प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में श्री सीताराम निषाद की सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

माननीय सदस्य ने प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण .....

एक सदस्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बी० आर० वर्मा—

[कोटा पूरा करने एवं पदोन्नति में आरक्षण को सुविधा दिये जाने का प्रश्न उठाया है।

2—उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिछड़े वर्गो के कल्याणार्थ वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय व्ययक को अनुदान संख्या 80 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविधान कराया गया है :–

क्रमांक	मद	धनराशि (हजार रु० में)
1—	पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति वितरण की योजना।	208488
2—	उ० प्र० पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लि० की अंशपूंजी में विनियोजन।	10000

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जहां तक छात्रवृत्ति की दरों को दुगना करने व सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रश्न है, निवेदन है कि पिछड़े वर्गों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को वर्तमान शिक्षा सत्र 1997-98 से पुनरीक्षित कर दुगनी करने एवं कक्षा 1 से 8 तक के गरीबी रेखा के नीचे छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु नीतिगत निर्णय ले लिया गया है, और तत्सम्बन्धी आदेश शीघ्रातिशीघ्र निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है। आदेशों के निर्गत होने के उपरान्त आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान प्रथम अनुपूरक मांगों के माध्यम से कराकर वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

3—पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के आरक्षण का कोटा पूरा करने तथा पदोन्नति एवं प्रोन्नति से पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा देने के सम्बन्ध में निवेदन है कि उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम 1994 ऐक्ट नं० 4, 1994 के प्राविधानों को लागू करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुमन्य 27 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों को पदोन्नति अथवा प्रोन्नति में आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य नहीं है।।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन 7 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुआ।

लखनऊ

दिनांक 12 अगस्त, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

विक्रमादित्य मार्ग स्थित कोठी नम्बर–4 और 5 के बीच स्थित सर्वेन्ट क्वार्टरों के अध्यासियों की सूची

कोठी नम्बर–4

क्र०-सं०	आवास संख्या	अध्यासी का नाम	पद नाम
1	1	श्री ओम प्रकाश पाल	चपरासी
2	2	श्री श्याम धर पाण्डेय	ड्राइवर
3	3	श्री राजेन्द्र सिंह	चपरासी
4	4	श्री नवाब हुसैन	चपरासी
5	5	श्री सुन्दर सिंह	चपरासी
6	6	श्री विनोद सिंह	चपरासी
7	7	श्री नियाज मोहम्मद	ड्राइवर
8	8	श्री श्याम शंकर	गार्ड
9	9	श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	ड्राइवर
10	10	श्री छोटे लाल	स्वीपर
कोठी नम्बर–5			
1	1	श्री रवी शंकर त्रिपाठी	क्लर्क
2	2	श्रीमती ननकी	स्वीपर
3	3	श्री महेश चन्द्र पाठक	चपरासी
4	4	श्री राधेश्याम दुबे	चपरासी
5	5	श्री प्रेम नाथ साहू	चपरासी
6	6	श्री राम सरूप यादव	अर्दली
7	7	श्री बाबू लाल यादव	साइकिल चौकीदार
8	8	श्री रमेश चन्द्र तूफानी	चपरासी
9	9	श्री भगवन्त प्रसाद	चपरासी
10	10	श्री राम आशीष	दफ्तरी

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 57 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित, श्री धनराज यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–47 के उत्तर में बताई गई सूची :–

सूची

वर्ष 1994–95 –शून्य

वर्ष 1995–96

1—एल० डी० मार्ग से रसूलपुर न्योरा मार्ग

2—चिल्हिया पल्टादेवी मार्ग के कि० मी० 5 में स्थित पाईल सेतु

3—जिला मुख्यालय मार्ग।

4—प्राइमरी पाठशाला से खजुरिया मार्ग।

5—मोहाना लोटन मार्ग।

6—लोटन नेपाल सीमा मार्ग।

7—नौगढ़ महापाल्ली मार्ग।

8—उस्का सोहास मोहाना मार्ग।

9—अलीदापुर रमवापुर मार्ग।

10—नौगढ़ बढ़नी से सेमरियांव मार्ग।

11—फरेन्दा नौगढ़ बढ़नी श्रावस्ती मार्ग।

12—नेहरू इण्टर कालेज से दलदलहा मार्ग।

वर्ष 1996–97

1—फरेन्दा-नौगढ़ बढ़नी श्रावस्ती मार्ग।

2—लुम्बिनी दुध्दी मार्ग।

3—पकड़ी उदयपुर मार्ग।

4—जोगिया नादेपार मार्ग।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि सदस्य विधान सभा के ध्यानाकर्षण हेतु निर्धारित अता० प्र० सं० 92 का संलग्नक :—

विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत वर्ष 1994 से 21-4-97 तक स्वीकृत मार्गों की सूची :-

राज्य योजना के अन्तर्गत

स्वीकृत मार्गों का नाम

1—बिन्सिया माइनर से ग्राम चतुरीपुर बी० आर० इण्टर कालेज भवानीगढ़ कैथोली तक।

2—ऊंचा इस्लामाबाद से कुरावरा तक मार्ग का निर्माण।

3—मैनपुरी कुरावरा मार्ग के कि० मी० 24 से 28.40 तक छूटे भाग का निर्माण।

4—नवीगंज कैथोली से ग्राम मुइई तक लिंक रोड।

5—ग्राम मीरपुर को पक्की सड़क से जोड़ना।

6—किशनी शमशेरगंज का अवशेष 4.00 कि० मी० का निर्माण।

7—किशनी से छिबरामऊ मार्ग का निर्माण।

8—खिदरपुर से चतुरीपुर।

9—माइनर सौंज पट्टी से नगला घना मार्ग का निर्माण (यह मार्ग सिंचाई विभाग से भी स्वीकृत हो गया था) अतः वर्तमान में निचली गंगा नहर प्रखण्ड इटावा द्वारा निर्माणाधीन है।

10—लिपुलेक भिण्ड मार्ग के कि० मी० 593 से ढढौस पुल से मुढ़ौसी तक।

11—कुर्रा पूर्णसिंहपुर कूकपुर मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण।

12—करीं छिमारा मार्ग से मनगांव महाराजपुर से नगला तेज मार्ग का अवशेष भाग।

13—लिपुलेक भिण्ड मार्ग से फरेंजी।

14—ग्राम जोत से विशुनगढ़ तक मार्ग का निर्माण।

15—नवीगंज कैथोली मार्ग से गणेशपुर।

जिला योजना सामान्य

1—मैनपुरी भांवत किशनी मार्ग से नेगमा मार्ग होता हुआ महिगवां की ओर लेपर स्तर तक निर्माण।

जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान)

स्वीकृत मार्गों का नाम

1—मैनपुरी कुसभरा मार्ग से हतपऊ।

2—कुसभरा ऊंचा इस्लामाबाद मार्ग से लोथीपुर बुढ़ोली।

3—मैनपुरी कुसभरा मार्ग से इकावांस।

4—नवीगंज जासमई से जोत।

5—नवीगंज जासमई से भदेई।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
मैनपुरी।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 2(X) का उत्तर पीछे पृष्ठ 127 पर)

संलग्नक—1

क्रम-संख्या	उपभोक्ता का नाम	रेड इकाई द्वारा की गई चेकिंग का माह
1	मे० हंश कास्टिंग यूनिट–प्रथम, हमीरपुर	नवम्बर, 94
2	मे० हंश कास्टिंग यूनिट–द्वितीय, हमीरपुर	नवम्बर, 94
3	मे० वीनस कास्टिंग, हमीरपुर	नवम्बर, 94
4	मे० वन्दना स्टील्स, हमीरपुर	नवम्बर, 94
5	मे० कामाख्या स्टील्स, बिजनौर	दिसम्बर, 95
6	मे० सिंगमा कास्टिंग, फतेहपुर	मार्च, 95
7	मे० अर्पित स्टील्स, टेहरी गढ़वाल,	अप्रैल, 95
8	मे० आर०एस० स्टील्स, टेहरी गढ़वाल	अप्रैल, 95
9	मे० अमृत वर्षा, टेहरी गढ़वाल	अप्रैल, 95
10	मे० टेहरी स्टील्स, टेहरी गढ़वाल	अप्रैल, 95
11	मे० विमल, स्टील्स, टेहरी गढ़वाल	अप्रैल, 95
12	मे० पीलीभीत इस्पात, पीलीभीत	मई, 95
13	मे० मूलचन्द स्टील्स, सहारनपुर	मई, 95
14	मे० हूरंग स्टील्स, रूड़की	मई, 95
15	मे० ओम स्टील्स, फैजाबाद	मई, 95
16	मे० जगदीश सीमेन्ट, सम्भल	जून, 95
17	मे० बलवीर स्टील्स, उरई	जुलाई, 95
18	मे० मोतीलाल, स्टील्स, झांसी	अगस्त, 95
19	मे० इंदूर स्टील्स, झांसी	अगस्त, 95
20	मे० गैरी स्टील्स, बहराइच	अगस्त, 95
21	मे० जालान प्लायज, पडरौना	अगस्त, 95
22	मे० अभिनव स्टील्स, जौनपुर	सितम्बर, 95
23	मे० ओम स्टील्स, फैजाबाद	सितम्बर, 95
24	मे० मवाना स्टील्स, कानपुर	दिसम्बर, 95
25	मे० विक्टी कास्टिंग, फतेहपुर	जनवरी, 95
26	मे० स्वरूप कास्टिंग, जनसेट	मार्च, 96
27	मे० कामाख्या स्टील्स, बिजनौर	मई, 96

सलग्नक—2

1-1-94 से 1-8-96 तक निलम्बित किये गये अधिकारियों का विवरण

क्रम-सं०	नाम सर्वश्री	पदनाम	तैनाती का स्थान	निलम्बन की तिथि	पुर्नस्थापन बहाली की तिथि
1	जगदीश चन्द्र	सहायक अभियन्ता(मीटर)	वि० परीक्षण खण्ड,बांदा	26-11-94	10-2-95
2	सतीश कुमार जैन	उप खण्ड अधिकारी	वि० वि० उपखण्ड, हमीरपुर	तदैव	तदैव
3	रमाशंकर श्रीवास्तव	अधिशासी अभियन्ता	कार्यालय, अधी० अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, कानपुर	तदैव	तदैव
4	के० सी० सिन्हा	अधिशासी अभियन्ता	वि० वितरण खण्ड-पीलीभीत	17-05-95	31-10-95
5	सिरवर सिंह	अधिशासी अभियन्ता	तदैव	तदैव	तदैव
6	एम० सईद	उप खण्ड अधिकारी	तदैव	तदैव	तदैव
7	एस० के० सिंह	अवर अभियन्ता	तदैव	तदैव	तदैव
8	वी० एस० गंगवार	सब स्टेशन आपरेटर	तदैव	तदैव	तदैव
9	आर० एस०- चौधरी	अधिशासी अभियन्ता	विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थ नगर	12-09-95	21-10-95
10	आर० एस० खरे	सहायक अभियन्ता	वि० परीक्षण खण्ड, बहराइच	तदैव	तदैव
11	जग प्रसाद	अधिशासी अभियन्ता	वि० परीक्षण खण्ड, गोरखपुर	22-09-95	तदैव
12	प्रभुनाथ सिंह	अधिशासी अभियन्ता	वि० वितरण खण्ड, देवरिया	तदैव	तदैव
13	आर० एन० यादव	अधिशासी अभियन्ता	वि० परीक्षण खण्ड, इलाहाबाद	10-4-95	दिनांक 9-5-95 को इनके निलम्बन आदेश निरस्त कर दिये गये।

पी० एस० यू० पी०–ए०पी० 2 विधान सभा—(288)—25-5-98—813—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा